RNA : Real News Analysis

MONTHLY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

MONTH

दिसम्बर, 2024

हिन्दी EDITION

ONE LINER & अभ्यास प्रश्न

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index

By Ankit Avasthi Sir

बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई का प्रस्ताव / 100% FDI proposed in insurance sector

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव दिया गया। इससे पहले, फरवरी 2021 में इस सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया था।

बीमा कानूनों में संशोधन:

1. **उद्देश्य:**
   - नागरिकों के लिए बीमा की उपलब्धता और किफायती दरों को सुनिश्चित करना।
   - बीमा उद्योग के विस्तार और विकास को प्रोत्साहित करना।
   - व्यापार प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाना।
2. **नेट ओनड फंड्स में बदलाव:**
   - विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए नेट ओनड फंड्स को 5,000 करोड़ रुपये से घटाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
3. **आईआरडीएआई की शक्तियों का विस्तार:**
   - आईआरडीएआई को विशेष मामलों में underserved या unserved क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 50 करोड़ रुपये पूंजी के साथ कम प्रवेश पूंजी निर्धारित करने का अधिकार मिलेगा।
4. **बीमा एजेंटों के लिए खुली संरचना:**
   - बीमा एजेंटों को एक से अधिक जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के साथ समझौता करने की अनुमति मिलेगी।
   - वर्तमान में, बीमा एजेंटों को केवल एक जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनी के साथ समझौता करने की अनुमति है।

कानूनों में संशोधन की आवश्यकता:

1. **पूंजी की आवश्यकता**: बीमा उद्योग में हर साल लगभग ₹50,000 करोड़ की पूंजी लगाना जरूरी है ताकि देश में बीमा पैठ दोगुनी की जा सके।
2. **बीमा पैठ का महत्व**: बीमा पैठ का अर्थ है बीमा प्रीमियम का GDP के अनुपात में मापन।
3. **बीमा कवरेज का विस्तार**: बीमा कवरेज बढ़ाकर भारत हर साल लगभग 10 बिलियन डॉलर की बचत कर सकता है।
4. **असुरक्षित आबादी**: बड़ी संख्या में भारतीय अभी भी बीमा से वंचित हैं, जिससे उच्च चिकित्सा खर्च जैसे जोखिम बने रहते हैं।
5. **आईआरडीए का लक्ष्य**: '2047 तक सभी के लिए बीमा' मिशन के तहत, आईआरडीए बीमा उद्योग की चुनौतियों को हल करने के लिए आक्रामक योजनाओं पर काम कर रहा है।

भारत में बीमा क्षेत्र: एक दृष्टि

1. **विश्व में स्थान:**
   - भारत उभरते हुए बीमा बाजारों में दुनिया में **पाँचवें स्थान** पर है।
   - यह क्षेत्र हर साल **32-34%** की दर से तेज़ी से बढ़ रहा है।
2. **बीमा पैठ (Insurance Penetration):**
   - **कुल पैठ:**
     - 2021-22: **4.2%**
     - 2022-23: घटकर **4%**
   - **जीवन बीमा:**
     - 2021-22: **3.2%**
     - 2022-23: घटकर **3%**
   - **गैर-जीवन बीमा:**
     - 2021-22 और 2022-23: **1%** (कोई बदलाव नहीं)।
3. **बीमा कंपनियों की संख्या:**
   - **जीवन बीमा कंपनियाँ**: 25
   - **सामान्य बीमा कंपनियाँ**: 34
4. **पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियाँ:**
   - जीवन बीमा क्षेत्र में **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)** एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है।
5. **पुनर्बीमा क्षेत्र:**
   - भारत में पुनर्बीमा के लिए केवल एक राष्ट्रीय कंपनी है:
     - **जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re)।**

भारतीय पर्यटन क्षेत्र का उभरता विकास / Rise of Indian Tourism Sector

हाल ही में केंद्र सरकार ने 23 राज्यों में 40 पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए 3,295 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

पर्यटन विकास के लिए विशेष सहायता योजना के प्रमुख बिंदु-

1. **ब्याजमुक्त दीर्घकालिक ऋण**:
   - वित्त मंत्रालय ने पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (SASCI) योजना के तहत ब्याजमुक्त ऋण मंजूरी दी है।
   - यह ऋण 50 वर्षों में चुकाया जाएगा।
2. **उद्देश्य**:
   - विश्वस्तरीय पर्यटन स्थलों का विकास।
   - वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देना।
   - स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन और रोजगार सृजन।
3. **कम प्रसिद्ध स्थलों का विकास**:
   - उत्तर प्रदेश का बटेश्वर, गोवा का पोंडा, आंध्र प्रदेश का गांडीकोटा, और गुजरात का पोरबंदर जैसे कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का विकास।
4. **नए परियोजनाओं की पहचान**:
   - 23 राज्यों में 40 नई पर्यटन परियोजनाओं का चयन किया गया है।

योजना की संरचना:

यह योजना प्रमुख विकास क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें शामिल हैं:

- **वाहन स्क्रैपिंग प्रोत्साहन**
- **शहरी नियोजन सुधार**
- **पुलिस कर्मियों के लिए आवास**
- **राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल परियोजनाएं**

इसके अलावा, यह पंचायती और वार्ड स्तर पर डिजिटल सुविधाओं से युक्त पुस्तकालयों की स्थापना का समर्थन करती है, जिससे शैक्षणिक पहुंच में सुधार हो सके।

योजना के उद्देश्य:

- **आर्थिक विकास**: मांग को बढ़ावा देकर और रोजगार सृजन कर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना।
- **प्रमुख परियोजनाओं में तेजी**: जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं को राज्य की वित्तीय सहायता से तेज करना।
- **शहरी सुधार**: शहरी नियोजन और वित्तीय सुधारों को प्रोत्साहित करना ताकि शहरों में जीवन स्तर और शासन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके।

भारत में पर्यटन क्षेत्र की प्रगति-

पर्यटन क्षेत्र की उपलब्धियां:

- **भारत की विशेषता:** भारत, प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक, वैश्विक पर्यटन का पसंदीदा केंद्र बन रहा है।
- **रोजगार:** 2022-23 में पर्यटन क्षेत्र में 76.17 मिलियन नौकरियां सृजित हुईं, जो 2021-22 में 70.04 मिलियन थीं।
- **वैश्विक रैंकिंग:** यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 (TTDI) में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर।

महत्वपूर्ण आँकड़े:

- **विदेशी पर्यटक आगमन (FTAs):** 2023 में 9.24 मिलियन, 2022 की तुलना में 43.5% वृद्धि।
- **विदेशी मुद्रा आय (FEEs):** ₹2.3 लाख करोड़, 65% वृद्धि।
- **घरेलू पर्यटन यात्रा (DTVs):** 2023 में 2,509.63 मिलियन, 2022 में 1,731.01 मिलियन।

सरकार की पहल:

- **बजट:** FY25 में ₹2,479 करोड़ आवंटित।
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश:** ₹7,000 करोड़ निवेश।
- **योजनाएं:** देखो अपना देश, PRASHAD, स्वदेश 2.0, उड़ान, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम।
- **नई पहल:**
  - साहसिक और विशेष पर्यटन का प्रोत्साहन।
  - ई-वीजा की सुविधा।
  - पर्यटकों के लिए 24x7 बहुभाषी हेल्पलाइन।
  - पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र कार्यक्रम।

मनरेगा जॉब कार्डों का विलोपन / Deletion of Workers from MGNREGA Job Cards

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत श्रमिकों के जॉब कार्ड से हाल ही में हुई बड़ी संख्या में कटौती ने काम के अधिकार और कार्यान्वयन में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

- सिर्फ 2022-23 में ही 5.53 करोड़ से अधिक श्रमिकों को हटाया गया, जो 2021-22 के मुकाबले 247% की बढ़ोतरी दर्शाता है।

MGNREGA के तहत श्रमिकों के नाम हटाने के कानूनी नियम:

MGNREGA अधिनियम के अनुसूची II, अनुच्छेद 23 के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में श्रमिक का नाम नौकरी कार्ड से हटाया जा सकता है, जैसे कि:

- पंजीकरण के दौरान गलत जानकारी दी हो।
- परिवार स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया हो।
- नौकरी कार्ड डुप्लिकेट रिकॉर्ड या फर्जी दस्तावेज़ के कारण दिया गया हो।
- यदि नाम हटाने की प्रक्रिया हो रही हो, तो श्रमिक को स्वतंत्र व्यक्तियों के सामने अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।
- सभी हटाए गए नामों को रिकॉर्ड करना चाहिए और ग्राम सभा (गांव की पंचायत) को सूचित करना चाहिए, साथ ही MGNREGA प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) में अपडेट करना चाहिए।

MGNREGA जॉब कार्ड हटाने के प्रभाव:

1. **रोजगार का अधिकार उल्लंघन:** "काम करने की इच्छा नहीं" के आधार पर श्रमिकों के नाम हटाना उनके कानूनी रोजगार अधिकार का उल्लंघन है। कई श्रमिक जिन्होंने काम किया या काम की मांग की, उन्हें हटाया गया।
2. **अनियमित प्रक्रिया:** "गांव शहरी हो गया" के आधार पर कुछ श्रमिकों के जॉब कार्ड हटाना, जबकि कानून के मुताबिक शहरी क्षेत्र में सभी कार्ड हटने चाहिए, एक विरोधाभास है।
3. **Gram Sabha की मंजूरी की कमी:** अक्सर, ग्राम सभा की मंजूरी के बिना कार्ड हटाए जाते हैं, जो कानून का उल्लंघन है। कई श्रमिकों को बिना सूचना के गलत तरीके से हटाया जाता है।
4. **सत्यापन की कमी:** अधिकांश मामले बिना सत्यापन या कारणों के विश्लेषण के होते हैं। मंत्रालय ने इन कारणों की जांच नहीं की है, खासकर "काम करने की इच्छा नहीं" वाले मामलों में।
5. **आर्थिक प्रभाव:** "काम करने की इच्छा नहीं" जैसे कारणों से श्रमिकों का नाम हटाना, विशेष रूप से उच्च ग्रामीण बेरोजगारी दर के मद्देनजर, उनकी आजीविका के अवसरों को नष्ट करता है।
6. **डेटा से जुड़ी चिंताएँ:** डाटा में वृद्धि दिखाती है कि ABPS पर अधिक ध्यान केंद्रित होने से शायद ये हटाने की प्रक्रिया वास्तविक कारणों से ज्यादा अनुपालन के लिए की गई हो सकती है।

MGNREGA योजना क्या है?

परिचय: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना और कानूनी गारंटी के तहत मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करना है।

उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। यह योजना ग्रामीण घरों के वयस्क सदस्य को हर वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है।

पात्रता:

- **लक्षित समूह:** यह योजना उन सभी ग्रामीण परिवारों के लिए है जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल श्रमिक कार्य करने के इच्छुक हैं।
- **पंजीकरण:** आवेदक अपने आवेदन ग्राम पंचायत में जमा करते हैं। ग्राम पंचायत पंजीकरण के बाद रोजगार कार्ड जारी करती है, लेकिन इसके लिए सत्यापन आवश्यक है।
- **प्राथमिकता:** रोजगार की मांग करने वालों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए।

रोजगार की शर्तें:

- रोजगार कम से कम 14 दिन तक लगातार चलना चाहिए।
- सप्ताह में अधिकतम छह कार्यदिवस होने चाहिए।

रोजगार प्रावधान:

- **रोजगार समयसीमा:** ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी को आवेदन के 15 दिनों के भीतर कार्य प्रदान करना चाहिए। कार्य, आवेदनकर्ता के गांव से 5 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए।
- **परिवहन और जीवन यापन भत्ता:** यदि कार्य 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, तो अतिरिक्त 10% मजदूरी परिवहन और जीवन यापन खर्च के रूप में दी जाती है।
- **बेरोजगारी भत्ता:** यदि रोजगार 15 दिनों के भीतर नहीं मिलता है, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। पहले 30 दिनों में मजदूरी दर का एक चौथाई और बाद के दिनों में आधी मजदूरी बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी जाती है।

स्वीकृत कार्य:

- **जल और भूमि विकास:** संरक्षण और वर्षा जल संचयन।
- **वृक्षारोपण और सूखा प्रूफिंग:** वृक्षारोपण और सूखा प्रतिरोधी कार्य।
- **सिंचाई और कृषि आधारभूत संरचना:** नहरें, तालाब, और सिंचाई कार्य।
- **स्वच्छता और स्वच्छता:** शौचालय और कचरा प्रबंधन।

एशियाई विकास बैंक / Asian Development Bank

एशियाई विकास बैंक (ADB) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने जापान के मासातो कांडा को बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना है। वे मौजूदा अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा का स्थान लेंगे, जो 23 फरवरी 2025 को पद छोड़ेंगे। मासातो कांडा 'मिस्टर येन' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

एशियाई विकास बैंक (ADB) के अध्यक्ष पद से जुड़ी प्रमुख जानकारियां:

1. **नए अध्यक्ष का कार्यकाल**: मासातो कांडा 24 फरवरी 2025 को एशियाई विकास बैंक (ADB) के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। ADB अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और उन्हें पुन: चुने जाने की अनुमति है।
2. **अध्यक्ष चयन प्रक्रिया:**
   - ADB के अध्यक्ष का चुनाव बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों के वित्त मंत्री अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।
   - भारत की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि अजय सेठ वैकल्पिक गवर्नर हैं।
   - अध्यक्ष चुने जाने के लिए बहुमत हासिल करना अनिवार्य है। प्रत्येक देश के वोट का मूल्य उसके ADB में इक्विटी शेयर के अनुपात में होता है।
3. **महत्वपूर्ण शेयरधारक और वोटिंग प्रक्रिया:**
   - जापान और अमेरिका ADB के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, दोनों की इक्विटी हिस्सेदारी 15.6% है।
   - चीन 6.4% के साथ तीसरे और भारत 6.3% के साथ चौथे स्थान पर है।
   - जापान का वोट मूल्य 15.6% और भारत का 6.3% है।
4. **ADB अध्यक्ष का इतिहास:**
   - 1966 में ADB की स्थापना के बाद से ही परंपरागत रूप से एक जापानी व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर चुना जाता रहा है।
   - यह स्थिति पश्चिमी देशों के बीच बनी आपसी समझ का परिणाम है।

इस प्रकार, मासातो कांडा 23 फरवरी 2026 तक ADB के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं देंगे।

एशियाई विकास बैंक (ADB): एक परिचय-

स्थापना और उद्देश्य: एशियाई विकास बैंक (ADB) की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक है।

इसका उद्देश्य एक समृद्ध, समावेशी, लचीले और टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करना है, साथ ही इस क्षेत्र से अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के प्रयास करना है।

मुख्य कार्य

1. **वित्तीय सहायता:** विकासशील सदस्य देशों (DMCs), निजी क्षेत्र, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए ऋण, अनुदान, तकनीकी सहायता, और इक्विटी निवेश प्रदान करना।
2. **विकास प्रभाव को बढ़ाना:** नीतिगत संवाद, परामर्श सेवाएं, और सह-वित्तपोषण परिचालनों के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना।
   - आधिकारिक, वाणिज्यिक, और निर्यात ऋण स्रोतों को प्रभावी ढंग से उपयोग करना।

मुख्यालय और सदस्यता:

- **मुख्यालय:** मनीला, फिलीपींस।
- **सदस्यता:**
  - स्थापना के समय 31 सदस्य थे, जो अब बढ़कर 68 हो गए हैं।
  - इनमें 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य क्षेत्र के बाहर के हैं।
  - सदस्यता संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (UNESCAP) के सदस्य, सहयोगी सदस्य, और अन्य क्षेत्रीय व गैर-क्षेत्रीय विकसित देशों के लिए खुली है।

वित्तीय स्रोत:

1. अंतर्राष्ट्रीय बांड बाजारों से पूंजी जुटाना।
2. सदस्य देशों के योगदान।
3. ऋणों की पुनर्भुगतान आय।
4. उधार से अर्जित आय।

घरचोला: जीआई टैग / Gharchola: GI Tag

गुजरात की पारंपरिक सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत **'घरचोला'** को भारत सरकार द्वारा **जीआई टैग (Geographical Indication Tag)** प्रदान किया गया है। यह गुजरात की कला और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

घरचोला: गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर

1. अर्थ और महत्व:

- 'घरचोला' का मतलब होता है **'घर पर पहना जाने वाला कपड़ा।'**
- इसमें 'घर' से तात्पर्य दुल्हन के नए घर से है, और 'चोला' वह वस्त्र है जिसे पहनकर दुल्हन नए घर में प्रवेश करती है।
- यह साड़ी गुजराती शादियों का एक **अहम और पवित्र हिस्सा** है।

2. निर्माण और डिज़ाइन:

- **सामग्री**: यह साड़ी मुख्यत: **कॉटन या सिल्क** से बनाई जाती है।
- **डिज़ाइन**:
  - इस पर **जरी का बारीक काम** किया जाता है।
  - **मोर, कमल, और फूल-पत्तियों की आकृतियां** उकेरी जाती हैं।
  - इसकी पहचान इसके **ग्रिड पैटर्न** से होती है।
- **उत्पत्ति**: घरचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के **खंभात जिले** से हुई थी।

3. सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व:

- **शादियों में परंपरा**: यह साड़ी न केवल पारंपरिक परिधान है, बल्कि गुजराती संस्कृति और मान्यताओं का प्रतीक भी है।
- **स्थानीय कारीगरों का समर्थन**: जीआई-टैग मिलने से स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को आर्थिक लाभ मिलता है।

घरचोला साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं, बल्कि गुजराती संस्कृति, परंपरा, और कला का प्रतीक है।

GI टैग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें:

1. **भौगोलिक संकेतक (GI टैग)**: यह टैग किसी क्षेत्र की विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता वाले उत्पाद को मान्यता देने के लिए दिया जाता है।
2. **गुजरात के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में योगदान**: **'घरचोला'** के साथ, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में गुजरात को अब तक **23 जीआई टैग** मिल चुके हैं।
3. **अन्य सेक्टर्स में स्थिति**: हैंडीक्राफ्ट के अलावा, अन्य सेक्टर्स में गुजरात को अब तक केवल **4 जीआई टैग** मिले हैं।
4. **महत्व**: यह टैग उत्पाद की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पाद को विशिष्ट पहचान प्रदान करता है।

GI टैग क्या है?

1. परिचय: GI (Geographical Indication) टैग एक ऐसा चिन्ह है जो किसी उत्पाद की विशेष **भौगोलिक उत्पत्ति** और उसकी **विशिष्ट गुणवत्ता या प्रतिष्ठा** को दर्शाता है। इसे **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)** के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. कानूनी आधार:

- GI टैग को **पेरिस कन्वेंशन** और **TRIPS समझौते** के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों का हिस्सा माना गया है।

3. लाभ: GI टैग से संबंधित पंजीकृत मालिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं:

- **कानूनी संरक्षण**: अवैध उपयोग और नकल से सुरक्षा।
- **विशेष उपयोग का अधिकार**: केवल पंजीकृत मालिक ही GI टैग का उपयोग कर सकते हैं।
- **गलत जानकारी और अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना।**

4. उत्पादों के प्रकार: GI टैग का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए किया जाता है, जैसे:

- **कृषि उत्पाद:** जैसे चावल, चाय।
- **हस्तशिल्प**: जैसे बनारसी साड़ी।
- **खाद्य पदार्थ**: जैसे मिठाइयां।
- **औद्योगिक उत्पाद**: जैसे विशेष कारीगरी वाले उत्पाद।

5. पात्रता:

- किसी **व्यापार संघ, संगठन, या समूह** द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
- उत्पाद की विशिष्टता को **ऐतिहासिक रिकॉर्ड** और उत्पादन प्रक्रिया के विवरण के साथ प्रमाणित करना आवश्यक है।

6. कानूनी मान्यता:

- 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत उत्पादों को जीआई-टैग दिया जाता है।
- जीआई-टैग का **पंजीकरण 10 वर्षों के लिए** वैध होता है, जिसे बाद में रिन्यू किया जा सकता है।

7. महत्व: GI टैग न केवल उत्पाद की विशिष्टता को मान्यता देता है, बल्कि स्थानीय कारीगरों और किसानों को आर्थिक लाभ और उनकी पहचान को भी मजबूत करता है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग / United Nations Peacekeeping Commission

भारत को वर्ष 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग (PBC) में पुन: निर्वाचित किया गया है। इस आयोग में भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था।

- ✓ भारत लगातार 19 साल से इस आयोग का सदस्य है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (United Nations Peacekeeping)

परिचय:

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग (PBC) की स्थापना 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद ने की थी, तब से भारत इसका सदस्य है।

PBC एक सलाहकार निकाय है, जो युद्ध से प्रभावित देशों में शांति के प्रयास का काम करता है।

इतिहास:

संयुक्त राष्ट्र ने शांति स्थापना की शुरुआत 1948 में की, जब सैन्य पर्यवेक्षकों को पश्चिम एशिया भेजा गया। इस मिशन का उद्देश्य इजरायल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच युद्धविराम समझौते की निगरानी करना था।

मुख्य सिद्धांत:

संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना तीन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है:

1. **पार्टियों की सहमति (Consent of the Parties):** मिशन तभी शुरू किया जाता है जब संबंधित पक्ष अपनी सहमति देते हैं।
2. **निष्पक्षता (Impartiality):** शांति स्थापना मिशन निष्पक्ष रहते हुए कार्य करता है और किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता।
3. **सीमित बल प्रयोग (Non-use of Force):** आत्मरक्षा या जनादेश की रक्षा के अलावा बल प्रयोग की अनुमति नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की भूमिकाएं (Roles of United Nations Peacekeepers):

1. **नागरिकों और संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की सुरक्षा:** शांति सैनिक संघर्ष क्षेत्रों में आम नागरिकों और संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को हिंसा से बचाने का कार्य करते हैं।
2. **विवादित सीमाओं की निगरानी:** संघर्ष के दौरान और युद्धविराम के बाद, शांति सैनिक सीमाओं पर निगरानी करते हैं ताकि शांति समझौतों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
3. **शांति प्रक्रियाओं का अवलोकन:** संघर्ष के बाद के क्षेत्रों में, शांति सैनिक शांति प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू करने और स्थिरता बनाए रखने में सहायता करते हैं।
4. **सुरक्षा प्रदान करना:** संघर्ष क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षा प्रदान करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।
5. **शांति समझौतों को लागू करना:** पूर्व लड़ाकों (ex-combatants) को शांति समझौतों को लागू करने में मदद करना, जैसे कि उन्हें पुनर्वासित करना या उनके पुन: समाजीकरण में सहायता देना।

United Nations Peacebuilding

भारत का योगदान:

1. **सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता:**
   - भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UN Peacekeeping Force) में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है।
   - वर्तमान में **8 मिशनों** में भारत के लगभग **6,000 सैनिक और पुलिस कर्मी** तैनात हैं।
   - ये मिशन निम्नलिखित देशों में चल रहे हैं:
     - **मध्य अफ्रीकी गणराज्य**
     - **साइप्रस**
     - **कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य**
     - **लेबनान**
     - **मध्य पूर्व**
     - **सोमालिया**
     - **दक्षिण सूडान**
     - **पश्चिमी सहारा**
2. **इतिहास में भूमिका:**
   - 1950 के दशक से भारत शांति स्थापना मिशनों में सक्रिय रहा है।
   - अब तक भारत ने **2,60,000 से अधिक सैनिकों** को 49 से अधिक मिशनों में योगदान दिया है।
3. **महिलाओं की भागीदारी:** भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में **महिला पुलिस इकाई** (Female Formed Police Unit) भेजने वाला पहला देश होने का गौरव प्राप्त किया है।
4. **शांति प्रयासों में शहीद:** भारत ने संयुक्त राष्ट्र अभियानों में सबसे अधिक बलिदान दिया है। लगभग **179 भारतीय सैनिक** शांति स्थापित करने के प्रयासों में शहीद हुए हैं।
5. **आर्थिक योगदान:** भारत आर्थिक रूप से भी शांति स्थापना अभियानों में योगदान देता है।

GDP रिपोर्ट / GDP Report

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (Q2) की GDP रिपोर्ट जारी की, यह रिपोर्ट देश की आर्थिक वृद्धि, रुझानों और चुनौतियों को उजागर करती है।

मुख्य बिंदु:

1. **GDP ग्रोथ में गिरावट:**
   - दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में GDP ग्रोथ दर **5.4%** रही।
   - यह **7 तिमाहियों में सबसे कम** और पिछले 2 वर्षों की सबसे धीमी वृद्धि है।
   - GDP ग्रोथ का अनुमान **6.5%** था।
2. **पिछली तिमाही और पिछले साल की तुलना:**
   - अप्रैल-जून तिमाही में GDP ग्रोथ **6.7%** रही थी।
   - दूसरी तिमाही (Q2 FY24) में यह **8.1%** रही थी।
3. **GVA ग्रोथ भी कमजोर:**
   - दूसरी तिमाही में **ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA)** ग्रोथ दर **5.6%** रही।
   - अनुमानित GVA ग्रोथ **6.3%** थी।
   - अप्रैल-जून तिमाही में GVA ग्रोथ **6.8%** और Q2 FY24 में **7.7%** थी।
4. **RBI का अनुमान:**
   - GDP ग्रोथ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के **7%** के अनुमान से भी कम रही।

अहम आर्थिक आंकड़े (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि - YoY Growth):

1. **कृषि क्षेत्र:** अनुमानित वृद्धि **1.7%** थी, वास्तविक वृद्धि **3.5%** रही।
2. **मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र:** अनुमानित वृद्धि **14.3%** थी, जबकि वास्तविक वृद्धि **2.2%** रही।
3. **इलेक्ट्रिसिटी और अन्य पब्लिक यूटिलिटीज:** अनुमानित वृद्धि **10.5%** थी, वास्तविक वृद्धि **3.3%** रही।
4. **निर्माण (कंस्ट्रक्शन) क्षेत्र:** अनुमानित वृद्धि **13.6%** थी, जबकि वास्तविक वृद्धि **7.7%** रही।
5. **वित्तीय सेवाएँ:** अनुमानित वृद्धि **6.2%** थी, और वास्तविक वृद्धि **6.7%** रही।
6. **सार्वजनिक प्रशासन:** अनुमानित वृद्धि **7.7%** थी, वास्तविक वृद्धि **9.2%** रही।
7. **व्यापार, होटल, परिवहन और संचार:** अनुमानित वृद्धि **4.5%** थी, जबकि वास्तविक वृद्धि **6%** रही।
8. **खनन (माइनिंग):** अनुमानित वृद्धि **11.1%** थी, जबकि वास्तविक आंकड़ा **-0.1%** पर रहा।

सरकार और RBI के GDP अनुमान

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI):

1. Q2 GDP वृद्धि का अनुमान 6.8% लगाया था।
2. FY 2024-25 के लिए समग्र GDP वृद्धि का अनुमान 7.2% है।

वित्त मंत्रालय:

1. FY 2024-25 के लिए GDP वृद्धि दर 6.5% से 7% के बीच रहने का अनुमान है।

NSO डेटा के अनुसार:

1. FY 2024-25 के H2 (दूसरी छमाही) में तेज आर्थिक सुधार की आवश्यकता है ताकि सरकार और RBI के निर्धारित अनुमानों को पूरा किया जा सके।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

परिभाषा:

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है।

महत्वपूर्ण वाक्यांश:

1. **अंतिम वस्तुएं और सेवाएं:**
   - GDP में केवल **अंतिम उत्पादों** और सेवाओं को शामिल किया जाता है।
   - **मध्यवर्ती वस्तुएं** (Intermediate Goods) जैसे कच्चे माल को इसमें शामिल नहीं किया जाता ताकि दोहरी गणना (Double Counting) से बचा जा सके।
2. **घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर:**
   - इसमें **देश की भौगोलिक सीमा के भीतर** उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं।
   - इसमें देश में काम करने वाले विदेशी नागरिकों का उत्पादन और देश के नागरिकों का घरेलू योगदान शामिल होता है।

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन / Federal Bureau of Investigation

अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ने अपने करीबी विश्वासपात्र काश पटेल को संघीय जांच ब्यूरो (FBI) के निदेशक जैसे शक्तिशाली पद का कमान दिया।

FBI एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जो अमेरिका की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाती है।

एफबीआई (Federal Bureau of Investigation) के बारे में जानकारी:

1. **पूरा नाम:** फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (Federal Bureau of Investigation)
2. **स्थापना:**
   - 1908 में "ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन" के रूप में स्थापना।
   - 1935 में इसका नाम बदलकर "फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन" रखा गया।
3. **मुख्यालय:** वॉशिंगटन, डी.सी., अमेरिका।
4. **मुख्य कार्य:**
   - **राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा**: आतंकवाद और विदेशी खतरों से अमेरिका को सुरक्षित रखना।
   - **जांच**: साइबर अपराध, संगठित अपराध, सार्वजनिक भ्रष्टाचार, और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की जांच।
   - **सहायता**: अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना।
5. **एफबीआई की मुख्य शाखाएं:**
   1. **आपराधिक जांच विभाग (Criminal Investigation Division):** बैंक डकैती, जबरन वसूली, और नकली नोटों से जुड़े मामलों की जांच।
   2. **आतंकवाद-रोधी विभाग (Counterterrorism Division):** अमेरिका में आतंकवादी हमलों की जांच और उनकी रोकथाम।
   3. **साइबर विभाग (Cyber Division):** साइबर अपराध जैसे कंप्यूटर हैकिंग, पहचान की चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी की जांच।
   4. **गुप्तचर विभाग (Counterintelligence Division):** अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों, जैसे जासूसी और विदेशी खुफिया ऑपरेशनों की निगरानी और जांच।
   5. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी शाखा (Science and Technology Branch):** जांच और संचालन में तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।
6. **उपलब्धियां:**
   - प्रमुख अपराधों की जांच और अभियोजन में सफलता।
   - राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान।
   - फॉरेंसिक और तकनीकी विशेषज्ञता का विकास।
   - कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना।
7. **सीमाएं:** केवल संघीय अपराधों की जांच कर सकता है।
   - संसाधनों और पारदर्शिता को लेकर सीमाएं।
   - गोपनीयता और नागरिक अधिकारों के हनन से संबंधित विवाद।

हरिमाऊ शक्ति-2024 / Harimau Shakti-2024

भारत और मलेशिया 2 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे । भारतीय सेना ने बताया कि युद्धाभ्यास मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के बेंटोंग कैंप में होगा। इस युद्धाभ्यास को हरिमाऊ शक्ति- 2024 नाम दिया गया है।

भारत-मलेशिया संयुक्त अभ्यास (हरिमाऊ शक्ति-2024):

- आयोजित तिथि: **2 दिसंबर से 15 दिसंबर, 2024।**
- स्थान: **बेंटोंग कैंप, कुआलालंपुर, मलेशिया।**
- पिछला आयोजन: **2023 में मेघालय के उमरोई छावनी।**
- प्रतिभागी: मलेशियाई सेना की **5वीं रॉयल बटालियन** और भारतीय **राजपूत रेजिमेंट।**

अभ्यास हरिमऊ शक्ति: महत्वपूर्ण जानकारी-

आरंभ: भारत और मलेशिया के बीच **हरिमऊ शक्ति अभ्यास** की शुरुआत **वर्ष 2012** में हुई थी।

उद्देश्य:

- **रक्षा सहयोग का विस्तार**: भारतीय और मलेशियाई सेनाओं के बीच सैन्य तालमेल बढ़ाना।
- **द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना**: दोनों देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग को प्रोत्साहित करना।

युद्धाभ्यास:

असली हथियारों का इस्तेमाल: हथियार, गोला-बारूद का प्रयोग असली युद्ध की तरह होता है।

डमी टारगेट का उपयोग:

- सफेद रंग के कपड़े के साथ डमी टारगेट सेट किए जाते हैं।
- इन टारगेट पर अलग-अलग दूरी से फायरिंग की जाती है।

आतंकी ऑपरेशन की तैयारी:

- डमी आतंकी ठिकाने बनाए जाते हैं।
- पूरे क्षेत्र को घेरकर सेना आतंकियों को बाहर निकलने से रोकती है।

हेलिकॉप्टर ऑपरेशन:

- जवान हेलिकॉप्टर से उतरकर घरों के अंदर सावधानी से घुसते हैं।
- सेना के कुछ जवान आतंकियों की भूमिका निभाते हैं और उन्हें जिंदा पकड़ने का अभ्यास होता है।

संयुक्त अभ्यास का प्लान:

- **संयुक्त बलों का पूर्वाभ्यास**: जंगल, अर्धशहरी और शहरी परिवेश में बलों के नियोजन का अभ्यास।
- **खुफिया जानकारी का प्रबंधन**: जानकारी एकत्र करने, मिलान और प्रसार का अभ्यास।
- **ड्रोन और हेलीकॉप्टर का उपयोग**: ड्रोन/यूएवी और हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल का अभ्यास।

वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट / Wadhawan Greenfield Port

महाराष्ट्र के दहानू के पास निर्माणाधीन वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट, भारत के कंटेनर व्यापार को वर्तमान स्तर से दोगुना करने की क्षमता रखता है। इसे 2034 तक पूरा करने की योजना है, और यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होने का अनुमान है।

वधावन पोर्ट:

1. **स्थान और तट:** वधावन पोर्ट महाराष्ट्र के पालघर जिले में अरब सागर के किनारे स्थित है।
2. **परियोजना संचालक:**
   - वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VPPL) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) द्वारा संचालित।
3. **प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम:**
   - यह परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के तहत देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्यों के साथ जुड़ी हुई है।
4. **ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट:**
   - यह पोर्ट ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रारंभ से ही आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे को शामिल किया जाएगा।
5. **सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP):**
   - परियोजना के मुख्य बुनियादी ढांचे, टर्मिनलों और वाणिज्यिक विकास के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी का उपयोग किया जाएगा, जिससे विशेषज्ञता और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट परियोजना: मुख्य बिंदु

1. **विश्व के शीर्ष 10 बंदरगाहों में स्थान:** वधावन पोर्ट 2034 तक दोनों चरणों के पूर्ण होने के बाद दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा।
   - 2029 तक चार टर्मिनल और 2034 तक पांच अतिरिक्त टर्मिनल पूरे किए जाएंगे।
2. **भारत के कंटेनर व्यापार में वृद्धि:** इस परियोजना के पूरा होने से भारत की कंटेनर क्षमता दोगुनी हो जाएगी।
3. **परियोजना का प्रारंभिक विचार:** इस परियोजना की अवधारणा 1991-92 में की गई थी, लेकिन अब इसे साकार किया जा रहा है।
4. **परियोजना लागत और साझेदारी:**
   - ₹76,000 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VPPL) द्वारा किया जा रहा है।
   - यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) और महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड (MMB) का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें JNPA की 74% और MMB की 26% हिस्सेदारी है।
5. **परियोजना का महत्व:**
   - यह भारत के कंटेनर व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाने के साथ-साथ देश के समुद्री व्यापार क्षेत्र में एक "गेम चेंजर" साबित होगी।

वधावन पोर्ट परियोजना: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्व:

1. **क्षमता और दक्षता में वृद्धि:**
   - **पहला मेगा पोर्ट:** वधावन भारत का पहला मेगा पोर्ट होगा, जो बड़ी मात्रा में कार्गो और कैपेसाइज जैसे विशाल जहाजों को संभालने में सक्षम होगा।
   - **उन्नत क्षमता:** यह पोर्ट प्रति वर्ष 298 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कार्गो और 23.2 मिलियन TEU कंटेनर संभालने की क्षमता रखेगा।
   - **भीड़ में कमी:** वर्तमान में JNPA जैसे बंदरगाहों पर भारी दबाव को कम करेगा, जिससे माल परिवहन अधिक सुगम होगा।
2. **रणनीतिक स्थान और कनेक्टिविटी:**
   - **अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र:** वधावन का स्थान इसे इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर (INSTC) और इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर (IMEEC) के लिए महत्वपूर्ण लिंक बनाता है।
   - **स्मूथ ट्रेड फ्लो:** व्यापार को तेज और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा।
3. **आर्थिक विकास और रोजगार:**
   - **आयात-निर्यात व्यापार में बढ़ावा:** पोर्ट की क्षमता और स्थान भारत के आयात-निर्यात व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
   - **रोजगार के अवसर:** परियोजना से लगभग 12,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट:

ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट (Greenfield Project) ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पूरी तरह से नए स्थान पर शुरू किए जाते हैं, जहां पहले से कोई निर्माण, इन्फ्रास्ट्रक्चर, या कामकाज मौजूद नहीं होता। इसका मतलब है कि यह प्रोजेक्ट "शून्य से शुरुआत" होता है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. **नई शुरुआत**: इन प्रोजेक्ट्स में किसी पुराने ढांचे का उपयोग नहीं किया जाता।
2. **संपूर्ण योजना**: डिजाइन, निर्माण और ऑपरेशन सब कुछ नए तरीके से होता है।
3. **भूमि उपयोग**: इन प्रोजेक्ट्स के लिए आमतौर पर खाली जमीन (ग्रीनफील्ड) का उपयोग होता है।
4. **पूंजी निवेश**: ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में भारी निवेश की आवश्यकता होती है क्योंकि सबकुछ नए सिरे से बनाया जाता है।

ब्रिक्स देशों पर टैरिफ / Tariffs on BRICS countries

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS गठबंधन के नौ देशों को चेतावनी दी कि यदि वे अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने के लिए कोई कदम उठाते हैं, तो उनके खिलाफ 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इस गठबंधन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

टैरिफ क्या होता है?

टैरिफ का मतलब है आयातित (दूसरे देशों से लाई गई) या निर्यातित (दूसरे देशों को भेजी गई) वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाया गया कर। इसे **आयात शुल्क** या **सीमा शुल्क** भी कहा जाता है।

टैरिफ के मुख्य उद्देश्य:

1. **देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा**: घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ लगाया जाता है।
2. **राजस्व जुटाना**: सरकार इस कर से आय अर्जित करती है।
3. **विदेशी व्यापार को नियंत्रित करना**: विदेशी वस्तुओं को महंगा बनाकर उनका आयात कम किया जा सकता है।

कारण:

डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी इसलिए दी है क्योंकि:

1. **डॉलर के प्रभुत्व को खतरा**:
   - डॉलर दुनिया के करीब 58% विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है (IMF के अनुसार)।
   - प्रमुख वस्तुएं, जैसे कि तेल, अभी भी मुख्य रूप से डॉलर में खरीदी-बेची जाती हैं।
   - BRICS देश अपने बढ़ते GDP हिस्से के साथ गैर-डॉलर मुद्राओं में व्यापार करने की योजना बना रहे हैं, जिसे **डि-डॉलराइजेशन** कहा जाता है।
2. **नई मुद्रा बनाने की योजना**:
   - BRICS देश डॉलर की जगह लेने के लिए नई मुद्रा बनाने या किसी अन्य मुद्रा को समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं।
   - ट्रंप ने इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ, तो इन देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा।

वर्तमान स्थिति-

1. **डॉलर का प्रभुत्व बरकरार**:
   - शोध के अनुसार, निकट भविष्य में डॉलर की भूमिका मुख्य वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में खतरे में नहीं है।
2. **डॉलर का महत्व**:
   - तेल और अन्य प्रमुख वस्तुओं का व्यापार डॉलर में जारी है।
   - डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा बनाए हुए है।

डि-डॉलराइजेशन क्या है?

डि-डॉलराइजेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करते हैं। यह निर्भरता तीन मुख्य रूपों में होती है:

1. **आरक्षित मुद्रा (Reserve Currency):**
   - केंद्रीय बैंक विदेशी लेन-देन के लिए जो मुद्रा रखते हैं, उसे आरक्षित मुद्रा कहते हैं।
   - इसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विनिमय दर को स्थिर रखने और वित्तीय भरोसे को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
2. **माध्यम विनिमय (Medium of Exchange):**
   - व्यापार में डॉलर का उपयोग कम करने का प्रयास।
3. **लेखा इकाई (Unit of Account):**
   - डॉलर का उपयोग मूल्य तय करने के लिए किया जाता है, जिसे कम करने का प्रयास होता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की ताकत के कारण-

1. **ऐतिहासिक कारण:**
   - प्रथम विश्व युद्ध के बाद, अमेरिकी डॉलर ने पाउंड स्टर्लिंग की जगह लेना शुरू किया।
   - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते ने इसे वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में स्थापित किया।
2. **आरक्षित मुद्रा का दर्जा:**
   - दुनिया भर के केंद्रीय बैंक डॉलर को अपनी मुद्रा का समर्थन करने और अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के लिए रखते हैं।
   - इससे डॉलर की वैश्विक मांग मजबूत बनी रहती है।
3. **स्थिरता और तरलता:**
   - अमेरिकी डॉलर को स्थिर और आसानी से उपयोग होने वाली मुद्रा माना जाता है।
4. **अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार:**
   - 22 ट्रिलियन डॉलर से अधिक GDP के साथ, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
   - इसके बड़े व्यापारिक लेन-देन के कारण डॉलर का उपयोग व्यापक है।
5. **नेटवर्क प्रभाव:**
   - डॉलर का उपयोग वैश्विक वित्तीय बाजारों और वस्तुओं (जैसे तेल) की कीमत तय करने में होता है।
   - इसका व्यापक उपयोग इसे और अधिक सुविधाजनक और प्रभावशाली बनाता है।

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन / United Nations Convention to Combat Desertification

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन (United Nations Convention to Combat Desertification) की 16वीं बैठक (COP16) रियाद, सऊदी अरब (Riyadh, Saudi Arabia) में शुरू हो रही है।

- यह पहली बार है जब पश्चिम एशिया इस महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
- इस आयोजन में **भारत समेत 197 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह सम्मेलन UNCCD की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित** किया जा रहा है।

परियोजना प्रस्तुति के मुख्य बिंदु-

1. **भारत की प्रस्तुति:**
   - 2 दिसंबर को भारत मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से निपटने के लिए अपनी नवीन पहल प्रस्तुत करेगा।
   - इस पहल में स्वदेशी प्रजातियों के वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, और उन्नत जल प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग शामिल है।
2. **सम्मेलन का महत्व:**
   - **यह सम्मेलन 13 दिसंबर** तक चलेगा और सऊदी अरब द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुपक्षीय कार्यक्रम है।
   - इसमें सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज को टिकाऊ भूमि प्रबंधन पर सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच मिलेगा।
3. **भारत का योगदान:**
   - भारत की पहल AGWP (Afforestation and Green Water Practices) को वैश्विक स्तर पर समान परियोजनाओं के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।
   - यह भारत की भूमि क्षरण से निपटने की प्रतिबद्धता और पर्यावरण नेतृत्व में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
4. **महत्वपूर्ण चर्चा और उद्देश्य:**
   - वन विशेषज्ञ, मंत्री और संरक्षण नेताओं के बीच चर्चा होगी।
   - हरित रोजगार अवसरों का सृजन और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन (UNCCD)

स्थापना: 1994 में स्थापित, यह पर्यावरण और विकास को टिकाऊ भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है।

सदस्य: 196 देश और यूरोपीय संघ।

मुख्य उद्देश्य:

1. भूमि की रक्षा और पुनर्स्थापना करना।
2. एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण, और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करना।
3. स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए मरुस्थलीकरण से निपटना।

प्रमुख पहलें:

1. भूमि क्षरण न्यूट्रैलिटी (LDN) लक्ष्य कार्यक्रम (2015)

- सदस्य देशों को भूमि क्षरण न्यूट्रैलिटी हासिल करने के लिए स्वैच्छिक लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- **LDN**: भूमि संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन, जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और खाद्य सुरक्षा का समर्थन करता है।
- **भारत का लक्ष्य**: 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि पुनर्स्थापित करना।

2. रणनीतिक ढांचा 2018–2030 (2017)

- मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा चिंताओं को राष्ट्रीय नीतियों में शामिल करने का आग्रह।

भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण की समस्या

परिभाषा: भूमि क्षरण का मतलब मिट्टी की उत्पादन क्षमता का गिरना या खोना है, जिससे वर्तमान और भविष्य की जरूरतें प्रभावित होती हैं।

वैश्विक स्थिति:

- दुनिया की 40% भूमि क्षरण से प्रभावित।
- हर साल 100 मिलियन हेक्टेयर उपजाऊ भूमि खत्म हो जाती है।

भारत की स्थिति:

- 32% भूमि क्षरण का शिकार।
- 25% भूमि मरुस्थलीकरण से प्रभावित।

2023 में एड्स मौतों में 79% और HIV संक्रमण में 44% की कमी / Reduce AIDS deaths by 79% and HIV infections by 44% by 2023

विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बताया गया कि देश में **एड्स से होने वाली मौतों में 79%** और **HIV संक्रमण में 44%** की कमी दर्ज की गई है। भारत **2030 तक एड्स समाप्त करने** के **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG)** को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विश्व एड्स दिवस 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन-

मुख्य बिंदु:

1. **कार्यक्रम का शुभारंभ:**
   - इंदौर, मध्य प्रदेश में विश्व एड्स दिवस 2024 का आयोजन किया गया।
2. **इस वर्ष की थीम:**
   - थीम: **"Take the Rights Path"**
   - यह थीम सभी के लिए समान अधिकार, गरिमा, और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देती है।
3. **महत्वपूर्ण संदेश:**
   - एड्स के खिलाफ लड़ाई में सभी को एकजुट होना चाहिए।
   - यह दिन उन लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करने और उनके प्रयासों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने एड्स के खिलाफ संघर्ष किया है।
4. **भारत की उपलब्धियां:**
   - 2010 की तुलना में 2023 में एचआईवी के नए मामलों में 44% की कमी दर्ज की गई।
   - एड्स से संबंधित मौतों में 79% की गिरावट आई।
   - देश अब एचआईवी दवाओं का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन चुका है।
5. **एड्स के खिलाफ तीन प्रमुख निर्देश:**
   - सावधानी बरतें।
   - स्वस्थ और सकारात्मक व्यवहार अपनाएं।
   - एड्स से संबंधित मिथकों और गलतफहमियों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाएं।
6. **भविष्य का लक्ष्य:**
   - देश 2030 तक एड्स सहित कई महामारी रोगों को समाप्त करने की दिशा में कार्यरत है।
   - मध्य प्रदेश ने 2028 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है।

HIV/AIDS क्या है?

एचआईवी (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस) एक वायरस है जो शरीर की इम्यून सिस्टम (प्रतिरक्षा प्रणाली) को कमजोर कर देता है। जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, तो व्यक्ति अन्य संक्रमणों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है।

एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशियेंसी सिंड्रोम) एक ऐसी स्थिति है जो HIV के कारण होती है और यह एक गंभीर, जीवन-घातक बीमारी बन सकती है। अगर HIV का इलाज नहीं किया जाता है, तो यह एड्स में बदल सकता है।

संक्रमण का तरीका:

1. **यौन संपर्क**: यह एक यौन संचारित रोग (STI) है।
2. **संक्रमित रक्त से संपर्क**: संक्रमित रक्त से भी यह फैल सकता है, जैसे कि नशीले पदार्थों के इंजेक्शन के लिए सुइयों को साझा करने से।
3. **माँ से बच्चे तक**: गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान यह माँ से बच्चे को भी फैल सकता है।

उपचार:

- वर्तमान में इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है। एक बार व्यक्ति को HIV हो जाने पर यह जीवनभर रहता है।
- लेकिन सही चिकित्सा देखभाल से HIV को नियंत्रित किया जा सकता है।
- अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को प्रभावी उपचार (जिसे एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी या ART कहते हैं) मिले, तो वे लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और अपने पार्टनर को भी सुरक्षित रख सकते हैं।

महाकुंभ मेला जिला / Maha Kumbh Mela District

उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को राज्य का 76वां अस्थायी जिला घोषित किया है। अधिसूचना के मुताबिक चार तहसीलों वाले इस जिले में कुल 67 गांव होंगे।

- **घोषणा का उद्देश्य:** पूर्ण कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को अलग जिला बनाया गया। इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा।
- **प्राधिकरण अधिनियम:** उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2017 की धारा 2(ठ) के तहत यह आदेश जारी किया गया।
- **जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका**: प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट (DM) रविंद्र कुमार मांदड़ ने अधिसूचना जारी की।
- **अलग प्रशासनिक इकाई:** महाकुंभ मेला क्षेत्र को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता दी गई।

महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जिला क्यों बनाया गया?

- **विशेष आयोजन का प्रबंधन:** महाकुंभ मेले के आयोजन को सुचारू और प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने के लिए।
- **प्रशासनिक कार्यों में सुधार**: प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से।
- **सुविधाजनक व्यवस्था:** मेले की तैयारियों को समय पर पूरा कराने और व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए।
- **महत्वपूर्ण भूमिका:** नया जिला प्रशासन आयोजन को सुचारू और व्यवस्थित रूप से संचालित करने में मदद करेगा।
- **महाकुंभ 2025 की तारीखें**: 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच होने वाले महाकुंभ मेले के लिए तैयारी सुनिश्चित करने हेतु।

नए जिले बनाने के फायदे-

1. गुड गवर्नेंस और तेज सर्विस डिलीवरी।
2. प्रशासनिक दक्षता।
3. कानून व्यवस्था में सुधार।
4. बुनियादी सुविधाओं का विकास।
5. राजस्व और आर्थिक विकास।
6. सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन।
7. प्रशासन को लोगों के करीब लाना।
8. राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता।

भारत में नए जिलों के निर्माण की प्रक्रिया:

- नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों को बदलने या खत्म करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। यह या तो कार्यकारी आदेश के ज़रिए किया जा सकता है या राज्य विधानसभा में कानून पारित करके।
- कई राज्य केवल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कार्यकारी मार्ग को प्राथमिकता देते हैं।

जिला पुनर्गठन में केंद्र सरकार की भूमिका:

1. **सीमित भागीदारी**:
   - जिला सुधार में केंद्र सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है, और यह मुख्यत: नाम परिवर्तन से संबंधित होती है।
2. **नाम परिवर्तन की प्रक्रिया**:
   - जिलों या रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के लिए राज्य सरकारें विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं से मंजूरी प्राप्त करती हैं, जैसे:
     - गृह मंत्रालय
     - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
     - खुफिया ब्यूरो
     - डाक विभाग
     - भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण
     - रेल मंत्रालय

जिला गठन में चुनौतियाँ:

1. **सीमाएं और लागतें**:
   - प्रशासनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना में भारी वित्तीय बोझ होता है, जो बड़े पैमाने पर जिला निर्माण को रोक सकता है।
2. **संसाधन आवंटन**:
   - इस प्रक्रिया में कार्यालय स्थापित करना, अधिकारियों और लोक सेवकों की तैनाती करना शामिल है, जिसका प्रभाव राज्य के बजट पर पड़ता है।

नवंबर में GST संग्रह 8.5% बढ़ा / GST collection increased by 8.5% in November

नवंबर 2024 में भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) से 1.82 लाख करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया, जो वार्षिक आधार पर 8.5% की वृद्धि है। यह लगातार नौवां महीना है जब मासिक GST संग्रह 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। यह संग्रह अब तक के तीसरे सबसे बड़े ग्रॉस GST संग्रह के रूप में दर्ज हुआ है। अप्रैल 2024 में सबसे अधिक 2.10 लाख करोड़ रुपये GST संग्रह किया गया था।

मुख्य बिंदु:

1. वार्षिक आधार पर वृद्धि:

- नवंबर 2023 में GST संग्रह ₹1.68 लाख करोड़ था।
- नवंबर 2024 में यह बढ़कर ₹1.82 लाख करोड़ हो गया, जिसमें 8.5% की वृद्धि दर्ज की गई।

2. वित्त वर्ष 2024-25 का कुल संग्रह:

- अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 तक कुल GST संग्रह ₹14.56 लाख करोड़ रहा।
- वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में ₹10.87 लाख करोड़ GST संग्रह हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.5% अधिक था।

3. सर्वोच्च GST संग्रह:

- अब तक का सबसे बड़ा मासिक GST संग्रह अप्रैल 2024 में ₹2.10 लाख करोड़ था।
- अक्टूबर 2024 और अप्रैल 2023 में ₹1.87 लाख करोड़ का संग्रह हुआ, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है।
- नवंबर 2024 का संग्रह ₹1.82 लाख करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर है।

4. डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन और आयात का योगदान:

- नवंबर 2024 में डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन से GST संग्रह 9.4% बढ़कर ₹1.40 लाख करोड़ हुआ।
- आयातित वस्तुओं पर GST संग्रह 6% बढ़कर ₹42,591 करोड़ रहा।

5. GST संग्रह का वर्गीकरण:

- **सेंट्रल GST (CSGT):** ₹34,141 करोड़।
- **स्टेट GST (SGST):** ₹43,047 करोड़।
- **इंटिग्रेटेड GST (IGST):** ₹91,828 करोड़।
- **उपकर (Cess):** ₹13,253 करोड़।

6. रिफंड और नेट GST संग्रह:

- नवंबर 2024 में कुल ₹19,259 करोड़ का रिफंड जारी किया गया, जो नवंबर 2023 की तुलना में 8.9% कम है।
- रिफंड समायोजन के बाद नेट GST संग्रह 11% बढ़कर ₹1.63 लाख करोड़ हुआ।

7. लगातार उच्च मासिक संग्रह:

- नवंबर 2024 लगातार नौवां महीना है जब मासिक GST संग्रह ₹1.7 लाख करोड़ से अधिक रहा।
- यह संग्रह देश की आर्थिक गतिविधियों और बेहतर टैक्स अनुपालन का संकेत है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है?

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) है, जो भारत में बेचे जाने वाले अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है।
- यह **मूल्य वर्धित कर (Value Added Tax - VAT)** के सिद्धांत पर आधारित है और पूरे भारत में लागू है।
- GST का भुगतान उपभोक्ता (Consumer) करते हैं, लेकिन इसे सरकार को बेचने वाले व्यवसाय (Business) द्वारा जमा किया जाता है।
- यह पहले से लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों (जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट आदि) को हटाकर उनकी जगह लागू किया गया है।

भारत में GST का इतिहास और विकास:

- **2003:** केलकर टास्क फोर्स ने मूल्य वर्धित कर (VAT) पर आधारित एक व्यापक GST का सुझाव दिया।
- **2006-07:** बजट भाषण में 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय स्तर पर GST लागू करने का प्रस्ताव रखा गया।
- **2014:** "एक राष्ट्र, एक कर" प्रणाली लागू करने के लिए संविधान (122वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया।
- **2016:** यह विधेयक संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम के रूप में पारित हुआ।
- **1 जुलाई 2017:** GST पूरे देश में लागू किया गया।

GST के घटक:

1. **सेंट्रल GST (CGST):** केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर।
2. **स्टेट GST (SGST):** राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर।
3. **इंटीग्रेटेड GST (IGST):** अंतर-राज्यीय लेनदेन पर लगाया जाने वाला कर।
4. **उपकर (Cess):** विशेष उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त कर।

भोपाल गैस त्रासदी / Bhopal Gas Tragedy

भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल पूरे हो गए हैं। 2-3 दिसंबर 1984 की रात, भोपाल में यूनियन कार्बाइड के संयंत्र से रिसी गैस के कारण हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों लोग प्रभावित हुए।

- यह त्रासदी भारत के सबसे भयावह औद्योगिक हादसों में एक मानी जाती है, जिसके बाद सुरक्षा मानकों और औद्योगिक नीतियों पर गंभीर सवाल उठे।

भोपाल गैस त्रासदी:

भोपाल गैस त्रासदी मानव इतिहास की सबसे भयंकर औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। यह 2-3 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुई थी।

क्या हुआ था?

- अमेरिकी कंपनी **यूनियन कार्बाइड** के कारखाने से **मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC)** गैस का रिसाव हुआ।
- MIC एक अत्यधिक जहरीली गैस है, जिसका इस्तेमाल कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है।

प्रमुख आंकड़े और तथ्य:

1. **गैस रिसाव:**
   - करीब **40 टन MIC गैस** फैक्ट्री से लीक हुई।
   - यह गैस हवा से भारी थी, इसलिए यह ज़मीन के करीब फैल गई और आसपास के बस्तियों को प्रभावित किया।
2. **मृत्यु और प्रभावित लोग:**
   - तत्काल मौतें: 3,000-5,000 लोग।
   - लंबी अवधि में मौतें: करीब **25,000-30,000**।
   - प्रभावित: **5 लाख से अधिक लोग**, जिनमें सांस लेने की समस्या, कैंसर और अन्य बीमारियां पाई गईं।
3. **मुख्य कारण:**
   - सुरक्षा उपायों की कमी, जैसे कि गैस कूलिंग सिस्टम और वॉर्निंग अलार्म।
   - फैक्ट्री की खराब स्थिति और रखरखाव की कमी।
4. **प्रभाव:**

- **स्वास्थ्य पर:**
  - आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों और किडनी का खराब होना।
  - बच्चों में जन्मजात विकृतियां।
- **पर्यावरण पर:**
  - मिट्टी और पानी जहरीला हो गया।
  - आज भी आसपास का क्षेत्र प्रदूषित है।

भविष्य में आपदाओं को रोकने के लिए पहल-

1. **नियमों को सख्त करना:** भारत ने खतरनाक उद्योगों को नियंत्रित करने और हादसों को रोकने के लिए कई कानून बनाए हैं, जैसे-
   - **विस्फोटक अधिनियम, 1884**
   - **रासायनिक आपदा (आपात योजना, तत्परता और प्रतिक्रिया) नियम 1996**
   - **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986**
2. **राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT):** यह संस्था पर्यावरण उल्लंघनों को सुलझाती है, जिसमें औद्योगिक दुर्घटनाएँ भी शामिल हैं, और प्रभावित समुदायों को न्याय प्राप्त करने का मंच प्रदान करती है।
3. **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देश:** ये दिशा-निर्देश निरीक्षण प्रणाली, आपातकालीन तत्परता और समुदाय जागरूकता की महत्वपूर्णता को बताते हैं।

जय शाह ICC चेयरमैन बने / Jay Shah became ICC chairman

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन पद का कार्यभार संभाल लिया है। 36 वर्ष की आयु में यह पद ग्रहण करने वाले जय शाह ICC के सबसे युवा चेयरमैन बने हैं। उन्होंने न्यूज़ीलैंड के ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है।

जय शाह निर्विरोध ICC चेयरमैन चुने जाने के मुख्य बिंदु:

1. **निर्विरोध चयन:**
   - जय शाह ने ICC चेयरमैन पद के लिए एकमात्र नामांकन दाखिल किया।
   - 27 अगस्त, 2024 तक किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा, जिससे वे निर्विरोध चुने गए।
2. **ग्रेग बार्कले का कार्यकाल समाप्त:**
   - पूर्व चेयरमैन ग्रेग बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हुआ।
   - वे 2020 से इस पद पर थे और तीसरे कार्यकाल के लिए इच्छुक नहीं थे।
3. **सबसे युवा चेयरमैन:**
   - जय शाह 36 साल की उम्र में ICC के सबसे युवा चेयरमैन बने।
   - उनसे पहले सबसे युवा अध्यक्ष 56 वर्ष की उम्र में बने थे।
4. **नया इतिहास:**
   - जय शाह ने ICC के 16 चेयरमैनों में सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड बनाया।
   - उनका चयन भारतीय क्रिकेट में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

अब तक ICC चेयरमैन बने भारतीय:

- जगमोहन डालमिया (1997–2000)
- शरद पवार (2010–2012)
- एन. श्रीनिवासन (2014–2015)
- शशांक मनोहर (2015–2020)

ICC के बारे में:

स्थापना: ICC की स्थापना 1909 में "इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस" के रूप में की गई थी। इसे 1989 में "इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल" (ICC) नाम दिया गया।

कार्य: ICC क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय है। यह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन करता है, जिनमें ICC क्रिकेट विश्व कप, ICC T20 विश्व कप और ICC चैंपियंस ट्रॉफी शामिल हैं।

सदस्यता: 2024 तक ICC के कुल 108 सदस्य हैं, जिनमें 12 पूर्ण सदस्य हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं और 96 सहायक सदस्य हैं।

मुख्यालय: ICC का मुख्यालय दुबई, यूएई में स्थित है।

भारत-कंबोडिया का पहला संयुक्त अभ्यास 'सिनबैक्स' शुरू / India-Cambodia's first joint exercise 'SINBEX' begins

भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास 'सिनबैक्स' पुणे में शुरू हुआ है। यह अभ्यास 1 से 8 दिसंबर 2024 तक चलेगा।

सिनबैक्स अभ्यास के मुख्य बिंदु:

1. **अभ्यास की शुरुआत**: भारतीय और कंबोडियाई सेना के बीच पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास 'सिनबैक्स' पुणे में शुरू।
2. **अवधि**: यह अभ्यास 1 से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा।
3. **सेनाओं की भागीदारी**: दोनों देशों से 20-20 सैनिक, भारतीय सेना की ओर से एक इन्फैंट्री ब्रिगेड शामिल।
4. **भारतीय हथियारों का प्रदर्शन**: अभ्यास में भारतीय हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन, स्वदेशी क्षमताओं और 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा।
5. **उद्देश्य**: सैनिकों के बीच विश्वास और सौहार्द बढ़ाना, शांति स्थापना अभियानों के लिए संयुक्त परिचालन दक्षता में सुधार।
6. **मंत्रालय का दृष्टिकोण**: अंतर-संचालन के वांछित स्तर को प्राप्त करना और दोनों सेनाओं की संयुक्त क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना।

सिनबैक्स अभ्यास: तीन चरणों में आयोजन:

1. **पहला चरण**:
   - संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए प्रतिभागियों की तैयारी और उन्मुखीकरण।
   - सीटी (काउंटर-टेररिज्म) संचालन पर केंद्रित।
2. **दूसरा चरण**:
   - टेबल टॉप अभ्यासों का संचालन।
   - रणनीतियों और योजनाओं पर गहन चर्चा।
3. **तीसरा चरण**:
   - योजनाओं को अंतिम रूप देना और सारांश तैयार करना।
   - स्थिति-आधारित चर्चाओं और सामरिक अभ्यासों के माध्यम से प्रशिक्षण के व्यावहारिक पहलुओं की समझ।

सिनबैक्स :

- यह एक योजना अभ्यास है जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत संयुक्त आतंकवाद रोधी (CT) अभियानों का युद्ध अभ्यास करना है।
- इस अभ्यास में शहरी वातावरण में संचालन की योजना के अलावा खुफिया, निगरानी और टोही के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्य बल की स्थापना से संबंधित चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- इसमें विभिन्न आकस्मिकताओं पर युद्ध अभ्यास किया जाएगा और उप-पारंपरिक अभियानों में बल की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी।

कंबोडिया: एक परिचय-

1. **भौगोलिक स्थिति**:
   - कंबोडिया दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित है।
   - इसकी सीमाएं वियतनाम, थाईलैंड और लाओस से लगती हैं।
2. **राजधानी और मुद्रा**:
   - राजधानी: नोम पेन्ह (Phnom Penh)।
   - मुद्रा: कंबोडियन रियाल (Cambodian Riel)।
3. **धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व**:
   - विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और धार्मिक स्मारक **अंकोरवाट मंदिर** कंबोडिया में स्थित है।
   - इस मंदिर का निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1112-53 ई. में कराया।
   - 1992 में अंकोरवाट मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
4. **अन्य विशेषताएं**:
   - यह देश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारकों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।
   - बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव यहां की परंपराओं और कला में दिखता है।

दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ का ऐलान / Martial law declared in South Korea

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने इमरजेंसी मार्शल लॉ का ऐलान किया। राष्ट्रपति ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह संसद को नियंत्रित कर रहा है, उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखता है, और सरकार को गिराने वाली गतिविधियों में शामिल है।

- 1980 के बाद यह पहली बार है, जब दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ घोषित किया गया है।

मार्शल लॉ क्यों लागू किया गया?

1. **विपक्ष पर आरोप**: राष्ट्रपति यून सुक योल ने विपक्ष पर संसद को नियंत्रित करने, उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने, और सरकार गिराने की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया।
2. **राजनीतिक तनाव**: सरकार और विपक्ष के बीच बजट विधेयक को लेकर विवाद चल रहा था, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी।
3. **प्रदर्शन और विरोध**: राजधानी सियोल में सड़क से लेकर संसद तक बड़े प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं।
4. **सुरक्षा स्थिति**: संसद पर हेलिकॉप्टर तैनात कर दिए गए और कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया।

मार्शल लॉ (Martial Law): मार्शल लॉ एक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें किसी क्षेत्र की प्रशासनिक और कानूनी जिम्मेदारी नागरिक अधिकारियों से लेकर सैन्य अधिकारियों को सौंप दी जाती है। इसे आपातकालीन स्थिति में लागू किया जाता है जब नागरिक प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अक्षम हो।

मुख्य बिंदु:

1. **आवश्यकता और उद्देश्य:**
   - मार्शल लॉ का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आपातकालीन स्थितियों (जैसे दंगे, विद्रोह या युद्ध) में स्थिरता प्रदान करना है।
   - यह नागरिक कानूनों को स्थगित कर देता है और नागरिकों पर सैन्य कानून लागू करता है।
2. **प्रभाव:**
   - आमतौर पर नागरिक अधिकारों (जैसे बोलने की आजादी और स्वतंत्रता) पर रोक लगाई जाती है।
   - सैन्य अधिकारी आपराधिक न्याय प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं।
   - यह अक्सर विवादास्पद होता है क्योंकि इसका उपयोग दमनकारी सरकारों द्वारा अधिकारों को कुचलने के लिए भी किया जा सकता है।

रोक या प्रतिबंध:

1. नागरिक अधिकारों पर रोक:
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech) पर प्रतिबंध।
- प्रेस और मीडिया सेंसरशिप लागू की जाती है।
- सार्वजनिक सभाओं और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध।

2. कानूनी प्रक्रियाएं निलंबित:
- नागरिक अदालतों को निलंबित कर दिया जाता है।
- सैन्य अदालतें (Military Tribunals) स्थापित होती हैं।
- गिरफ्तारी और हिरासत के लिए वारंट की आवश्यकता समाप्त हो सकती है।

3. आम जीवन पर नियंत्रण:
- कर्फ्यू लागू किया जा सकता है।
- सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर रोक लगाई जा सकती है।
- यात्रा और यातायात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

4. संपत्ति और संसाधनों पर नियंत्रण:
- निजी संपत्ति और व्यवसायों को जब्त किया जा सकता है।
- नागरिक संसाधनों का सैन्य उपयोग के लिए अधिग्रहण।

5. राजनीतिक गतिविधियों पर रोक:
- राजनीतिक दलों और संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध।
- चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं।

लागू करने का अधिकार:
- **राष्ट्रपति या सरकार**: अधिकांश देशों में मार्शल लॉ लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति या शीर्ष कार्यकारी के पास होता है।
- **सैन्य प्रमुख**: कुछ स्थितियों में, सैन्य प्रमुख असाधारण परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू कर सकते हैं।

समाप्त करने का अधिकार:
- **सत्ता में सरकार**: जब स्थिति सामान्य हो जाती है, तो सरकार मार्शल लॉ समाप्त करती है।
- **अदालती हस्तक्षेप**: यदि अदालतें मानती हैं कि मार्शल लॉ अनावश्यक रूप से लागू किया गया है, तो इसे समाप्त करने का आदेश दे सकती हैं।

प्रगति प्लेटफ़ॉर्म / PRAGATI Platform

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हालिया रिपोर्ट "From Gridlock to Growth: How Leadership Enables India's PRAGATI Ecosystem to Power Progress" भारत के प्रगति (PRAGATI) प्लेटफॉर्म को डिजिटल शासन के माध्यम से विकास को गति देने का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानती है।

- रिपोर्ट में प्रगति (PRAGATI) की सफलता को जिम्मेदारी और दक्षता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण बताया गया है। यह माना गया है कि प्रगति उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रशासनिक जड़ता को दूर करने के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है।

प्रगति (PRAGATI) प्लेटफ़ॉर्म: एक परिचय-

उद्गम:

प्रगति (Pro-Active Governance and Timely Implementation) प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत हुई थी।

कार्यान्वयन एजेंसी:

इसका संचालन प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा किया जाता है।

उद्देश्य:

1. **परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन:** तकनीक के माध्यम से वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रीयल-टाइम डेटा और ड्रोन फीड्स का उपयोग।
2. **सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** विभिन्न सरकारी एजेंसियों को शामिल करके प्रशासनिक अलगाव को समाप्त करना।
3. **ई-पारदर्शिता और ई-जवाबदेही:** प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।

प्रगति प्लेटफ़ॉर्म: भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति:

1. **340 परियोजनाओं में तेजी:**
   - ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार, प्रगति प्लेटफ़ॉर्म ने देशभर में 340 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तेज़ी से पूरा करने में मदद की।
2. **डिजिटल नेतृत्व का महत्व:**
   - प्रोफेसर सौमित्र दत्ता ने कहा कि प्रगति यह दर्शाता है कि शीर्ष नेतृत्व प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समन्वय और जवाबदेही को बढ़ावा दे सकता है।
   - यह मॉडल उन देशों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो बुनियादी ढांचे को आर्थिक विकास का आधार बनाना चाहते हैं।

रिपोर्ट में मुख्य बिंदु:

1. आर्थिक प्रभाव:

- भूमि अधिग्रहण और अंतर-मंत्रालयीय समन्वय की समस्याओं को सुलझाते हुए, परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है, जिससे विलंब के कारण होने वाले लागत में कमी आती है।
- यह दिखाता है कि बुनियादी ढांचे में लक्षित निवेश और प्रभावी शासन कैसे मध्य-आय के जाल (Middle Income Trap) को दूर करने में सहायक हो सकते हैं।

2. सामाजिक प्रभाव:

- पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों में परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद करता है।

3. पर्यावरणीय प्रभाव:

- परियोजना योजना में स्थिरता को शामिल करना, तेजी से स्वीकृति प्रक्रियाएं, और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना परियोजनाओं के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायक है।
- उदाहरण: पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्रगति का *पारिवेश पोर्टल* के साथ समन्वय।

4. सकारात्मक शासन:

- प्रगति ने प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा दिया और सुशासन को सुनिश्चित किया है।
- उदाहरण: असम में बोगीबील रेल और सड़क पुल का सफल कार्यान्वयन, जो पहले कई विलंबों का शिकार था।

अमेरिका ने यूक्रेन को $725 मिलियन सहायता दी / US gives Ukraine $725 million in aid

अमेरिका ने यूक्रेन को $725 मिलियन के सहायता पैकेज की घोषणा की है, जिसमें बारूदी सुरंगें, वायु-रोधी और कवच-रोधी हथियार शामिल हैं।

मुख्य बिंदु :

1. **सहायता पैकेज की घोषणा:**
   - $725 मिलियन के इस पैकेज में बारूदी सुरंगें, वायु-रोधी और कवच-रोधी हथियार शामिल हैं।
2. **रूसी आक्रमण के खिलाफ समर्थन:**
   - बाइडन प्रशासन ने इस सहायता का उद्देश्य यूक्रेन की रक्षा को मजबूत करना बताया।
3. **तेजी से कार्यान्वयन:**
   - प्रशासन ने इसे शीघ्र लागू करने पर जोर दिया है, ताकि इसका प्रभाव तुरंत महसूस हो।
4. **भविष्य की नीतियों का संदर्भ:**
   - यह कदम राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के तहत संभावित नीतिगत बदलाव से पहले उठाया गया है।
5. **सचिव ब्लिंकन का बयान:**
   - अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस पैकेज को यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

रूस-यूक्रेन संघर्ष का पृष्ठभूमि:

1. **2013-2014 राजनीतिक तनाव:**
   - 2013 के अंत में, यूरोपीय संघ के साथ व्यापार और राजनीतिक समझौते को लेकर यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ा।
   - राष्ट्रपति विक्टर Yanukovych द्वारा समझौते को निलंबित किए जाने के बाद कीव में प्रदर्शन हुए, जो हिंसा में बदल गए।
   - Yanukovych को हटाया गया, और रूस ने मार्च 2014 में क्रीमिया पर हमला कर उसे अपने में मिला लिया।
2. **क्रीमिया का अतिक्रमण:** रूस ने यह दावा किया कि वह क्रीमिया में अपने हितों और रूसी बोलने वाले नागरिकों की रक्षा कर रहा है।
3. **डोनेट्स्क और लुहांस्क विद्रोह (2014):** डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र के प्रो-रूसी अलगाववादियों ने यूक्रेन से स्वतंत्रता की घोषणा की और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक का गठन किया।
4. **मिन्स्क शांति समझौता (2015):** फ्रांस और जर्मनी द्वारा मध्यस्थता किए गए मिन्स्क शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन यह संघर्ष को समाप्त करने में विफल रहा।
5. **2022 में रूस का आक्रमण:** फरवरी 2022 में, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर युद्ध की घोषणा की, जिसे उन्होंने "यूक्रेन को सैन्य रूप से कमजोर करने" के रूप में बताया और इसे यूक्रेन से आने वाले खतरों के जवाब के रूप में पेश किया।

रूस के हस्तक्षेप के कारण:

1. **सुरक्षा चिंताएँ:**
   - सोवियत संघ के पतन के बाद, NATO का प्रभाव यूरोपीय क्षेत्र में बढ़ा। कई पूर्व सोवियत राज्य और कम्युनिस्ट देशों ने NATO में शामिल हो गए।
   - रूस को डर था कि अगर यूक्रेन भी NATO में शामिल होता है, तो उसकी पश्चिमी सीमा पूरी तरह से NATO से घिर जाएगी। NATO के विस्तार के साथ पश्चिमी सैन्य संसाधनों की तैनाती भी रूस के नजदीक हो गई।
2. **स्वतंत्रता का अधिकार:**
   - रूस ने दावा किया कि यूक्रेन में एक बड़ा हिस्सा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की इच्छा रखता है। इसी संदर्भ में, डोनेत्स्क और लुहान्स्क को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता दी गई।
   - यह हस्तक्षेप इस औपचारिक घोषणा को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक कदम था।
3. **रणनीतिक विचार:**
   - रूस को यूरोपीय क्षेत्र में अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा लगातार पश्चिमी देशों के सामने घटती हुई दिखाई दी।
   - इस हस्तक्षेप को रूस द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन और पश्चिमी देशों को संदेश भेजने के रूप में देखा जा रहा है।

एफडीआई प्रवाह में वृद्धि / Increase in FDI inflows

भारत ने अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच FDI (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) प्रवाह में 45% की वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में $29.79 बिलियन तक पहुंच गया है। इस वृद्धि से भारत के निवेश, रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति में सुधार हुआ है।

मुख्य बिंदु:

- **एफडीआई प्रवाह में वृद्धि:**
  - अप्रैल-सितंबर 2024 के दौरान, FDI में 45% की वृद्धि हुई और यह $29.79 बिलियन तक पहुंच गया।
  - यह वृद्धि भारत के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करने में सफलता का संकेत है।
- **प्रमुख लाभकारी क्षेत्र:**
  - FDI प्रवाह में सेवाएँ, IT, दूरसंचार, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन उद्योगों का प्रमुख योगदान है।
  - ये क्षेत्र देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- **Q2 FDI वृद्धि:**
  - जुलाई-सितंबर 2024 में FDI में 43% की वृद्धि हुई।
  - इस अवधि ने भारत के आर्थिक विकास को गति दी, जिससे निवेश, रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति में सुधार हुआ।
- **प्रमुख FDI स्रोत देश:**
  - प्रमुख FDI स्रोत देशों में मॉरीशस ($5.34 बिलियन), सिंगापुर ($7.53 बिलियन), अमेरिका ($2.57 बिलियन) और नीदरलैंड ($3.58 बिलियन) शामिल हैं।
  - हालांकि, जापान और यूके से प्रवाह में कमी आई है।
- **एफडीआई प्राप्त करने वाले शीर्ष राज्य:**
  - महाराष्ट्र $13.55 बिलियन FDI के साथ सबसे बड़ा राज्य है।
  - इसके बाद कर्नाटक ($3.54 बिलियन), तेलंगाना ($1.54 बिलियन) और गुजरात ($4 बिलियन) का स्थान है।
  - ये राज्य भारत के प्रमुख औद्योगिक और तकनीकी केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए हैं।
- **पिछली अवधियों से तुलना:**
  - अप्रैल-जून 2024 के दौरान FDI में 47.8% की वृद्धि हुई, जो $16.17 बिलियन तक पहुंची।
  - पिछले वर्ष इसी तिमाही में FDI $10.94 बिलियन था, जो भारत में विदेशी निवेश की निरंतर वृद्धि को दर्शाता है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) क्या है?

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) वह निवेश है जिसमें एक देश के निवासी दूसरे देश में किसी कंपनी के स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करते हैं, ताकि वे उत्पादन, वितरण और अन्य गतिविधियों का नियंत्रण कर सकें।

FDI के घटक:

- **इक्विटी पूंजी:** विदेशी निवेशक द्वारा किसी कंपनी के शेयरों का मूल्य।
- **पुनर्निवेशित आय:** विदेशी निवेशकों की वो आय जो लाभांश के रूप में वितरित नहीं होती और पुन: निवेश की जाती है।
- **इंट्रा-कंपनी ऋण:** निवेशक और उनकी सहायक कंपनियों के बीच उधारी लेन-देन।

FDI की श्रेणियाँ:

- **क्षैतिज FDI (Horizontal FDI):** निवेशक वही व्यवसाय विदेशी देश में शुरू करता है, जो उसने अपने गृह देश में चलाया।
- **ऊर्ध्वाधर FDI (Vertical FDI):** निवेशक एक संबंधित व्यवसाय स्थापित करता है, जैसे कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली कंपनी में निवेश करना।
- **कांग्लोमेरेट FDI (Conglomerate FDI):** निवेशक ऐसे व्यवसाय में निवेश करता है, जो उसके मुख्य व्यवसाय से संबंधित नहीं होता।

FDI के तरीके:

- **ग्रीनफील्ड निवेश:** निवेशक विदेशी देश में अपनी नई फैक्ट्री या संगठन बनाता है और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करता है।
- **ब्राउनफील्ड निवेश:** कंपनियां क्रॉस-बॉर्डर मर्जर्स और एक्विजिशन्स के जरिए अपने व्यापार का विस्तार करती हैं।

तटीय संकट / Coastal Crisis

हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत के लगभग एक-तिहाई तट कटाव के खतरे में हैं। यह समस्या तटीय प्रबंधन की प्रभावी रणनीतियों की जरूरत को उजागर करती है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें: तटीय कटाव का आंकलन:

1. **देशव्यापी तटीय कटाव का आंकड़ा:**
   - पिछले तीन दशकों में भारत के 33.6% तटीय क्षेत्रों में कटाव हुआ।
   - 26.9% तटीय क्षेत्र में वृद्धि (संचय) दर्ज की गई, जबकि 39.6% क्षेत्र स्थिर रहा।
2. **कर्नाटक में क्षेत्रीय भिन्नताएँ:**
   - **दक्षिण कन्नड़:** कर्नाटक का सबसे प्रभावित जिला, जहां 36.66 किमी तटरेखा में से 48.4% (17.74 किमी) कटाव हुआ।
   - **उडुपी:** 100.71 किमी तटरेखा में से 34.7% (34.96 किमी) कटाव हुआ।
   - **उत्तर कन्नड़:** सबसे कम कटाव, 175.65 किमी तटरेखा में से केवल 12.3% (21.64 किमी)।
3. **डेटा और अध्ययन की विधि:**
   - यह अध्ययन नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (NCCR) द्वारा किया गया।
   - तटरेखा में बदलाव का आंकलन 1990 से 2018 तक सैटेलाइट इमेज और फील्ड सर्वेक्षण के माध्यम से किया गया।
4. **जोखिम पहचान और मानचित्रण:**
   - इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज (INCOIS) ने **मल्टी-हैज़र्ड वल्नरेबिलिटी मैप्स (MHVM)** तैयार किए।
   - इन मानचित्रों में समुद्र स्तर में वृद्धि, तटरेखा में बदलाव, और आपदाओं जैसे सुनामी और तूफानी लहरों के जोखिम वाले क्षेत्रों को दर्शाया गया है।

अन्य राज्यों में तटीय कटाव की स्थिति:

1. **पश्चिम बंगाल:**
   - राज्य के लगभग **60.5% तटीय क्षेत्र** में कटाव हुआ है।
   - सुंदरबन क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।
2. **केरल:**
   - केरल के लगभग **46.4% तटीय क्षेत्र** में कटाव दर्ज किया गया है।
   - यह स्थानीय समुदायों और पारिस्थितिक तंत्रों के लिए बड़ी समस्या बन रहा है।
3. **तमिलनाडु:**
   - राज्य के **42.7% तटीय क्षेत्र** में कटाव हुआ है।
   - इससे तटीय बुनियादी ढांचे और लोगों की आजीविका को खतरा है।

तटीय कटाव के कारण:

1. प्राकृतिक कारण:

- **तरंग क्रिया (Wave Action):** उच्च ज्वार और तूफानों के दौरान समुद्र की लहरें तटीय इलाकों को काटती हैं।
- **समुद्र-स्तर में वृद्धि (Sea-Level Rise):** जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ने से तटीय बाढ़ और कटाव की घटनाएं बढ़ गई हैं।
- **तूफानी लहरें (Storm Surges):** चक्रवात और तूफानों से उत्पन्न लहरें निचले तटीय क्षेत्रों में गंभीर कटाव का कारण बनती हैं।

2. मानवजनित कारण:

- **तटीय विकास (Coastal Development):** बंदरगाह और समुद्री दीवारों जैसे निर्माण कार्य तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक तलछट प्रवाह को बाधित करते हैं।
- **अवैध रेत खनन (Illegal Sand Mining):** समुद्र तट और नदियों से रेत निकालने से समुद्र तटीय क्षेत्रों में रेत की प्राकृतिक आपूर्ति बाधित होती है।
- **मैंग्रोव की कटाई (Deforestation of Mangroves):** मैंग्रोव वनों की कटाई से तटीय सुरक्षा कमजोर होती है, जिससे कटाव तेज होता है।

तटीय कटाव के प्रभाव:

1. भूमि और आजीविका पर प्रभाव:

- तटीय कटाव से कृषि योग्य भूमि और आवासीय क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं।
- तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय विस्थापित होते हैं, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होती है।

2. बुनियादी ढांचे को नुकसान:

- सड़कों, पुलों, और इमारतों को तटीय कटाव से क्षति पहुंचती है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है।

3. पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:

- मैंग्रोव, कोरल रीफ, और आर्द्रभूमि जैसे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं।
- समुद्री जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

4. जल प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएं:

- कटाव से समुद्र में मिट्टी और अन्य कण घुल जाते हैं, जिससे समुद्री जल प्रदूषित होता है।
- इसके कारण स्थानीय समुदायों में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं।

आयुष मंत्रालय के दस वर्ष / Ten years of the Ministry of AYUSH

आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush) ने हाल ही में अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर मंत्रालय ने आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के विकास और प्रचार-प्रसार में अपनी उपलब्धियां और चुनौतियां साझा की हैं।

मुख्य बिंदु:

मंत्रालय की स्थापना और उद्देश्य:

- **स्थापना वर्ष**: 2014
- **उद्देश्य:** प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का पुनर्जीवन और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार।
- **आयुष का अर्थ:** आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी।

इतिहास:

- 1995: इसे भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग के रूप में बनाया गया।
- 2003: आयुष विभाग नाम दिया गया।
- 2014: आयुष मंत्रालय की स्थापना।

आयुष मंत्रालय की उपलब्धियां:

1. **आयुष अवसंरचना का विस्तार:**
   - 3,844 आयुष अस्पताल।
   - दिल्ली, गोवा और गाज़ियाबाद में राष्ट्रीय आयुष संस्थान के 3 अत्याधुनिक सैटेलाइट केंद्र।
2. **तकनीकी एकीकरण:**
   - आयुष ग्रिड, ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन जैसी डिजिटल पहल ने दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाई।
3. **वैश्विक पहुंच:**
   - भारत और मलेशिया के बीच आयुर्वेद समझौता।
   - डोनर एग्रीमेंट और आयुष वीजा जैसी पहल।
   - **जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर** की स्थापना।
   - **21 जून (ग्रीष्म संक्रांति)** को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित।
4. **आर्थिक प्रभाव:**
   - 2014 में आयुष बाजार: $2.85 बिलियन।
   - 2023 में: $43.4 बिलियन।
   - आयुष उत्पादों का निर्यात 2014 से दोगुना ($1.09B → $2.16B)।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) के तहत 2014-15 से 2023-24 तक मुख्य उपलब्धियां:

- 167 इकाइयों को संयुक्त आयुष अस्पताल स्थापित करने के लिए सहायता।
- 416 आयुष अस्पताल और 5036 आयुष औषधालयों का उन्नयन किया गया।
- 2322 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs), 715 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHCs), और 314 जिला अस्पतालों (DHs) को औषधियों और अन्य सहायक सुविधाओं के लिए समर्थन।
- 996 आयुष अस्पताल और 12405 आयुष औषधालयों को आवश्यक आयुष दवाओं की आपूर्ति की गई।
- 16 नई आयुष शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए सहायता।
- 76 स्नातक (UG) और 36 स्नातकोत्तर (PG) आयुष शिक्षण संस्थानों में बुनियादी ढांचे, पुस्तकालय और अन्य सुविधाओं का उन्नयन।
- 1055 आयुष ग्रामों का सहयोग।
- 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को मंजूरी दी गई।

आयुष मंत्रालय के समक्ष चुनौतियां:

1. वैज्ञानिक मान्यता का अभाव।
2. शिक्षा और चिकित्सकों की गुणवत्ता में कमी।
3. जागरूकता और आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकरण की कमी।

आयुष को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम:

1. **राष्ट्रीय आयुष मिशन (2014):**
   - केंद्र प्रायोजित योजना।
2. **आयुष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)।**
3. **भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग की स्थापना:**
   - आयुष शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
4. **आयुरज्ञान योजना:**
   - आयुष स्वास्थ्य क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए।

रातापानी अभ्यारण्य: मध्यप्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व / Ratapani Sanctuary: 9th Tiger Reserve of Madhva Pradesh

मध्यप्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या अब 9 हो गई है। हाल ही में, राज्य सरकार ने रातापानी अभ्यारण्य को 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया, जबकि शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को 8वां टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला।

रातापानी टाइगर रिजर्व: मुख्य बिंदु:

1. **कुल क्षेत्रफल:**
   - कोर क्षेत्र: 763.812 वर्ग किलोमीटर।
   - बफर क्षेत्र: 507.653 वर्ग किलोमीटर।
   - कुल क्षेत्रफल: 1271.465 वर्ग किलोमीटर।
2. **भौगोलिक स्थिति:**
   - यह टाइगर रिजर्व रायसेन और सीहोर जिलों में स्थित है।
3. **बफर क्षेत्र में शामिल ग्राम:**
   - राजस्व ग्राम झिरी बहेड़ा, जावरा मलखार, देलावाड़ी, सुरई ढाबा, पांझिर, कैरी चौका, दांतखो, साजौली और जैतपुर।
   - इन 9 गांवों का 26.947 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बफर क्षेत्र में जोड़ा गया है।

रातापानी टाइगर रिजर्व से होने वाले फायदे:

1. **ग्रामीणों के अधिकार सुरक्षित:**
   - टाइगर रिजर्व बनने से ग्रामीणों के मौजूदा अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा।
2. **रोजगार के नए अवसर:**
   - ईको-टूरिज्म और पर्यटन के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा।
3. **अंतर्राष्ट्रीय पहचान:**
   - रातापानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।
   - भोपाल की पहचान 'टाइगर राजधानी' के रूप में होगी।
4. **बेहतर वन्यजीव प्रबंधन:**
   - टाइगर रिजर्व बनने पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) से बजट मिलेगा, जिससे वन्यजीवों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश में बाघों की स्थिति-

1. **बाघों की संख्या:**
   - वर्ष 2022 की गणना के अनुसार, मध्यप्रदेश में कुल 785 बाघ हैं।
   - वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 526 थी।
2. **टाइगर स्टेट का दर्जा:**
   - मध्यप्रदेश को "टाइगर स्टेट" का दर्जा प्राप्त है।
3. **टाइगर रिजर्व की संख्या:**
   - पहले 7 टाइगर रिजर्व थे: कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी और नौरादेही।
   - रातापानी और माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने के बाद यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है।
4. **बाघ संरक्षण का प्रभाव:**
   - बाघों की संख्या बढ़ने से वन्य जीवों के आशियाने भी तेजी से बढ़ रहे हैं।

भारत में बाघों की स्थिति (2024 तक):

वर्ष 2024 तक, भारत में **55 टाइगर रिजर्व** स्थापित किए गए हैं। यह देश विश्व के लगभग **80% बाघों** का घर है। भारत में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2006 में बाघों की संख्या **1,400** थी, जो अब बढ़कर **3,682** के करीब पहुंच गई है।

मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ हैं, जिसकी संख्या **785** है। इसके अलावा अन्य प्रमुख राज्य जो बाघों की महत्वपूर्ण आबादी रखते हैं, वे हैं:

- **उत्तराखंड**: 560 बाघ
- **कर्नाटका**: 563 बाघ
- **महाराष्ट्र**: 444 बाघ

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 / The Banking Laws (Amendment) Bill, 2024

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में "बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024" पारित किया गया।

- यह विधेयक देश के बैंकिंग कानूनों में बड़े और महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखता है।
- इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप बनाना है।

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में प्रमुख):

1. **नॉमिनी की संख्या में वृद्धि (Increase in the number of nominees):**
   - बैंक खातों में नॉमिनी (Nominee) व्यक्तियों की अधिकतम सीमा को **मौजूदा 1 से बढ़ाकर 4** कर सकेंगे।
2. **'महत्वपूर्ण हित' की परिभाषा में बदलाव (Change in the definition of "Substantial Interest"):**
   - निदेशक मंडल के लिए 'महत्वपूर्ण हित' (Substantial Interest) की परिभाषा में बदलाव करते हुए, ₹5 लाख की मौजूदा सीमा को **₹2 करोड़** तक बढ़ाने का प्रस्ताव। यह सीमा लगभग 60 साल पहले तय की गई थी।
3. **सांविधिक ऑडिटरों के वेतन में लचीलापन (Flexibility in salaries of statutory auditors):**
   - बैंकों को सांविधिक ऑडिटरों (Statutory Auditors) के वेतन निर्धारण में अधिक **लचीलापन** देने का प्रावधान।
4. **रिपोर्टिंग तिथियों में बदलाव (Changes in reporting dates):**
   - बैंकों की रिपोर्टिंग तिथियों को हर महीने की **15वीं और अंतिम तारीख** पर तय करने का प्रस्ताव, जो वर्तमान में **दूसरे और चौथे शुक्रवार** को होती है।

अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश (Introduced in Lok Sabha in August 2024):

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। इसकी घोषणा 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग गवर्नेंस को सुधारना और निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करना है। यह मौजूदा कानूनों में संशोधन करके बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाएगा।

संशोधन का उद्देश्य (Purpose of the Amendment):

- बैंकिंग गवर्नेंस में सुधार लाना।
- निवेशकों के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाना।
- बैंकिंग क्षेत्र में कानूनी प्रावधानों को अद्यतन और सुसंगत बनाना।

मौजूदा कानूनों में विशेष :

1. **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934**
2. **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949**
3. **भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955**
4. **1970 और 1980 के बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम**

बैंकिंग कानूनों में नए संशोधन विधेयक के मुख्य बदलाव:

1. **विस्तारित नामांकन प्रक्रिया:**
   - **वर्तमान व्यवस्था:** बैंक खाते में केवल एक ही नामांकित व्यक्ति हो सकता है।
   - **नए प्रावधान:** अब चार नामांकित व्यक्ति हो सकते हैं, जो एक साथ या क्रमबद्ध तरीके से नामांकित किए जा सकते हैं। यदि एक नामांकित व्यक्ति संपत्ति का दावा नहीं कर सकता, तो अगला व्यक्ति दावा कर सकता है।
2. **अविकसित संपत्तियों का IEPF में हस्तांतरण:**
   - **वर्तमान व्यवस्था:** अविकसित लाभांश, शेयर या बांड नियमित रूप से नहीं हस्तांतरित होते।
   - **नए प्रावधान:** सात साल तक अविकसित संपत्तियां IEPF में जमा की जाएंगी, और व्यक्ति उन्हें वापस पा सकते हैं।
3. **'महत्वपूर्ण हित' की नई परिभाषा:**
   - **वर्तमान सीमा:** ₹5 लाख तक के शेयरों में महत्वपूर्ण हित।
   - **नए प्रावधान:** यह सीमा बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई है।
4. **ऑडिटर मुआवजे में लचीलापन:**
   - **वर्तमान नियम:** ऑडिटर का मुआवजा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होता है।
   - **नए प्रावधान:** बैंकों को बाजार की स्थिति के अनुसार ऑडिटर के मुआवजे में लचीलापन दिया गया है।
5. **रिपोर्टिंग तिथियों का संशोधन:**
   - **वर्तमान नियम:** रिपोर्ट्स RBI को विशिष्ट शुक्रवारों को सौंपी जाती हैं।
   - **नए प्रावधान:** रिपोर्ट्स पखवाड़े, महीने या तिमाही के अंत में दी जा सकेंगी, ताकि यह वित्तीय चक्र के अनुसार बेहतर ढंग से मेल खा सके।
6. **सहकारी बैंकों के लिए संशोधन:** निदेशकों का कार्यकाल 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है।
   - **बोर्ड सदस्यता:** केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में भी सेवा दे सकते हैं, जिससे सहयोग बढ़ेगा।

प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट / Places of Worship Act

संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे और विवाद के बाद पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम- 1991 (Places of Worship Act- 1991) को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991:

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का उद्देश्य पूजा स्थलों की धार्मिक स्थिति को संरक्षित करना और किसी भी धार्मिक संप्रदाय के भीतर या अन्य संप्रदायों के बीच उनके स्वरूप में परिवर्तन को रोकना है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

1. **धारा 3:**
   - किसी भी पूजा स्थल को पूर्ण या आंशिक रूप से एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे में परिवर्तित करने पर रोक लगाती है।
2. **धारा 4(1):**
   - 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों की धार्मिक स्थिति जिस रूप में थी, उसे अपरिवर्तित रखना अनिवार्य है।
3. **धारा 4(2):**
   - 15 अगस्त 1947 से पहले पूजा स्थलों की धार्मिक स्थिति से संबंधित सभी कानूनी कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। इसके साथ ही, नए मामलों को दर्ज करने पर भी रोक लगाई गई है।
4. **धारा 5 (अपवाद):**
   - अयोध्या (बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि) विवाद को इस अधिनियम से छूट दी गई है।
   - इसके अतिरिक्त, ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को भी अधिनियम से छूट प्राप्त है जो **पुरातात्त्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958** के तहत आते हैं।
   - ऐसे मामले जो पहले ही निपट चुके हैं या जिनका समाधान आपसी सहमति से हो चुका है।
   - अधिनियम के लागू होने से पहले हुए परिवर्तन।
5. **धारा 6 (दंड):**
   - पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप में बदलाव का प्रयास करने पर तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

उच्चतम न्यायालय की व्याख्या:

मई 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पूजा स्थलों की धार्मिक स्थिति की जांच की जा सकती है, लेकिन ऐसी जांच से उनकी धार्मिक पहचान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 से जुड़ी चिंताएं:

1. **न्यायिक समीक्षा की सीमा:** अधिनियम न्यायालय की समीक्षा को सीमित करता है, जिससे विवाद निपटाने में न्यायपालिका की भूमिका कमजोर हो सकती है।
2. **15 अगस्त 1947 की सीमा:** अधिनियम में यह तिथि मनमानी और अनुचित मानी गई है, जिससे कुछ धार्मिक समुदायों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
3. **कानूनी चुनौतियां:** अधिनियम पर कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि यह हिंदू, जैन, बौद्ध, और सिख समुदायों को उनके ऐतिहासिक स्थलों को पुन: प्राप्त करने से रोकता है।
4. **चुनिंदा मामलों में छूट:** राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को अधिनियम से छूट देने पर असमानता और भेदभाव के आरोप लगे हैं।
5. **सांप्रदायिक तनाव:** अधिनियम से जुड़े विवाद सांप्रदायिक मुद्दों को बढ़ा सकते हैं, खासकर संवेदनशील स्थलों पर।
6. **धर्मनिरपेक्षता पर प्रभाव:** आलोचकों का मानना है कि यह अधिनियम कुछ धार्मिक समुदायों के दावों को दबाकर भारत की धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर सकता है।

शाही जामा मस्जिद विवाद:

1. **विवाद की पृष्ठभूमि:** याचिकाकर्ताओं का दावा है कि संभल की 16वीं सदी की शाही जामा मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर (हिंदू मंदिर) के स्थान पर बनाई गई थी।
   - मस्जिद का निर्माण 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर हिंदू बेग ने करवाया था।
   - इसकी वास्तुकला और इतिहास को लेकर मंदिर से जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है।
2. **न्यायिक हस्तक्षेप:** संभल जिला अदालत ने साइट का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया।
   - दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा हुई।
3. **कानूनी स्थिति:**मस्जिद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत संरक्षित स्मारक है।
   - इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है।
4. **पूजा स्थल अधिनियम, 1991:**
   - यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने की बात करता है।
   - मस्जिद के धार्मिक स्वरूप में बदलाव की मांग अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देती है।

लद्दाख में स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण / Reservation for local residents in Ladakh

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख में स्थानीय निवासियों के लिए 95% आरक्षण, पहाड़ी परिषदों में महिलाओं के लिए आरक्षण और भूमि व संस्कृति संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधानों का प्रस्ताव दिया है।

मुख्य बिंदु:

1. **स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण:**
   - सरकारी नौकरियों में 95% आरक्षण।
   - पर्वतीय परिषदों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण।
2. **संवैधानिक संरक्षण:**
   - लद्दाख की भूमि और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान पर काम।
   - उर्दू और भोटी को लद्दाख की आधिकारिक भाषा घोषित करने का निर्णय।
3. **लंबित कानूनों की समीक्षा:**
   - स्थानीय मुद्दों को सुलझाने के लिए 22 लंबित कानूनों की समीक्षा।
4. **पांच वर्षों का विरोध:**
   - अनुच्छेद 370 के तहत संवैधानिक संरक्षण खोने के बाद से लद्दाख में विरोध प्रदर्शन।
5. **सार्वजनिक सेवा आयोग:**
   - लद्दाख में अलग सार्वजनिक सेवा आयोग स्थापित करना संभव नहीं, क्योंकि यह विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेश है।
6. **भूमि सुरक्षा:**
   - लद्दाख के लोगों की जमीन से जुड़ी चिंताओं को हल करने की प्रतिबद्धता।

छठे अनुसूची पर चर्चा:

- अगली बैठक 15 जनवरी को होगी, जिसमें लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने पर चर्चा की जाएगी।

पिछले पांच वर्षों से लद्दाख की चार प्रमुख मांगें:

- लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए।
- लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे उसे जनजातीय दर्जा मिले।
- स्थानीय लोगों के लिए नौकरी आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
- लेह और कारगिल के लिए एक-एक संसदीय सीट आवंटित की जाए।

आर्टिकल 370:

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया:

- जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर उसका विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया।
- इसके बाद जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।

लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया:

- लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।

आरक्षण के पक्ष में तर्क:

- **क्षेत्रीय असमानताएं दूर करना**: पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार अवसरों का सृजन।
- **प्रवासन में कमी**: स्थानीय रोजगार से शहरी भीड़भाड़ घटती है।
- **स्थानीय प्रतिभा का विकास**: कुशल कार्यबल तैयार होता है।
- **आर्थिक विकास**: पिछड़े वर्गों के उत्थान से समग्र विकास।
- **संविधानिक समर्थन**: सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का संवैधानिक उत्थान।
- **सरकारी सेवाओं में सुधार**: स्थानीय प्रतिनिधित्व से बेहतर सेवा वितरण।

आरक्षण के विरोध में तर्क:

- **मेधावी प्रणाली पर प्रभाव**: कम योग्य उम्मीदवारों का चयन हो सकता है।
- **क्षेत्रवाद को बढ़ावा**: आरक्षण से क्षेत्रीय द्वेष और असमानता।
- **राष्ट्रीय एकता में विघ्न**: राज्यों के बीच भेदभाव और बंटवारा बढ़ सकता है।

लद्दाख की छठी अनुसूची में समावेश की मांग:

1. राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता
2. स्थानीय रोजगार की कमी
3. संस्कृतिक पहचान का संरक्षण
4. पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण
5. डोमिसाइल नीति में बदलाव
6. लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

सेक्स वर्कर्स को मातृत्व अवकाश / Maternity leave for sex workers

बेल्जियम दुनिया का पहला देश बन गया है जहां सेक्स वर्कर्स को **मातृत्व अवकाश**, बीमार अवकाश, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन का अधिकार मिलेगा। नया कानून 1 दिसंबर से लागू हुआ।

नए कानून के मुख्य बिंदु:

1. **सांसदों का समर्थन:** मई महीने में सांसदों ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए वोट किया।
2. **कानूनी संरक्षण:** नए कानून में सेक्स वर्कर्स को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है।
3. **एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स:** सेक्स वर्कर्स को अब आधिकारिक रूप से नौकरी के अनुबंध (Employment Contracts) दिए जाएंगे।
4. **दुर्व्यवहार और शोषण की रोकथाम:** कानून को सेक्स वर्कर्स के खिलाफ दुर्व्यवहार और शोषण रोकने का प्रयास माना जा रहा है।
5. **सेक्सुअल अधिकार:**
   - सेक्सुअल पार्टनर को मना करने या सीमित एक्टिविटी करने का अधिकार।
   - किसी भी वक्त सेक्सुअल एक्ट रोकने का अधिकार, जिससे उन्हें काम से नहीं निकाला जाएगा।
6. **सुरक्षा उपाय:**
   - काम की जगह पर पैनिक बटन उपलब्ध होंगे।
   - सफाई और सुरक्षा के लिए साफ चादर, पानी, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स अनिवार्य।

दुनिया में सेक्स वर्कर्स का आँकड़ा:

- **कुल सेक्स वर्कर्स (वैश्विक):** 4.2 करोड़।
- **देशवार आंकड़े:**
  - **भारत:** 6.57 लाख ।
  - **नाइजीरिया:** 4.10 लाख।
  - **ब्राज़ील:** 14 लाख।
  - **मैक्सिको:** 2.40 लाख।
  - **इंडोनेशिया:** 2.26 लाख।

वेश्यावृत्ति की स्थिति:

1. **वेश्यावृत्ति वैध:**
   - भारत, जर्मनी सहित 53 देशों में वेश्यावृत्ति वैध है।
2. **सीमित वैधता:**
   - अमेरिका और फ्रांस सहित 12 देशों में वेश्यावृत्ति सीमित तरीके से वैध है।
3. **वेश्यावृत्ति अवैध:**
   - चीन और सऊदी अरब सहित 35 देशों में वेश्यावृत्ति पूरी तरह अवैध है।

वेश्यावृत्ति के मुख्य कारण:

1. **गरीबी:** आर्थिक तंगी और जीवन यापन के साधनों की कमी।
2. **अशिक्षा:** शिक्षा और जागरूकता की कमी।
3. **बेरोजगारी:** रोजगार के सीमित अवसर।
4. **मानसिक शोषण:** बचपन में यौन शोषण या पारिवारिक तनाव।
5. **मानव तस्करी:** जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला जाना।
6. **सामाजिक असमानता:** महिलाओं के प्रति भेदभाव और सीमित अधिकार।

भारत में मातृत्व अवकाश:

1. **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961:** यह अधिनियम महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले और बाद में सवेतन मातृत्व अवकाश प्रदान करता है।
2. **2017 संशोधन:**
   - महिला कर्मचारियों के लिए पहले दो बच्चों तक मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया।
   - यदि किसी महिला के दो से अधिक बच्चे हों, तो तीसरे और उसके बाद के बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह तक सीमित है।
3. **महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण:** यह कानून मातृत्व और अन्य लाभों के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य और रोजगार को सुरक्षित रखने में सहायक है।

रेल संशोधन विधेयक 2024 / Railway Amendment Bill 2024

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में 'रेल संशोधन विधेयक 2024' प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य 1989 के रेलवे अधिनियम और 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को एकीकृत करना है, जिससे रेलवे क्षेत्र में सुधार और बेहतर प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया जा सके।

रेल संशोधन विधेयक 2024 के मुख्य प्रावधान:

1. **कानूनी ढांचे को सरल बनाना**:
   - 1989 के रेलवे अधिनियम और 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को एकीकृत किया जाएगा।
   - दो अलग-अलग कानूनों की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी।
2. **स्वतंत्र नियामक की स्थापना**:
   - रेलवे के बेहतर संचालन के लिए एक स्वतंत्र नियामक (Independent Regulator) की स्थापना का प्रस्ताव।
3. **क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक अधिकार**:
   - रेलवे के ज़ोनल कार्यालयों को अधिक स्वायत्तता और शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
4. **संगठनात्मक संरचना में सुधार**:
   - वर्तमान रेलवे संगठनात्मक ढांचे को बनाए रखते हुए इसे अधिक कुशल बनाने के उपाय।
5. **वित्तीय स्थिति में सुधार**:
   - रेलवे के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ सुझाव शामिल:
     - **लेखांकन विधियों में बदलाव।**
     - **यात्रियों के किरायों को व्यावहारिक बनाना।**
     - **माल ढुलाई सेवाओं में विविधता लाना।**
     - **निजी साझेदारी से राजस्व में वृद्धि।**

रेल संशोधन विधेयक, 2024 का महत्व:

1. **प्रशासनिक सुधार:** रेलवे बोर्ड को वैधानिक दर्जा देकर कार्यक्षमता और स्वायत्तता में वृद्धि।
2. **कानूनी सरलता:** कानूनी ढांचे का सरलीकरण, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी हो।
3. **संतुलित क्षेत्रीय विकास:** पिछड़े क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी से सरकार की क्षेत्रीय विकास की प्रतिबद्धता स्पष्ट।
4. **संचालन में सुधार:** रेलवे के कार्य संचालन को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
5. **शासन सुधार:** भारतीय रेलवे की प्रशासनिक और परिचालन संरचना में सुधार लाने के लिए प्रगतिशील पहल।

भारतीय रेलवे: एक संक्षिप्त परिचय:

स्थापना और इतिहास:

- भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी।
- भारत की पहली रेलगाड़ी 21 मील की दूरी पर मुंबई से ठाणे के बीच चली।
- यह दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है।
- 2050 तक, भारत वैश्विक रेल गतिविधियों में 40% हिस्सेदारी का अनुमान रखता है।

संरचना और जिम्मेदारियाँ:

रेल मंत्रालय:

- **कार्य:**
  1. रेलवे नीति बनाना और रणनीतिक दिशा देना।
  2. बजट आवंटन का प्रबंधन।
  3. बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स और विस्तार योजनाओं को मंजूरी देना।
  4. रेलवे बोर्ड को नीति संबंधी मार्गदर्शन देना।
- **2024-25 बजट:**
  - ₹2.52 लाख करोड़ का पूंजीगत खर्च आवंटित।
  - रेलवे क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति।

रेलवे बोर्ड:

- **कार्य:**
  1. रेल मंत्रालय की नीतियों को लागू करना।
  2. रेलवे के दैनिक संचालन की निगरानी।
  3. नेटवर्क विकास, आधुनिकीकरण और सुरक्षा योजनाएं बनाना।
  4. क्षेत्रीय रेलों को निर्देश और दिशानिर्देश जारी करना।

क्षेत्रीय रेलवे (जोन):

- **संख्या:**
  - 2024 तक 17 ज़ोन हैं।
  - 18वां ज़ोन (साउथ कोस्ट रेलवे) प्रस्तावित।
- **संरचना:**
  - ज़ोन को डिवीज़न में विभाजित किया जाता है।
  - हर डिवीज़न का प्रबंधन डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) करते हैं।

क्षमादान की शक्ति / Pardoning Power

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने बेटे हंटर बाइडन को टैक्स और हथियार मामलों में पूर्ण माफी दी।

- हंटर बाइडेन अवैध तरीके से बंदूक रखने और टैक्स चोरी के मामले में सजा का सामना कर रहे थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान प्रक्रिया:

1. **संविधानिक प्रावधान**:
   - अमेरिकी संविधान के **अनुच्छेद 2, खंड 2** के तहत राष्ट्रपति को संघीय आपराधिक मामलों में क्षमादान देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह महाभियोग के मामलों पर लागू नहीं होता।
2. **आपराधिक रिकॉर्ड का प्रभाव**:
   - क्षमादान आपराधिक रिकॉर्ड को समाप्त नहीं करता, लेकिन दंड को कम करता है और कुछ अधिकारों को बहाल करता है।
3. **विवेकाधीन अधिकार**:
   - यह अधिकार राष्ट्रपति को एकतरफा निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती।

अमेरिकी राष्ट्रपतियों द्वारा क्षमादान की परंपरा:

अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान देने की प्रक्रिया एक लंबी और ऐतिहासिक परंपरा है। इसका उपयोग दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के राष्ट्रपतियों ने किया है।

1. **जो बाइडन के क्षमादान**:
   - डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने कार्यकाल में अब तक कुल **26 क्षमादान** दिए हैं।
2. **डोनाल्ड ट्रंप के क्षमादान**:
   - पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल **237 क्षमादान** जारी किए। इसमें **143 सज़ा माफ़ी** और **94 सज़ा में कटौती** शामिल थी।
3. **बराक ओबामा के क्षमादान**:
   - डोनाल्ड ट्रंप के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने 8 साल के कार्यकाल में **1,927 क्षमादान** दिए। इसमें **1,715 सज़ा में बदलाव** और **212 सज़ा माफ़ी** शामिल थीं।
4. **बिल क्लिंटन का क्षमादान**:
   - 2001 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने सौतेले भाई **रोजर क्लिंटन** को कोकेन से जुड़े 1985 के अपराध में माफ़ी दी।

भारतीय प्रणाली में क्षमादान का अधिकार:

1. **अनुच्छेद 72 और 161:**
   - भारतीय संविधान के तहत, राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान देने या सजा कम करने का अधिकार है।
   - यह अधिकार मंत्रिपरिषद की सलाह पर दिया जाता है।
2. **क्षमादान का प्रभाव:**
   - भारत में क्षमादान से अपराधी को सजा, दोषसिद्धि और अयोग्यता से पूरी तरह मुक्त किया जाता है।
3. **क्षमता का दायरा:**
   - **राष्ट्रपति का अधिकार (अनुच्छेद 72):** राष्ट्रपति संघीय अपराधों, मृत्यु दंड और केंद्रीय कानूनों से जुड़े मामलों में क्षमादान, सजा टालने या कम करने का अधिकार रखते हैं।
   - **राज्यपाल का अधिकार (अनुच्छेद 161):** राज्यपाल राज्य के अपराधों और राज्य की कार्यकारी शक्ति के तहत आने वाले मामलों में समान अधिकार रखते हैं।

क्षमादान शक्ति से जुड़ी चिंताएँ:

1. **मनमानी (Arbitrariness)**:
   - आलोचकों का मानना है कि क्षमादान का अधिकार मनमानी तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, जिससे पक्षपाती या राजनीतिक पूर्वाग्रह का आभास होता है। यह असमानता और असंवेदनशीलता की भावना को जन्म देता है।
2. **पारदर्शिता की कमी (Lack of Transparency)**:
   - क्षमादान देने के निर्णय की प्रक्रिया अक्सर अस्पष्ट होती है। इससे पारदर्शिता की कमी महसूस होती है और जनता में इसके बारे में अधिक जानकारी और जवाबदेही की आवश्यकता होती है।
3. **न्यायिक प्रणाली पर प्रभाव (Impact on Justice System)**:
   - क्षमादान न्यायपालिका की साख को प्रभावित कर सकता है। यह कानून के तहत समान न्याय के सिद्धांत से विपरीत हो सकता है, जिससे न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं।

तटीय शिपिंग बिल / Coastal Shipping Bill

हाल ही में, केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने 2024 का तटीय शिपिंग बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य तटीय व्यापार को बढ़ावा देना और भारतीय नागरिकों द्वारा स्वामित्व और संचालन किए गए भारतीय ध्वजवाहक जहाजों की भागीदारी को बढ़ावा देना है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

बिल की मुख्य विशेषताएँ:

- इस बिल का उद्देश्य विदेशी जहाजों द्वारा बिना लाइसेंस के तटीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना है।
- यह कुछ विशेष शर्तों के तहत आंतरिक जलमार्ग जहाजों को भागीदारी की अनुमति देता है।
- निदेशक-जनरल क्रू सदस्यता और जहाज के निर्माण के आधार पर लाइसेंस जारी करेंगे।
- इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना और घरेलू शिपबिल्डिंग सेक्टर को मजबूत करना है।

पृष्ठभूमि:

- **तटीय शिपिंग**: तटीय शिपिंग में माल और यात्रियों को तटरेखा (लगभग 7,517 किलोमीटर) के भीतर, क्षेत्रीय जल में, ले जाना शामिल है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आर्थिक वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- **बंदरगाहों का प्रबंधन**:
  - **प्रमुख बंदरगाह**: केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं।
  - **छोटे/मध्यम बंदरगाह**: संबंधित समुद्री राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किए जाते हैं।
- **अप्रचलित कानूनों का विनियमन**:
  - तटीय शिपिंग क्षेत्र को पुराने कानूनों के तहत विनियमित किया गया है, जैसे:
    - **कोस्टिंग वेसल अधिनियम, 1838**
    - **मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958**
  - इन कानूनों में समानता और अद्यतन प्रावधानों का अभाव है।

Coastal Shipping क्या है?

तटीय शिपिंग का मतलब है देश की सीमाओं के भीतर समुद्र के माध्यम से माल और यात्रियों का परिवहन करना। आमतौर पर इसका उपयोग छोटे जहाजों (जिन्हें कोस्टर्स कहा जाता है) के द्वारा किया जाता है। इसे शॉर्ट सी शिपिंग भी कहा जाता है।

महत्व:

- **तटीय राज्यों को जोड़ना**: तटीय क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद करता है।
- **क्षेत्रीय आर्थिक विकास**: क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में योगदान**: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भारत में तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए पहल

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- ✓ **नीतिगत सुधार**
- ✓ **ढांचागत निवेश (इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट)**
- ✓ **तटीय मार्गों के उपयोग पर प्रोत्साहन**
- ✓ **प्राथमिक बर्थिंग नीति** (Priority Berthing Policy)
- ✓ **ग्रीन चैनल क्लीयरेंस**
- ✓ **जहाज और माल शुल्क (वेसल और कार्गो चार्ज) पर छूट**
- ✓ **बंकर ईंधन पर GST में कमी**

तटीय शिपिंग का महत्व

1. **ऊर्जा-कुशल और किफायती परिवहन**:
   - यह परिवहन का एक ऐसा साधन है जो कम ऊर्जा की खपत करता है और लागत प्रभावी है, खासकर भारी माल (बुल्क कार्गो) के लिए।
2. **सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव कम करना**:
   - तटीय शिपिंग सड़क और रेल नेटवर्क पर यातायात का बोझ कम करती है, जिससे भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है।
3. **पर्यावरण पर कम प्रभाव**:
   - यह पारंपरिक परिवहन साधनों की तुलना में अधिक पर्यावरण-अनुकूल है।
4. **राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान**:
   - आपातकालीन स्थितियों में रणनीतिक और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय सुरक्षा को

यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम / Protection of Women from Sexual Harassment Act (POSH Act)

महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के समान रूप से लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं।

यौन उत्पीड़न (POSH अधिनियम) के तहत निर्देश:

1. **जिला अधिकारी की नियुक्ति:**
   - हर जिले में उपयुक्त सरकार द्वारा जिला अधिकारी नियुक्त किए जाएं।
   - यह अधिकारी POSH अधिनियम के तहत संगठनात्मक समितियों का गठन सुनिश्चित करेंगे।
2. **आंतरिक शिकायत समिति (ICC):**
   - **अनुभाग 4** के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता को आंतरिक शिकायत समिति गठित करनी होगी।
   - समिति शिकायतें प्राप्त कर, जांच शुरू करती है और कार्रवाई की सिफारिश करती है।
3. **स्थानीय समिति का गठन:**
   - **अनुभाग 6** के तहत, उन संस्थानों में स्थानीय समिति बनाई जाएगी, जहां 10 से कम कर्मचारी हैं या शिकायत नियोक्ता के खिलाफ हो।
4. **नोडल अधिकारी की नियुक्ति:**
   - ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक, तालुका, तहसील और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं।
   - स्थानीय समिति का अधिकार क्षेत्र संबंधित जिले तक होगा।
5. **SHe-Box का उपयोग:**
   - सभी राज्यों को SHe-Box (Sexual Harassment Electronic Box) लागू करने का सुझाव दिया गया।
   - यह एक **सिंगल विंडो पोर्टल** है, जो महिलाओं को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने में मदद करता है।

उद्देश्य:

- POSH अधिनियम का समान और प्रभावी कार्यान्वयन।
- महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना।

यह कानून पूरे देश में लागू किया जाना है। सर्वेक्षण करने के लिए तीन महीने की समय सीमा दी गई है, और रिपोर्ट 31 मार्च, 2025 तक प्रस्तुत करनी होगी।

POSH अधिनियम 2013:

POSH अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2013 में बनाया गया एक कानून है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकना और एक सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है।

POSH अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

1. **यौन उत्पीड़न की परिभाषा:**
   POSH अधिनियम के तहत निम्नलिखित अवांछित कृत्यों को यौन उत्पीड़न माना गया है:
   - शारीरिक संपर्क या अग्रिम व्यवहार।
   - यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध।
   - यौन संबंधी टिप्पणी करना।
   - अश्लील सामग्री दिखाना।
   - अन्य कोई अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक कृत्य।
2. **रोकथाम और निषेध**
   - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने और उसे निषिद्ध करने की जिम्मेदारी नियोक्ता पर होती है।
3. **आंतरिक शिकायत समिति (ICC)**
   - हर कार्यस्थल जहां 10 या अधिक कर्मचारी हों, वहां आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य है।
   - समिति को शिकायतें सुनने और उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।
4. **नियोक्ताओं के कर्तव्य**
   - नियोक्ता को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, सुरक्षित वातावरण प्रदान करने और POSH अधिनियम की जानकारी प्रदर्शित करनी होती है।
5. **शिकायत प्रक्रिया**
   - अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने, जांच करने और संबंधित पक्षों को न्यायपूर्ण अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
6. **दंड प्रावधान**
   - अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माने और व्यवसाय लाइसेंस रद्द करने जैसे दंड हो सकते हैं।

भारत में प्रजनन दर में गिरावट / Falling Fertility Rate in India

भारत की प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच गई है। यह गिरावट जीवनशैली, स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक दबाव जैसे विभिन्न कारणों से प्रभावित है।

भारत की घटती प्रजनन दर: मुख्य बिंदु

1. **प्रजनन दर में गिरावट:**
   - भारत की प्रजनन दर 1950 में 6.2 थी, जो 2024 में घटकर 2 बच्चों प्रति महिला हो गई है।
2. **प्रतिस्थापन स्तर से नीचे:**
   - वर्तमान प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से कम है, जिससे भविष्य में जनसंख्या घटने की संभावना है।
3. **वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप:**
   - यह बदलाव वैश्विक प्रजनन दर में गिरावट के अनुरूप है, लेकिन भारत के लिए यह नई चुनौतियां और अवसर दोनों पेश करता है।
4. **कारण:**
   - जीवनशैली में बदलाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, और आर्थिक दबाव इस गिरावट के प्रमुख कारण हैं।
5. **प्रभाव:**
   - जनसंख्या में कमी से दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक संरचना पर असर पड़ सकता है।
6. **अवसर और चुनौतियां:**
   - घटती प्रजनन दर से संसाधनों पर दबाव कम हो सकता है, लेकिन श्रमशक्ति और वृद्धावस्था में सहयोग की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

प्रजनन दर में गिरावट के कारण:

1. **शहरीकरण और आधुनिक जीवनशैली:**
   - शिक्षा, करियर, और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता के कारण महिलाएं छोटे परिवार को प्राथमिकता देती हैं।
   - विवाह में देरी और करियर पर फोकस से प्रजनन अवधि कम हो जाती है।
2. **परिवार नियोजन और जागरूकता:**
   - गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन सेवाओं की आसान पहुंच से लोग अपने परिवार का आकार तय कर पा रहे हैं।
3. **आर्थिक दबाव:**
   - बढ़ती जीवनयापन लागत और महंगे शहरों में कई बच्चों का पालन-पोषण कठिन हो गया है।
4. **महिला सशक्तिकरण:**
   - शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने छोटे परिवारों को बढ़ावा दिया है।

प्रजनन दर में गिरावट के सकारात्मक प्रभाव:

1. **जीवन स्तर में सुधार:**
   - कम आश्रितों के कारण परिवारों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास की सुविधा मिल सकती है।
2. **संसाधनों का सतत प्रबंधन:**
   - धीमी जनसंख्या वृद्धि से जल, भूमि और ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होता है।
3. **महिला सशक्तिकरण पर ध्यान:**
   - छोटे परिवार महिलाओं को शिक्षा और करियर के अवसरों को अपनाने का मौका देते हैं।

प्रजनन दर में गिरावट के नकारात्मक प्रभाव:

1. **आबादी का बुढ़ापा:**
   - 2050 तक भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में भारी वृद्धि से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ेगा।
2. **श्रम की कमी:**
   - श्रम प्रधान उद्योगों में छोटे कार्यबल से आर्थिक वृद्धि बाधित हो सकती है।
3. **युवाओं की घटती संख्या:**
   - वर्तमान में भारत की 25 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या लाभकारी है, लेकिन प्रजनन दर में गिरावट से यह लाभ भविष्य में समाप्त हो सकता है।

भारत में प्रजनन दर से जुड़े आंकड़े:

1. **लैंसेट अध्ययन**: भारत की प्रजनन दर लगातार घट रही है। 2050 तक यह 1.29 तक गिर सकती है, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से काफी कम है।
2. **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21)**: देश की कुल प्रजनन दर (TFR) राष्ट्रीय स्तर पर 2.0 हो गई है। शहरी क्षेत्रों में यह 1.6 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 है।
3. **ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज अध्ययन (2021)**: 1950 में भारत की TFR 6.18 थी, जो 1980 में 4.60 और 2021 में 1.91 तक गिर गई।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव / United Nations General Assembly resolution

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें 1967 से अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों, जिसमें पूर्वी यरुशलम भी शामिल है, से इज़राइल की वापसी की मांग की गई। यह प्रस्ताव पश्चिम एशिया में व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति स्थापित करने की अपील करता है।

फिलिस्तीन मुद्दे पर शांति स्थापना का प्रस्ताव: मुख्य बिंदु-

1. **प्रस्ताव का परिचय:**
   - "फिलिस्तीन प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान" शीर्षक से प्रस्ताव सेनेगल द्वारा पेश किया गया।
2. **वोटिंग का परिणाम:**
   - संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों में से 157 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि अमेरिका समेत 8 देशों ने विरोध किया।
   - भारत ने भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
3. **दो-राज्य समाधान का समर्थन:**
   - महासभा ने मान्यता प्राप्त सीमाओं के अंदर, 1967 के पूर्व की सीमाओं के आधार पर, इज़राइल और फिलिस्तीन के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व वाले दो-राज्य समाधान को अपना समर्थन दिया।
4. **गाजा पट्टी में बदलाव का विरोध:**
   - प्रस्ताव ने गाजा पट्टी में किसी भी जनसांख्यिकीय या क्षेत्रीय बदलाव की कोशिशों को खारिज कर दिया।
5. **हिंसा पर रोक की मांग:**
   - सभी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को तत्काल और पूरी तरह से रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

भारत का रुख: सीरियाई गोलन हाइट्स:

- **प्रस्ताव का समर्थन**: भारत ने इज़राइल से सीरियाई गोलन हाइट्स खाली करने के प्रस्ताव का समर्थन किया।
- **अवैध कब्जे की निंदा**: इस प्रस्ताव में 1967 के बाद से इज़राइल द्वारा किए गए निर्माण और अन्य गतिविधियों को अवैध बताया गया।
- **निर्णय "अमान्य" घोषित**: प्रस्ताव ने इज़राइल के 1981 के फैसले को क्षेत्र पर अपने कानून और अधिकार थोपने के लिए "शून्य और अमान्य" करार दिया।

प्रस्ताव के बारे में:

1. **इज़राइल से तत्काल वापसी की मांग:**
   - प्रस्ताव में इज़राइल से यह मांग की गई है कि वह तुरंत फिलिस्तीन के क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों से अपनी सेनाएं हटाए।
2. **अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन:**
   - इज़राइल को अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, और मानवाधिकार कानून के उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराने की मांग की गई है।
3. **गलत कार्यों के परिणाम:**
   - इज़राइल को अपने गलत कार्यों के कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।
   - इसमें हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने की मांग भी शामिल है।
4. **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की सिफारिश पर आधारित:**
   - यह प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है।

भारत का पूर्व दृष्टिकोण (इज़राइल-फिलिस्तीन विवाद):

1. **संतुलित दृष्टिकोण**: भारत ने हमेशा संतुलित रुख अपनाते हुए इज़राइल और अरब देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे हैं।
2. **शांति और कूटनीति**: भारत ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से स्थायी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है।
3. **मध्यस्थ की भूमिका**: मानवाधिकार परिषद जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों का उपयोग कर भारत शांति स्थापना में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है।
4. **मजबूत संबंधों का उपयोग**: भारत ने मध्य-पूर्वी देशों और इज़राइल के साथ अपने अच्छे संबंधों को विवाद समाधान में प्रभावी रूप से उपयोग करने की बात कही है।

नैनोबबल्स / Nanobubbles

वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने हाल ही में दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में नैनो बबल तकनीक का शुभारंभ किया। यह अत्याधुनिक तकनीक जल शुद्धिकरण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी समाधान प्रदान करती है, जो जल गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी रूप से समाधान करेगी।

नैनोबबल्स क्या हैं?

नैनोबबल्स अति सूक्ष्म बुलबुले होते हैं, जिनका आकार 70 से 120 नैनोमीटर के बीच होता है। ये एक नमक के दाने से लगभग 2,500 गुना छोटे होते हैं। इन्हें किसी भी गैस से बनाया जा सकता है और किसी भी तरल में डाला जा सकता है।

उपयोग:

नैनोबबल तकनीक बहुउद्देश्यीय है और विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाती है:

- **जल शोधन**: कुशल शुद्धिकरण और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए।
- **कृषि**: फसल की सेहत और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए।
- **मत्स्य पालन**: जलीय पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए।
- **खाद्य प्रसंस्करण**: सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए।
- **औद्योगिक क्षेत्र**: जैसे अपशिष्ट जल उपचार और तेल अलगाव।

नैनोबबल्स के मुख्य गुण:

1. **बड़ा सतही क्षेत्र**: नैनोबबल्स का आकार छोटा होने के कारण उनका सतही क्षेत्र-से-आयतन अनुपात अधिक होता है, जिससे गैस और पानी के बीच अधिकतम संपर्क होता है।
    - ये लंबे समय तक पानी में निलंबित रहते हैं, जिससे गैस का प्रभावी हस्तांतरण होता है।
2. **ब्राउनियन गति**: नैनोबबल्स पानी में लगातार गतिशील रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन का समान वितरण सुनिश्चित होता है।
    - यह गुण लंबे समय तक घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखता है।
3. **उच्च ऑक्सीजन हस्तांतरण दक्षता**: नैनोबबल्स लगभग 90% तक ऑक्सीजन स्थानांतरण दक्षता प्राप्त करते हैं, जो पारंपरिक विधियों से कहीं अधिक है।
4. **सतही आवेश**: नैनोबबल्स का मजबूत नकारात्मक सतही आवेश होता है।
    - यह गुण अपशिष्ट जल और तेल पृथक्करण जैसे प्रक्रियाओं में निलंबित कणों के अलगाव को बेहतर बनाता है।

नैनोबबल्स के लाभ:

1. **बेहतर जल शोधन (Water Treatment)**
    - नैनोबबल्स पानी से ऑर्गेनिक प्रदूषकों, बैक्टीरिया, और अन्य अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटा सकते हैं।
2. **सफाई में सुधार (Efficient Cleaning)**
    - ये सतह के छोटे छिद्रों में गहराई तक पहुंचकर जिद्दी गंदगी और दाग-धब्बों को आसानी से साफ कर सकते हैं।
3. **कृषि और मत्स्य पालन में वृद्धि (Agriculture and Aquaculture)**
    - नैनोबबल्स के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति फसलों और जलीय जीवों के विकास, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ा सकती है।
    - यह पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण, कीटनाशकों की आवश्यकता में कमी, और पैदावार में वृद्धि करता है।
4. **तेल और गैस पुनर्प्राप्ति में सुधार (Oil and Gas Recovery)**
    - नैनोबबल्स तरल पदार्थों के प्रवाह को बढ़ाकर तेल और गैस रिकवरी को अधिक कुशल बनाते हैं, साथ ही इसमें रसायनों की आवश्यकता को भी कम करते हैं।
5. **त्वचा और बालों की देखभाल (Skin and Hair Health)**
    - ये त्वचा देखभाल उत्पादों के बेहतर अवशोषण में मदद कर सकते हैं, जिससे त्वचा और बाल स्वस्थ बनते हैं।

मुख्य विशेषता:

नैनोबबल्स की **गैस-से-तरल स्थानांतरण क्षमता** उच्च होती है, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी साबित होते हैं।

प्रोबा-3 मिशन / Proba-3 mission

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा-3 मिशन को लॉन्च किया। यह मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण, (जिसे कोरोना कहा जाता है) का अध्ययन करेगा।

प्रोबा-3 मिशन के बारे में-

1. **विवरण**: प्रोबा -3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा विकसित एक उन्नत सौर मिशन है।
2. **लक्ष्य**: इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के कोरोनल परत (सूर्य का बाहरी और सबसे गर्म वायुमंडलीय स्तर) का अध्ययन करना है। यह मिशन 4 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) द्वारा लॉन्च किया गया
3. **ऑर्बिट और कक्षा**: मिशन को 600 किमी x 60,530 किमी की अंडाकार कक्षा में स्थापित होगा, जिसका कक्षा काल 19.7 घंटे होगा।
4. **विश्व का पहला "प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग"**: प्रोबा-3 मिशन दुनिया का पहला "प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग" करेगा, जिसमें दो उपग्रह एक साथ उड़ान भरेंगे और अंतरिक्ष में एक निश्चित संरचना बनाए रखते हुए काम करेंगे।

प्रॉबा-3 मिशन पर कौन से उपकरण हैं?

- **ASPIICS**: यह उपकरण सूर्य के कोरोना (सूर्य के बाहरी वायुमंडल) का अवलोकन करता है, खासकर सूर्यग्रहण के दौरान।
- **DARA**: यह उपकरण सूर्य से निकलने वाली कुल सौर विकिरण को मापता है।
- **3DEES**: यह उपकरण इलेक्ट्रॉन फ्लक्स (इलेक्ट्रॉन की गति और घनत्व) का अध्ययन करता है, जो अंतरिक्ष मौसम को समझने में मदद करता है।

प्रोबा-3 मिशन की विशेषताएँ:

1. प्रोबा-3 मिशन में दो उपग्रह शामिल हैं -
    - **ऑक्यूटर उपग्रह (200 किलोग्राम)**: यह उपग्रह सूर्य पर कृत्रिम सूर्यग्रहण बनाने के लिए छाया डालता है।
    - **कोरोनाग्राफ उपग्रह (340 किलोग्राम)**: यह उपग्रह सूर्य के कोरोना का अध्ययन करता है और सूर्य के बाहर के वातावरण की तस्वीरें खींचता है।
2. **सटीक संरेखण**: दोनों उपग्रह एक-दूसरे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर समानांतर गति करेंगे और प्रतिदिन 6 घंटे तक सूर्य के कोरोना का निरंतर अवलोकन करेंगे। इस सटीक संरेखण को बनाए रखने के लिए, एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह पर लेजर प्रकाश का उपयोग किया जाएगा।
3. **कृत्रिम सूर्यग्रहण**: प्राकृतिक सूर्यग्रहण केवल 10 मिनट तक होते हैं, लेकिन प्रोबा-3 मिशन में उपग्रह हर दिन 6 घंटे तक सूर्यग्रहण जैसी परिस्थितियाँ प्रदान करेंगे, जो लगभग 50 सूर्यग्रहणों के बराबर है। यह सूर्य के कोरोना का विस्तृत अध्ययन करने में मदद करेगा।
4. **सौर कोरोनाग्राफ का उपयोग**: मिशन में एक विशाल सौर कोरोनाग्राफ का उपयोग किया जाएगा, जो सूर्य के प्रकाश को रोककर, सूर्य के कोरोना और इसके आसपास के वातावरण का अध्ययन करेगा।

प्रोबा-3 मिशन भारत के लिए लाभकारी-

- **भारत की प्रक्षेपण क्षमता को प्रदर्शित करेगा**: प्रोबा-3 मिशन भारत के PSLV रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष प्रक्षेपण की क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
- **भारत और ESA के बीच अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देगा**: यह मिशन भारत और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के बीच सहयोग को और विस्तारित करेगा।
- **भारतीय वैज्ञानिकों को नए अवसर प्रदान करेगा**: प्रोबा-3 भारत के वैज्ञानिकों को सौर भौतिकी और अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन में नए अवसर प्रदान करेगा, जिससे भारत की अंतरिक्ष वैज्ञानिकता को मजबूती मिलेगी।

ISRO के बारे में जानकारी:

- **स्थापना**: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के प्रयासों से INCOSPAR के रूप में की गई थी।
- **मुख्यालय**: ISRO का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है।
- **वर्तमान अध्यक्ष**: ISRO के वर्तमान अध्यक्ष श्री एस. सोमनाथ हैं।
- **पहला उपग्रह**: 'आर्यभट्ट' भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया।
- **मार्स ऑर्बिटर मिशन**: 5 नवम्बर 2013 को भारत ने मंगल पर अपना पहला मिशन लॉन्च किया, और ISRO ने भारत को पहला ऐसा देश बनाया जो मंगल पर अपनी पहली कोशिश में सफलता प्राप्त कर पाया।
- **वर्ल्ड रिकॉर्ड**: 15 फरवरी 2017 को ISRO ने एक ही रॉकेट (PSLV-C37) से 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया।

MH-60R हेलीकॉप्टर / MH-60R helicopter

अमेरिका ने फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत भारत को MH-60R हेलीकॉप्टर के लिए समर्थन उपकरण बेचने के लिए $1.17 बिलियन के सौदे को मंजूरी दी।
मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने कोच्चि के आईएनएस गरुड़ में MH-60R सीहॉक मल्टी-रोल हेलीकॉप्टरों का पहला स्क्वाड्रन कमीशन किया।

- ये 24 लॉकहीड मार्टिन/सिकोर्स्की MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर के लिए $2.6 बिलियन के विदेशी सैन्य बिक्री सौदे का हिस्सा हैं।

MH-60R सीहॉक के बारे में:

सामुद्रिक संस्करण:

MH-60R, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण है। इसे फरवरी 2020 में अमेरिकी सरकार के साथ 24 हेलीकॉप्टरों के विदेशी सैन्य बिक्री अनुबंध के तहत खरीदा गया था।

संचालन क्षमताएं:

यह हेलीकॉप्टर कई अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

- **पनडुब्बी रोधी युद्ध (Anti-Submarine Warfare)**
- **सतह-रोधी युद्ध (Anti-Surface Warfare)**
- **खोज और बचाव (Search and Rescue)**
- **चिकित्सा निकासी (Medical Evacuation)**

अत्याधुनिक प्रणाली:

ये हेलीकॉप्टर उन्नत हथियारों, सेंसर और एवियोनिक्स सिस्टम से लैस हैं, जो भारत की समुद्री सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

- इसमें उन्नत डिजिटल सेंसर हैं, जैसे मल्टी-मोड रडार, इलेक्ट्रॉनिक समर्थन माप प्रणाली, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रारेड कैमरा आदि।

अस्त्र-शस्त्र:

MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **AGM-114 हेलफायर मिसाइलें**
- **MK 54 टॉरपीडो**
- **सटीक हमले के लिए उन्नत हथियार**

ये हेलीकॉप्टर भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली क्षमताएं प्रदान करते हैं।

MH 60R सीहॉक्स का भारत के लिए महत्व:

1. **भारत की रक्षा आधुनिकीकरण:**
   - MH 60R हेलिकॉप्टर भारतीय रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2. **संचालन क्षमता में वृद्धि:**
   - यह हेलिकॉप्टर भारत की नीला जल क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे नौसेना की परिचालन सीमा और समुद्री संचालन क्षमता में विस्तार होगा।
3. **भारत की समुद्री उपस्थिति को मजबूत करना:**
   - सीहॉक्स की तैनाती भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) में भारतीय नौसेना की उपस्थिति को मजबूत करेगी और संभावित खतरों को हतोत्साहित करेगी।
4. **सुरक्षा के लिए उन्नत क्षमताएँ:**
   - उन्नत हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स प्रणाली से लैस, ये हेलिकॉप्टर पारंपरिक और विषम दोनों प्रकार के खतरों से निपटने के लिए आदर्श हैं।
5. **भारत की समुद्री सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता:**
   - यह सीहॉक्स का समावेश भारत के 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (SAGAR) के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

SHe-Box पोर्टल / SHe-Box Portal

महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली "SHe-Box" (सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) विकसित की है।

- इस पोर्टल पर दर्ज शिकायतें सीधे संबंधित प्राधिकरण तक पहुंचती हैं, जो मामले में कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होती है।

यह एक ऑनलाइन प्रणाली है, जो "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013" (SH अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद करने के लिए बनाई गई है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. यह प्रणाली कार्यस्थलों पर गठित आंतरिक समितियों (Internal Committees - ICs) और स्थानीय समितियों (Local Committees - LCs) से संबंधित जानकारी का एक केंद्रीकृत भंडार उपलब्ध कराती है।
2. इसका उद्देश्य देशभर के विभिन्न कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

SHe-Box पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ:

1. **नोडल अधिकारी की नियुक्ति:**
   - प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
   - यह अधिकारी नियमित रूप से डेटा और जानकारी को अद्यतन करने और शिकायतों की रियल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करेगा।
2. **शिकायत दर्ज करना:**
   - पीड़ित महिला स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनकी ओर से पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
3. **निगरानी प्रणाली:**
   - केंद्रीय, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर के नोडल अधिकारियों के लिए एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है।
   - यह डैशबोर्ड दर्ज मामलों की संख्या, उनके निपटान और लंबित शिकायतों को ट्रैक करता है।
4. **गोपनीयता सुनिश्चित करना:**
   - पोर्टल शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
   - केवल आंतरिक समिति (IC) या स्थानीय समिति (LC) के अध्यक्ष ही शिकायत की प्रकृति या विवरण देख सकते हैं।
5. **यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013:**
   - यह पोर्टल "महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के तहत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की मुख्य प्रावधान:

1. **यौन उत्पीड़न की परिभाषा:**
   - अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन प्रस्ताव, यौन उपकार की मांग, यौन टिप्पणी, और कोई भी अनुचित व्यवहार।
2. **आंतरिक शिकायत समिति (ICC):**
   - 10 से अधिक कर्मचारियों वाले हर संगठन में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य।
   - इस समिति का नेतृत्व एक महिला करेगी और इसमें महिलाओं के मुद्दों के विशेषज्ञ या NGO प्रतिनिधि जैसे कम से कम एक बाहरी सदस्य शामिल होना चाहिए।
3. **शिकायत प्रक्रिया:**
   - महिलाएं घटना के तीन महीने के भीतर शिकायत दर्ज कर सकती हैं।
   - ICC को शिकायत का निपटारा 90 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।
4. **गोपनीयता:** शिकायतों और जांच से संबंधित सभी जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा।
5. **नियोक्ता की जिम्मेदारी:**
   - नियोक्ता को रोकथाम के उपाय करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और शिकायतों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है।
6. **निवारण और मुआवजा:**
   - उत्पीड़न साबित होने पर आरोपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
   - पीड़िता को मुआवजा दिया जा सकता है।
7. **प्रतिशोध पर रोक:**
   - शिकायतकर्ता या गवाहों के खिलाफ प्रतिशोध को प्रतिबंधित किया गया है।
   - प्रतिशोध या पीड़ितकरण को कानून के तहत एक अलग उल्लंघन माना जाएगा।
8. **दंड:** अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में महिला कार्मिक / Women Personnel in the Central Armed Police Forces (CAPFs)

महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में महिला कार्मिकों की संख्या में पिछले 10 वर्षों (2014-2024) में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है।

भविष्य की भर्ती: 2025 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स में 4,138 महिलाओं की भर्ती की संभावना है।

सीएपीएफ में महिलाओं की वर्तमान स्थिति:

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), जिसमें असम राइफल्स भी शामिल है, में महिलाओं का प्रतिशत कुल 9.48 लाख बल में से **4.4%** है।
- **CISF** (सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स), जो हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो, और संसद परिसर जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की सुरक्षा करता है, में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, जो कुल बल का **7.02%** है।
- **अन्य बलों में महिलाओं का प्रतिशत निम्न है:**
  - **SSB:** 4.43%
  - **BSF:** 4.41%
  - **ITBP:** 4.05%
  - **असम राइफल्स:** 4.01%
  - **CRPF:** 3.38%

महिलाओं की संख्या में वृद्धि:

- 2014 में CAPFs में महिलाओं की संख्या **15,499** थी, जो 2024 में बढ़कर **42,190** हो गई।
- 2024 में CAPFs और असम राइफल्स में **835 महिला कार्मिकों** की भर्ती हुई है, और **5,469** महिला कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

महिलाओं की कम भागीदारी के कारण:

1. **सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं:** पारंपरिक भूमिका और समाज की अपेक्षाएं महिलाओं को सशस्त्र बलों में करियर बनाने से हतोत्साहित करती हैं।
2. **भर्ती और बनाए रखने में चुनौतियां:** नीतिगत उपायों के बावजूद, महिलाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में कम आवेदन और उच्च त्याग दर (attrition rate) प्रमुख चुनौतियां हैं।
3. **कार्यस्थल की कठिनाइयां:** नौकरी की मांग, बार-बार स्थानांतरण और दूरदराज के क्षेत्रों में तैनाती महिलाओं के लिए, विशेष रूप से पारिवारिक जिम्मेदारियों वाली महिलाओं के लिए, कठिन हो सकती हैं।
4. **ढांचागत सुविधाओं की कमी:** अलग आवास और स्वच्छता सुविधाओं की कमी महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने और लंबे समय तक बने रहने से रोक सकती है।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय:

1. **आरक्षण नीतियां:** 2016 में सरकार ने सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में सभी कांस्टेबल स्तर की पदों में से एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया।
   - सीमा सुरक्षा बल (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), और आईटीबीपी में 14-15% आरक्षण का प्रावधान है।
2. **भर्ती प्रयास:** सीएपीएफ में महिलाओं की संख्या 2014 में 15,499 से बढ़कर 2024 में 42,190 हो गई।
   - 2025 में अतिरिक्त 4,138 महिलाओं की भर्ती की योजना है, जिसमें बीएसएफ को सबसे अधिक हिस्सा मिलेगा।
3. **संसदीय सिफारिशें:** महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 'सॉफ्ट पोस्टिंग' (कम कठिन तैनाती) देने और अत्यधिक श्रमसाध्य कार्य स्थितियों से बचाने की सिफारिश की गई।
   - सीएपीएफ में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण के विकल्प पर विचार करने की भी सलाह दी गई।

भारतीय वायुयान विधेयक बिल / Bhartiya Vayuyan Vidheyak Bill

भारत की संसद ने 2024 का **भारतीय वायुयान विधेयक** पारित किया, जो 1934 के पुराने **वायुयान अधिनियम** को प्रतिस्थापित करता है। यह नया कानून पुरानी और अप्रासंगिक व्यवस्थाओं को हटाने और एक अधिक प्रभावी नियामक ढांचा स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

उद्देश्य:

- वर्तमान कानून में मौजूद अस्पष्टताओं को दूर करना।
- विमानन क्षेत्र में **Ease of Doing Business** और निर्माण प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

मुख्य बिंदु:

1. **अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार**:
    - केंद्रीय सरकार को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन (जैसे 1944 का शिकागो सम्मेलन और 1932 का अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन) को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया।
2. **डीजीसीए, बीसीएएस और एएआईबी को अधिक शक्तियां**:
    - नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS), और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) को अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए।
3. **जन सुरक्षा के लिए आपातकालीन आदेश**:
    - केंद्रीय सरकार को आपात स्थितियों में, जनहित में विमान को रोकने जैसे आदेश जारी करने का अधिकार।

प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता:

1. **विभिन्न संशोधनों का प्रभाव**: यह अधिनियम कई बार संशोधित किया गया है ताकि विमानन क्षेत्र में सुरक्षा, निगरानी और सतत विकास के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रावधानों को लागू किया जा सके।
2. **स्पष्टता और सरलीकरण की आवश्यकता**: अनेक संशोधनों के कारण हितधारकों को अस्पष्टता और भ्रम का सामना करना पड़ा, जिसे दूर करना आवश्यक हो गया।
3. **पुरानी व्यवस्थाओं को हटाना**: अधिनियम की अप्रासंगिक और पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त करना ज़रूरी है।
4. **व्यवसाय में आसानी**: प्रक्रियाओं को सरल बनाकर **Ease of Doing Business** को बढ़ावा देना।
5. **डिज़ाइन और रखरखाव**: विमान और उससे संबंधित उपकरणों के डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए स्पष्ट प्रावधानों की आवश्यकता।

विधेयक का महत्व:

1. **आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप**:
    - विमान के डिज़ाइन और निर्माण को विनियमित करने से घरेलू उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
2. **विस्तृत दायरा**:
    - ड्रोन, मानव रहित विमान (UAV), उड़ने वाली टैक्सियां, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक ग्लाइडर्स को शामिल किया गया।
3. **तेजी से बढ़ते विमानन बाजार की ज़रूरतें पूरी करना**:
    - विमानन क्षेत्र के तेजी से विकास को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक महत्वपूर्ण है।
4. **घरेलू हवाई यात्री यातायात में वृद्धि**:
    - आईसीआरए के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024 में घरेलू हवाई यात्री यातायात में 8–13% की वृद्धि होने की संभावना है।

विमानन क्षेत्र का विकास:

1. **हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि**:
    - 2014 में हवाई अड्डों की संख्या 74 थी, जो अब बढ़कर 157 हो गई है।
2. **विमान बेड़े का विस्तार**:
    - विमान बेड़े का आकार 400 विमानों से बढ़कर 813 विमानों तक पहुंच गया है।
3. **नियमों को अद्यतन करने की आवश्यकता**:
    - इस तेज़ विकास को ध्यान में रखते हुए, आधुनिक और अद्यतन नियमों की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव / Belt and Road Initiative (BRI)

नेपाल ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को आगे बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- ✓ यह समझौता 2017 में हुए प्रारंभिक समझौते के सात साल बाद हुआ है, जो चीन के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नेपाल और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत समझौते के प्रमुख बिंदु:

1. **BRI पर ठोस कदम:** नेपाल ने 2017 में BRI से जुड़ने के बाद अब एक नया फ्रेमवर्क समझौता किया है, जो परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान करता है।
2. **ट्रांस-हिमालयन नेटवर्क पर सहमति:** दोनों देशों ने ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क (THMDCN) पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की इच्छा जताई है।
3. **संपर्क सुविधाओं का विस्तार:** यह नेटवर्क बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे, विमानन, बिजली ग्रिड और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित है।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के बारे में:

1. **परिचय:**
   - बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की शुरुआत चीन ने 2013 में प्राचीन **सिल्क रोड** को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की।
   - इसका उद्देश्य एशिया को यूरोप और अफ्रीका के साथ जोड़ते हुए व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
2. **मुख्य घटक:**
   - **सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट:** यह चीन और मध्य एशिया, यूरोप, तथा पश्चिम एशिया के देशों के बीच संपर्क और सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है।
   - **21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड:** यह चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, तथा अफ्रीका के देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर आधारित है।
3. **उद्देश्य:**
   - भाग लेने वाले देशों में व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना।
   - वैश्विक स्तर पर आर्थिक संबंधों और संपर्क को बढ़ावा देना।

चीन-नेपाल संबंधों का अवलोकन:

1. **भू-राजनीतिक संबंध:**
   - नेपाल ने अपनी विदेश नीति के तहत भारत और चीन, दोनों बड़े पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को संतुलित रखने का प्रयास किया है।
   - हाल के वर्षों में चीन का नेपाल में प्रभाव काफी बढ़ा है, खासकर **2015 में भारत द्वारा लगभग छह महीने तक नेपाल पर आर्थिक नाकेबंदी** के दौरान। इस स्थिति ने चीन को नेपाल में तेजी से पैर जमाने का अवसर प्रदान किया।
2. **राजनीतिक हस्तक्षेप:**
   - चीन ने नेपाल की राजनीति में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया और **माओवादी केंद्र** और **यूनिफाइड मार्क्सवादी-लेनिनवादी (UML)** जैसे दो कम्युनिस्ट दलों को एकजुट करने में भूमिका निभाई।
3. **इतिहास और वैचारिक संबंध:** नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन और खासकर **नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी** के साथ चीन के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं।
   - नेपाल में एक दशक तक चले सशस्त्र विद्रोह के दौरान, माओवादी आंदोलन को चीन से वैचारिक, तार्किक और सैन्य समर्थन मिला था।

भारत के लिए नेपाल में चीन की बढ़ती उपस्थिति के प्रभाव:

1. **सुरक्षा चिंताएँ:** नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए **रणनीतिक घेराबंदी** का कारण बन सकता है, जिससे भारत की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है।
2. **संसाधनों तक पहुंच में बाधा:** चीन के बुनियादी ढांचे और आर्थिक निवेश नेपाल में भारतीय निवेश और संसाधनों पर असर डाल सकते हैं।
3. **बीआरआई और संपर्क:** नेपाल का चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल होना भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है।
4. **क्षेत्रीय समन्वय में कठिनाई:** चीन के साथ नेपाल के घनिष्ठ संबंध चीन को दक्षिण एशिया में **रणनीतिक गहराई** प्रदान करते हैं, जिससे भारत के लिए क्षेत्रीय पहलों का समन्वय कठिन हो सकता है।

लेक-इफेक्ट स्नो / Lake-effect snow

हाल ही में उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स के आसपास के क्षेत्रों, जैसे न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, ओहायो और मिशिगन, में "लेक-इफेक्ट स्नो" का प्रभाव देखा गया। इस घटना के कारण न्यूयॉर्क के लेक एरी के पास एक भारी बर्फीले तूफान ने घरों को बर्फ से ढके "इग्लू" में बदल दिया।

लेक-इफेक्ट स्नो क्या है?

लेक-इफेक्ट स्नो एक स्थानीय मौसमीय घटना है, जिसमें बड़े झीलों के गर्म पानी और ठंडी हवा के संपर्क से भारी बर्फबारी होती है।

प्रमुख क्षेत्र:

यह घटना मुख्य रूप से अमेरिका की ग्रेट लेक्स के आसपास के क्षेत्रों में देखी जाती है, जैसे न्यूयॉर्क, मिशिगन, ओहायो और पेंसिल्वेनिया।

बनने की प्रक्रिया:

1. **ठंडी हवा का प्रभाव:**
   कनाडा से आने वाली ठंडी हवा झीलों के गर्म और बर्फ-मुक्त पानी पर बहती है।
2. **गर्मी और नमी का स्थानांतरण:**
   झील का गर्म पानी हवा में गर्मी और नमी पहुंचाता है।
3. **बर्फ के बादल बनना:**
   जब यह गर्म हवा ठंडी होकर ऊपर उठती है, तो यह बादल बनाती है, जिससे भारी बर्फबारी होती है।

प्रभाव डालने वाले कारक:

- **हवा की दिशा:** यह तय करती है कि किस क्षेत्र में बर्फबारी होगी।
- **ठंडी हवा का तापमान:** झील के पानी और ठंडी हवा के तापमान में जितना अधिक अंतर होगा, बर्फ उतनी ही घनी होगी।
- **भौगोलिक विशेषताएँ:** झील का आकार, गहराई, और आसपास की भौगोलिक संरचनाएँ (जैसे पहाड़ और घाटियाँ) बर्फबारी की तीव्रता को प्रभावित करती हैं।

यह घटना तेज बर्फबारी की वजह से प्रभावित क्षेत्रों में घरों और परिवहन पर गहरा असर डालती है।

उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स के बारे में:

ग्रेट लेक्स: ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका की पाँच बड़ी और जुड़ी हुई मीठे पानी की झीलों का समूह है।

ग्रेट लेक्स के नाम:

1. सुपीरियर (Superior)
2. मिशिगन (Michigan)
3. ह्यूरॉन (Huron)
4. ईरी (Erie)
5. ओंटारियो (Ontario)

महत्वपूर्ण तथ्य:

- ये झीलें सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हैं।
- इलिनॉय वॉटरवे के जरिए ये मिसिसिपी नदी बेसिन से भी जुड़ती हैं।
- मिशिगन झील पूरी तरह अमेरिका के भीतर स्थित है, जबकि बाकी चार झीलें अमेरिका और कनाडा की सीमा पर हैं।
- मिशिगन और ह्यूरॉन झीलें स्ट्रेट्स ऑफ मैकिनैक के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ी हैं।

विशेषताएँ:

- यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील प्रणाली है, क्षेत्रफल के हिसाब से।
- जल की मात्रा के हिसाब से यह दूसरी सबसे बड़ी प्रणाली है, जिसमें पृथ्वी के सतही मीठे पानी का 21% संग्रहित है।

ग्रेट लेक्स न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक हैं, बल्कि ये उत्तरी अमेरिका के परिवहन, व्यापार और जल संसाधन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

Axiom-4 मिशन / Axiom-4 mission

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने घोषणा की है कि **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)** के लिए **Axiom-4 मिशन** (2024 में लॉन्च) हेतु चुने गए दो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने प्रशिक्षण का प्रारंभिक चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

- **प्राइम-ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला** और
- **बैकअप-ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर**- ये दोनों अंतरिक्ष यात्री भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

एक्सिओम-4 मिशन के बारे में (About Axiom-4 Mission):

- एक्सिओम मिशन 4 (AX-4) एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है जिसे एक्सिओम स्पेस द्वारा आयोजित किया गया है।
- इस मिशन का उद्देश्य 14-दिन के लिए एक क्रू को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर भेजना है।
- यह एक्सिओम स्पेस का चौथा मिशन है; इसके पूर्व मिशन (AX-1, AX-2 और AX-3) भी इसी प्रकार के थे।
- इस मिशन को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा।
- इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यान स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन होगा, जो अपनी उन्नत तकनीक और सुरक्षा सुविधाओं के लिए जाना जाता है।
- यह मिशन नासा के सहयोग से आयोजित किया गया है, जो निजी अंतरिक्ष कंपनियों और सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच मजबूत साझेदारी को दर्शाता है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा सके।

मिशन उद्देश्य (Mission Objectives):

वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रयास (Commercial Space Efforts): Axiom-4 का उद्देश्य अंतरिक्ष में वाणिज्यिक गतिविधियों (commercial activities)को बढ़ावा देना है, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विकास और अंतरिक्ष पर्यटन शामिल हैं।

- यह मिशन यह दिखाने में मदद करेगा कि वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन व्यवसाय (commercial space stations) और नवाचार (innovation) के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में कैसे कार्य कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (International Collaboration): Axiom-4 मिशन विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्रियों की विविध टीम को लेकर जाएगा, जो अंतरिक्ष अन्वेषण (space exploration) में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय रुचि को दर्शाता है।

- यह मिशन देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करेगा और वैश्विक अंतरिक्ष पहलों में योगदान देगा।

अनुसंधान और विकास (Research and Development): मिशन अंतरिक्ष की अनोखी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (microgravity) स्थिति में विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों और तकनीकी परीक्षणों का समर्थन करेगा।

भारत का गगनयान मिशन (India's Gaganyaan Mission) :

गगनयान मिशन (Gaganyaan Mission) भारत का एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजना (Earth orbit) और सुरक्षित रूप से वापस लाना है।

भारत के गगनयात्री और गगनयान मिशन (India's Gaganyaan and Gaganyaan missions):

- गगनयान मिशन (Gaganyaan mission) की परिकल्पना इसरो (ISRO) ने 2007 में की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना और सुरक्षित वापस लाना है। यह परियोजना 2018 में 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की गई थी।
- इस मिशन के लिए चार भारतीय वायु सेना पायलटों (Four Indian Air Force pilots) का चयन किया गया है, जिन्हें रूस (Russia) में प्रशिक्षण दिया गया। इसरो ने बेंगलुरु (Bengaluru) में एक अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा भी स्थापित की है।

चयनित गगनयात्री (Selected Gaganyaan):

1. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला (Group Captain Shubhanshu Shukla)
2. प्रशांत बालकृष्णन नायर (Prashant Balakrishnan Nair)
3. अजीत कृष्णन (Ajit Krishnan)
4. अंगद प्रताप (Angad Pratap)

गगनयान मिशन का महत्व (Importance of Gaganyaan Mission):

- **वैज्ञानिक और तकनीकी-**
- **अंतरिक्ष अनुसंधान में योगदान -**
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति-**
- **आर्थिक लाभ -**

गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट / Galefu Mindfulness City Project

भारत और भूटान ने किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और क्वीन जेटसन पेमा की यात्रा के दौरान बिजली और शहरी योजना में द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की।

- दोनों पक्षों ने **गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना और जलविद्युत के क्षेत्रों में सहयोग** जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्य बिंदु:

1. **गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट पर सहयोग**:
   - प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के राजा को गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट में भारत के निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया।
   - इस परियोजना का उद्देश्य भूटान और सीमा क्षेत्रों में समृद्धि और भलाई लाना है।
   - यह दोनों देशों के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगा।
2. **जलविद्युत परियोजनाओं पर चर्चा**:
   - 1020 मेगावाट के पुनात्सांगचू-II जलविद्युत परियोजना के लगभग पूरा होने पर संतोष व्यक्त किया गया।
   - पुनात्सांगचू-I परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर सहमति बनी।
   - नई जलाशय जलविद्युत परियोजनाओं के लिए त्वरित रूप से कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई।
3. **सीमा पार संपर्क परियोजनाएं**:
   - रेललाइन और डिजिटल नेटवर्क सहित सीमा पार कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर बातचीत हुई।
4. **भूटान के राजपरिवार की यात्रा का महत्व**:
   - यह यात्रा प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे की भारत यात्रा के कुछ दिनों बाद हुई, जहां उन्होंने ग्लोबल कोऑपरेटिव्स अलायंस का उद्घाटन किया।
   - भारत की भूटान के साथ यह साझेदारी कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, खासतौर पर बांग्लादेश और नेपाल में बदलते संबंधों के संदर्भ में।
5. **क्षेत्रीय कूटनीति का संदर्भ**:
   - नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड सहयोग के लिए नया फ्रेमवर्क समझौता किया है, जिससे भारत को कूटनीतिक चुनौतियां मिली हैं।

गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट के बारे में:

1. **स्थान**: गैलेफू, भूटान का एक दक्षिणी शहर, जो भारतीय सीमा के पास स्थित है।
2. **वित्त पोषण**: यह परियोजना भूटान द्वारा भारत के सहयोग से वित्त पोषित है।
3. **परियोजना का उद्देश्य**:
   - यह एक स्थायी शहरी विकास परियोजना है।
   - इसका उद्देश्य भूटान और पड़ोसी भारतीय क्षेत्रों में समृद्धि, भलाई और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है।
4. **भारत की भूमिका**:
   - इस परियोजना में भारत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
   - क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को मजबूत करने में योगदान करता है।

पुनात्सांगचू-II जलविद्युत परियोजना के बारे में:

1. **स्थान**: पुनाखा जिला, भूटान।
2. **नदी**:
   - यह परियोजना पुनात्सांगचू नदी पर स्थित है।
   - यह नदी फोचू और मोचू नदियों के संगम से बनती है, जो हिमालय से निकलती हैं।
   - पुनात्सांगचू नदी अंततः ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है।
3. **भारत की भूमिका**:
   - इस परियोजना में भारत वित्तीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे का सहयोग प्रदान कर रहा है।
   - यह द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को मजबूत करता है।

मौद्रिक नीति समिति बैठक / Monetary Policy Committee meeting

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति की 52वीं बैठक में प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेपो दर को 6.50% पर स्थिर रखा गया, जबकि नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4% किया गया।

आरबीआई एमपीसी बैठक (दिसंबर 2024) के मुख्य बिंदु:

1. **रेपो रेट:**
   - रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखा गया, जो फरवरी 2023 से स्थिर है।
   - यह लगातार 11वीं बार है जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
2. **सीआरआर कटौती:**
   - नकद आरक्षित अनुपात (CRR) 4.50% से घटाकर 4% किया गया, जिससे बैंकों को अतिरिक्त नकदी मिलेगी।
3. **मुद्रास्फीति:**
   - मुद्रास्फीति में वृद्धि का अनुमान है, जिससे आर्थिक विकास पर असर पड़ सकता है।
   - GDP वृद्धि दर FY25 के लिए 7.2% से घटाकर 6.6% की गई।
4. **जीडीपी वृद्धि अनुमान:**
   - FY25 की पहली तिमाही में 6.9% और दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान।
   - समग्र GDP वृद्धि 6.6% रहने का अनुमान।
5. **मुद्रास्फीति अनुमान:**
   - FY25 के लिए मुद्रास्फीति दर 4.8%, FY26 Q1 और Q2 के लिए 4.6% और 4% रहने की उम्मीद।
6. **डिजिटल सुरक्षा:**
   - डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए Mulehunter.AI जैसे नए टूल्स का इस्तेमाल।
7. **यूपीआई सेवा का विस्तार:**
   - यूपीआई सेवाएं अब छोटे वित्तीय बैंकों तक बढ़ाई जाएंगी, जिससे डिजिटल लेन-देन बढ़ेगा।
8. **किसानों के लिए राहत:**
   - बिना गिरवी रखे कृषि ऋण की सीमा को 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई।
   - यह निर्णय महंगाई और कृषि लागत को ध्यान में रखते हुए लिया गया।

मौद्रिक नीति समिति (MPC):

1. **गठन और पृष्ठभूमि:**
   - MPC की स्थापना भारत सरकार और RBI के समझौते से की गई।
   - इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
   - इसे 2016 में रिजर्व बैंक अधिनियम के माध्यम से वैधानिक दर्जा मिला।
   - MPC हर दो महीने में बैठक करती है और ब्याज दरों में बदलाव करती है।
2. **कानूनी प्रावधान:**
   - केंद्र सरकार को छह सदस्यीय MPC गठित करने का अधिकार है।
3. **कार्य:**
   - MPC का मुख्य कार्य रेपो दर (Repo Rate) निर्धारित करना है ताकि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर रहे।
   - यह पहले की तकनीकी सलाहकार समिति की जगह कार्य करता है।
4. **संरचना:**
   - MPC के छह सदस्य होते हैं:
     - RBI गवर्नर (अध्यक्ष),
     - RBI के डिप्टी गवर्नर,
     - RBI बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी,
     - केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य।
   - बाहरी सदस्यों का कार्यकाल 4 साल होता है।
   - बैठक में कम से कम चार सदस्य होने चाहिए, जिनमें एक RBI गवर्नर या डिप्टी गवर्नर होना चाहिए।
5. **निर्णय प्रक्रिया:**
   - MPC के निर्णय बहुमत से होते हैं।
   - वोटों में बराबरी होने पर RBI गवर्नर का निर्णायक वोट होता है।
   - MPC के निर्णय RBI के लिए बाध्यकारी होते हैं।

प्रधानमंत्री सूर्या घर योजना / Prime Minister Surya Ghar Yojana

प्रधानमंत्री सूर्या घर योजना, भारत की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल है, जो 2027 तक एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराएगी।

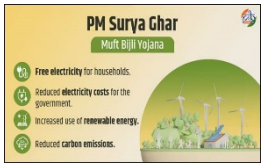

मुख्य बिंदु:

1. **लक्ष्य:**
   - मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना।
2. **इंस्टॉलेशन का अनुमान:**
   - मार्च 2025 तक 10 लाख, अक्टूबर 2025 तक 20 लाख, मार्च 2026 तक 40 लाख और मार्च 2027 तक एक करोड़ इंस्टॉलेशन पूरे होंगे।
3. **योजना का शुभारंभ:**
   - यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को शुरू की।
4. **सहायता राशि:**
   - योजना के तहत 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे सौर ऊर्जा सस्ती और सुलभ होती है।
5. **इंस्टॉलेशन की प्रगति:**
   - 9 महीनों में 6.3 लाख इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं, और मासिक इंस्टॉलेशन दर 70,000 तक पहुंच गई है।
6. **सरकार को बचत:**
   - इस योजना से सरकार को ₹75,000 करोड़ की वार्षिक बिजली लागत बचत होने का अनुमान है।
7. **स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा:**
   - यह पहल भारत को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाती है।

मुख्य लाभ:

1. **घरानों को मुफ्त बिजली:**
   इस योजना के तहत, घरों को सब्सिडी पर रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना के माध्यम से मुफ्त बिजली दी जाती है, जिससे उनके ऊर्जा खर्च में महत्वपूर्ण कमी आती है।
2. **सरकार के बिजली खर्च में कमी:**
   सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने से सरकार को अनुमानित ₹75,000 करोड़ की वार्षिक बिजली लागत बचत होने का अनुमान है।
3. **नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ता उपयोग:**
   यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने को बढ़ावा देती है, जिससे भारत में अधिक सतत और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा मिश्रण को बढ़ावा मिलता है।
4. **कार्बन उत्सर्जन में कमी:**
   इस योजना के तहत सौर ऊर्जा की ओर बदलाव करने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे भारत के कार्बन फुटप्रिंट को घटाने में मदद मिलेगी।

प्रभाव :

1. **बचत और आय:** घरों को बिजली बिलों पर बचत होगी, और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी होगी।
2. **सौर क्षमता विस्तार:** योजना से 30 GW सौर ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा, जिससे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को मदद मिलेगी।
3. **पर्यावरणीय लाभ:** 25 वर्षों में 1000 बीयू बिजली और 720 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन की बचत होगी।
4. **रोजगार सृजन:** योजना से लगभग 17 लाख नए रोजगार उत्पन्न होंगे।

सौर पैनल और पर्यावरणीय लाभ:

1. **कार्बन उत्सर्जन में कमी:** सौर पैनल बिजली उत्पन्न करते हैं बिना कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़े, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है।
2. **नवीकरणीय ऊर्जा:** सौर पैनल सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करते हैं, जो एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है।
3. **कम कार्बन पदचिह्न:** सौर ऊर्जा का कार्बन पदचिह्न बहुत कम होता है और यह जीवाश्म ईंधनों से ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल है।
4. **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन नहीं:** सौर पैनल ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करते।
5. **न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव:** सौर ऊर्जा का पर्यावरण पर प्रभाव जीवाश्म ईंधनों की तुलना में बहुत कम होता है।
6. **जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में कमी:** सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने में मदद करती है।
7. **पानी की खपत में कमी:** सौर पैनल को काम करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अन्य ऊर्जा स्रोतों को पानी चाहिए।
8. **पानी प्रदूषण में कमी:** सौर ऊर्जा पारंपरिक पावर प्लांट्स की तरह पानी प्रदूषण नहीं करती।
9. **बिजली बिलों में कमी:** सौर ऊर्जा आपके मासिक बिजली बिलों को काफी हद तक घटा सकती है।

आईएनएस तुशिल / INS Tushil

भारतीय नौसेना ने 6 दिसंबर 2024 को अपने नए स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तुशिल (INS Tushil) का क्रेस्ट जारी किया।

9 दिसंबर को इसे इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा.

आईएनएस तुशील: मुख्य बिंदु-

1. परिचय:

- आईएनएस तुशील प्रोजेक्ट 1135.6 का अपग्रेडेड क्रिवाक III क्लास का फ्रिगेट है।
- यह तलवार क्लास और टेग क्लास के जहाजों का अपग्रेडेड संस्करण है।

2. निर्माण और अनुबंध:

- अनुबंध अक्टूबर 2016 में भारतीय नौसेना, भारत सरकार और जेएससी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के बीच हुआ।
- निर्माण की निगरानी भारतीय विशेषज्ञों ने कलिनिनग्राद, रूस में की।

3. तकनीकी विशेषताएं:

- लंबाई: 125 मीटर; वजन: 3900 टन।
- स्टेल्थ और स्थिरता में उन्नत।
- गति: 30 नॉट से अधिक।
- स्वदेशी सामग्री: 26% तक बढ़ाई गई।

4. प्रमुख भारतीय योगदानकर्ता (OEMs):

- ब्रह्मोस एयरोस्पेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, केलट्रॉन, टाटा से नोवा, जॉनसन कंट्रोल्स इंडिया आदि।

5. परीक्षण और ट्रायल्स:

- जहाज ने फैक्टरी सी ट्रायल्स, स्टेट कमेटी ट्रायल्स और डिलीवरी एक्सेप्टेंस ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा किया।
- ट्रायल्स में सभी रूसी उपकरणों और हथियार प्रणालियों का परीक्षण शामिल था।

6. नाम और आदर्श वाक्य:

- नाम 'तुशील' का अर्थ: रक्षक कवच।
- आदर्श वाक्य: 'निर्भय, अभेद्य और बलशील'।

7. समुद्री सेवा और उपयोगिता:

- यह फ्रिगेट पश्चिमी नौसेना कमान के पश्चिमी बेड़े में शामिल होगा।
- दुनिया के सबसे उन्नत फ्रिगेट्स में से एक।

8. भारत-रूस साझेदारी:

- यह जहाज भारत-रूस सहयोग का प्रतीक है।

9. युद्ध क्षमता:

- जहाज अत्याधुनिक तकनीकों और मजबूत प्रहार क्षमताओं के लिए जाना जाता है।
- यह युद्धपोत भारतीय और रूसी विशेषज्ञता का उत्कृष्ट मिश्रण है।

आईएनएस तुशील: हथियार और युद्धक क्षमताएं-

1. मिसाइल सिस्टम:

- 8 इगला-1ई
- 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी-शिप मिसाइल क्लब
- 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी-शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल

2. नेवल गन्स:

- 100 मिमी A-190E नेवल गन
- 76 मिमी ओटो मेलारा नेवल गन

3. क्लोज-इन वेपन सिस्टम (CIWS):

- 2 AK-630 CIWS गन
- 2 काश्तान CIWS गन

4. अन्य हथियार: 2 टॉरपीडो ट्यूब्स (533 मिमी) और रॉकेट लॉन्चर

भारत-रूस रक्षा सहयोग:

1. सहयोग: भारत और रूस के बीच रक्षा साझेदारी दशकों पुरानी है।

- **आईएनएस तुशील** इसका प्रमुख उदाहरण है।

2. 2016 समझौता: इस समझौते के तहत दो फ्रिगेट (आईएनएस तुशील और आईएनएस तमाल) रूस में बनाए जाने को लेकर हुआ था।

- दो और फ्रिगेट भारत के गोवा शिपयार्ड में रूसी तकनीकी सहायता से बनाए जाएंगे।

3. यंतर शिपयार्ड का अनुभव: यंतर शिपयार्ड ने पहले भी भारतीय नौसेना के लिए तीन तलवार क्लास फ्रिगेट बनाए हैं।

- यह भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करने में अनुभवी है।

4. विशेष प्रणालियों का समझौता:

- यह सौदा केवल जहाज निर्माण तक सीमित नहीं है।
- इसमें भारत के लिए 22 विशेष प्रणालियां शामिल हैं, जैसे:
  - संचार उपकरण
  - हथियार प्रणालियां

अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल / Anna Chakra and SCAN Portal

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के आधुनिकीकरण हेतु 'अन्न चक्र' आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण और 'स्कैन' (NFSA के लिए सब्सिडी दावा आवेदन) पोर्टल लॉन्च किया।

अन्न चक्र:

अन्न चक्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित और कुशल बनाने का एक महत्वपूर्ण पहल है। इसे **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग** ने **वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP)** और **आईआईटी-दिल्ली के FITT** के सहयोग से विकसित किया है।

यह परियोजना उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करके खाद्यान्न की आपूर्ति में सुधार लाती है और भारत की 81 करोड़ जनता तक तेज़ व कुशल खाद्य सुरक्षा पहुंच सुनिश्चित करती है।

अन्न चक्र की प्रमुख विशेषताएं:

1. **मार्ग अनुकूलन (Route Optimization):**
   - उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करके कुशल मार्गों की पहचान, जिससे ईंधन, समय, और परिवहन लागत में कमी।
2. **इंटीग्रेशन:**
   - रेलवे के **फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम (FOIS)** और **पीएम गति शक्ति** प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, जो FPS और गोदामों के भौगोलिक स्थान को मैप करता है।
3. **पर्यावरणीय लाभ:**
   - ईंधन खपत में कमी के कारण कार्बन उत्सर्जन कम होना, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता बढ़ती है।
4. **लागत बचत:**
   - अनुमानित वार्षिक बचत ₹250 करोड़ और 58 करोड़ QKM (क्विंटल x किलोमीटर) में कमी।
5. **व्यापक कवरेज:**
   - 4.37 लाख उचित मूल्य की दुकानें और लगभग 6700 गोदाम इस पहल में शामिल।

SCAN पोर्टल: एक परिचय-

SCAN (Subsidy Claim Application for NFSA) पोर्टल, राज्यों द्वारा खाद्य सब्सिडी दावों की एकल विंडो में जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) द्वारा दावों की जांच और स्वीकृति को स्वचालित रूप से संचालित करता है, जिससे सब्सिडी निपटान प्रक्रिया में तेजी आती है।

SCAN पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं:

1. **एकल विंडो सबमिशन (Single-Window Submission)**
   - राज्यों द्वारा दावों की सुव्यवस्थित और सरल तरीके से सबमिशन।
2. **स्वचालित कार्यप्रवाह (Automated Workflow)**
   - दावे की जांच, स्वीकृति और निपटान को नियम-आधारित स्वचालन द्वारा संचालित किया जाता है।
3. **सब्सिडी निपटान में दक्षता (Efficiency in Subsidy Settlement)**
   - वास्तविक समय में निगरानी सक्षम बनाता है और फंड के वितरण में देरी को कम करता है।

PDS प्रणाली की चुनौतियाँ:

1. **अनाज की चोरी**: परिवहन के दौरान अनाज का एक हिस्सा चोरी हो जाता है या काले बाजार में बेच दिया जाता है।
2. **समावेशन और बहिष्करण में त्रुटियाँ**: गैर-योग्य परिवारों को लाभ मिलना और योग्य परिवारों का लाभ से वंचित होना।
3. **FPS में भ्रष्टाचार**: खाद्य पदार्थों का माप कम करना, घटिया सामान बेचना या अधिक कीमत वसूलना।
4. **अपर्याप्त गोदाम सुविधाएँ**: अनाज का खराब होना और बर्बादी।

महापरिनिर्वाण दिवस / Mahaparinirvana day

महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जो भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता और समानता के अधिवक्ता थे।

डॉ. भीमराव अंबेडकर :

1. **जन्म**: 14 अप्रैल 1891, महू, मध्य प्रदेश, भारत।
2. **जन्म स्थान**: महू, मध्य प्रदेश, जो उस समय ब्रिटिश भारत में था।
3. **मृत्यु**: 6 दिसंबर 1956, दिल्ली, भारत।
4. सम्मान: भारत सरकार द्वारा 1990 में 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।
5. महत्वपूर्ण आंदोलन: महाड सत्याग्रह (1927), कलाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह (1930), और धार्मिक और सामाजिक समानता के लिए उनके कई आंदोलनों में भागीदारी।

डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान :

1. **दलित अधिकारों के समर्थक:**
   - जातिवाद और अछूतता के खिलाफ संघर्ष किया।
   - महाड सत्याग्रह (1927) और कलाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह (1930) में दलितों के अधिकारों की रक्षा की।
2. **भारतीय संविधान का निर्माण:**
   - मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान तैयार किया।
   - संविधान में समानता, न्याय और मानवाधिकारों के सिद्धांत समाहित किए।
3. **सामाजिक सुधार:**
   - महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन किए।
   - हिंदू कोड बिल को पारित करने में भूमिका निभाई, जो महिलाओं को संपत्ति और विवाह में अधिकार प्रदान करता था।
4. **श्रमिक अधिकार:**
   - भारतीय श्रमिक पार्टी के संस्थापक सदस्य।
   - औद्योगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, कार्य समय और सामाजिक सुरक्षा की मांग की।

सकल घरेलू उत्पाद / Gross domestic product

मॉर्गन स्टेनली ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर 6.3% कर दिया है। इससे पहले, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ने इसे 6.7% रहने का अनुमान जताया था।

मुख्य बिंदु:

1. **GDP ग्रोथ रेट संशोधन**: मॉर्गन स्टेनली ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.3% कर दिया है।
2. **जुलाई-सितंबर 2024 में GDP ग्रोथ**:
   - भारत की GDP ग्रोथ 5.4% (YoY) रही, जो मार्च 2023 के बाद सबसे निचले स्तर पर है।
   - मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के खराब प्रदर्शन की वजह से GDP में गिरावट दर्ज की गई।
3. **तिमाही तुलना**:
   - Q1FY25 में GDP ग्रोथ 6.7% थी।
   - Q2FY24 में यह 8.1% थी।
   - 2023 की तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 4.3% रही।
4. **GVA ग्रोथ के आंकड़े**:
   - जुलाई-सितंबर 2024 में GVA ग्रोथ 5.6% रही।
   - Q2FY24 में यह 7.7% थी।
   - Q1FY25 में GVA ग्रोथ 6.8%.

GDP और GVA: एक संक्षिप्त परिचय:

1. **GDP (सकल घरेलू उत्पाद)**:
   - GDP किसी देश में एक निर्धारित अवधि के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापती है।
   - इसमें देश की सीमा के अंदर विदेशी कंपनियों द्वारा किया गया उत्पादन भी शामिल होता है।
   - यह देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और विकास को दर्शाती है।
2. **GDP के प्रकार**:
   - **रियल GDP**: वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू बेस ईयर (2011-12) की स्थिर कीमतों पर मापी जाती है।
   - **नॉमिनल GDP**: वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू वर्तमान कीमतों पर मापी जाती है।
3. **GVA (सकल मूल्य वर्धन)**:
   - GVA से अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन और आय का आकलन होता है।
   - यह बताता है कि इनपुट लागत और कच्चे माल की कीमत निकालने के बाद वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध उत्पादन कितना हुआ।
   - GVA से किसी विशेष क्षेत्र, उद्योग, या सेक्टर के योगदान का पता चलता है।

डी-डॉलराइजेशन / De-dollarization

हाल ही में, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत का व्यापार से "डॉलर हटाने" (de-dollarise) की कोई योजना नहीं है।

आरबीआई गवर्नर के संबोधन की प्रमुख बातें-

1. भारत का "डॉलर हटाने" पर रुख:

- भारत का लक्ष्य व्यापार से अमेरिकी डॉलर को हटाना नहीं, बल्कि मुद्रा जोखिम को कम करना है।
- लोकल करेंसी में व्यापार निपटान के लिए वस्ट्रो अकाउंट और द्विपक्षीय समझौतों की अनुमति दी गई है।

2. ब्रिक्स साझा मुद्रा पर चर्चा:

- ब्रिक्स देशों के बीच एक समान मुद्रा की चर्चा प्रारंभिक चरण में है, पर अभी ठोस प्रगति नहीं हुई है।
- आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यूरोपीय संघ में एकल मुद्रा की सफलता भौगोलिक निकटता के कारण संभव हुई, जो ब्रिक्स देशों में नहीं है।

3. अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता:

- अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार में प्रमुख मुद्रा बना हुआ है।
- हालांकि, एक ही मुद्रा पर अत्यधिक निर्भरता मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव से जोखिम बढ़ा सकती है।

डॉलर हटाना (De-dollarization) क्या है?

- **अर्थ:** डीडॉलराइजेशन का मतलब अमेरिकी डॉलर के वैश्विक व्यापार और वित्तीय लेन-देन में प्रभुत्व को कम करना है।
- **उद्देश्य:** अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाकर अन्य स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और भुगतान को बढ़ावा देना।

हाल के रुझान:

- **देशों की पहल:** भारत, ब्राजील, रूस, चीन और इंडोनेशिया जैसे देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं।
- **भारत की पहल:** भारत ने कई देशों, विशेषकर रूस के साथ भारतीय रुपये (INR) में व्यापार चालान की अनुमति दी है।
- **कारण:** रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी डॉलर पर लगाए गए प्रतिबंधों ने मुद्रा पर निर्भरता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

ब्रिक्स की भूमिका:

- **ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 (कज़ान):**
  - ब्रिक्स देशों ने एक साझा मुद्रा बनाने की संभावना पर चर्चा की।
  - यह कदम अमेरिकी डॉलर की वैश्विक शक्ति को चुनौती देने के लिए एक प्रमुख प्रयास हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की ताकत -

1. ऐतिहासिक कारण:

- युद्ध के बाद की स्थिति: प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका युद्ध से अछूता रहा, जिससे डॉलर ने पाउंड स्टर्लिंग की जगह लेना शुरू कर दिया।
- ब्रेटन वुड्स समझौता (1944): द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका मजबूत स्थिति में था। इस समझौते ने अमेरिकी डॉलर को वैश्विक रिजर्व मुद्रा के रूप में स्थापित किया।

2. रिजर्व मुद्रा का दर्जा:

- **केंद्रीय बैंक:** दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी मुद्राओं को स्थिर रखने और अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए अमेरिकी डॉलर का भंडार रखते हैं।
- **वैश्विक मांग:** इससे डॉलर की वैश्विक मांग बनी रहती है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे स्वीकार्य मुद्रा बनाता है।

3. स्थिरता और तरलता:

- **मुद्रा स्थिरता:** अमेरिकी डॉलर को एक स्थिर और आसानी से उपलब्ध मुद्रा माना जाता है, जो वैश्विक आर्थिक संकटों में भी टिकाऊ रहता है।

डॉलर के प्रभुत्व से जुड़ी समस्याएं-

1. आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण:

- **नियंत्रण:** अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व के कारण अमेरिका वैश्विक वित्तीय लेन-देन को नियंत्रित कर सकता है।
- **प्रभाव:** यह प्रतिबंध लगाने और वैश्विक व्यापार नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम बनाता है।

2. व्यापार घाटा:

- **समस्या:** लगातार अमेरिकी व्यापार घाटे के कारण बड़ी मात्रा में डॉलर वैश्विक बाजार में पहुंचते हैं।
- **परिणाम:** ये अतिरिक्त डॉलर अक्सर अमेरिकी संपत्तियों में पुनर्निवेश किए जाते हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक असंतुलन पैदा होता है।

3. अन्य मुद्राओं के लिए चुनौतियां:

- **उदाहरण:** भारत-रूस के रुपये-रूबल व्यापार जैसे प्रयासों को व्यापार असंतुलन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **परिणाम:** एक देश के पास अतिरिक्त मुद्रा इकट्ठा हो जाती है, जिसे वह आसानी से उपयोग नहीं कर सकता।

न्यूनतम समर्थन मूल्य / Minimum Support Price

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पादन लागत से 50% अधिक तय करेगी और किसानों से फसल की खरीद भी सुनिश्चित करेगी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?

अर्थ:

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसलें खरीदती है। इसका उद्देश्य किसानों को फसल कीमतों में अचानक गिरावट से बचाना है।

घोषणा:

यह मूल्य हर फसल बोने के मौसम की शुरुआत में सरकार द्वारा **कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)** की सिफारिशों के आधार पर घोषित किया जाता है।

उद्देश्य:

- किसानों को फसल की उचित कीमत सुनिश्चित करना।
- कृषि उत्पादों में मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
- किसानों को लागत से अधिक मुनाफा प्रदान करना।

एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का इतिहास-

शुरुआत:

- एमएसपी की अवधारणा पहली बार **1966** में प्रस्तावित की गई थी।
- इसका प्रेरणा स्रोत **हरित क्रांति** थी, जिसने भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता को उजागर किया।

लक्ष्य:

- सरकार हर साल प्रमुख कृषि उपज के लिए एमएसपी तय करती है ताकि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके।
- यह प्रणाली **खरीफ और रबी दोनों फसलों** को समान रूप से प्रभावित करती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का महत्व-

1. स्थिर आय सुनिश्चित करना:

- **वित्तीय सुरक्षा:** बाजार में कीमतों की अस्थिरता के खिलाफ किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
- **जोखिम प्रबंधन:** फसल विफलता और कम उत्पादन की स्थिति में भी किसानों की आय सुरक्षित रहती है।

2. सूचित निर्णय लेने में मदद:

- **फसल चयन:** बुवाई के मौसम की शुरुआत में एमएसपी की घोषणा किसानों को यह तय करने में मदद करती है कि उन्हें कौन-सी फसल उगानी चाहिए।
- **आर्थिक लाभ:** किसान अपने खेत के आकार, जलवायु और सिंचाई सुविधाओं के अनुसार अधिक लाभ देने वाली फसल का चुनाव कर सकते हैं।

3. फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन:

- **विविध फसलें:** 1966-67 में गेहूं के लिए शुरू हुई एमएसपी व्यवस्था अब **24 फसलों** तक बढ़ा दी गई है।
- **आय में वृद्धि:** किसानों को अलग-अलग फसलें उगाने और अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

4. लक्षित फसल उत्पादन:

- **खाद्य सुरक्षा:** सरकार कम आपूर्ति वाली खाद्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसपी का उपयोग करती है।
- **उत्पादन वृद्धि:** इससे किसानों को वांछित फसलों की खेती करने की प्रेरणा मिलती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से जुड़ी समस्याएं

1. गैर-आनुपातिक वृद्धि:

- **मूल्य वृद्धि की कमी:**
  - एमएसपी में वृद्धि उत्पादन लागत के साथ समानुपातिक नहीं है।
  - क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, **2014-17** के दौरान एमएसपी में वृद्धि की दर घट गई थी।

2. सीमित पहुंच:

- **लाभ की कमी:**
  - सभी किसान और सभी फसलें इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं।
  - **जागरूकता की कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर **पूर्वोत्तर भारत** में एमएसपी की कमजोर लागू प्रणाली देखी गई है।

3. अधिक भंडारण समस्या:

- पर्याप्त भंडारण सुविधाओं के अभाव में सरकारी गोदामों में अनाज का बड़ा भंडार जमा हो जाता है।
- **पीडीएस और बफर स्टॉक:** यह स्टॉक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और बफर स्टॉक योजनाओं की आवश्यकता से दोगुना हो चुका है।

4. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा:

- एमएसपी में वृद्धि से भारतीय कृषि उत्पाद महंगे हो जाते हैं, जिससे **वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा** कम हो जाती है।

5. आर्थिक दबाव:

- चावल और गेहूं की **असीमित खरीद** बाजार मूल्य से काफी अधिक दरों पर की जाती है, जिससे सरकारी वित्तीय बोझ बढ़ता है।

कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना / Digital Public Infrastructure (DPI) for Agriculture

सितंबर 2024 में घोषित **डिजिटल कृषि मिशन** के तहत, गुजरात **किसान आईडी** बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया, जहां लक्षित किसानों में से 25% को यह आईडी जारी की गई है।

डिजिटल कृषि मिशन:

डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य **क्लाउड कंप्यूटिंग**, **रिमोट सेंसिंग**, **डेटा एनालिटिक्स**, और **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग** जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके **कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स** को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु:

1. वित्तीय प्रावधान:

- **कुल बजट:** ₹2817 करोड़
- **केंद्र का हिस्सा:** ₹1940 करोड़

2. मिशन के उद्देश्य:

- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर** बनाना।
- **डिजिटल फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES)** लागू करना।
- **आईटी पहलों** को बढ़ावा देना, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ-साथ शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की भागीदारी शामिल है।

3. लाभ:

- **किसानों की डिजिटल पहचान (किसान आईडी)** बनाई जाएगी।
- **सटीक फसल अनुमान** और **बेहतर कृषि नीतियों** का निर्माण होगा।
- **तकनीकी नवाचार:** उन्नत तकनीकों के उपयोग से कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि होगी

डिजिटल फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES):

- एक तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, जो **सटीक कृषि उत्पादन अनुमान** प्रदान करेगा।

लाभ:

- किसानों को विभिन्न सेवाओं तक **डिजिटल पहुंच**।
- **सटीक कृषि नीतियों** और निर्णयों के लिए डेटा-आधारित दृष्टिकोण।
- **टेक्नोलॉजी-संचालित समाधान**, जो किसानों की आय और उत्पादकता में सुधार करेंगे।

कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI): एक परिचय

क्या है DPI?

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का उद्देश्य किसानों की सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करना है, जिसमें उनके **जनसांख्यिकीय विवरण**, **भूमि स्वामित्व**, और **बोई गई फसलें** शामिल हैं।

यह प्रणाली किसानों और बटाईदारों दोनों को कवर करेगी, जो संबंधित राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार शामिल किए जाएंगे।

मुख्य सिद्धांत:

1. **इंटरऑपरेबिलिटी:**
   - केंद्रीय और राज्य सरकार के प्लेटफार्मों के साथ निर्बाध समाकलन।
2. **ओपन स्टैंडर्ड:**
   - सभी के लिए सुलभ और उपयोग में आसान प्रणाली।
3. **विस्तारशीलता (Scalability):**
   - पूरे देश के किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन।
4. **मजबूत शासन:**
   - डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय ढांचा।

डीपीआई के तीन मुख्य घटक:

1. **एग्रीस्टैक (AgriStack):**
   - किसानों की जानकारी और सेवाओं तक पहुंच के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म।
2. **कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली (Krishi DSS):**
   - सटीक और त्वरित कृषि निर्णयों के लिए डेटा-आधारित समाधान।
3. **मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्र (Soil Profile Maps):**
   - मिट्टी की गुणवत्ता और फसल उगाने की क्षमता का आकलन।

Genetic heritage of the Nicobarese

लगभग 25,000 की आबादी वाली निकोबारी जनजाति का दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के ऑस्ट्रोएशियाटिक जनजातियों से प्राचीन संबंध माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार, वे इस क्षेत्र में लगभग 5,000 साल पहले आकर बसे होंगे।

निकोबारी जनजाति:

1. ऑस्ट्रोएशियाटिक संबंध:

- अध्ययन से पता चला कि **निकोबारी जनजाति** का **ऑस्ट्रोएशियाटिक समुदाय** के मुख्यलैंड **दक्षिण-पूर्व एशिया** की **'हटिन मल' जनजाति** से **आनुवंशिक संबंध** है।
- हालांकि, **हटिन मल समुदाय** अपनी **सांस्कृतिक पहचान** को बनाए रखते हुए **निकोबारी जनजाति से आनुवंशिक रूप से अलग** दिखता है।

2. प्रवासन का समय:

- **पहले के सिद्धांत:**
  - पहले माना जाता था कि **निकोबारी भाषा के पूर्वज लगभग 11,700 साल पहले** (होलोसीन काल) इस क्षेत्र में आए थे।
- **नई खोज:**
  - नवीनतम अध्ययन के अनुसार, **निकोबारी जनजाति का प्रवासन लगभग 4,500 से 5,000 साल पहले** हुआ था।

आनुवंशिक विविधता और अलगाव:

- निकोबारी जनजाति के **आनुवंशिक चिह्न** यह दर्शाते हैं कि **लंबे समय तक द्वीपों पर अलग-थलग रहने** के कारण इनकी **विशिष्ट जैविक पहचान** विकसित हुई है।

यह अध्ययन **इतिहास, मानवविज्ञान**, और **आनुवंशिकी** के क्षेत्र में **महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि** प्रदान करता है, जो **द्वीपीय समुदायों के प्राचीन प्रवास और उनके सांस्कृतिक विकास** को बेहतर ढंग से समझने में सहायक है।

हटिन मल समुदाय:

- **स्थान:** हटिन मल समुदाय मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के मुख्य भू-भाग में रहता है।
- **भाषाई पहचान:** ये ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार की खमुइक शाखा की भाषा बोलते हैं, जो निकोबारी जनजाति से उनके भाषाई संबंध को दर्शाता है।
- **जातीय विशिष्टता:** हालांकि आनुवंशिक समानता के बावजूद, हटिन मल समुदाय ने अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान और आनुवंशिक विविधता बनाए रखी है।
- **महत्व:** यह समुदाय मानवविज्ञानियों और आनुवंशिकीविदों के लिए महत्वपूर्ण शोध का विषय है, क्योंकि यह प्राचीन प्रवासन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को समझने में अहम भूमिका निभाता है।

निकोबार द्वीपसमूह:

स्थान और भौगोलिक स्थिति:

- निकोबार द्वीपसमूह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के दक्षिणी भाग में स्थित है।
- यह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच स्थित है।
- इसका कुल क्षेत्रफल **लगभग 1,841 वर्ग किलोमीटर** है।

प्रशासनिक विभाजन:

- निकोबार द्वीपसमूह में कुल **22 द्वीप** हैं, जिनमें से प्रमुख हैं: **ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कार निकोबार, नानकोरी, और कैमोर्टा।**
- इसका प्रशासनिक मुख्यालय **कार निकोबार** में स्थित है।

जनसंख्या:

- **2011 की जनगणना** के अनुसार, निकोबार द्वीपसमूह की कुल जनसंख्या **36,842** थी।
- यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं: **निकोबारी और शोम्पेन**, जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती हैं।

भाषा और संस्कृति:

- स्थानीय भाषा **निकोबारी** है। हिंदी और अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज में उपयोग की जाती हैं।
- यहाँ की संस्कृति मुख्य रूप से आदिवासी परंपराओं पर आधारित है, जिसमें लोक नृत्य और त्योहार महत्वपूर्ण हैं।

प्राकृतिक संसाधन और वनस्पति:

- द्वीपसमूह में **सघन वर्षा वन, मैंग्रोव** और **नारियल के बागान** पाए जाते हैं।
- यह क्षेत्र **जैव विविधता हॉटस्पॉट** है और यहाँ कई दुर्लभ जीव-जंतु और पक्षी पाए जाते हैं।
- **ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व** को **यूनेस्को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व** में शामिल किया गया है।

सीरिया / Syria

सीरिया में गृहयुद्ध के बीच विद्रोहियों ने अलेप्पो सहित कई इलाकों पर अपना नियंत्रण कर लिया है। बढ़ते संघर्ष के बीच राष्ट्रपति बशर अल-असद देश छोड़कर भाग चुके हैं, जिससे देश की राजनीतिक स्थिति और अस्थिर हो गई है।

सीरिया में युद्ध का नया चरण:

1. अचानक हमला:

- **हमला शुरू:** सीरिया की "सैन्य विपक्ष कमान" ने राष्ट्रपति बशर अल-असद की सेना पर बड़ा हमला किया।
- **लड़ाई के मुख्य क्षेत्र:** इदलिब, अलेप्पो और हामा।
- **मुख्य उपलब्धि:** विद्रोहियों ने अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शहर को अपने नियंत्रण में कर लिया।

2. असद सरकार की प्रतिक्रिया:

- **सहयोगी देशों का समर्थन:**
  - **रूस और ईरान:** असद सरकार के लिए समर्थन का वादा किया।
  - **हवाई हमले:** सीरियाई और रूसी विमानों ने विद्रोहियों के क जे वाले क्षेत्रों पर हवाई हमले किए।

3. वर्तमान हमले का महत्व:

(a) विद्रोहियों की सबसे बड़ी कार्रवाई:

- हाल के वर्षों में यह सीरियाई विद्रोहियों की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई है।
- **असद की रणनीति:** 2016 में अलेप्पो में रूसी समर्थन से विद्रोह को कुचलने वाली रणनीति दोबारा अपनाई जा रही है।

(b) असद सरकार की कमजोरी:

- **सहयोगियों की व्यस्तता:**
  - **ईरान और हिज़बुल्ला:** अन्य संघर्षों में उलझे हुए।
  - **इज़राइल की कार्रवाई:** अमेरिका समर्थित इज़राइल हिज़बुल्ला को लेबनान में निशाना बना रहा है।
  - **रूस की स्थिति:** रूस 2022 से यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है।

4. क्षेत्रीय अस्थिरता जारी:

- **युद्धविराम उल्लंघन:**
  - 27 नवंबर को इज़राइल और लेबनान के बीच अस्थायी युद्धविराम के बावजूद संघर्ष जारी।
  - **इज़राइल की हवाई हमले:** इज़राइली डिफेंस फोर्स (IDF) ने दक्षिणी लेबनान में हिज़बुल्ला के ठिकानों पर दो हवाई हमले किए।
  - यह हमला मध्य पूर्व में अस्थिरता को और बढ़ा सकता है, जिससे क्षेत्र में शांति की संभावना कमजोर हो रही है।

सीरियाई गृह युद्ध: एक संक्षिप्त विवरण

युद्ध का इतिहास:

- **शुरुआत:** 2011 में राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन।
- **कारण:**
  - राजनीतिक आज़ादी की कमी।
  - बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार।
  - सरकार की दमनकारी नीति।
- **परिणाम:**
  - विरोध बढ़ने पर लोगों ने हथियार उठा लिए।
  - विभिन्न विद्रोही समूह और विदेशी शक्तियां शामिल हुईं।
  - इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन भी सक्रिय हुए।

युद्ध के प्रमुख कारण:

1. **राजनीतिक दमन:** असद सरकार की सख्त नीतियां।
2. **आर्थिक समस्याएं:** बेरोजगारी और गरीबी।
3. **सांप्रदायिक तनाव:** विभिन्न समुदायों के बीच ऐतिहासिक विभाजन।
4. **विदेशी हस्तक्षेप:** बाहरी शक्तियों का समर्थन और रणनीतिक संघर्ष।
5. **आतंकवादी संगठनों का उदय:** इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा की सक्रियता।

मुख्य खिलाड़ी:

- **सीरियाई सरकार:** राष्ट्रपति असद के नेतृत्व में।
- **विपक्षी समूह:** उदारवादी से लेकर कट्टरपंथी विद्रोही।
- **आतंकवादी संगठन:** ISIS और अल-कायदा से जुड़े समूह।
- **कुर्द बल:** स्वायत्तता की मांग करने वाले।
- **विदेशी शक्तियां:** रूस, ईरान, तुर्की और खाड़ी देश।

युद्ध का प्रभाव:

1. **आर्थिक संकट:**
   - GDP में 50% से अधिक की गिरावट।
   - मुद्रा अवमूल्यन और महंगाई में बढ़ोतरी।
2. **सामाजिक और मानवीय प्रभाव:**
   - 3 लाख से अधिक लोगों की मौत।
   - लाखों शरणार्थी विस्थापित।
   - 80% बच्चों पर गहरा प्रभाव।
3. **बुनियादी ढांचे का नुकसान:**
   - सड़कें, स्कूल, बिजली और पानी की आपूर्ति बर्बाद।
   - पुनर्निर्माण में दशकों लग सकते हैं।

वैश्विक प्लास्टिक संधि / Global plastics treaty

दक्षिण कोरिया के बुसान में संयुक्त राष्ट्र (UN) की **5वीं अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5)** की बैठक में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर आम सहमति नहीं बन सकी।

- ✓ यह पहल **2022 की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा** के उस समझौते के तहत शुरू हुई थी, जिसमें 2024 के अंत तक संधि को अंतिम रूप देने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन बातचीत से कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका।

प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने की पृष्ठभूमि-

1. प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने का प्रस्ताव:

- **साल:** 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) ने **"प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने"** का प्रस्ताव पारित किया।

2. अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) की स्थापना:

- **उद्देश्य:** एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि तैयार करना।
- **कार्य:**
  - प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग और निपटान को नियंत्रित करना।
  - सभी देशों के लिए नियम तय करना।

3. वैश्विक प्लास्टिक संधि:

- **समझौता:** 2022 में 175 देशों ने सहमति व्यक्त की।
- **लक्ष्य:**
  - 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर एक कानूनी संधि तैयार करना।
  - प्लास्टिक उत्पादन, उपयोग और निपटान से होने वाले ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करना।

वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता क्यों विफल रही?

स्थान: दक्षिण कोरिया के बुसान में **5वीं अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5)** बैठक।

मुख्य कारण:

1. प्लास्टिक उत्पादन पर सीमा निर्धारण:

- **विवाद का कारण:**
  - **विरोध:** सऊदी अरब और भारत जैसे देश, जिनकी अर्थव्यवस्था पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक उत्पादन पर निर्भर है, प्लास्टिक उत्पादन सीमित करने के खिलाफ हैं।
  - **समर्थन:** नॉर्वे, रवांडा और यूरोपीय संघ जैसे 66 देशों का समूह उत्पादन पर सीमा तय करने की मांग कर रहा है।

2. विकास संबंधी चिंताएँ:

- **भारत की स्थिति:**
  - भारत का मानना है कि प्लास्टिक उत्पादन पर किसी भी तरह की सीमा उसके **विकास के अधिकार** को प्रभावित करेगी।
  - भारत के अनुसार, कोई भी संधि **राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों** को कमजोर नहीं करनी चाहिए।

3. अनुचित लक्ष्य:

- **प्रस्तावित लक्ष्य:**
  - 2040 तक **सिंगल-यूज़ प्लास्टिक खत्म करना।**
  - **खतरनाक रसायनों पर प्रतिबंध:** जैसे DEHP, DBP, BBP और DIBP।
  - भारत ने इन्हें अस्वीकार करते हुए कहा कि ये **राष्ट्रीय विकास** को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

4. संधि की सीमाओं पर असहमति:

- **समग्र दृष्टिकोण:**
  - कुछ देश **प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र** (उत्पादन, खपत, कचरा प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रभाव) को शामिल करना चाहते थे।
- **विरोध:**
  - कुवैत जैसे देशों ने इसे **व्यापार प्रतिबंध और आर्थिक एजेंडे** का बहाना करार दिया और केवल **प्लास्टिक कचरा प्रबंधन** पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की।

5. पर्यावरणीय चेतावनी:

- UNEP ने **तत्काल कार्रवाई** की आवश्यकता पर जोर दिया।
- प्लास्टिक कचरे से **महासागर और पारिस्थितिकी तंत्र** गंभीर खतरे में हैं।
- **चेतावनी:** वार्ता लंबी खिंचने से पर्यावरण को **अप्रत्यक्ष नुकसान** हो सकता है।

वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता-

1. **प्लास्टिक पर बढ़ती निर्भरता:**
   - 2000 में 234 मिलियन टन से 2019 में 460 मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन।
   - 2040 तक 700 मिलियन टन होने का अनुमान।
2. **पर्यावरणीय संकट:** प्लास्टिक के विघटन में 20-500 साल लगते हैं।
   - केवल 10% प्लास्टिक रिसाइकल होता है, शेष कचरा महासागरों में जाता है।
3. **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** प्लास्टिक में रसायन **कैंसर, मधुमेह, प्रजनन और तंत्रिका संबंधी विकार** उत्पन्न कर सकते हैं।
4. **जलवायु परिवर्तन:** 2020 में **वैश्विक उत्सर्जन का 3.6%** प्लास्टिक से।
   - 2050 तक यह **20%** तक बढ़ सकता है।
5. **भारत का योगदान:**
   - भारत **9.3 मिलियन टन** वार्षिक प्लास्टिक उत्सर्जन के साथ सबसे बड़ा प्रदूषक है।
   - चीन, नाइजीरिया और इंडोनेशिया से भी आगे।

इंदिरा गांधी पुरस्कार / Indira Gandhi Award

मिशेल बैचलेट को **2024 इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार** मानवाधिकारों में योगदान के लिए मिला।

मुख्य बिंदु:

- **पुरस्कार प्राप्तकर्ता:** मिशेल बैचलेट (चिली की पूर्व राष्ट्रपति)
- **पुरस्कार का नाम:** 2024 इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार
- **प्रदान करने वाला:** इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट
- **निर्णायक मंडल अध्यक्ष:** शिवशंकर मेनन
- **पुरस्कार का कारण:** मानवाधिकार और समानता में उत्कृष्ट योगदान

इंदिरा गांधी पुरस्कार:

- **स्थापना वर्ष:** 1986
- **पुरस्कार का उद्देश्य:** अंतरराष्ट्रीय शांति और विकास को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करना
- **इनाम राशि:** 25 लाख रुपये
- **साथ में मिलने वाली सामग्री:** प्रशस्तिपत्र (Citation)
- **पुरस्कार का आयोजन:** **इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट** द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है

मिशेल बैचलेट:

- **राष्ट्रपति पद:**
  - चिली की राष्ट्रपति **2006-2010** और **2014-2018** तक।
  - शिक्षा और कराधान में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया।
  - भारत और चिली के बीच मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **मानवाधिकार में योगदान:**
  - **UN महिला संगठन (UN Women)** की पहली निदेशक (2010-2013).
  - **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त** (2018-2022) के रूप में कार्य किया।
  - महिलाओं, LGBTQ समुदाय और वैश्विक मानवाधिकारों के लिए प्रभावी रूप से काम किया।

नवोदय विद्यालय / Navodaya School

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली **कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति** ने देश के **28 नए जिलों** में **नवोदय विद्यालयों (NVs)** की स्थापना को **नवोदय विद्यालय योजना (केंद्रीय क्षेत्र योजना)** के तहत मंजूरी दी है।

नवोदय विद्यालय योजना:

1. परिचय:

- **नवोदय विद्यालय** आवासीय सह-शैक्षिक स्कूल हैं, जो **कक्षा 6 से 12** तक **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** प्रदान करते हैं।
- यह योजना **ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों** के लिए बनाई गई है, ताकि **आर्थिक स्थिति** के बिना किसी भेदभाव के उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके।

2. प्रवेश प्रक्रिया:

- **कक्षा 6** में प्रवेश **चयन परीक्षा (Selection Test)** के माध्यम से होता है।
- हर साल करीब **49,640 छात्र** प्रवेश पाते हैं।

3. वर्तमान स्थिति:

- **661 नवोदय विद्यालय** स्वीकृत हैं, जिनमें से **653 विद्यालय** वर्तमान में संचालित हो रहे हैं।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** के तहत, कई विद्यालयों को **पीएम श्री स्कूलों** के रूप में नामित किया गया है, ताकि वे अन्य स्कूलों के लिए **आदर्श मॉडल** बन सकें।

4. सामाजिक भागीदारी:

- **छात्र नामांकन:**
  - **लड़कियाँ:** 42%
  - **अनुसूचित जाति (SC):** 24%
  - **अनुसूचित जनजाति (ST):** 20%
  - **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC):** 39%

5. महत्व:

- **स्थायी रोजगार:** 1,316 लोगों को स्थायी नौकरियाँ मिलेंगी।
- **स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** निर्माण के दौरान **कुशल और अकुशल श्रमिकों** को काम मिलेगा।
- **व्यवसाय अवसर:** **स्थानीय विक्रेता** और **सेवा प्रदाता** जैसे **खाद्य आपूर्ति, फर्नीचर, और अन्य आवश्यक वस्तुएं** बेचने वाले लाभान्वित होंगे।

साइनोबैक्टीरिया / Cyanobacteria

2020 में बोत्सवाना में लगभग 350 हाथियों की अचानक मौत का कारण साइनोबैक्टीरिया से दूषित पानी को माना गया, जिसने जहरीले साइनोटॉक्सिन्स छोड़े।

- साइनोबैक्टीरिया नामक सूक्ष्म जीवों ने पानी में विषैले साइनोटॉक्सिन्स छोड़े, जिससे हाथियों के पीने के जल स्रोत दूषित हो गए।

साइनोबैक्टीरिया क्या है?

साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीला-हरा शैवाल भी कहा जाता है, एक सूक्ष्म जीव है जो झील, नदी और तालाब जैसे जल स्रोतों में पाया जाता है। इनमें से कुछ प्रकार हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन (HABs) उत्पन्न करते हैं, जो साइनोटॉक्सिन्स नामक जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं।

यह हाथियों को कैसे नुकसान पहुँचाता है?

1. **जल स्रोतों का दूषित होना:** साइनोबैक्टीरिया के हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन (HABs) पानी को जहरीला बना देते हैं।
2. **पानी पीने से विषाक्तता:** जब हाथी ऐसे दूषित पानी को पीते हैं, तो उनके शरीर में साइनोटॉक्सिन्स प्रवेश कर जाते हैं।
3. **मौत का खतरा:** विषाक्तता के कारण हाथियों के अंग प्रभावित होते हैं, जिससे गंभीर बीमारी या मौत हो सकती है।
4. **पर्यावरणीय कारक:** तापमान में अचानक वृद्धि, पानी में पोषक तत्वों का बढ़ना और लवणता (खारापन) जैसे कारक साइनोटॉक्सिन्स के उत्पादन को बढ़ाते हैं।

2020 में हाथियों की मौत की खोज:

मुख्य बिंदु:

1. **हवाई सर्वेक्षण:**
   - संरक्षण संगठन "एलीफेंट्स विदाउट बॉर्डर्स" ने उत्तरी बोत्सवाना के न्गामिलैंड जिले में हवाई सर्वेक्षण किया।
   - इस सर्वेक्षण में हेलीकॉप्टर से जमीन पर फैले कई हाथियों के शव देखे गए।
2. **मौत के आँकड़े:**
   - 161 हाथियों के शव और 222 कंकाल पाए गए।
   - 2,682 जीवित हाथी भी पूर्वी ओकावांगो पैनहैंडल क्षेत्र में देखे गए।
3. **अचानक मौत का संकेत:**
   - मृत हाथियों के बीच की दूरी यह दर्शाती है कि मौतें धीरे-धीरे नहीं, बल्कि अचानक हुई थीं।
   - शोधकर्ताओं ने शवों के एक साथ पाए जाने को "अचानक और सीमित प्रसार" का संकेत माना।

साइनोबैक्टीरिया के हानिकारक प्रभाव:

सभी शैवाल प्रस्फुटन (blooms) हानिकारक नहीं होते, लेकिन कुछ प्रकार के साइनोबैक्टीरिया साइनोटॉक्सिन्स नामक जहरीले पदार्थ उत्पन्न कर सकते हैं। इनके प्रभाव निम्नलिखित हैं:

प्रभावित प्राणी:

- **पालतू जानवर:** गंभीर बीमारियों या मृत्यु का खतरा।
- **पशुधन और वन्यजीव:** जहरीले पानी के सेवन से मौत या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं।

मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- **बीमारी:** दूषित पानी के संपर्क या सेवन से इंसानों में बीमारियाँ हो सकती हैं।
- **त्वचा और शारीरिक जलन:** संवेदनशील व्यक्तियों में लाल, उभरे हुए चकत्ते, त्वचा में खुजली, कान और आँखों में जलन हो सकती है।

हाथियों की मौत का कारण कैसे पता चला?

शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकालने से पहले कई संभावित कारणों की जांच की और उन्हें एक-एक करके खारिज किया।

1. अन्य कारणों को खारिज करना:

- **शिकार (Poaching):**
  - शिकार को खारिज कर दिया गया क्योंकि हाथियों के शव उनके दाँतों के साथ पाए गए, जो शिकारियों के द्वारा हटा लिए जाते।
- **बीमारियाँ:**
  - एन्सेफालोमायोकार्डिटिस वायरस, एंथ्रेक्स और अन्य बैक्टीरियल संक्रमणों को कोई बीमारी के लक्षण न मिलने के कारण खारिज कर दिया गया।

2. स्थानिक पैटर्न का विश्लेषण:

- **शवों का वितरण:**
  - हाथियों के शव एक विशेष क्षेत्र में केंद्रित पाए गए, जिससे पता चला कि मौत का कारण किसी स्थानीय पर्यावरणीय कारक से जुड़ा था, न कि किसी बड़े संक्रामक रोग से।

3. पर्यावरण और जल गुणवत्ता की जांच:

- **दूरी का विश्लेषण:**
  - उपग्रह तस्वीरों से पता चला कि हाथियों ने दूषित पानी पीने के बाद औसतन 16.5 किमी की दूरी तय की।
- **मौत का समय:**
  - हाथी दूषित पानी पीने के लगभग 88 घंटे बाद मरे, जो कि अन्य बड़े स्तनधारियों में साइनोटॉक्सिन्स विषाक्तता की ज्ञात समयावधि से मेल खाता है।

4. पूर्व शोध और विशेषज्ञता:

- शोधकर्ता डेविड लोमियो के अफ्रीका में जल गुणवत्ता और सामूहिक मृत्यु घटनाओं पर पिछले शोध ने जल स्रोत के दूषित होने की संभावना को और मजबूत किया। उन्होंने महामारी विज्ञान में उपयोग की जाने वाली भू-स्थानिक और गणनात्मक डेटा विज्ञान तकनीकों को लागू करके इस घटना की जांच की।

नाटो / NATO

हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार में नाटो से बाहर निकलने की संभावना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पद ग्रहण के बाद इस पर गंभीरता से विचार करेंगे।

मुख्य कारण:

1. **आर्थिक असंतुलन:**
   - ट्रंप का मानना है कि नाटो के सदस्य देश, विशेष रूप से यूरोपीय राष्ट्र, व्यापारिक मामलों में अमेरिका के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर रहे हैं।
   - अमेरिका से वाहन और खाद्य उत्पादों जैसे कई प्रमुख वस्तुओं का आयात यूरोपीय देशों द्वारा सीमित है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ता है।
   - अमेरिका का मानना है कि व्यापार और सुरक्षा सहयोग दोनों में संतुलन आवश्यक है।
2. **सुरक्षा खर्च का भार:**
   - अमेरिका नाटो का प्रमुख सैन्य और वित्तीय सहयोगी है, जो संगठन की सुरक्षा संरचना को मजबूत बनाए रखने के लिए अरबों डॉलर खर्च करता है।
   - कई सदस्य देश अपनी रक्षा पर न्यूनतम खर्च करते हैं, जबकि अमेरिका नाटो की रक्षा गतिविधियों का मुख्य भार वहन करता है।
   - ट्रंप का तर्क है कि सदस्य देशों को अपनी रक्षा बजट को बढ़ाना चाहिए ताकि सुरक्षा जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो सके।
3. **भुगतान की मांग:**
   - ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नाटो के सदस्य देशों को अपनी रक्षा पर कम से कम 3% जीडीपी खर्च करना चाहिए।
   - कुछ देशों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं, जैसे कि पोलैंड ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 4.7% जीडीपी कर दिया है, जो नाटो में सबसे अधिक है।
   - अमेरिका का मानना है कि यदि सभी देश अपनी हिस्सेदारी समय पर चुकाते हैं, तो संगठन की सामरिक ताकत बढ़ सकती है।
4. **रणनीतिक पुनर्विचार:**
   - यदि नाटो के सदस्य देश आर्थिक और सैन्य सहयोग में निष्पक्षता नहीं दिखाते हैं, तो अमेरिका संगठन से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर सकता है।
   - ट्रंप का मानना है कि समान भागीदारी और सहयोग के बिना नाटो की सुरक्षा प्रणाली को बनाए रखना व्यावहारिक नहीं होगा।

नाटो में रक्षा खर्च: योगदानकर्ता-:

संयुक्त राज्य अमेरिका नाटो में रक्षा खर्च के मामले में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जो नाटो देशों के वार्षिक रक्षा खर्च का लगभग **दो-तिहाई** हिस्सा है। अमेरिका का रक्षा खर्च नाटो के बाकी देशों के कुल खर्च से अधिक है।

रक्षा खर्च (2024):

- **कुल रक्षा खर्च (यूरोपीय नाटो सदस्य): $380 अरब** (संयुक्त GDP का 2%)
- **संयुक्त राज्य अमेरिका: $967 अरब** (नाटो रक्षा खर्च का दो-तिहाई), GDP का **3.4%**
- **जर्मनी: $97.7 अरब**
- **यूनाइटेड किंगडम: $82.1 अरब**
- **फ्रांस: $64.3 अरब**
- **पोलैंड: $34.9 अरब**

नाटो (NATO) क्या है?

पूरा नाम: North Atlantic Treaty Organisation (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन)

स्थापना: 4 अप्रैल 1949

मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम

नाटो के स्थापना के उद्देश्य:

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो का गठन शांति बनाए रखने और अपने सदस्य देशों की रक्षा के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना और राजनीतिक और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है।

स्थापना करने वाले देश:

नाटो की स्थापना 12 देशों ने मिलकर की थी: **बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।**

मुख्य सिद्धांत:

अनुच्छेद 5: यदि किसी सदस्य देश पर हमला होता है, तो इसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। यह सिद्धांत **सामूहिक रक्षा (Collective Defense)** कहलाता है।

अनुच्छेद 51 (यूएन चार्टर): यह व्यक्तिगत और सामूहिक सुरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है।

नाटो का कामकाज:

1. **राजनीतिक निर्णय:**
   - **North Atlantic Council (उत्तरी अटलांटिक परिषद):** यह नाटो की मुख्य राजनीतिक निर्णय लेने वाली संस्था है।
2. **सैन्य संरचना:**
   - **सैन्य कमांड:** सामरिक और क्षेत्रीय कमांड से मिलकर बना है।
   - **संयुक्त सैन्य बल:** सदस्य देश अपनी सेना, उपकरण और संसाधनों को नाटो कमांड के तहत संचालित करते हैं।
3. **वित्तीय सहयोग:**
   - सभी सदस्य देश अपनी **सकल राष्ट्रीय आय (GNI)** के आधार पर संगठन के खर्चों में योगदान करते हैं।

सार्क का 40वां चार्टर दिवस / 40th Charter Day of SAARC

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) चार्टर पर हस्ताक्षर की **40वीं वर्षगांठ** 8 दिसंबर को मनाई गई। यह चार्टर **8 दिसंबर 1985** को **ढाका में पहले शिखर सम्मेलन** में हस्ताक्षरित हुआ था।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)

परिचय:

- **सार्क (SAARC)** दक्षिण एशिया के देशों के बीच **क्षेत्रीय सहयोग** को बढ़ावा देने के लिए एक **आंतर्राष्ट्रीय संगठन** है।
- इसकी स्थापना **8 दिसंबर 1985** को **ढाका, बांग्लादेश** में हुई थी।

स्थापना:

- **प्रस्तावना:** 1980 में **बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान** ने **क्षेत्रीय सहयोग** का प्रस्ताव रखा।
- **पहले सदस्य:** **7 संस्थापक सदस्य** देश - **बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका**।
- **आठवां सदस्य:** **अफगानिस्तान** 2007 में संगठन में शामिल हुआ।

उद्देश्य:

1. **क्षेत्रीय कल्याण:** दक्षिण एशिया के लोगों का **कल्याण** और **जीवन स्तर सुधारना**।
2. **आर्थिक और सामाजिक विकास:** **आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, और सांस्कृतिक विकास** को बढ़ावा देना।
3. **आपसी सहयोग:** **विज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था, समाज, और संस्कृति** जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना।
4. **आत्मनिर्भरता:** सदस्य देशों के बीच **आत्मनिर्भरता और विश्वास** को मजबूत करना।
5. **वैश्विक सहयोग:** **विकासशील देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों** के साथ **सहयोग** करना।

मुख्य सिद्धांत:

- **समानता और संप्रभुता** का सम्मान।
- **क्षेत्रीय अखंडता** और **आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप**।
- **सर्वसम्मति** के आधार पर निर्णय लेना।

महत्व:

- **क्षेत्रीय क्षेत्रफल:** विश्व का **3% क्षेत्रफल**।
- **जनसंख्या:** **21% वैश्विक जनसंख्या**।
- **वैश्विक अर्थव्यवस्था:** **5.21% (4.47 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर)** का योगदान (2021 के अनुसार)।

सहयोग के मुख्य क्षेत्र:

1. **व्यापार और वाणिज्य:**
   - **दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA):** 2006 से लागू, **शुल्क दरों में कमी** और **मुक्त व्यापार** को बढ़ावा देता है।
2. **सेवा क्षेत्र का व्यापार (SATIS):**
   - 2012 में लागू, **सेवा क्षेत्र के व्यापार** को उदार बनाने और **आंतरिक निवेश** को बढ़ावा देने के लिए समझौता।

सार्क की उपलब्धियां:

- **मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA):** सदस्य देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और व्यापार घाटा कम करने के लिए स्थापित।
- **SAPTA (1995):** दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता।
- **SAFTA (2006):** वस्तुओं के लिए शुल्कों को समाप्त करने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौता।
- **SATIS:** सेवा क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता।
- **सार्क विश्वविद्यालय:** भारत में स्थापित एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान।

भारत के लिए सार्क का महत्व:

- **पड़ोसी प्रथम नीति:** भारत के निकटवर्ती देशों को प्राथमिकता।
- **भू-राजनीतिक महत्व:** नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों के साथ विकास और सहयोग से चीन के प्रभाव को कम कर सकता है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** आपसी विश्वास और शांति स्थापित करने में सहायक।
- **वैश्विक नेतृत्व:** भारत को क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका निभाने का मंच प्रदान करता है।
- **एक्ट ईस्ट नीति:** दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़कर भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देता है।

विदेशी मुद्रा भंडार / foreign exchange reserves

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में नौ सप्ताह बाद महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। 9 नवंबर को भंडार 1.51 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 658.09 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पहले, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट के कारण यह पांच महीने के निचले स्तर पर आ गया था। इस वृद्धि को देश की आर्थिक स्थिरता और विदेशी निवेशकों के विश्वास के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के कारक:

1. विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (FCAs) में वृद्धि:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साप्ताहिक सांख्यिकीय परिशिष्ट के अनुसार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में $2.06 बिलियन की वृद्धि हुई, जिससे यह $568.85 बिलियन हो गई।

2. निवेश में वृद्धि:

- 2013 के बाद से भारत ने बेहतर आर्थिक स्थितियों के कारण विदेशी निवेश आकर्षित करके अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया है।

3. विदेशी पूंजी प्रवाह:

- 2024 में विदेशी पूंजी प्रवाह $30 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें स्थानीय ऋण निवेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे जे.पी. मॉर्गन इंडेक्स में शामिल किया गया है।

4. RBI के हस्तक्षेप:

- RBI ने $4.8 बिलियन के डॉलर खरीदे और $7.8 बिलियन का लाभ अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की यील्ड, डॉलर की मजबूती और सोने की बढ़ती कीमतों से हुआ।

5. बाजार स्थिरता:

- पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार ने रुपये की विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने में मदद की, जिससे RBI को आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप करने की शक्ति मिली।

6. विनिमय दर नियंत्रण:

- RBI ने उभरते बाजारों की मुद्राओं में रुपये की स्थिरता को बनाए रखा है, जिससे मुद्रा में अस्थिरता कम हुई है।

7. व्यापार घाटा और सेवा निर्यात:

- भारत के व्यापार घाटे और सेवा निर्यात का विदेशी मुद्रा भंडार के उतार-चढ़ाव से सीधा संबंध है।
- **वस्त्र व्यापार घाटा:** 2023-24 में भारत का व्यापार घाटा $242.07 बिलियन रहा, जिसमें आयात $683.55 बिलियन और निर्यात $441.48 बिलियन था।
- **सेवाएं और प्रेषण:** 2023-24 में सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात $142.07 बिलियन हो गया, जबकि निजी प्रेषण $106.63 बिलियन तक पहुंच गया।

विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में:

विदेशी मुद्रा भंडार वह संपत्ति होती है जो विदेशी मुद्रा में निर्धारित होती है और केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व के रूप में रखी जाती है। भारत में, **रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट** और **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999** विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करने के कानूनी प्रावधानों को स्थापित करते हैं।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना:

1. **विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ**
2. **सोने का भंडार**
3. **विशेष आहरण अधिकार (SDR)**
4. **IMF में रिजर्व स्थिति**

विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व:

1. **आर्थिक स्थिरता और निवेशकों का विश्वास:** विदेशी मुद्रा भंडार वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बाजार की उम्मीदों को सेट करता है और आर्थिक झटकों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार निवेशकों को आश्वस्त करता है और समग्र आर्थिक स्वास्थ्य में योगदान करता है।
2. **आर्थिक संकट और तरलता:** संकट के समय, केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा को स्थानीय मुद्रा में बदल सकता है, जिससे कंपनियों को आयात और निर्यात में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मदद मिलती है।
3. **मुद्रास्फीति और मुद्रा मूल्य में गिरावट:** जापान जैसे देश, जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट प्रणाली का उपयोग करते हैं, अमेरिकी ट्रेजरी खरीदकर अपनी मुद्रा को डॉलर के मुकाबले कम रखते हैं, ताकि निर्यात प्रतिस्पर्धी बना रहे।
4. **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दायित्व:** विदेशी मुद्रा भंडार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करता है, जैसे कि कर्ज चुकाना और आयात वित्त पोषित करना।
5. **आंतरिक परियोजना वित्तपोषण:** विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग घरेलू बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भी किया जा सकता है।
6. **निवेशकों का विश्वास:** संकट या अनिश्चितता के समय में विदेशी मुद्रा भंडार रखने से विदेशी निवेशकों में विश्वास बढ़ता है।
7. **पोर्टफोलियो विविधीकरण:** केंद्रीय बैंक अपने भंडार को विभिन्न मुद्राओं और संपत्तियों में निवेश करके विविधित करते हैं, ताकि गिरती हुई संपत्तियों के जोखिम से बचा जा सके।

गोलान हाइट्स / Golan Heights

इजरायल के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सेना ने गोलान हाइट्स में एक निरस्त्रीकृत बफर ज़ोन पर अस्थायी रूप से नियंत्रण कर लिया है। उन्होंने कहा कि 1974 में सीरिया के साथ हुआ विघटन समझौता सीरिया में विद्रोहियों के नियंत्रण के कारण "विफल" हो चुका है।

वर्तमान स्थिति:

इसराइल की सेना ने गोलान हाइट्स में स्थित एक निरस्त्रीकृत बफर ज़ोन पर अस्थायी रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया है।

- सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल-असद के सत्ता खोने के बाद विद्रोहियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिससे गोलान हाइट्स में रह रहे इसराइली नागरिकों की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए, इसराइल ने बफर ज़ोन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

गोलान हाइट्स:

गोलान हाइट्स दक्षिण-पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पथरीला पठार है, जो दमिश्क से लगभग 60 किलोमीटर (40 मील) दक्षिण में है। यह क्षेत्र अपनी रणनीतिक स्थिति और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है।

1. **आकार और क्षेत्रफल**:
   - इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक लगभग 71 किलोमीटर (44 मील) और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक लगभग 43 किलोमीटर (27 मील) है।
   - इसका कुल क्षेत्रफल 1,150 वर्ग किलोमीटर है।

इतिहास और रणनीतिक महत्व:

1. **छह-दिवसीय युद्ध (1967)**:
   - इसराइल ने 1967 में सीरिया के साथ हुए छह-दिवसीय युद्ध के दौरान गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया।
   - युद्ध के बाद, इलाके में रहने वाले अधिकांश सीरियाई अरब लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए।
2. **मध्य पूर्व युद्ध (1973)**:
   - सीरिया ने 1973 के युद्ध के दौरान गोलान हाइट्स को पुन: प्राप्त करने की कोशिश की।
   - हालांकि, सीरियाई सेना ने इसराइल को गंभीर क्षति पहुंचाई, लेकिन यह क्षेत्र वापस हासिल नहीं कर पाई।
3. **युद्धविराम और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका (1974)**:
   - 1974 में, दोनों देशों ने एक युद्धविराम समझौता किया और संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक बल (UNDOF) को तैनात किया गया।
   - यह बल आज भी युद्धविराम रेखा की निगरानी कर रहा है।
4. **इसराइल का विलय (1981)**:
   - इसराइल ने 1981 में गोलान हाइट्स को अपने क्षेत्र में शामिल करने की एकतरफा घोषणा की।
   - हालांकि, इस कदम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे अवैध घोषित किया।

शांति वार्ताओं का इतिहास:

1. **1999-2000 की वार्ता**: अमेरिका ने इसराइल और सीरिया के बीच वार्ता की, जिसमें गोलान हाइट्स का कुछ हिस्सा लौटाने की बात की गई, लेकिन इसराइल ने सी ऑफ गैलीली की मांग को नकारा, जिससे वार्ता विफल हो गई।
2. **2003 की पहल**: सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद ने वार्ता शुरू करने की इच्छा जताई, लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हुई।
3. **2008 की अप्रत्यक्ष वार्ता**: तुर्की की मध्यस्थता से वार्ता शुरू हुई, लेकिन भ्रष्टाचार मामले के कारण इसे रोक दिया गया।
4. **बेंजामिन नेतन्याहू का सख्त रुख (2009)**: नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स पर कड़ा रुख अपनाया, जिससे सीरिया ने इसराइल पर वार्ता में रुचि न दिखाने का आरोप लगाया।
5. **बराक ओबामा का प्रयास (2009)**: ओबामा ने वार्ता शुरू करने की कोशिश की, लेकिन 2011 में सीरिया में गृह युद्ध के कारण स्थिति बिगड़ गई।
6. **2013 की घटना**: सीरियाई विद्रोहियों द्वारा युद्धविराम रेखा पर गोलीबारी के बाद इसराइल ने जवाब दिया, जिससे संघर्ष और बढ़ गया।

गोलान हाइट्स की अंतरराष्ट्रीय मान्यता:

- **अमेरिकी:** 2019 में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलान हाइट्स को इसराइल की संप्रभुता को मान्यता दी।
- **यूरोपीय संघ**: गोलान हाइट्स के स्थिति पर उसकी स्थिति अपरिवर्तित रही है और उसने इस क्षेत्र पर इसराइल की संप्रभुता को मान्यता नहीं दी है।
- **अरब लीग**: जो 2011 में सीरिया को अपने सदस्यता से निलंबित कर दिया था, उसने इस निर्णय को "अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्ण विपरीत" करार दिया।
- **मिस्र**: जिसने 1979 में इसराइल के साथ शांति समझौता किया था, ने कहा कि वह गोलान हाइट्स को अभी भी क जे वाले सीरियाई क्षेत्र के रूप में मानता है।
- **भारत**: भारत ने भी गोलान हाइट्स को इसराइल का क्षेत्र नहीं माना है और इसे सीरिया को वापस लौटाने की मांग की है।

भारत का भूस्थानिक बाज़ार / India's geospatial market

भारत का भू-स्थानिक बाजार 2024 के भारत भू-स्थानिक बाजार आउटलुक के अनुसार, 2025 तक 16.5% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। 2023 में इस बाजार का मूल्य लगभग 18,000 करोड़ रुपये था।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी क्या है?

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में स्थान आधारित विश्लेषण, वास्तविक समय का डेटा मानचित्रण, हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग, और ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण शामिल हैं। ये उपकरण शहरी विकास, बुनियादी ढांचा विकास, कृषि, जलवायु अध्ययन, और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का महत्व:

1. **कृषि:**
   ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से सटीक कृषि (Precision Agriculture) में फसल की पैदावार में सुधार और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होता है।
2. **आपदा प्रबंधन:**
   भू-स्थानिक डेटा बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए पहले से चेतावनी देने में मदद करता है, जिससे बेहतर तैयारियों की सुविधा मिलती है।
3. **शहरी विकास:**
   स्मार्ट सिटीज में ट्रैफिक प्रबंधन, कचरा संग्रहण और सार्वजनिक सेवाओं के लिए GIS (Geographic Information Systems) का उपयोग किया जाता है।
4. **पर्यावरणीय निगरानी:**
   यह वनों की कटाई, जल निकायों और प्रदूषण की निगरानी करने में मदद करता है, जो जलवायु कार्रवाई के लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करता है।
5. **रक्षा और सुरक्षा:**
   भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी सीमा निगरानी, मानचित्रण और रणनीतिक संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है।

प्रौद्योगिकी में प्रगति:

1. **हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग:**
   यह तकनीक सैकड़ों प्रकाश तरंग दैर्ध्य (wavelengths) को कैप्चर करती है, जिससे कई कार्यों में मदद मिलती है जैसे:
   - फसल रोगों और मिट्टी के पोषक तत्वों का जल्दी पता लगाना।
   - जल प्रदूषण और मीथेन रिसाव की निगरानी करना।
2. **ड्रोन प्रौद्योगिकियाँ:**
   कंपनियां जैसे *ideaForge* ने डेटा संग्रहण में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जो रक्षा और खनन जैसे क्षेत्रों में सेंटीमीटर स्तर की सटीकता प्रदान करती हैं।

चुनौतियाँ:

1. **डेटा सुरक्षा:** भू-स्थानिक डेटा संवेदनशील होता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।
2. **जागरूकता की कमी:** छोटे उद्यमों में भू-स्थानिक अनुप्रयोगों के बारे में सीमित जागरूकता है।
3. **इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप:** भू-स्थानिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है।
4. **कौशल की कमी:** भू-स्थानिक डेटा विश्लेषण और ड्रोन प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता है।

सरकारी पहलें:

- **PM Gati Shakti:** यह पहल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वास्तविक समय मानचित्रण का उपयोग करती है।
- **राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022:** इसका उद्देश्य भू-स्थानिक डेटा को लोकतांत्रिक बनाना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है।
- **स्मार्ट सिटीज मिशन:** यह मिशन शहरी नियोजन में सुधार के लिए स्थान-आधारित विश्लेषण का उपयोग करता है।

हॉर्नबिल महोत्सव / Hornbill Festival

हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड का प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन मेला है, जो हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होता है।

हॉर्नबिल महोत्सव (Hornbill Festival)

- **प्रारंभ:** इस महोत्सव की शुरुआत **2000** में हुई थी।
- इसे **"त्योहारों का त्योहार"** भी कहा जाता है और यह हर साल मनाया जाता है।
- **संगठन:** इसे **नागालैंड सरकार के पर्यटन और कला व संस्कृति विभागों** द्वारा आयोजित किया जाता है।
- **स्थान:** यह महोत्सव **नागा हेरिटेज विलेज, किसामा** में मनाया जाता है, जो **कोहिमा** से लगभग **12 किलोमीटर** दूर है।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य **आंतर-जनजातीय संवाद** को बढ़ावा देना और **नागालैंड की धरोहर** को संरक्षित करना है, जिसमें पारंपरिक और समकालीन तत्वों का सामंजस्यपूर्ण रूप से प्रदर्शित किया जाता है।
- **विकास:** यह महोत्सव अब **नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर** को प्रदर्शित करने का एक उत्सव बन चुका है।
- **नामकरण:** इसे **हॉर्नबिल पक्षी** के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह पक्षी नागा समाज के **सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन** से जुड़ा हुआ है।

2024 का हॉर्नबिल महोत्सव (Cultural Connect) - मुख्य बिंदु:

- **विषय:** इस वर्ष का विषय **"Cultural Connect"** है, जो नागालैंड की समृद्ध धरोहर और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है।
- **आधुनिकता और परंपरा का सम्मिलन:** महोत्सव में **नागा कुश्ती**, **पारंपरिक धनुर्विद्या**, **खाद्य और औषधि स्टॉल**, **फैशन शो**, **सुंदरता प्रतियोगिताएं**, और **संगीत कार्यक्रम** शामिल हैं।
- **विशेष प्रदर्शनी:** **"Naga-Land & People in Archival Mirror"** प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जो नागालैंड के इतिहास और सांस्कृतिक प्रथाओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करेगी, जिसे भारतीय

नागालैंड के बारे में प्रमुख तथ्य:

1. **राज्यत्व:** नागालैंड को **1 दिसंबर 1963** को भारत का 16वां राज्य बना।
2. **सीमाएं:**
   - **पश्चिम और उत्तर-पश्चिम:** असम
   - **पूर्व:** म्यांमार
   - **दक्षिण:** अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर
3. **राज्य प्रतीक:**
   - **राज्य पक्षी:** ब्लीथ का ट्रैगोपान
   - **राज्य पशु:** मिथुन (जो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है)
   - मिथुन (Bos frontalis), एक बवाइन प्रजाति, जो अब FSSAI द्वारा 'फूड एनिमल' के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिससे इसका वाणिज्यिक पालन और मांस प्रसंस्करण संभव हुआ है।
4. **GI उत्पाद:**
   - नगा ट्री टमाटर
   - नगा खीरा
   - नगा मिर्च (चिली)
5. **संरक्षित क्षेत्र:**
   - इंटांकी नेशनल पार्क
   - फाकिम वाइल्डलाइफ सेंचुरी
   - सिंगफान वाइल्डलाइफ सेंचुरी
   - पुली बदजे वाइल्डलाइफ सेंचुरी
6. **जनजातियाँ और संस्कृति:**
   - नागालैंड में **17 प्रमुख जनजातियाँ** और अनेक उप-जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनकी अपनी विशेष परंपराएँ, भाषाएँ और पोशाक हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 26वें गवर्नर / 26th Governor of the Reserve Bank of India

भारत सरकार ने संजय मल्होत्रा को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जो 11 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास की जगह ली है, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है।

संजय मल्होत्रा के बारे में :

शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

- कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन: IIT कानपुर।
- पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी।

- **अधिकार एवं अनुभव**:
  - अक्टूबर 2022 से **राजस्व सचिव**।
  - वित्तीय सेवा सचिव, RBI बोर्ड के सदस्य और REC (इंफ्रा फाइनेंस कंपनी) के CMD रह चुके हैं।
  - तेज निर्णय लेने और बारीकी पर ध्यान देने के लिए जाने जाते हैं।
- **आगामी चुनौतियां**:
  - **विकास और मुद्रास्फीति** संतुलन बनाए रखना।
  - 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य सुनिश्चित करना।
  - **क्रेडिट प्रवाह** बनाए रखना और बैंक बैलेंस शीट के जोखिमों पर नजर।
  - **विदेशी मुद्रा दर** को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के बारे में:

- **स्थापना**: 1934 में **RBI अधिनियम** के तहत; 1949 में राष्ट्रीयकरण।
- **मुख्यालय**: मुंबई।
- **पहला गवर्नर**: ऑस्बॉर्न स्मिथ; प्रथम भारतीय गवर्नर: सी.डी. देशमुख।
- **संरचना**:
  - **21 सदस्यीय केंद्रीय बोर्ड**: 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय प्रतिनिधि, 10 सरकार द्वारा नामित निदेशक, और 4 स्थानीय बोर्ड निदेशक।

मुख्य कार्य:

- **मुद्रा प्रबंधन**: रुपये की आपूर्ति, जारी करना और प्रबंधन।
- **वित्तीय निरीक्षण**: बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को नियमित करना।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन**: विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना।
- **मुद्रास्फीति नियंत्रण**: मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना।
- **विकासात्मक भूमिका**: राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए प्रमोटर के रूप में काम।

संबंधित कार्य:

- सरकार और बैंकों का बैंकर।
- भुगतान और निपटान प्रणाली का निरीक्षण।

भारत-रूस व्यापार: यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया / India-Russia trade: EU response

यूरोपीय संघ ने भारतीय सरकार के साथ सबूत साझा किए हैं, जिनमें भारतीय संस्थाओं द्वारा रूस पर लगाए गए G7 और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के उल्लंघन की बात कही गई है।

1. यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए आरोप:

- **प्रतिबंधों का उल्लंघन**: रूस पर G7 और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उद्देश्य उसकी सैन्य और औद्योगिक क्षमता को कमजोर करना है। हालांकि, रूस ने प्रतिबंधित सामान प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक नेटवर्क बना लिए हैं।
- **गैरकानूनी व्यापार और शैडो फ्लीट**: रूस प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए शैडो फ्लीट और तृतीय पक्षों के माध्यम से युद्ध-संबंधी सामान जैसे **'बैटलफील्ड आइटम्स' (युद्धक्षेत्र में उपयोग होने वाली वस्तुएं)** प्राप्त कर रहा है।
- **तीसरे देशों की भूमिका**: यूरोपीय संघ का आरोप है कि भारत समेत कुछ अन्य देशों में स्थित कंपनियां रूस को प्रतिबंधित वस्तुएं उपलब्ध कराने में भूमिका निभा रही हैं।

2. भारत से जुड़े मुख्य बिंदु:

- **भारतीय कंपनियों पर आरोप**: यूरोपीय संघ ने भारत स्थित दो कंपनियों **Si2 Microsystems Pvt Ltd** और **Innovio Ventures** पर आरोप लगाया है कि ये कंपनियां **'Common High Priority Items' (जैसे सेमीकंडक्टर्स, माइक्रोचिप्स, और तकनीकी उपकरण)** रूस को निर्यात कर रही हैं।
    - ये सामान रूसी सैन्य उपकरणों को अधिक सटीक और घातक बनाने के लिए उपयोग हो रहे हैं।

भारत द्वारा रूस को सहायता:

1. **ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग**: भारत ने रूस से कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) के आयात में तेजी से वृद्धि की है।
    - वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत और रूस के बीच व्यापार $65.4 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें 32.5% की वृद्धि हुई।

2. प्रौद्योगिकी और औद्योगिक वस्तुएं: प्रतिबंधित तकनीकी सामान (जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चिप्स और सटीक हथियार तकनीक) रूस को निर्यात करने का आरोप लगाया गया है।

3. रक्षा सहयोग: भारत ने अपनी **'मेक इन इंडिया'** रक्षा नीति के तहत रूस से साझेदारी जारी रखी है।

4. वित्तीय प्रणाली का उपयोग: रूस के साथ व्यापार में डॉलर के स्थान पर वैकल्पिक भुगतान प्रणाली (रुपया-रूबल लेनदेन) का उपयोग बढ़ा है।

भारत का आधिकारिक रुख:

- भारत G7 और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता।
- भारत केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत प्रतिबंधों को मानता है और एकतरफा प्रतिबंधों का विरोध करता है।
- भारत का कहना है कि उसके व्यापार और गैर-प्रसार से जुड़े कानून मजबूत हैं।

भारत-रूस तेल व्यापार - मुख्य बिंदु

1. युद्ध के बावजूद भारत-रूस संबंध:

- 24 फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है।
- अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत और चीन ने रूस के साथ अपने संबंधों में कोई कमी नहीं आने दी।
- भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध का समर्थन नहीं किया लेकिन दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश की।

2. यूरोपीय संघ को भारत से ईंधन निर्यात में वृद्धि:

- 2024 की पहली तीन तिमाहियों में भारत से यूरोपीय संघ को डीजल और अन्य ईंधन का निर्यात 58% बढ़ गया।
- यूरोपीय संघ और जी7 देशों द्वारा रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध और मूल्य सीमा के बावजूद भारत के माध्यम से तेल निर्यात जारी रहा।
- भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात कर उसे रिफाइन कर यूरोपीय देशों को कानूनी रूप से निर्यात किया।

3. रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार भारत:

- भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदार बन गया है।
- युद्ध से पहले भारत की कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी, जो अब बढ़कर लगभग 40% हो गई है।
- ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर शोध केंद्र (CREA) के अनुसार, भारत ने प्रतिबंधों में मौजूद शोधन नियमों की खामियों का लाभ उठाकर यूरोपीय संघ को तेल निर्यात में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है।

4. भारत की प्रमुख रिफाइनरियाँ:

- तीन प्रमुख रिफाइनरियाँ यूरोपीय संघ को ईंधन निर्यात करती है:
    - **रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जामनगर, गुजरात):** भारत की सबसे बड़ी निजी तेल रिफाइनरी।
    - **वडिनार रिफाइनरी (गुजरात):** रूस की रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी द्वारा संचालित।
    - **मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल):** सरकारी स्वामित्व वाली ओएनजीसी की सहायक कंपनी।

⇒ तीनों रिफाइनरियों ने 2024 के पहले आठ महीनों में यूरोपीय संघ को लगभग 6.7 मिलियन मीट्रिक टन तेल निर्यात कर €5.4 बिलियन की कमाई की।

⇒ इन रिफाइनरियों की कच्चे तेल की खरीद का 30% से 70% हिस्सा रूस से आता है।

उपराष्ट्रपति: महाभियोग प्रस्ताव / Vice President: Impeachment Motion

विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास या महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस देने का निर्णय लिया है। यह कदम संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के तहत उठाया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति को राज्यसभा (Council of States) में बहुमत और लोकसभा की सहमति से हटाने का प्रावधान है।

इस्तीफा और हटाने की प्रक्रिया:

- **इस्तीफा:**
  - उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा **भारत के राष्ट्रपति** को सौंप सकते हैं।
  - इस्तीफा तभी प्रभावी होता है जब इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67(ख): यह उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

1. **हटाने की प्रक्रिया**:
   - उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल **राज्यसभा (Council of States)** में पेश किया जा सकता है।
   - प्रस्ताव को **राज्यसभा में बहुमत** द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
   - यह प्रस्ताव **लोकसभा (House of the People)** द्वारा भी स्वीकृत होना आवश्यक है।
   - राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव सचिवालय को भेजना होता है. कम से कम 14 दिन पहले दिए गए इस नोटिस के बाद राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे लोकसभा भेजना होता है.
2. **उद्देश्य**:
   - यह प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा बनाए रखते हुए उनके कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है।

भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में:

उपाध्यक्ष का पद

- **पद का महत्व**: उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है।
- **कार्यकाल**: उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद, नए उत्तराधिकारी के पद संभालने तक, वह पद पर बने रह सकते हैं।

चुनाव प्रक्रिया:

- **निर्वाचन**:
  - यह चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों की निर्वाचन सभा द्वारा होता है।
  - **मतदान प्रणाली**:
    - **प्रणाली**: अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote) प्रणाली।
    - **मतदान प्रकार**: गुप्त मतदान द्वारा।

पद से जुड़े विशेष नियम:

- **संसद सदस्यता का त्याग**:
  - उपराष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते।
  - यदि कोई सांसद उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो उसे अपने संसद सदस्यता का पद छोड़ना होता है।
  - इस प्रक्रिया के तहत, निर्वाचित व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के साथ ही अपने पूर्व पद का त्याग कर देता है।

भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद:

1. **अनुच्छेद 63**: भारत के उपराष्ट्रपति का पद।
2. **अनुच्छेद 64**: उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे।
3. **अनुच्छेद 65**: राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे।
4. **अनुच्छेद 66**: उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
5. **अनुच्छेद 67**: उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा।
6. **अनुच्छेद 68**: उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति और कार्यकाल से संबंधित प्रावधान।
7. **अनुच्छेद 69**: उपराष्ट्रपति के लिए शपथ ग्रहण।
8. **अनुच्छेद 70**: आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन।
9. **अनुच्छेद 71**: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा।

वन नेशन, वन इलेक्शन / One Nation, One Election

वर्तमान में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें **वन नेशन, वन इलेक्शन (एक देश, एक चुनाव)** विधेयक के पेश होने को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

- ✓ **एक उच्च स्तरीय समिति (high-level committee),** जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने की, ने मार्च में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। इसे "एक राष्ट्र, एक चुनाव" के नाम से जाना जाता है।
- ✓ समिति ने सुझाव दिया कि सबसे पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हों, इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों को समन्वयित किया जाए।

क्या है "एक देश, एक चुनाव":

"एक देश, एक चुनाव" (One Nation One Election) का मतलब है कि भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक ही समय पर आयोजित किए जाएं। इसका मतलब है कि हमें भारत के चुनावी सिस्टम (electoral system) को इस तरह बदलना होगा कि राज्य और केंद्र के चुनाव एक ही समय पर हों।

- इस व्यवस्था में, लोग एक ही दिन और एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों के लिए वोट देंगे, इस प्रणाली का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना है।

अगर यह प्रणाली लागू होती है, तो:

- ✓ **समान समय पर मतदान:** लोकसभा (केंद्र सरकार) और राज्य विधानसभा के चुनाव एक ही दिन या एक ही समय में होंगे।
- ✓ **समय की बचत:** इससे बार-बार चुनावी प्रक्रिया और चुनावी खर्चे कम होंगे।
- ✓ **प्रशासनिक सुविधा:** चुनावी कामकाज और चुनावी बंधन के लिए एक ही समय पर व्यवस्था की जाएगी, जिससे प्रशासन को आसानी होगी।

भारत में समानांतर चुनावों का इतिहास:

भारत में समानांतर चुनावों (Simultaneous Elections) का मतलब है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। यह व्यवस्था स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में 1952, 1957, और 1962 में लागू की गई थी। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, राज्य विधानसभाओं का जल्दी भंग होना, और क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए अलग-अलग चुनाव की ज़रूरत के कारण यह प्रथा धीरे-धीरे समाप्त हो गई।

- **2019 में, केवल चार राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, और सिक्किम) में राज्य विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हुए।**

एक राष्ट्र, एक चुनाव के पक्ष में तर्क:

1. **वित्तीय बोझ में कमी:** एक साथ चुनावों से आयोग का खर्च घटेगा, और ₹4500 करोड़ तक की बचत होगी। एक ही मतदाता सूची से समय और पैसा बचेगा।
2. **राजनीतिक दलों की स्थिति में सुधार:** चुनाव एक साथ होने से फंडिंग की डुप्लिकेशन नहीं होगी, छोटे दल बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकेंगे।
3. **नीति स्थिरता:** नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी, और चुनावों से व्यवधान कम होंगे।
4. **प्रशासनिक दक्षता:** चुनावी कामों में व्यस्तता कम होने से प्रशासनिक कार्य बेहतर होंगे।
5. **सुरक्षा बलों का बेहतर उपयोग:** एक साथ चुनावों से सुरक्षा बलों का खर्च कम होगा।
6. **मतदाता मतदान में वृद्धि:** चुनाव एक साथ होने से मतदान में वृद्धि होगी।
7. **राज्य वित्त में सुधार:** मुफ्त योजनाओं की संख्या घटेगी और राज्य की वित्तीय स्थिति सुधरेगी।
8. **पार्टी बदलने की संभावना कम:** नियमित चुनावों से पार्टी बदलने का संकट कम होगा, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के खिलाफ तर्क:

1. **जवाबदेही में कमी:** नियमित चुनावों से सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है, जबकि एक साथ चुनावों से स्वायत्तता बढ़ सकती है।
2. **संघीयता का संकट:** सत्ता केंद्रीकृत होगी, जिससे राज्य दलों की भूमिका कम हो सकती है।
3. **लोकतंत्र की भावना:** चुनावों का चक्र कृत्रिम रूप से तय होने से मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
4. **मतदाता व्यवहार पर असर:** एक साथ चुनावों से क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है।
5. **लागत में वृद्धि:** ईवीएम और वीवीपीएटी की लागत बढ़ेगी, जिससे चुनाव खर्च में वृद्धि होगी।
6. **विघटन की चुनौती:** लोकसभा का जल्दी विघटन होने पर सभी राज्यों में चुनाव कराना कठिन हो सकता है।

आदित्य-एल 1 / Aditya-L1

भारतीय शोधकर्ताओं ने भारत के पहले अंतरिक्ष-आधारित सौर वेधशाला मिशन आदित्य-L 1 का उपयोग करके सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) पर महत्वपूर्ण खोजें की हैं।

1. मुख्य खोजें और अवलोकन:

कोरोनल मास इजेक्शन (CME) की घटना:

- 16 जुलाई, 2024 को, सूर्य के बाहरी वातावरण (कोरोना) में एक बड़ा सीएमई देखा गया।
- यह घटना एक शक्तिशाली सौर ज्वाला (Solar Flare) के साथ हुई।
- सीएमई सूर्य की पश्चिमी दिशा में हुआ, जिसे **VISIBLE Emission Line Coronagraph (VELC)** यंत्र का उपयोग करके देखा गया।

कोरोनल डिमिंग (Coronal Dimming):

- सीएमई के दौरान सूर्य के कोरोना की चमक में लगभग **50% की कमी** हुई।
- यह चमक में कमी तब होती है जब सूर्य से विशाल मात्रा में प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में बाहर निकल जाते हैं।
- यह घटना लगभग **6 घंटे** तक चली, जिससे सूर्य की गतिशील प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

तापमान और हलचल में वृद्धि:

- सीएमई के दौरान सूर्य के कोरोना का तापमान **30%** तक बढ़ गया।
- प्लाज्मा की हलचल (तापीय हलचल) **24.87 किमी/सेकंड** की गति से मापी गई, जो तीव्र चुंबकीय गतिविधि को दर्शाती है।
- इस हलचल से पता चलता है कि सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में अत्यधिक ऊर्जा मौजूद है, जो अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित कर सकती है।

डॉप्लर वेग मापन (Doppler Velocity Measurement):

- निष्कासित प्लाज्मा को **लाल-शिफ्टेड (Red-Shifted)** पाया गया, जो लगभग **10 किमी/सेकंड** की गति से सूर्य से दूर जा रहा था।
- यह दर्शाता है कि सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र सीएमई को मोड़ता है और उसकी दिशा बदलता है।
- इस जानकारी से यह समझने में मदद मिलेगी कि सीएमई पृथ्वी और अन्य ग्रहों को कैसे प्रभावित कर सकता है।

2. खोज का वैज्ञानिक महत्व:

- **सूर्य के कोरोना की संरचना को समझना:**
  - सूर्य की बाहरी परत (कोरोना) का तापमान सूर्य की सतह से अधिक गर्म है, जो हमेशा से एक रहस्य रहा है।
  - यह अध्ययन सूर्य की इस परत की रहस्यमयी प्रकृति को समझने में मदद करेगा।
- **अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी:**
  - सीएमई की दिशा और प्रभाव को समझने से अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है।
  - यह पृथ्वी के उपग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों और संचार प्रणालियों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है।

कोरोनल मास इजेक्शन क्या है ?

कोरोनल मास इजेक्शन (Coronal Mass Ejection- CME) सूर्य की सतह पर सबसे बड़े विस्फोटों में से एक है जिसमें अंतरिक्ष में कई मिलियन मील प्रति घंटे की गति से एक अरब टन पदार्थ हो सकता है।

आदित्य-एल1 मिशन:

- **लॉन्च की तारीख:** 2 सितंबर, 2023
- **स्थापना:** जनवरी 2024 में L1 बिंदु पर स्थापित।
- **लॉन्च स्थल:** सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा
- **स्थान (L1):** यह बिंदु पृथ्वी से 15 लाख किमी दूर स्थित है, जहाँ से मिशन सूर्य की लगातार निगरानी कर सकता है।
- **यात्रा समय:** L1 बिंदु तक पहुँचने में लगभग **125 दिन** लगे।
- **अंतरिक्ष वेधशाला मिशन:** यह इसरो का दूसरा खगोलीय वेधशाला मिशन है, पहला मिशन **एस्ट्रोसैट (2015)** था।

मिशन का उद्देश्य:

आदित्य-एल1 मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य की विभिन्न परतों और उसकी गतिशील प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. **सौर कोरोना का अध्ययन:**
   - सूर्य की सबसे बाहरी परत (कोरोना), जो सतह से अधिक गर्म है, का विस्तार से अध्ययन।
2. **सौर पवन (Solar Wind):**
   - सूर्य से निकलने वाली आवेशित कणों की धारा का अध्ययन और यह कैसे पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित करता है।
3. **सौर ज्वालाएँ (Solar Flares):**
   - सूर्य की सतह से होने वाले बड़े विस्फोटों की जांच और उनके प्रभाव को समझना।
4. **सौर विकिरण (Solar Radiation):**
   - सूर्य से निकलने वाली गर्मी, प्रकाश, और ऊर्जा का विश्लेषण करना।
5. **चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन:**
   - सूर्य के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और उसकी गतिविधियों को मापना।

महत्व:

- अंतरिक्ष मौसम और सौर गतिविधियों के प्रभावों को समझने में मदद।
- पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर सौर तूफानों और विकिरण के प्रभाव की सटीक भविष्यवाणी में सहायक।

मानवाधिकार दिवस / Human Rights Day

10 दिसम्बर को मनाया जाने वाला मानवाधिकार दिवस, दुनियाभर में सर्वजन के लिए समानता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करने के महत्व की याद दिलाता है।

तिथि: 10 दिसंबर (हर वर्ष)

महत्त्व: यह दिन मानवाधिकारों की सुरक्षा और न्याय के प्रति समाज की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

वर्ष 2024 की थीम: "हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान" (Our Rights, Our Future, Right Now). थीम निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करती है:

- ✓ समुदायों को उनके अधिकारों का स्वामित्व लेने के लिए सशक्त बनाना।
- ✓ लिंग असमानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और जलवायु न्याय जैसे मुद्दों का तुरंत समाधान करना।
- ✓ मानवाधिकारों को विकास और समावेशिता सुनिश्चित करने वाले ढांचे में शामिल करना।

इतिहास:

- **शुरुआत:** 1950 में मानवाधिकार दिवस की शुरुआत हुई।
- **मुख्य घटना:** 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) को अपनाया।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद:

- **स्थापना:** 2006
- **सदस्य देश:** 47 (भारत भी शामिल)
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- **सचिवालय:** मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR)

मुख्य उद्देश्य:

- हेट स्पीच, फेक न्यूज और मानवाधिकार हनन को रोकना।
- समानता को बढ़ावा देना और भेदभाव को समाप्त करना।
- न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा:

भारतीय संविधान के अंतर्गत:

- **मूल अधिकार (भाग III):** जीवन, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की गारंटी।
- **राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत (भाग IV):** नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की जिम्मेदारी।
- **प्रस्तावना:** संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC):

स्थापना और उद्देश्य:

- **स्थापना का वर्ष:** 1993 (मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के अनुसार)
- **अधिनियम:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993
- **प्रमुख उद्देश्य:**
  - व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, और गरिमा से जुड़े अधिकारों की रक्षा करना।

मुख्य कार्य (Functions):

1. मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच।
2. मामलों का समाधान और निवारण।
3. मानवाधिकारों के प्रचार-प्रसार और जागरूकता बढ़ाना।
4. मानवाधिकार उल्लंघन की रोकथाम।
5. रिपोर्ट तैयार करना और प्रकाशित करना।

शक्तियां (Powers):

1. गवाहों की जांच और समन देना।
2. अदालत में हस्तक्षेप और संबंधित मुद्दों पर सलाह देना।
3. सिफारिशें करने और सुधारात्मक कदम उठाने की शक्ति।

सदस्य और संगठन संरचना:

- **संरचना:**
  1. **अध्यक्ष:** सेवानिवृत्त CJ/SC के न्यायाधीश।
  2. **सदस्य:** 5 पूर्णकालिक और 7 अंशकालिक।
  3. **प्रशासनिक प्रमुख:** महासचिव।
- **कार्यकाल:** 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक।
- **नियुक्ति:**
  - सदस्य नियुक्ति समिति द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, गृहमंत्री, और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।
- **निष्कासन:**
  - राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर।

राज्य मानवाधिकार आयोग:

- PHRA अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित।
- **नियुक्ति:** राज्यपाल द्वारा।
- **नियंत्रण:** राष्ट्रपति द्वारा

बीमा सखी योजना' / Bima Sakhi Yojana

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 'बीमा सखी योजना' का शुभारंभ किया। यह योजना जीवन बीमा निगम द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें जीवन बीमा के लाभों से जोड़ना है, जिससे वे अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।

बीमा सखी योजना के बारे में:

शुरू करने वाला: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
लक्ष्य: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें LIC एजेंट के रूप में प्रशिक्षित करना और वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देना।

पात्रता मानदंड:

- आयु: 18-70 वर्ष
- योग्यता: न्यूनतम कक्षा 10वीं पास

विशेषताएँ:

- **प्रशिक्षण और भत्ता:** महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होगा और पहले तीन वर्षों तक भत्ता दिया जाएगा।
- **रोज़गार अवसर:** प्रशिक्षित बीमा साथियाँ LIC एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं, और वे विकास अधिकारी के रूप में पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त कर सकती हैं।
- **बीमा कवरेज:** यह योजना बीमा जागरूकता और सस्ते बीमा उत्पादों तक पहुंच बढ़ाती है।
- **आर्थिक स्वतंत्रता:** महिलाओं को एक स्थिर आजीविका और अतिरिक्त आय प्रदान करती है।

महत्त्व:

- **वित्तीय समावेशन:** यह योजना बैंकिंग और बीमा सेवाओं को कमजोर वर्गों तक पहुँचाती है।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** महिलाओं को ₹1.75 लाख तक वार्षिक आय अर्जित करने का अवसर देती है।
- **सामाजिक प्रभाव:** ग्रामीण और शहरी आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाती है।
- **राष्ट्रीय दृष्टिकोण:** यह योजना भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं की आर्थिक वृद्धि में भागीदारी को बढ़ावा देती है

पंचायती राज पुरस्कार / Panchayati Raj Awards

राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार समारोह 2024 का आयोजन मंत्रालय, पंचायती राज द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया जाएगा। ये पुरस्कार पंचायतों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करते हैं।

उद्देश्य: इन पुरस्कारों का प्रमुख उद्देश्य पंचायतों को और अधिक उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करना है और अन्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को भी प्रेरित करना है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से काम करें। इसका परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सुगमता और सतत, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।

9 मुख्य पुरस्कार श्रेणियाँ: पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को 9 प्रमुख विषयों में बांटा है।

1. **गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाली पंचायत**
2. **स्वस्थ पंचायत**
3. **बाल-मित्र पंचायत**
4. **जल-संवर्धन पंचायत**
5. **स्वच्छ और हरी-भरी पंचायत**
6. **स्वावलंबी बुनियादी ढांचे वाली पंचायत**
7. **सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा वाली पंचायत**
8. **अच्छे शासन वाली पंचायत**
9. **महिला-मित्र पंचायत**

पुरस्कार श्रेणियाँ:

1. **दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (DDUPSVP):** यह पुरस्कार शीर्ष-3 ग्राम पंचायतों या समान निकायों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जो उपरोक्त 9 विषयों में से प्रत्येक में उत्कृष्ट कार्य करते हैं।
2. **नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार:** यह पुरस्कार ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों को उनके समग्र प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जो सभी 9 पुरस्कार विषयों में शीर्ष स्थान पर आते हैं।

विशेष पुरस्कार श्रेणियाँ:

- **ग्राम उर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार:** यह पुरस्कार शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों या समान निकायों को उनके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है।
- **कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार:** यह पुरस्कार भी शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों या समान निकायों को उनके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस वर्ष इस श्रेणी में कुल 3 पुरस्कार दिए गए हैं।
- **पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार:** यह पुरस्कार उन 3 संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने ग्राम पंचायतों को LSDGs प्राप्त करने में संस्थागत सहायता प्रदान की है।

INS तुशील / INS Tushil

INS तुशील, एक अत्याधुनिक **मल्टी-रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट**, को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

INS तुशील: मुख्य बिंदु-

- **वर्ग:** तलवार-क्लास फ्रिगेट (सातवीं जहाज)।
- **अनुबंध:** 2016 में भारत सरकार, JSC रोसोबोरोनएक्सपोर्ट और रूसी रक्षा उद्योग के बीच हस्ताक्षरित।
- **नाम अर्थ:** "तुशील" का अर्थ है **"रक्षक कवच" (Protector Shield)**।
- **प्रतीक (Crest):** **"अभेद्य कवचम" (Impenetrable Shield)** की अवधारणा दर्शाता है।
- **आकार:** लंबाई **125 मीटर**, भार **3,900 टन**।
- **तकनीकी विशेषताएं:**
  - उन्नत **स्टील्थ तकनीक** से लैस।
  - दुश्मन के रडार से कम पहचान योग्य।
  - कठिन समुद्री परिस्थितियों में उच्च स्थिरता।
- **स्वदेशी योगदान:**
  - **26% स्वदेशी तकनीक**, 33 से अधिक सिस्टम भारतीय निर्माताओं द्वारा विकसित।
- **तैनाती:**
  - **पश्चिमी नौसेना कमान** के **पश्चिमी बेड़े (Western Fleet)** में तैनात।
  - भारतीय नौसेना की **"Sword Arm"** का हिस्सा।

INS तुशील: विकास प्रक्रिया

निर्माण:

- **शिपयार्ड:** यंतर शिपयार्ड, कालिनिनग्राद, रूस में निर्माण।
- **अनुबंध:** अक्टूबर 2016 में भारतीय नौसेना, JSC रोसोबोरोनएक्सपोर्ट और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित।

निर्माण निगरानी:

- भारतीय **युद्धपोत निरीक्षण टीम (Warship Overseeing Team)** के विशेषज्ञों ने निर्माण प्रक्रिया की सघन निगरानी की।

परीक्षण चरण:

- **फैक्ट्री समुद्री परीक्षण (Factory Sea Trials):** प्रारंभिक समुद्री परीक्षण।
- **राज्य समिति परीक्षण (State Committee Trials):** व्यापक प्रणाली और प्रदर्शन मूल्यांकन।
- **डिलीवरी स्वीकृति परीक्षण (Delivery Acceptance Trials):** अंतिम स्वीकृति से पहले की विस्तृत जाँच।
- **परीक्षण वर्ष:** 2024 में सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हुए।

INS तुशील: विशेषताएं और महत्व-

विशेषताएं:

- **गति:** 30+ नॉट्स की उच्चतम गति।
- **स्टील्थ डिज़ाइन:** उन्नत रडार-अवशोषक तकनीक से लैस।
- **हथियार प्रणाली:** गाइडेड मिसाइलें, उन्नत हथियार सिस्टम, और रडार।
- **युद्ध क्षमता:** सतह-रोधी (Anti-Surface) और वायु-रोधी (Anti-Air) युद्ध में उन्नत क्षमताएँ।
- **हेलिकॉप्टर डेक:** हेलिकॉप्टर संचालन के लिए विशिष्ट डेक।

महत्व:

- **सामरिक शक्ति:** भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की नौसेना क्षमता को मजबूत करता है।
- **आधुनिकीकरण प्रयास:** उन्नत तकनीकों के साथ नौसेना के बेड़े के आधुनिकीकरण का हिस्सा।
- **भारत-रूस रक्षा संबंध:** द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करता है।
- **समुद्री सुरक्षा:** क्षेत्रीय रक्षा और विवादित जलक्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण।

न्यायिक आचार संहिता / Code of Judicial Conduct

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय पर की गई विवादित टिप्पणी ने सार्वजनिक आक्रोश को जन्म दिया है। यह घटना न्यायपालिका की निष्पक्षता और जवाबदेही पर गंभीर बहस छेड़ने का कारण बन गई है।

न्यायिक आचार संहिता का परिचय:

न्यायिक आचार संहिता न्यायाधीशों के आचरण को निर्देशित करने वाले नैतिक सिद्धांतों को निर्धारित करती है, जिससे न्यायिक कार्यों में निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता बनी रहती है।

न्यायिक आचार संहिता के प्रमुख ढांचे:

1. न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुन:स्थापना (1997):

- यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत एक आचार संहिता है जो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नैतिक मानकों को निर्धारित करती है।
- उद्देश्य: न्यायिक कार्यों में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना।

2. इन-हाउस प्रक्रिया (1999):

- न्यायिक कदाचार को औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया के बाहर संबोधित करने की एक प्रणाली।
- शिकायतें मुख्य न्यायाधीश (CJI) या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को की जा सकती हैं।

3. बेंगलुरु न्यायिक आचरण के सिद्धांत (2002):

- वैश्विक न्यायिक नैतिकता के मानक, जो निम्नलिखित को बढ़ावा देते हैं:
  - **निष्पक्षता और गरिमा:** न्यायाधीशों को निष्पक्ष और उच्च नैतिक मानकों वाला होना चाहिए।
  - **संयम के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** न्यायाधीशों को विवादास्पद सार्वजनिक टिप्पणियों से बचना चाहिए।
  - **विविधता के प्रति सम्मान:** सभी व्यक्तियों के प्रति समान और निष्पक्ष व्यवहार करना आवश्यक है।

न्यायिक नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत:

1. जनविश्वास और विश्वासयोग्यता:

- न्यायाधीशों को अपने आचरण से जनता का न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखना चाहिए।

2. सार्वजनिक जवाबदेही:

- न्यायाधीशों के आचरण पर हमेशा सार्वजनिक दृष्टि रहती है, इसलिए उन्हें उच्च नैतिक मानदंड बनाए रखना चाहिए।

3. स्वतंत्रता और निष्पक्षता:

- न्यायाधीशों को बाहरी दबावों और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना चाहिए

न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया:

संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 124(4)** और **अनुच्छेद 217** के तहत, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को "सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता" के आधार पर हटाया जा सकता है।

महाभियोग प्रक्रिया:

प्रस्ताव की शुरुआत:

- संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
- कुल सदस्यों के 1/3 और उपस्थित सदस्यों के 1/3 का समर्थन आवश्यक है।

संसदीय स्वीकृति:

- दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए।

राष्ट्रपति का आदेश:

- प्रस्ताव पारित होने के बाद, भारत के राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आधिकारिक आदेश जारी करते हैं।

इन-हाउस जांच प्रक्रिया:

शिकायत दर्ज करना:

- शिकायतें मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति को सौंपी जा सकती हैं।

प्रारंभिक जांच:

- संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आरोपी न्यायाधीश से उत्तर मांगता है और परिणाम CJI को भेजता है।

तथ्य-खोज समिति:

- यदि गंभीर आरोप पाए जाते हैं, तो CJI दो मुख्य न्यायाधीशों और एक वरिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वाली समिति बनाते हैं।

सिफारिश और कार्रवाई:

- यदि कदाचार सिद्ध होता है, तो CJI न्यायाधीश को इस्तीफा देने की सलाह दे सकते हैं।
- इनकार की स्थिति में रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी जाती है, जिससे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

न्यायिक नैतिकता का महत्व:

1. **सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना:** न्यायिक ईमानदारी से जनता का न्यायपालिका में विश्वास बना रहता है।
2. **न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना:** बाहरी प्रभावों से मुक्त रहकर न्यायाधीश निष्पक्ष निर्णय दे सकते हैं।
3. **कानून के शासन को मजबूत करना:** नैतिक आचरण से कानूनों की निष्पक्ष व्याख्या और न्याय सुनिश्चित होता है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन / Bhartiya Antriksh Station

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा, जिसे 'भारत अंतरिक्ष स्टेशन' नाम दिया जाएगा। इसके अलावा, 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजने की भी योजना है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Bharatiya Antariksh Station - BAS):

परिचय:

- **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS)**, भारत का प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह पृथ्वी से 400-450 किमी की ऊँचाई पर कक्षा में स्थापित होगा।
- इसे चरणबद्ध तरीके से पाँच मॉड्यूल में निर्मित किया जाएगा।
- पहला मॉड्यूल (बेस मॉड्यूल) 2028 तक लॉन्च करने और 2035 तक स्टेशन को पूर्ण रूप से चालू करने का लक्ष्य है।

डिज़ाइन और संरचना:

- इसमें कुल पांच मॉड्यूल होंगे।
- वर्तमान में, संकल्पना चरण में परियोजना की समग्र संरचना, डॉकिंग पोर्ट और मॉड्यूल प्रकारों का अध्ययन किया जा रहा है।

गगनयान कार्यक्रम का विस्तार:

- गगनयान कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाकर BAS के पहले मॉड्यूल का निर्माण शामिल किया गया है।
- इस उद्देश्य से 2028 तक प्रौद्योगिकी परीक्षण और प्रदर्शन के लिए चार मिशन लॉन्च किए जाएंगे।
- कुल बजट ₹20,000 करोड़ तक बढ़ाया गया है।

महत्त्व:

1. **मानव अंतरिक्ष यान और स्वास्थ्य अनुसंधान:**
   - यह दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए मानव सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी परीक्षणों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा।
2. **पृथ्वी अवलोकन:**
   - यह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर अवलोकन और डेटा संकलन में मदद करेगा।
3. **माइक्रोग्रैविटी अनुसंधान:**
   - मांसपेशियों और हड्डियों के क्षरण जैसे स्वास्थ्य मुद्दों का अध्ययन तेज़ी से किया जा सकेगा।
4. **तकनीकी नवाचार और रोजगार:**
   - छोटे उद्यमी अपने उपकरणों और तकनीकों का परीक्षण कर सकते हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
5. **वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी:**
   - वर्तमान में भारत की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2% की हिस्सेदारी है, जिसे 10% तक बढ़ाने की योजना है।
6. **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा:**
   - यह परियोजना भारत को सीमित देशों के उस समूह में शामिल कर देगी जिनके पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन है।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन:

परिचय:

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) अब तक का सबसे बड़ा मानव निर्मित अंतरिक्ष यान है, जिसे 20 नवंबर, 1998 को लॉन्च किया गया था।
- यह एक अंतरिक्ष आवास के रूप में काम करता है और 2011 से लगातार मानव उपस्थिति बनाए हुए है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **सहभागी देश:** यह अमेरिका (NASA), रूस (Roscosmos), यूरोप (ESA), जापान (JAXA) और कनाडा (CSA) की अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त परियोजना है।
- **कक्षा:** यह पृथ्वी से 400 किमी ऊपर कक्षा में परिक्रमा करता है।
- **गति:** यह लगभग 28,000 किमी/घंटा की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिससे हर 90 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है।
- **उद्देश्य:** अंतरिक्ष और माइक्रोग्रैविटी पर अनुसंधान को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक अद्वितीय मंच प्रदान करना।

महत्व:

1. **वैश्विक सहयोग का प्रतीक:** ISS अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, शांति और सहयोग का एक सफल उदाहरण है।
2. **अंतरिक्ष मिशन की तैयारी:** दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्रा और मंगल व चंद्रमा मिशनों की तैयारी के लिए यह एक परीक्षण मंच है।
3. **अंतरिक्ष चिकित्सा अनुसंधान:** मस्तिष्क रोग (जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस) और कैंसर जैसे रोगों पर उपचार अनुसंधान में मदद करता है।
4. **मानव अंतरिक्ष उड़ान अनुभव:** ISS ने अंतरिक्ष यात्रियों को भविष्य के गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए प्रशिक्षित किया है।

अन्य अंतरिक्ष स्टेशन पहल:

चीन का तियानगोंग:

- चीन का स्व-निर्मित अंतरिक्ष स्टेशन तियानगोंग 2022 के अंत से पूरी तरह से संचालित है। यह 450 किमी की ऊँचाई पर तीन अंतरिक्ष यात्रियों को समायोजित कर सकता है।

भारत का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS): भारत 2035 तक अपने अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने की योजना बना रहा है।

S-400 एयर डिफेंस सिस्टम / S-400 Air Defense System

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव से मुलाकात की थी। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम की दो बची हुई यूनिट की जल्द डिलीवरी पर जोर दिया।

भारत-रूस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डील के मुख्य बिंदु:

1. **डील की घोषणा:** भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर डील 2018 में हुई थी।
2. **प्राप्त इकाइयाँ:** रूस ने अब तक भारत को S-400 की तीन यूनिट्स सौंप दी हैं।
3. **तैनाती क्षेत्र:** ये सिस्टम चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं।
4. **सिस्टम की क्षमताएँ:**
    - S-400 एक लंबी दूरी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है।
    - यह 400 किमी की दूरी तक हवाई जहाज, ड्रोन, और मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने और नष्ट करने में सक्षम है।
5. **रणनीतिक महत्व:**
    - यह भारत की हवाई सुरक्षा को मजबूत करता है और देश की रक्षा प्रणाली को एक अत्याधुनिक बढ़त प्रदान करता है।

S-400 की खासियतें:

1. **ऑपरेशनल रेंज:**
    - S-400 की कार्यक्षमता 40 से 400 किमी तक है।
2. **मैक्सिमम स्पीड:**
    - यह मिसाइल सिस्टम 4800 मीटर/सेकंड (लगभग 17,000 किमी/घंटा) की अधिकतम गति से लक्ष्यों को भेद सकता है।
3. **मैक्सिमम ऊंचाई:**
    - यह 30 से 60 किमी की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकता है।
4. **टारगेट डिटेक्शन रेंज:**
    - S-400 600 किमी की दूरी तक दुश्मन के लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम है।
5. **मिसाइल रेंज:**
    - 9M96E: 120 किमी
    - 48N6E2: 200 किमी
    - 48N6DM: 250 किमी
    - 40N6E: 400 किमी
6. **डिप्लॉयमेंट टाइम:**
    - यह सिस्टम केवल 5-10 मिनट में ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकता है।

S-400 मिसाइल भारत के लिए कैसे मददगार होगी?

1. **भारत-रूस समझौता:**
    - भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ $5.5 बिलियन की डील साइन की।
    - इस डील के तहत भारत ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 5 यूनिट्स खरीदने का समझौता किया।
    - यह फैसला अमेरिका के CAATSA कानून के तहत प्रतिबंधों की चेतावनी के बावजूद लिया गया।
2. **वायु रक्षा क्षमता में बढ़ोतरी:**
    - S-400 सिस्टम भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को काफी हद तक मजबूत करेगा।
    - यह भारत को दुश्मनों की मिसाइल और हवाई हमलों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा।
3. **चीन-पाकिस्तान सीमा पर निगरानी:**
    - S-400 की उन्नत रडार क्षमताएं भारत को चीन और पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में गहरी निगरानी रखने में सक्षम बनाएंगी।
    - इससे भारत की स्थिति की जानकारी और प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार होगा।
4. **हर मौसम में कार्य करने की क्षमता:**
    - यह सिस्टम चरम तापमान पर भी काम कर सकता है, जिससे यह हर मौसम में उपयोगी है।
    - इसकी पहचान न कर पाने की विशेषता इसे और भी प्रभावी बनाती है।
5. **रक्षा रणनीति का मजबूत आधार:**
    - S-400 भारत की रक्षा रणनीति का एक मजबूत आधार बनेगा और देश की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

निवेश सुविधा विकास / Investment Facility Development

चीन द्वारा नेतृत्व किए गए निवेश सुविधा विकास (IFD) समझौते को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में 128 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है, लेकिन भारत, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और तुर्की इसे कमजोर देशों की नीतिगत स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव के कारण इसका विरोध करेंगे।

मुख्य बिन्दु:

- **चीन-नेतृत्व वाला IFD समझौता**: चीन द्वारा 2017 में प्रस्तावित, यह समझौता 128 WTO सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त कर चुका है।
- **भारत और अन्य देशों का विरोध**: भारत, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और तुर्की इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह कमजोर देशों की नीतिगत स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है।
- **चीन का दबाव**: चीन ने 166 WTO सदस्यों में से 128 का समर्थन प्राप्त किया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है।
- **संचार**: IFD का उद्देश्य वैश्विक निवेश वातावरण में सुधार लाना और विकासशील देशों को FDI में मदद करना है।
- **अमेरिका की स्थिति**: अमेरिका इस समझौते का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन वह इससे बाहर रहने का विकल्प चुन रहा है।
- **चीन से निवेश में बदलाव**: अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और चीन में कम होती उपभोक्ता मांग के कारण निवेश प्रवाह चीन से हटकर ASEAN देशों की ओर बढ़ रहा है।

Investment Facilitation for Development (IFD) Agreement:

1. **शुरुआत**: IFD पहल की शुरुआत 11वीं WTO मंत्री सम्मेलन (MC11) में दिसंबर 2017 में 70 देशों द्वारा की गई थी।
2. **उद्देश्य**: इस समझौते का उद्देश्य निवेश प्रवाह को सुगम बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान तैयार करना है।
3. **लक्ष्य**: IFD का मुख्य उद्देश्य विकासशील और सबसे कम विकसित देशों की वैश्विक निवेश प्रवाह में भागीदारी को बढ़ाना है।
4. **प्रमुख क्षेत्रों में सुधार**:
   - **नियामक पारदर्शिता और पूर्वानुमानिता में सुधार**: निवेश संबंधित उपायों को प्रकाशित करना और पूछताछ बिंदु स्थापित करना।
   - **प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना**: मंजूरी प्रक्रिया में अत्यधिक कदमों को हटाना और आवेदन को सरल बनाना।
   - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि**: विकासशील देशों और सबसे कम विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
   - **जिम्मेदार व्यापार व्यवहार को बढ़ावा देना**: उचित व्यापार व्यवहार को प्रोत्साहित करने के प्रावधान लागू करना।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बारे में:

1. **स्थापना**: विश्व व्यापार संगठन (WTO) 1995 में स्थापित हुआ था, जिसका उद्देश्य देशों के बीच नियम आधारित व्यापार को बढ़ावा देना है।
2. **मुख्य कार्य**: WTO एक वैश्विक सदस्यता समूह है जो मुक्त व्यापार को बढ़ावा और प्रबंधित करता है। यह सरकारों को व्यापार समझौतों पर बातचीत करने और व्यापार विवादों का समाधान करने का मंच प्रदान करता है।
3. **उद्देश्य**: इसका उद्देश्य माल और सेवाओं के उत्पादकों, निर्यातकों, और आयातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आसानी से संचालन करने में मदद करना है।
4. **सदस्य और पर्यवेक्षक**:
   - **सदस्य**: वर्तमान में WTO में 164 सदस्य हैं (जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है)।
   - **पर्यवेक्षक**: 23 सरकारें पर्यवेक्षक के रूप में हैं (जैसे इराक, ईरान, भूटान, लीबिया आदि)।

WTO के मुख्य उद्देश्य:

1. अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाना और उन्हें लागू करना, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिले।
2. व्यापार बाधाओं को घटाकर और भेदभावपूर्ण सिद्धांतों को लागू करके व्यापार उदारीकरण पर बातचीत और निगरानी का मंच प्रदान करना।
3. व्यापार विवादों का समाधान करना और विश्व शांति और स्थिरता में योगदान देना।
4. निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाना, ताकि कमजोर देशों को मजबूत आवाज मिल सके।
5. वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना।
6. विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूर्ण लाभ उठाने में मदद करना, ताकि व्यापार लागत कम हो सके।

भारत कौशल रिपोर्ट 2025 / India Skills Report 2025

'India Skills Report 2025' के अनुसार, 2025 तक भारत में ग्रेजुएट्स की रोजगार क्षमता 7 प्रतिशत बढ़कर 54.81 प्रतिशत तक पहुँचने की उम्मीद है।

- भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार, केरल भारत में सबसे अधिक रोजगार योग्य राज्यों में से रहा है।

India Skills Report 2025 के बारे में:

- **रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्थाएँ:**
  - Confederation of Indian Industries (CII)
  - Wheebox (एक प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी)
  - All India Council for Technical Education (AICTE)
- **आधार:**
  - भारतभर में हुए Global Employability Test (G.E.T.) में 6.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों के आंकड़े
  - 1,000 से अधिक कंपनियों के इनसाइट्स
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - भारत में रोजगार योग्य युवाओं की क्षमता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी employability का मूल्यांकन करना।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- 2025 में लगभग 55 प्रतिशत भारतीय ग्रेजुएट्स के वैश्विक रोजगार के योग्य होने की उम्मीद है, जो 2024 में 51.2 प्रतिशत था (7 प्रतिशत की वृद्धि)।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रबंधन ग्रेजुएट्स (78 प्रतिशत) की वैश्विक रोजगार क्षमता सबसे अधिक है, उसके बाद इंजीनियरिंग छात्रों (71.5 प्रतिशत), MCA छात्रों (71 प्रतिशत) और विज्ञान ग्रेजुएट्स (58 प्रतिशत) का स्थान है।
- महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्य रोजगार योग्य प्रतिभाओं के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहे हैं, जबकि पुणे, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहर कौशलपूर्ण कार्यबल प्रदान करने में अग्रणी हैं।
- लिंग विश्लेषण के अनुसार, पुरुषों के लिए रोजगार क्षमता 2025 में 51.8 प्रतिशत से बढ़कर 53.5 प्रतिशत होने की संभावना है, जबकि महिलाओं के लिए यह दर 50.9 प्रतिशत से घटकर 47.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- 2025 तक, 50 प्रतिशत माध्यमिक और तृतीयक छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होने की उम्मीद है, जिससे भारत वैश्विक प्रतिभा बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा।
- रिपोर्ट में यह भी बल दिया गया है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण को उद्योग की आवश्यकताओं से जोड़ना, खासकर उभरते क्षेत्रों जैसे कि AI, साइबर सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी में, अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सरकारी कौशल विकास योजनाएं:

1. **कौशल भारत मिशन (SIM):** यह मिशन कौशल विकास, पुन: कौशल और उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए MSDE द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें कौशल विकास केंद्रों, कॉलेजों और संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है।
2. **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** यह योजना युवाओं को शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग और Recognition of Prior Learning (RPL) के माध्यम से कौशल प्रदान करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है।
3. **जन शिक्षण संस्थान (JSS):** यह योजना गैर-लिखित, नव-लिखित और स्कूली ड्रॉपआउट्स को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है, विशेष रूप से महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है।
4. **राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रचार योजना (NAPS):** यह योजना उद्योगों में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है और प्रशिक्षुओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत उद्योगों में मूलभूत प्रशिक्षण और कार्यस्थल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
5. **शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS):** यह योजना ITIs के माध्यम से दी जाती है, जहां युवाओं को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें उद्योगों के लिए तैयार किया जाता है और आत्म-रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
6. **अन्य मंत्रालयों द्वारा योजनाएं:** कई अन्य योजनाएं जैसे Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY), RSETI, NULM, TEJAS और SANKALP के द्वारा भी कौशल विकास और उन्नति के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट 2024 / World Solar Report 2024

इंटरनेशनलसोलर अलायंस (ISA) द्वारा वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट 2024 जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 2000 में 1.22 GW से शुरू होकर 2023 में यह क्षमता बढ़कर 1,419 GW तक पहुँच गई है, जिससे लगभग 36% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) हासिल की गई है। आज के समय में, सौर क्षमता विश्वभर में होने वाली सभी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि का तीन-चौथाई हिस्सा बन गई है।

नई सौर तकनीकें:

- **क्वांटम डॉट सौर कोशिकाएं:** इनकी दक्षता 18.1% तक पहुँच गई है, जो सौर ऊर्जा कैप्चर करने और जलवायु जल संचयन प्रौद्योगिकियों को बेहतर बनाने के लिए एक प्रभावी तरीका साबित हो सकती हैं।
- **स्व-उपचार सौर पैनल:** शोधकर्ता ऐसे पैनल विकसित कर रहे हैं जो अपनी उम्र को बढ़ाने और मौजूदा सौर कोशिकाओं के रखरखाव को कम करने में मदद करेंगे।
- **सौर ऊर्जा आधारित फाइटो-माइनिंग:** यह तकनीक सौर ऊर्जा का उपयोग करके मिट्टी से कीमती धातुओं का निष्कर्षण करती है, जो पारंपरिक खनन प्रक्रियाओं के मुकाबले एक सतत विकल्प प्रदान करती है।
- **सौर पेवर ब्लॉक्स और BIPV (Building Integrated PV):** यह इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ एकीकृत होते हैं, जो पारदर्शी सौर पैनलों की मदद से रोशनी को प्रवेश करने देते हैं और दृश्यता बनाए रखते हैं। इन नई तकनीकों का विकास लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियों पर निर्भरता को कम करेगा।
- **सौर पैनल पुनर्चक्रण:** सौर क्षेत्र पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सौर पैनल पुनर्चक्रण और सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस को प्राथमिकता दे रहा है।

लागत में कमी:

- 2024 की वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट के अनुसार, उपयोगिता-स्तरीय सौर फोटोगलैफिक (PV) परियोजनाओं की औसत नीलामी कीमत सभी क्षेत्रों में लगातार घट रही है।
- 2024 में, इनकी कीमत $40/MWh रही।
- भारत ने सौर PV क्षमता के लिए $34/MWh की नीलामी कीमत के साथ वैश्विक नीलामी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
- 2024 तक, सौर PV तकनीकी में निवेश $500 बिलियन को पार करने की संभावना है, जो अन्य सभी ऊर्जा उत्पादन रूपों के संयुक्त निवेश से अधिक होगा।

वैश्विक बाजार का हाल:

- 2023 तक, चीन ने वैश्विक सौर PV बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी बनाई, जहां चीन का योगदान 43% (609 GW) है।
- अमेरिका का योगदान 10% (137.73 GW) है।
- जापान, जर्मनी और भारत प्रत्येक का योगदान 5-6% है।
- ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इटली और स्पेन जैसे उभरते सौर बाजारों का योगदान लगभग 2% है।
- 2023 में, सौर PV घटकों के निर्माण में चीन की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि हुई:
  - 97% हिस्सेदारी वेफर निर्माण में।
  - 89% हिस्सेदारी सेल निर्माण में।
  - 83% हिस्सेदारी मॉड्यूल इंस्टॉलेशन में।

सौर ऊर्जा ने अन्य उद्योगों पर प्रभाव :

- **रोजगार का वृद्धि:** 2023 में सौर PV क्षेत्र में 7.1 मिलियन नौकरियों का सृजन हुआ, जो 2022 में 4.9 मिलियन था, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है और यह आर्थिक विकास में योगदान कर रहा है।
- **कृषि में बदलाव:** सौर ऊर्जा द्वारा संचालित सिंचाई प्रणालियाँ कृषि को बदल रही हैं। वैश्विक सौर पंप बाजार में 2021 से 2027 तक 5.8% CAGR से वृद्धि होने का अनमान है।
- **अग्रिवोल्टिक्स:** यह प्रणाली पशुपालन में सौर पैनलों का उपयोग करती है, जहां सौर पैनल पशुओं को छांव प्रदान करते हैं और साथ ही बिजली उत्पादन करते हैं।
- **पेय-एज-यू-गो मॉडल:** इस मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ता छोटे और नियमित किश्तों में अपने सौर प्रणालियों के लिए भुगतान कर सकते हैं, जिससे सौर ऊर्जा को अधिक सुलभ बनाया गया है।

धारा 498A / Section 498A

हाल ही में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक झूठे दहेज उत्पीड़न मामले को खारिज कर दिया, जहां पत्नी ने अपने पति और उसके परिवार पर क्रूरता और दहेज की मांग का आरोप लगाया था। कोर्ट ने इस कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

धारा 498A (भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 84):

धारा 498A भारतीय दंड संहिता (अब भारतीया न्याय संहिता, 2023 की धारा 84) से संबंधित है, जो किसी महिला के पति या उसकी ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा शादीशुदा महिला के प्रति क्रूरता के अपराध को परिभाषित करती है। यह धारा महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते हुए अत्याचारों और उत्पीड़न के मामलों को संबोधित करने के लिए लागू की गई थी, विशेषकर दहेज से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में।

धारा 498A के तहत क्रूरता की परिभाषा:

- किसी महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या महिला के जीवन, अंग, स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरे में डालने के लिए किसी भी इच्छाशक्ति का संचालन।
- किसी महिला का उत्पीड़न, यदि यह उत्पीड़न उसे या उसके किसी रिश्तेदार को किसी अवैध मांग को पूरा करने के लिए संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा प्रदान करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया गया हो।

दंड: पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा किसी महिला के प्रति क्रूरता करने वाला व्यक्ति तीन वर्ष तक की सजा और जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा। शिकायत तीन वर्ष के भीतर दर्ज की जानी चाहिए, और यह अपराध संज्ञेय और जमानती नहीं है, जिसका अर्थ है कि आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी संभव है।

धारा 498A के लागू होने के कारण:

- 1980 के दशक में दहेज हत्या और घरेलू हिंसा के मामलों की बढ़ती घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में इसे भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया।
- यह महिलाओं को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, दहेज से संबंधित शोषण और हिंसा के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।

धारा 498A के दुरुपयोग:

- **बढ़ता हुआ दुरुपयोग**: विवाह संबंधी विवादों के साथ, यह प्रावधान पति और उसकी परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए व्यापक रूप से दुरुपयोग का शिकार बन गया है।
- **आर्थिक लाभ के लिए धमकी**: झूठे मामलों का उपयोग पैसे की उगाही करने या वैवाहिक विवाद में शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
- **विफल आरोप**: अक्सर, अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए जाते हैं बिना विशिष्ट विवरण या साक्ष्य के, जो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग और निर्दोष परिवार के सदस्यों को उत्पीड़न का कारण बनता है।
- **सामाजिक और मानसिक क्षति**: घरेलू हिंसा के आरोपों से जुड़ी कलंक की स्थिति आरोपी के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है, भले ही वे अंततः बरी हो जाएं।
- **तत्काल गिरफ्तारी**: कुछ मामलों में तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान दुरुपयोग का शिकार हो सकता है ताकि आरोप स्थापित किए बिना आरोपी पर दबाव डाला जा सके।

धारा 498A के दुरुपयोग के कारण:

- **तत्काल सत्यापन की अनुपस्थिति**: चूंकि धारा 498A संज्ञेय और जमानती अपराध है, गिरफ्तारी बिना प्रारंभिक जांच के हो सकती है, जो दुरुपयोग की गुंजाइश पैदा करती है।
- **विवाहिक विवाद**: व्यक्तिगत संघर्षों या तलाक की स्थिति में झूठे आरोपों का उपयोग प्रतिशोध लेने के लिए किया जा सकता है।
- **उत्तरदायित्व की कमी**: झूठे मामलों के लिए सख्त दंड की अनुपस्थिति इसके दुरुपयोग को बढ़ावा देती है।

उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:

- **अल्पसंख्यक की जांच**: अदालत ने अस्पष्ट आरोपों की जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग और जबरदस्ती की प्रक्रियाओं को रोका जा सके।
- **विशिष्टता की आवश्यकता**: एफआईआर में सटीक और विशिष्ट आरोप होने चाहिए जिनमें घटना, दिनांक, स्थान और संदर्भ के तरीके के विवरण शामिल हों।
- **संदर्भ महत्वपूर्ण है**: अदालत एफआईआर की संदर्भ का मूल्यांकन करती है, जैसे शिकायत के समय और परिस्थितियों को, ताकि उसकी वास्तविकता को निर्धारित किया जा सके।
- **निर्दोषों की रक्षा**: अदालत निर्दोष परिवार के सदस्यों को वैवाहिक विवादों में अनावश्यक रूप से घसीटे जाने से बचाने के लिए सबूतों के अभाव में महत्व देती है।
- **न्यायिक जिम्मेदारी**: अदालत शिकायतों की जांच करने और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने में न्यायपालिका की भूमिका पर जोर देती है।

फैसले का महत्व:

- ग़लत उपयोग की बढ़ती चिंता: इस फैसले ने धारा 498A के दुरुपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर किया है, विशेष रूप से जब इसे व्यक्तिगत प्रतिशोध के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- न्यायिक जांच की आवश्यकता: फैसले ने कानूनी प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिक न्यायिक जांच की आवश्यकता को रेखांकित किया, ताकि झूठे आरोपों में फंसाए गए परिवार के सदस्यों को अनावश्यक शोषण से बचाया जा सके।
- व्यक्तिगत विवादों को सुलझाने का साधन नहीं: यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि महिला उत्पीड़न से बचाव के लिए बनाए गए कानूनों का उपयोग व्यक्तिगत विवादों को निपटाने के उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
- सतर्कता का संदेश: यह फैसला समाज को सतर्क रहने और धारा 498A के उचित और सही उपयोग की जरूरत के बारे में जागरूक करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानून का उद्देश्य न्याय और सुरक्षा प्रदान करना ही रहे।

हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक / Hyperloop Test Track

आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक शुरू किया है, जिसकी लंबाई 410 मीटर है। यह ट्रैक भारतीय परिस्थितियों में हाइपरलूप तकनीक की संभावनाओं को परखने के लिए एक प्रोटोटाइप के रूप में काम करेगा। भारत में पहला पूर्ण हाइपरलूप सिस्टम मुंबई-पुणे मार्ग पर बनाया जाएगा।

हाइपरलूप क्या है? हाइपरलूप एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से दुनिया में कहीं भी लोगों को या वस्तुओं को तीव्रता के साथ सुरक्षित एवं कुशलतापूर्वक स्थानांतरित किया जा सकेगा और इससे पर्यावरण पर भी न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। एलन मस्क ने हाइपरलूप तकनीक का पहली बार विचार 2012 या 2013 में रखा था। इस तकनीक के माध्यम से लगभग 1000 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से पॉड दौड़ सकेगी। अगर यह हाइपरलूप तकनीक भारत में आजाती है, तो संभवत: मुम्बई से पुणे के बीच की दूरी को 25 मिनट के समय में तय किया जा सकेगा जिसमें पहले 2.5 घंटे का समय लगता था।

हाइपरलोप कैसे काम करता है?

- सवारी या समान के परिवहन के लिए लो-प्रेशर ट्यूब और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का उपयोग किया जाएगा।
- पैसेंजर कैप्सूल वैक्यूम ट्यूबों की तरह हवा के दवाब से नहीं चलता है, बल्कि यह दो विद्युत चुम्बकीय मोटर द्वारा चलता है। इसकी सहायता से लगभग 760 मील प्रति घंटा की गति से यात्रा की जा सकती है।
- विशेष प्रकार से डिज़ाइन किये गए कैप्सूल या पॉड्स का इस तकनीक में प्रयोग किया जाता है। इनमें यात्रियों को बिठाकर या फिर कार्गो लोड कर के इन कैप्सूल्स या पॉड्स को जमीन के ऊपर पारदर्शी पाइप जो कि काफी बड़े हैं में इलेक्ट्रिकल चुम्बक पर चलाया जाएगा। चुंबकीय प्रभाव से ये पॉड्स ट्रैक से कुछ ऊपर उठ जाएंगे इसी कारण गति ज्यादा हो जाएगी और घर्षण कम होगा।
- यात्रियों के पॉड्स को हाइपरलूप वाहन में एक कम दबाव वाली ट्यूब के अंदर उत्तरोत्तर विद्युत प्रणोदन (Electric Propulsion) के माध्यम से उच्च गति प्रदान की जाती है। जो अल्ट्रा-लो एयरोडायनामिक ड्रैग के परिणामस्वरूप लंबी दूरी तक हवाई जहाज की गति से दौड़ेंगे।

मुख्य घटक और कार्य तंत्र:

1. **ट्यूब:** नीर-वैक्यूम ट्यूबें हवा का प्रतिरोध कम करती हैं, जिससे उच्च गति पर यात्रा संभव होती है।
2. **कैप्सूल/पॉड्स:** यात्रियों/कार्गो को ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पॉड्स चुंबकीय अविलंबन का उपयोग करते हैं जिससे वे ट्रैक से ऊपर उठ जाते हैं और जमीन के साथ घर्षण समाप्त हो जाता है।
3. **कंप्रेसर:** यह हवा को खींचता है और कैप्सूल को कम दबाव वाली ट्यूब के माध्यम से चलाने की अनुमति देता है।
4. **स्पेंशन:** हवा बियरिंग्स सस्पेंशन स्थिरता प्रदान करता है और ड्रैग को कम करता है।
5. **प्रोपल्शन:** पॉड्स को लाइनियर इंडक्शन मोटर्स का उपयोग करके आगे बढ़ाया जाता है।

लाभ (Benefits):

1. **ऊर्जा दक्षता:** हाइपरलूप सिस्टम्स कम हवा का प्रतिरोध और घर्षण के कारण अत्यधिक ऊर्जा-कुशल माने जाते हैं।
2. **सततता:** कई हाइपरलूप अवधारणाओं को सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल होता है।
3. **यात्रा समय में कमी:** हाइपरलूप संभवत: शहरों के बीच यात्रा के समय को कम कर सकता है, जिससे लंबी दूरी की यात्राएं अधिक व्यवहार्य होती हैं।

चुनौतियां (Challenges):

1. **अधिनिर्माण लागतें:** आवश्यक बुनियादी ढांचे, ट्यूबों, स्टेशनों और समर्थन प्रणालियों को बनाना अत्यधिक महंगा होता है।
2. **भूमि अधिग्रहण:** हाइपरलूप मार्गों के लिए आवश्यक भूमि को हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में।
3. **प्रौद्योगिकी संबंधित चुनौतियां:** मैग्लेव सिस्टम्स, वैक्यूम सील और सुरक्षा तंत्र सहित तकनीक को विकसित और परिपूर्ण करना महत्वपूर्ण शोध और विकास की आवश्यकता होती है।

एलन मस्क: 400 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति / Elon Musk: $400 Billion Net Worth

एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ, ने ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार 400 अरब डॉलर का नेट वर्थ पार कर इतिहास रच दिया है। यह उनकी बढ़ती सफलता और विभिन्न व्यवसायों में प्रभावशाली स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिसमें स्पेसएक्स, टेस्ला और उनकी एआई परियोजना शामिल हैं।

एलन मस्क की संपत्ति- नया रिकॉर्ड (मुख्य बिन्दु):

1. $400 बिलियन की संपत्ति पार:

- एलन मस्क दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति $400 बिलियन (लगभग ₹33,938 करोड़) से अधिक हो गई है।
- यह उपलब्धि स्पेसएक्स के शेयर बिक्री के बाद हासिल हुई।

2. स्पेसएक्स की बड़ी शेयर बिक्री:

- स्पेसएक्स ने $1.25 बिलियन तक के अंदरूनी शेयर कर्मचारियों और निवेशकों से खरीदे।
- इस बिक्री से कंपनी का मूल्यांकन $350 बिलियन तक पहुंच गया।
- मस्क के पास स्पेसएक्स के 42% शेयर हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बन गई है।

3. टेस्ला की तेजी से बढ़ती कीमत:

- टेस्ला के शेयर की कीमत 65% बढ़कर $415 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।
- स्व-चालित कारों के नियमों पर सकारात्मक बाजार धारणा ने मस्क की संपत्ति में और इजाफा किया।

4. राजनीतिक प्रभाव और सरकारी भूमिका:

- मस्क को नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार में "विभागीय दक्षता विभाग (DOGE)" के सह-अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
- यह विभाग सरकारी खर्च और संचालन में सुधार के लिए काम करेगा।

5. मस्क की एआई कंपनी xAI का विस्तार:

- मस्क की एआई कंपनी xAI का मूल्यांकन दोगुना होकर $50 बिलियन तक पहुंच गया है।
- स्पेसएक्स, टेस्ला और xAI की प्रगति ने मस्क की कुल संपत्ति में बड़ा योगदान दिया है।

6. तेजी से बढ़ती संपत्ति:

- 5 नवंबर 2024 से मस्क की संपत्ति में लगभग $136 बिलियन की वृद्धि हुई है।
- 10 दिसंबर 2024 तक मस्क की संपत्ति जेफ बेजोस से $140 बिलियन अधिक थी।

7. उतार-चढ़ाव और संपत्ति का अनुमान:

- टेस्ला के शेयर की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण मस्क की संपत्ति में अस्थिरता देखी गई।
- दिसंबर 2024 में ब्लूमबर्ग ने मस्क की कुल संपत्ति $439.2 बिलियन आंकी, जबकि फोर्ब्स ने इसे $369 बिलियन बताया।

8. कानूनी चुनौतियां और झटके:

- डेलावेयर कोर्ट ने मस्क के टेस्ला वेतन पैकेज को दूसरी बार खारिज कर दिया, जिसकी कुल कीमत $100 बिलियन से अधिक थी।
- इसके बावजूद, मस्क अपनी संपत्ति को बनाए रखने के लिए मजबूत स्थिति में बने हुए हैं।

xAI की तेज़ वृद्धि:

- एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI ने बड़ी प्रगति की है।
- सफल फंडरेज़िंग के बाद इसका मूल्यांकन दोगुना होकर $50 बिलियन तक पहुंच गया।
- अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की चुनावी जीत से भी इस बढ़ोतरी को समर्थन मिला।

स्पेसएक्स का बढ़ता मूल्यांकन:

- हाल ही में स्पेसएक्स ने $1.25 बिलियन की डील पूरी की, जिसमें कंपनी ने कर्मचारियों और अंदरूनी लोगों से शेयर खरीदे।
- इस लेन-देन ने स्पेसएक्स का मूल्यांकन $350 बिलियन कर दिया, जिससे यह दुनिया की सबसे मूल्यवान निजी स्टार्टअप बन गई।
- स्पेसएक्स की अधिकांश आय अमेरिकी सरकारी ठेके से आती है, और ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने से कंपनी के हितों को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह 2024 / National Panchayat Awards Ceremony 2024

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह 2024 का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु करेंगी। साथ ही, पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

सवैंधानिक नींव:

- यह पुरस्कार 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की याद में दिए जाते हैं, जिसने पंचायतों को स्थानीय स्वशासन के संस्थानों के रूप में संविधानिक दर्जा प्रदान किया।
- पारंपरिक रूप से 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले इन पुरस्कारों का 2024 का समारोह लोकसभा चुनावों के कारण पुन: निर्धारित किया गया था।

पुरस्कार का महत्व:

- ✓ राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का उद्देश्य ग्रामीण पंचायतों के प्रयासों को पहचानना और प्रोत्साहित करना है। ये पुरस्कार गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल संरक्षण, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे, सामाजिक न्याय, सुशासन और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को दिया जाता है।
- ✓ इसका प्रमुख लक्ष्य पंचायतों को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना और अन्य ग्रामीण निकायों को भी अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

एसडीजी लक्ष्यों के आधार पर नई थीम:

पंचायती राज मंत्रालय ने 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को 9 लोकलाइज्ड सतत विकास लक्ष्य (LSDG) थीम में वर्गीकृत किया है और पुरस्कार को इन पर आधारित किया है:

1. गरीबी मुक्त और आजीविका संवर्धन पंचायत
2. स्वस्थ पंचायत
3. बाल-अनुकूल पंचायत
4. जल पर्याप्त पंचायत
5. स्वच्छ और हरी-भरी पंचायत
6. आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा पंचायत
7. सामाजिक न्याय और सुरक्षा वाली पंचायत
8. सुशासन वाली पंचायत
9. महिला-अनुकूल पंचायत

पुरस्कार की श्रेणियां

1. दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (DDUPSVP):

- यह पुरस्कार प्रत्येक थीम के तहत शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों/समान निकायों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।

2. नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार:

- यह पुरस्कार सभी 9 थीम के समग्र प्रदर्शन के लिए शीर्ष 3 ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों को दिया जाता है।

3. विशेष श्रेणी के पुरस्कार:

- ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार: नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और उपयोग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों को दिया जाता है।
- कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार: नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और उपयोग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 पुरस्कार इस श्रेणी में दिए गए।
- पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार: यह पुरस्कार 3 संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने पंचायतों को LSDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में संस्थागत समर्थन दिया है।

चयन प्रक्रिया:

- पंचायतों का मूल्यांकन नौ LSDG क्षेत्रों के आधार पर ब्लॉक से राष्ट्रीय स्तर तक की समितियों द्वारा किया गया।
- विस्तृत प्रश्नावली के माध्यम से निष्पक्ष और समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित किया गया।

वित्तीय सम्मान और समर्थन:

- कुल ₹46 करोड़ की पुरस्कार राशि 45 विजेता पंचायतों को सीधे उनके खातों में स्थानांतरित की गई।
- यह राशि ग्रामीण शासन की पहलों को प्रोत्साहित करने और समर्थन देने के लिए थी।

उद्देश्य और प्रभाव:

- ग्रामीण विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- पंचायती राज संस्थाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रेरित करना।
- स्थानीय शासन में सुधार और सतत विकास लक्ष्यों के साथ विकास को जोड़ना।

विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 / World Malaria Report 2024

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ताजा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया मामलों का लगभग 1.5% वैश्विक बोझ है। भारत ने 2023 में इस क्षेत्र के आधे से अधिक मामलों की रिपोर्ट की, जबकि इंडोनेशिया में लगभग एक-तिहाई मामले दर्ज किए गए। भारत और इंडोनेशिया में इस क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली लगभग 88% मौतें हुईं।

मुख्य बिंदु: मलेरिया पर वैश्विक और भारत का दृश्य

वैश्विक स्थिति:

- **मामले**: 2023 में मलेरिया के अनुमानित 263 मिलियन मामले 83 देशों में दर्ज हुए, जो 2022 के 252 मिलियन और 2015 के 226 मिलियन मामलों से अधिक हैं।
- **मृत्यु**: 2023 में मलेरिया से 5,97,000 मौतें हुईं, जो 2015 में 5,78,000 थी। हालांकि, COVID-19 महामारी के बाद मृत्यु दर में कमी आई है।
- **अफ्रीका**: अफ्रीका में 2023 में वैश्विक मलेरिया मामलों का 94% और मौतों का 95% हिस्सा था।

भारत:

- भारत ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में प्रगति के कारण उच्च-भार-उच्च-प्रभाव (HBHI) देशों के समूह से बाहर निकलने की उपलब्धि प्राप्त की है।
- भारत ने 2017 में 6.4 मिलियन मामलों से 2023 में 2 मिलियन मामलों तक मलेरिया के मामलों में 69% की कमी की।
- मलेरिया से होने वाली अनुमानित मौतें भी इसी अवधि में 11,100 से घटकर 3,500 हो गईं।
- इस प्रगति का श्रेय आर्टेमिसिनिन-आधारित संयोजन उपचार (ACT) और लंबे समय तक प्रभावी कीटनाशक जाल (LLIN) के उपयोग को दिया जा रहा है।
- ACT में आर्टेमिसिनिन पहले अधिकांश मलेरिया परजीवियों को मारता है और साथी दवा शेष परजीवियों को खत्म करती है।

नए खतरे:

- **दवाओं का प्रतिरोध**: एर्टेमीसिनिन, जो मलेरिया की मुख्य दवा है, के प्रति आंशिक प्रतिरोध इरीट्रिया, रवांडा, उगांडा, और तंजानिया में पाया गया है, जबकि इथियोपिया और सूडान में संदेहास्पद मामले हैं।
- **कीटनाशक प्रतिरोध**: 64 निगरानी किए गए देशों में से 55 देशों में पायरेथ्रॉइड प्रतिरोध पाया गया है, जिसके कारण डब्ल्यूएचओ ने अगली पीढ़ी के कीटनाशक-treated जाल की सिफारिश की है।
- **आक्रामक प्रजातियां**: शहरी क्षेत्रों में पनपने वाला **Anopheles stephensi** मच्छर अब आठ अफ्रीकी देशों में फैल चुका है, जिससे मलेरिया नियंत्रण में कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं।
- **जानवरों से फैलने वाला मलेरिया**: **P. knowlesi** नामक परजीवी से मलेरिया के मामले 2023 में 19% बढ़कर 3,290 हो गए, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में पाए गए।

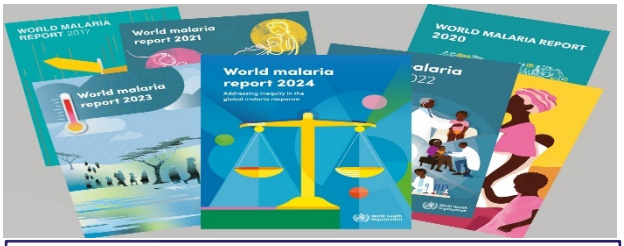

मलेरिया के बारे में:

- मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती है। यह बीमारी रोकी जा सकती है और इसका इलाज भी संभव है।
- मलेरिया मुख्य रूप से संक्रमित मादा **Anopheles** मच्छरों के काटने से फैलता है। रक्त संक्रमण और दूषित सुइयों से भी मलेरिया फैल सकता है।
- मलेरिया के कारण मानवों में पांच प्रकार के **Plasmodium** परजीवी होते हैं, जिनमें से **P. falciparum** और **P. vivax** सबसे खतरनाक हैं।
- मामूली लक्षणों में बुखार, ठंड लगना और सिरदर्द शामिल हैं। गंभीर लक्षणों में थकान, भ्रम, दौरे और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है।
- नवजात, 5 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, यात्री और HIV/AIDS से पीड़ित लोग गंभीर संक्रमण के लिए अधिक जोखिम में होते हैं।

भारत के मलेरिया नियंत्रण के उपाय:

- **राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (NMCP)**: 1953 में शुरू किया गया, इसमें तीन मुख्य गतिविधियाँ शामिल हैं - DDT के साथ कीटनाशक छिड़काव, मामलों की निगरानी और उपचार।
- **राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन ढांचा 2016-2030**: इसका उद्देश्य 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन करना है।
- **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम**: मलेरिया, जापानी एन्सेफलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और लिम्फैटिक फाइलेरिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए।
- **राष्ट्रीय रणनीतिक योजना मलेरिया उन्मूलन 2023-27**: NCVBDC द्वारा विकसित यह योजना मलेरिया का निदान और उपचार सुनिश्चित करने और मलेरिया मुक्त भारत की दिशा में प्रयासों को तेज करने पर केंद्रित है।

मातृभाषा में शिक्षा / Education in mother tongue

प्रधानमंत्री ने **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** के तहत छोटे बच्चों को उनकी **मातृभाषा** में पढ़ाने की महत्ता पर जोर दिया है। यह पहल शिक्षा प्रणाली में **समावेशिता** और **सांस्कृतिक जड़ों** को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मातृभाषा का परिचय:

मातृभाषा, जिसे **मूल भाषा** भी कहा जाता है, वह पहली भाषा है जिसे व्यक्ति जन्म के बाद अपने परिवार और समुदाय के संपर्क से सीखता है। यह भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि एक समुदाय की **संस्कृति, परंपरा**, और **सामाजिक पहचान** को भी दर्शाती है।

मातृभाषा में शिक्षा का महत्व:

1. **बेहतर समझ और सीखने की क्षमता**: मातृभाषा में पढ़ाई से बच्चे जानकारी को **अधिक प्रभावी** ढंग से समझ और याद रख सकते हैं।
2. **संज्ञानात्मक विकास**: यह बच्चों के **समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच**, और **रचनात्मकता** जैसे कौशल को बेहतर बनाती है।
3. **मजबूत संचार कौशल**: परिचित भाषा में शिक्षा बच्चों को **मौखिक और लिखित संचार** में दक्ष बनाती है।
4. **सांस्कृतिक पहचान और संरक्षण**: मातृभाषा में शिक्षा बच्चों को अपनी **संस्कृति और जड़ों** से जोड़ती है और उनमें गर्व की भावना को बढ़ाती है।
5. **भावनात्मक कल्याण**: बच्चों को स्वयं को **स्वतंत्रता** और आत्मविश्वास से व्यक्त करने में मदद करती है।
6. **सामाजिक समावेशिता**: यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, **समान और प्रभावी शिक्षा** प्राप्त कर सकें।

संवैधानिक प्रावधान: भारत में **मातृभाषा** को बढ़ावा देने के लिए कई **संवैधानिक प्रावधान** हैं:

- **अनुच्छेद 29(1):** भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को उनकी **भाषा और संस्कृति** के संरक्षण का अधिकार।
- **अनुच्छेद 30(1):** अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार।
- **अनुच्छेद 350ए:** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश।
- **अनुच्छेद 350बी:** भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की पहल:

1. **कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा**: नीति के अनुसार, जहां तक संभव हो, **कक्षा 5** तक और अधिमानत: **कक्षा 8** तक शिक्षा का माध्यम **मातृभाषा, घरेलू भाषा या क्षेत्रीय भाषा** रखा जाएगा।
2. **गुणवत्तापूर्ण संसाधनों की उपलब्धता**: उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें और शिक्षकों के लिए **द्विभाषी दृष्टिकोण** को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3. **तकनीकी शिक्षा में मातृभाषा का समावेश**: तकनीकी शिक्षा संस्थानों में **स्थानीय भाषाओं** में पाठ्यक्रम शुरू करने की पहल।

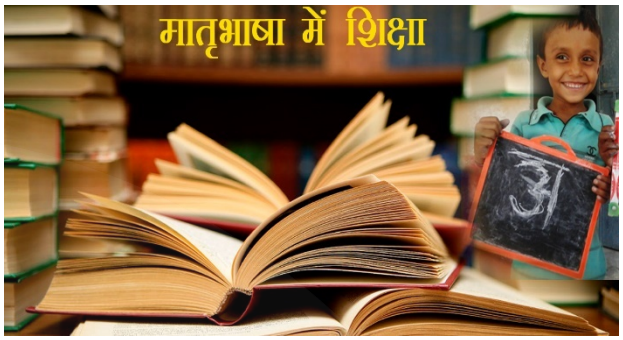

4. **तकनीकी शिक्षा में मातृभाषा का समावेश**: तकनीकी शिक्षा संस्थानों में **स्थानीय भाषाओं** में पाठ्यक्रम शुरू करने की पहल।
    - **एआईसीटीई** ने 11 भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम अनुवाद के लिए **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल** विकसित किया है।
5. **परीक्षाएं और डिजिटल संसाधन:**
    - **जेईई और एनईईटी** अब 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाती हैं।
    - **दीक्षा पोर्टल** पर कक्षा 1-12 के लिए सामग्री 33 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

अन्य देशों के अनुभव:

- **सोवियत संघ:** 20वीं सदी की शुरुआत में विभिन्न **जातीय समूहों** के लिए मातृभाषा में शिक्षा की नीति अपनाई।
- **चीन:** 1950 के दशक में अपने **जातीय अल्पसंख्यकों** के बीच मातृभाषा शिक्षा को बढ़ावा दिया।

निष्कर्ष: मातृभाषा में शिक्षा केवल **शैक्षिक प्रयास** नहीं है; यह **सांस्कृतिक संरक्षण** और **समावेशिता** का प्रतीक है। भारत को ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो अकादमिक रूप से सक्षम और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध **व्यक्तियों की पीढ़ी** तैयार कर सके। **बहुभाषिकता** को अपनाने से बच्चों को न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान होगा बल्कि वे **वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा** करने में भी सक्षम होंगे।

भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग का मुद्दा / The issue of manual scavenging in India

भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई है। यह प्रयास 2023 के उस ऐतिहासिक फैसले का अनुसरण है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को मैनुअल स्कैवेंजिंग और खतरनाक सफाई प्रथाओं को खत्म करने के निर्देश दिए गए थे।

मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है?

मैनुअल स्कैवेंजिंग का अर्थ है नंगे हाथों या साधारण औजारों का उपयोग कर मानव मल को सीवर, शुष्क शौचालयों, या नालियों से साफ करना। यह प्रथा भारतीय जाति व्यवस्था में हाशिये पर रह रहे समुदायों से जुड़ी हुई है।

2023 के फैसले की मुख्य बातें:

1. **मैनुअल सफाई को समाप्त करने के लिए चरणबद्ध नीतियां:** केंद्र और राज्यों को योजनाएं बनाने का निर्देश।
2. **संपूर्ण पुनर्वास:** सीवर श्रमिकों और मृतकों के परिजनों के लिए पुनर्वास उपाय सुनिश्चित करना।
3. **पोर्टल का विकास:** मुआवजे और घटनाओं से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए एक पारदर्शी पोर्टल।
4. **मुआवजा वृद्धि:** सीवर में मृत्यु के मामले में मुआवजा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख किया गया।

2013 का अधिनियम:

मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने के प्रावधान शामिल हैं:

- **मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूर्ण प्रतिबंध।**
- **शुष्क शौचालयों का उन्मूलन।**
- **दंड का प्रावधान:** उल्लंघन पर 2 वर्ष तक की सजा या ₹1 लाख का जुर्माना।
- **पुनर्वास योजनाएं:** रोजगार, आवास और वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना।
- **आयोग की स्थापना:** राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी और कार्यान्वयन के लिए आयोग।

कार्यान्वयन में चुनौतियां:

1. **कानून का कमजोर प्रवर्तन:** स्थानीय अधिकारियों और नियोक्ताओं द्वारा अनुपालन की कमी।
2. **सामाजिक कलंक:** जाति-आधारित भेदभाव मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास में बाधा है।
3. **पुनर्वास योजनाओं की कमी:** योजनाओं के खराब क्रियान्वयन के कारण लाभार्थियों को मदद नहीं मिल पाती।

सरकारी पहल:

1. **स्वच्छ भारत मिशन (2014):** खुले में शौच और शुष्क शौचालयों को खत्म करना।
2. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC):** वित्तीय सहायता और कौशल विकास।
3. **नमस्ते योजना:** सीवर सफाई के लिए मशीनीकृत उपकरणों का उपयोग।
4. **पुनर्वास कार्यक्रम:** स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए ऋण प्रदान करना।

भविष्य के कदम:

1. **कानून प्रवर्तन को सख्त बनाना:** उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई।
2. **मशीनीकरण को बढ़ावा:** सीवर सफाई के लिए मशीनीकृत उपकरणों का व्यापक उपयोग।
3. **पुनर्वास एवं कौशल विकास:** मैनुअल श्रमिकों के लिए वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करना।
4. **सामाजिक जागरूकता:** जाति आधारित भेदभाव और कलंक को समाप्त करना।
5. **समावेशी नीतियां:** प्रभावित समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में प्राथमिकता देना।

निष्कर्ष : मैनुअल स्कैवेंजिंग मानव गरिमा और अधिकारों का उल्लंघन है। इसे समाप्त करने के लिए कठोर कानूनों का प्रवर्तन, मशीनीकरण, और समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यायपालिका और सरकार के संयुक्त प्रयासों से इस प्रथा को समाप्त करना संभव है।

अंतरिक्ष अन्वेषण का जलवायु पर प्रभाव / Effects of space exploration on climate

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैसे जलवायु निगरानी और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी, मानवता के लिए महत्वपूर्ण लाभ लाती है। हालांकि, इन गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव बढ़ती चिंताओं का कारण बन रहा है। प्रमुख मुद्दे रॉकेट प्रक्षेपण से उत्सर्जन, ओजोन परत का क्षरण और कक्षीय मलबे के बढ़ते संचय से जुड़े हैं।

अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित पर्यावरणीय चुनौतियां:

1. रॉकेट प्रक्षेपण का प्रभाव:

- **उत्सर्जन**: रॉकेट प्रक्षेपण से कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन और जल वाष्प का उत्सर्जन होता है।
- **ब्लैक कार्बन**: ऊपरी वायुमंडल में इसका जमाव सौर विकिरण को अवशोषित करता है, जिससे जलवायु को गर्मी मिलती है।

2. ओजोन परत का क्षरण:

- क्लोरीन आधारित रॉकेट प्रणोदकों द्वारा छोड़े गए रेडिकल्स ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप जमीनी स्तर पर यूवी विकिरण में वृद्धि होती है।

3. उपग्रह राख: उपग्रहों के पुन: प्रवेश के दौरान उत्पन्न धात्विक राख वायुमंडल की संरचना को प्रभावित कर सकती है।

4. कक्षीय मलबा:

- निष्क्रिय उपग्रह, खर्च हो चुके रॉकेट चरण और टकराव से उत्पन्न टुकड़े पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में भीड़ बढ़ाते हैं।
- यह सक्रिय उपग्रहों और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए जोखिम पैदा करता है।

5. उपग्रह निर्माण और संचालन: उपग्रहों के निर्माण में ऊर्जा और संसाधनों की उच्च खपत होती है, जिससे बड़ा कार्बन पदचिह्न बनता है।

टिकाऊ अंतरिक्ष गतिविधियों में बाधाएं:

1. विनियामक अंतराल:

- अंतरिक्ष गतिविधियों पर अंतरराष्ट्रीय समझौतों (जैसे पेरिस समझौता) के तहत बाध्यकारी नियमों की कमी।
- उत्सर्जन और मलबा प्रबंधन के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित नीति का अभाव।

2. LEO में भीड़भाड़: अंतरिक्ष की निचली कक्षा में उपग्रहों और मलबे की बढ़ती संख्या संसाधनों के उपयोग को जटिल बनाती है।

3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी: बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति (COPUOS) के तहत मानकों का प्रवर्तन सीमित है।

स्थिरता प्राप्त करने के उपाय:

1. पुन: प्रयोज्य रॉकेट:

- **लाभ**: निर्माण अपशिष्ट और लागत में कमी।
- **चुनौतियां**: ईंधन खपत में वृद्धि और महंगे रखरखाव।

2. स्वच्छ ईंधन:

- तरल हाइड्रोजन और जैव ईंधन जैसे ईंधन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं।
- क्रायोजेनिक और इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीक संभावनाएं प्रदान करती हैं, लेकिन उनकी क्षमता सीमित है।

3. जैवनिम्नीकरणीय उपग्रह: उपग्रहों को डिज़ाइन करने में ऐसे सामग्री का उपयोग जो कक्षा छोड़ने के बाद स्वयं नष्ट हो जाए।

4. सक्रिय मलबा निष्कासन (ADR):

- **तकनीकें**: रोबोटिक भुजाएं, जाल, लेजर।
- **चुनौतियां**: उच्च लागत, कानूनी और वित्तीय समर्थन की आवश्यकता।

5. अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नीति: COPUOS और अन्य निकायों के तहत मलबे के शमन और उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्रवर्तनीय दिशानिर्देश तैयार करना।

ब्लैक कार्बन और क्लोरीन आधारित प्रणोदकों का प्रभाव:

ब्लैक कार्बन (BC):

- **स्रोत**: रॉकेट प्रक्षेपण, बायोमास जलना, डीजल वाहन।
- **प्रभाव**:
  - ग्लोबल वार्मिंग में योगदान।
  - ध्रुवीय बर्फ पर जमा होने से पिघलने में तेजी।
  - स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे हृदय रोग और असामयिक मृत्यु।

क्लोरीन आधारित प्रणोदक:

- **ओजोन परत पर प्रभाव**: समताप मंडल में क्लोरीन रेडिकल्स जारी कर ओजोन परत को कमजोर करते हैं।
- **शमन प्रयास**: मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हानिकारक पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना।

भारत और अंतरिक्ष मलबा:

- **इसरो की NETRA परियोजना**: अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और शमन।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग**: इसरो का NASA और ESA के साथ साझेदारी।
- **टिकाऊ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी**: पुन: प्रयोज्य लॉन्च वाहन (RLV) और गगनयान जैसे मिशन

विलो चिप क्या हैं? / What are willow chips?

गूगल ने हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाली अपनी अत्याधुनिक चिप, **विलो (Willow)**, का अनावरण किया है। यह चिप क्वांटम कंप्यूटिंग की अद्भुत क्षमता और पारंपरिक कंप्यूटिंग की सीमाओं को पार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

विलो चिप की प्रमुख विशेषताएं:

1. **कार्य क्षमता:**
   - विलो चिप ने एक जटिल गणितीय समस्या को **पांच मिनट से भी कम समय** में हल कर दिखाया।
   - ऐसी ही समस्या को हल करने में पारंपरिक सुपरकंप्यूटर को **10 सेप्टिलियन वर्ष (10²⁵ वर्ष)** लगेंगे।
2. **तकनीकी घटक:**
   - **सिंगल और डुअल-क्यूबिट गेट्स**: सूचना प्रसंस्करण के लिए।
   - **क्यूबिट रीसेट और रीडआउट**: डाटा को कुशलता से प्रबंधित और पढ़ने के लिए।
   - इस चिप में विभिन्न घटकों के बीच **शून्य अंतराल** सुनिश्चित किया गया है, ताकि प्रदर्शन में कोई बाधा न आए।
3. **प्रयोग की गई तकनीक:**
   - **सुपरकंडक्टिंग ट्रांसमोन क्यूबिट्स**:
     - ये छोटे विद्युत सर्किट्स हैं जो अत्यंत कम तापमान पर संचालित होते हैं।
     - इन्हें इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि ये कृत्रिम परमाणुओं की तरह कार्य करते हुए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का पालन करें।
4. **प्रभाव:**
   - विलो चिप ने **क्वांटम सुपरमेसी** का प्रदर्शन किया है, जहां क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटरों से कई गुणा तेज प्रदर्शन करता है।
   - यह शोध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दवा निर्माण, और जटिल मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा।

क्वांटम चिप क्या है?

1. **पारंपरिक चिप्स बनाम क्वांटम चिप्स:**
   - पारंपरिक चिप्स सूचना को **बिट्स** (0 या 1) के रूप में संसाधित करते हैं।
   - क्वांटम चिप्स **क्यूबिट्स** का उपयोग करते हैं, जो 0, 1 या दोनों अवस्थाओं में एक साथ हो सकते हैं (सुपरपोजिशन)।
2. **क्यूबिट्स की विशेषताएं:**
   - **सुपरपोजिशन:** क्यूबिट्स एक ही समय में कई स्थितियों में हो सकते हैं।
   - **एंटैंगलमेंट:** दो या अधिक क्यूबिट्स की स्थिति आपस में जुड़ी होती है, जिससे उनकी गणना की क्षमता बढ़ जाती है।
3. **प्रभाव:**
   - पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में **अत्यधिक जटिल गणनाओं** को तेजी से हल करने में सक्षम।
   - क्रिप्टोग्राफी, सामग्री विज्ञान, और जलवायु मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों में उपयोगी।

विलो चिप का महत्व:

- यह चिप गूगल की क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक को एक नए स्तर पर ले जाती है।
- विलो चिप से दवा निर्माण, वित्तीय मॉडलिंग, और जलवायु अनुसंधान जैसे जटिल क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव की संभावना है।
- क्वांटम कंप्यूटिंग को वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भविष्य की संभावनाएं:

- विलो चिप जैसे विकास क्वांटम कंप्यूटिंग को **पारंपरिक कंप्यूटिंग से आगे बढ़ाने** में मदद करेंगे।
- इससे अनुसंधान, तकनीकी विकास और दैनिक जीवन के अनेक पहलुओं में सुधार की उम्मीद है।

ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) द्वारा पुष्टि

हाल ही में, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने **हबल टेंशन** की पुष्टि की है, जो बताता है कि ब्रह्मांड अपेक्षा से अधिक तेजी से फैल रहा है। यह परिणाम ब्रह्मांडीय विस्तार से जुड़ी मौजूदा मान्यताओं को चुनौती देता है, खासकर **डार्क एनर्जी** और **डार्क मैटर** के बारे में, जो ब्रह्मांड का 96% हिस्सा बनाते हैं लेकिन अभी भी पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं।

ब्रह्मांड विस्तार क्या है?

ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद से लगातार फैल रहा है, जो लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। आकाशगंगाओं के दूर जाने और उनके प्रकाश के **रेडशिफ्ट** से इसका प्रमाण मिलता है। **हब्बल स्थिरांक** इस विस्तार की दर को मापता है, जो बताता है कि आकाशगंगाएं प्रति इकाई दूरी पर कितनी तेजी से दूर जा रही हैं।

हबल तनाव क्या है?

हबल तनाव उस विसंगति को संदर्भित करता है, जो हबल स्थिरांक के माप में **प्रारंभिक ब्रह्मांड** और **वर्तमान ब्रह्मांड** के मापों में है:

1. **प्रारंभिक ब्रह्मांड माप**: कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) विकिरण के माध्यम से ब्रह्मांड की स्थिति का माप।
2. **वर्तमान ब्रह्मांड माप**: सुपरनोवा और आकाशगंगाओं के अवलोकन से विस्तार दर का माप।

इन दो तरीकों से हबल स्थिरांक के अलग-अलग मान मिलते हैं, जो ब्रह्मांड विज्ञान में एक प्रमुख चुनौती उत्पन्न करते हैं।

तीव्र विस्तार के पीछे कारण:

1. **डार्क एनर्जी**: यह रहस्यमयी शक्ति ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है। माना जाता है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा बनाती है।
2. **डार्क रेडिएशन**: इसमें न्यूट्रिनो जैसे उपपरमाण्विक कण शामिल होते हैं, जो ब्रह्मांड के विस्तार को प्रभावित कर सकते हैं।
3. **विदेशी गुरुत्वाकर्षण**: सुझाव है कि गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांडीय पैमाने पर अलग-अलग तरीके से कार्य कर सकता है।
4. **ब्रह्मांडीय स्थिरांक**: यह आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित एक स्थिर ऊर्जा घनत्व है, जो पूरे अंतरिक्ष में फैली रहती है।
5. **सारगर्भित तत्व (Quintessence)**: एक गतिशील ऊर्जा क्षेत्र जो समय के साथ विकसित होता है, और यह ब्रह्मांडीय स्थिरांक से अलग है।

तीव्र विस्तार से संबंधित परिकल्पनाएँ:

1. **प्रारंभिक डार्क एनर्जी (EDE)**: यह सुझाव देती है कि ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में डार्क एनर्जी का एक रूप था, जिसने विस्तार को गति दी। यह बिग बैंग के बाद थोड़े समय तक सक्रिय था।
2. **प्रेत ऊर्जा (Phantom Energy)**: एक प्रकार की गुप्त ऊर्जा, जो निरंतर बढ़ते त्वरण की ओर ले जाती है, जिसके परिणामस्वरूप **बड़ा विखंडन** हो सकता है।

डार्क मैटर के साथ अंत:क्रिया: कुछ मॉडलों में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बीच अंत:क्रिया की संभावना है, जो विस्तार की दर को प्रभावित **कर सकती है।**

ब्रह्मांडीय विस्तार का अध्ययन करने की विधियाँ:

1. **आकाशगंगाओं की दूरियों को मापना**: **सेफिड तारे** आकाशगंगाओं की दूरी मापने में मदद करते हैं। ये तारे नियमित अंतराल पर चमकते हैं, जिससे उनकी सटीक दूरी का अनुमान लगाया जा सकता है।
2. **टाइप Ia सुपरनोवा**: इन सुपरनोवाओं को "मानक मोमबत्तियाँ" के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि ब्रह्मांडीय विस्तार दरों का अनुमान लगाया जा सके।
3. **सीएमबी माप**: **कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड** के तापमान में उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करने के लिए **प्लैंक** जैसे उपग्रहों का उपयोग किया जाता है।
4. **बारयोन ध्वनिक दोलन (BAO)**: आकाशगंगाओं के वितरण में पैटर्न का अध्ययन करने से विस्तार दर के बारे में जानकारी मिलती है।

डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में:

1. **डार्क मैटर**: यह पदार्थ एक परिकल्पित रूप है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता और अदृश्य होता है, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों से इसका पता चलता है। यह ब्रह्मांड का 27% हिस्सा बनाता है।
2. **डार्क एनर्जी**: यह रहस्यमयी शक्ति है जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को प्रेरित कर रही है। यह ब्रह्मांड का 68% हिस्सा बनाती है और गुरुत्वाकर्षण का विरोध करती है।

सेफिड सितारे:

सेफिड सितारे स्पंदित तारे होते हैं, जिनकी चमक समय-समय पर बदलती है। इनकी चमक और स्पंदन काल के बीच एक निश्चित संबंध होता है, जिससे इनकी सटीक दूरी का अनुमान लगाया जा सकता है और ब्रह्मांड के विस्तार दर का निर्धारण किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) द्वारा हबल टेंशन की पुष्टि ने ब्रह्मांड के विस्तार से संबंधित मौजूदा मॉडलों को चुनौती दी है, और इसने ब्रह्मांडीय खोजों के नए रास्ते खोल दिए हैं। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जैसी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में और अधिक शोध और माप की आवश्यकता है ताकि हम ब्रह्मांड की असामान्य गति को समझ सकें।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद / United Nations Security Council

पाकिस्तान 1 जनवरी, 2025 से दो साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का अस्थायी सदस्य बनेगा। यह पाकिस्तान का आठवां कार्यकाल है।

मुख्य बिंदु:

1. **अवधि:** कार्यकाल: 2025-2026 (दो वर्ष)।
2. **सदस्यता इतिहास:** यह पाकिस्तान का UNSC में आठवां अस्थायी सदस्य कार्यकाल है।
3. **OIC का प्रतिनिधित्व:** 10 निर्वाचित सदस्यों में से आधे इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) से होंगे।
4. **नए सदस्य:** पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया।
5. **स्थानापन्न देश:**
    - ये देश इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़ाम्बिक और स्विट्जरलैंड का स्थान लेंगे।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पाकिस्तान की अस्थायी सदस्यता का महत्व:

पाकिस्तान का 2025-2026 के लिए UNSC का अस्थायी सदस्य चुना जाना कई महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है:

1. इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) का प्रतिनिधित्व:

- पाकिस्तान की सदस्यता के साथ, चुने गए 10 में से आधे सदस्य OIC से होंगे।
- यह UNSC में इस्लामी देशों के मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लेने में OIC के प्रभाव को दर्शाता है।

2. कूटनीतिक प्रभाव:

- पाकिस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अपने संबंध मजबूत करने और क्षेत्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश करेगा।
- रूस और चीन जैसे सहयोगी देशों का समर्थन उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक बढ़त दे सकता है।

3. प्रमुख मुद्दों पर फोकस:

- पाकिस्तान शांति स्थापना, मानवतावादी सहायता, गाजा और कश्मीर जैसे विवादित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है।
- आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अपनी प्राथमिकता बताकर वह अपने देश से जुड़े आतंकवाद के मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास कर सकता है।

पाकिस्तान की UNSC में रणनीति:

1. भारत विरोधी अभियान:

- पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने और भारत के खिलाफ दावे पेश करने की कोशिश कर सकता है।
- UNSC में भारत की कार्रवाइयों को मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में चित्रित करने का प्रयास संभव है।

2. इस्लामोफोबिया का मुद्दा:

- पाकिस्तान इस्लामोफोबिया को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश कर सकता है।
- OIC देशों के समर्थन से यह नैरेटिव फिर से सामने आ सकता है।

3. शांति स्थापना और मानवीय सहायता:

- पाकिस्तान अपने शांति अभियानों और मानवीय सहायता प्रयासों को प्रमुखता से प्रस्तुत कर खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में दिखाना चाहेगा।

भारत के लिए संभावित चुनौतियाँ:

1. बढ़ता भारत विरोधी प्रचार:

- पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार हनन और आतंकवाद के आरोपों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर जोर-शोर से उठाया जा सकता है।

2. बहुपक्षीय सहयोग की कमी:

- ऐतिहासिक अनुभव को देखते हुए, पाकिस्तान के सहयोगी देशों द्वारा UNSC में भारत विरोधी प्रस्तावों का समर्थन किया जा सकता है।

3. आतंकवाद के खिलाफ मुद्दों पर दबाव:

- पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार दिखाकर भारत पर भी आतंकवाद समर्थक होने के आरोप लगा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC):

परिचय:

- UNSC संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है, जिसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत हुई थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
- इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।

सदस्य:

- कुल 15 सदस्य हैं: 5 स्थायी और 10 अस्थायी।
- **स्थायी सदस्य:** अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम।
- **अस्थायी सदस्य:** 2 साल के लिए चुने जाते हैं। हर साल 5 नए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं।

मतदान प्रक्रिया:

- प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है।
- किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 9 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए।
- किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा "ना" वोट देने से प्रस्ताव खारिज हो जाता है।

विशेष भागीदारी:

- संयुक्त राष्ट्र के वे सदस्य जो UNSC के सदस्य नहीं हैं, विशेष मामलों में चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता।

यूरोपीय संघ सीमा-मुक्त शेंगेन क्षेत्र / EU border-free Schengen Area

रोमानिया और बुल्गारिया को यूरोपीय संघ के बॉर्डर-फ्री शेंगेन यात्रा क्षेत्र का सदस्य बनने की मंजूरी मिल गई है। 1 जनवरी 2025 से, इन देशों से फ्रांस, स्पेन या नॉर्वे तक बिना पासपोर्ट के यात्रा करना संभव होगा।

- ✓ शेंगेन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल हैं।

शेंगेन वीजा क्या है?

शेंगेन वीजा एक विशेष यात्रा वीजा है जो यूरोप के शेंगेन क्षेत्र के देशों में आने-जाने की अनुमति देता है। यह वीजा गैर-यूरोपीय नागरिकों के लिए यात्रा को आसान बनाता है, क्योंकि इसके जरिए वे एक ही वीजा पर कई शेंगेन देशों की यात्रा कर सकते हैं।

शेंगेन समझौता:

- **वर्ष:** शेंगेन क्षेत्र का नाम लक्ज़मबर्ग गांव के नाम पर रखा गया है, जहां 1985 में समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे।
- **शुरुआती सदस्य:** बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड्स।
- **उद्देश्य:** यूरोप में एक एकीकृत यात्रा क्षेत्र बनाना।
  यह उन देशों को शामिल करने वाला क्षेत्र है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी आपसी सीमाओं पर सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त आवागमन क्षेत्र है।

शेंगेन क्षेत्र के सदस्य देश:

- **यूरोपीय संघ के देश:** जो तकनीकी मानदंडों को पूरा करते हैं और जिनके पास कोई छूट नहीं है, उन्हें शेंगेन क्षेत्र में शामिल होना होता है।
- **गैर-ईयू देश:** स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे गैर-ईयू देश भी विशेष समझौतों के तहत इस क्षेत्र का हिस्सा हैं।

आंकड़े:

- **देशों की संख्या:** 27 देश
- **कवरेज क्षेत्र:** 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक।
- **जनसंख्या:** लगभग 420 मिलियन लोग।

बुल्गारिया की शेंगेन में शामिल होने की उपलब्धि:

- **रणनीतिक लक्ष्य हासिल:** बुल्गारिया ने शेंगेन क्षेत्र में शामिल होकर अपने मुख्य रणनीतिक लक्ष्यों में से एक को हासिल कर लिया है। यह बुल्गारियाई नागरिकों और देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
- **स्वतंत्र आवागमन की गारंटी:** शेंगेन क्षेत्र 425 मिलियन से अधिक यूरोपीय संघ के नागरिकों को बिना पासपोर्ट नियंत्रण के स्वतंत्र यात्रा, काम और रहने की सुविधा प्रदान करता है।
- **गैर-ईयू नागरिकों के लिए लाभ:** जो लोग कानूनी रूप से यूरोपीय संघ में रहते हैं या पर्यटन, शिक्षा या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आते हैं, उन्हें भी शेंगेन क्षेत्र में आवागमन की सुविधा मिलती है।
- **सीमा नियंत्रण व्यवस्था:**
  - आंतरिक सीमाओं पर कोई जांच नहीं होती है।
  - बाहरी सीमाओं पर सख्त नियंत्रण नियम लागू किए जाते हैं।
  - 90 दिनों तक रहने वाले गैर-ईयू नागरिक इन प्रावधानों के तहत आते हैं।

यूरोपीय संघ की सीमा-रहित नीति के फायदे:

1. यात्रियों के लिए:

- **एकल वीजा से यात्रा:** किसी भी देश के नागरिक एक ही शेंगेन वीजा के साथ कई यूरोपीय देशों की यात्रा कर सकते हैं।
- **यात्रा में सुविधा:** बिना बार-बार वीजा प्रक्रिया से गुजरने के, पर्यटन और व्यापार के लिए आसान यात्रा।

2. ईयू देशों के लिए:

- **सीमा-रहित यात्रा:** यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नागरिकों को वीजा-मुक्त और बिना पासपोर्ट के यात्रा की सुविधा मिलती है।
- **सिंगल करेंसी:** 20 यूरोपीय संघ के देशों द्वारा अपनाई गई एकल मुद्रा (यूरो) के साथ यह सुविधा आर्थिक और सामाजिक एकता को मजबूत बनाती है।

3. यूरोपीय एकता का प्रतीक:

- **यूरोपीय एकता की पहचान:** शेंगेन क्षेत्र की अखंडता यूरोप के युद्ध-उपरांत पुनर्निर्माण और एकीकरण की सफलता का प्रतीक है।
- **आर्थिक और सामाजिक लाभ:** सीमा-रहित यात्रा से व्यापार, रोजगार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में वृद्धि होती है।

शेंगेन क्षेत्र के सामने चुनौतियाँ:

1. आर्थिक संकट: यूरोज़ोन ऋण संकट:

पिछले दशक में यूरोज़ोन के संप्रभु ऋण संकट ने शेंगेन क्षेत्र की स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

2. शरणार्थी और प्रवासन संकट:

- **शरणार्थियों का आगमन:** अफ्रीका और पश्चिम एशिया के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से हज़ारों शरणार्थियों के आगमन ने शेंगेन क्षेत्र पर भारी दबाव डाला।
- **प्रवासन विरोधी राजनीति:** दूर-दराज़ के लोकलुभावन राजनीतिक दलों द्वारा प्रवासन विरोधी राजनीति ने स्थिति को और जटिल बना दिया।

3. सीमा नियंत्रण का पुन:स्थापन:

- **सीमा नियंत्रण पर पुनर्विचार:** यूरोपीय संघ को कुछ भूमध्यसागरीय सीमा वाले देशों को शेंगेन से बाहर करने पर विचार करना पड़ा।
- **एकतरफा फैसले:** कुछ देशों ने एकतरफा सीमा नियंत्रण लागू करने की संभावना पर भी विचार किया, जिससे शेंगेन की अखंडता को खतरा हुआ।

सोशल डायलॉग रिपोर्ट / Social Dialogue Report

हाल ही में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा **"सोशल डायलॉग रिपोर्ट"** जारी की गई।

सोशल डायलॉग रिपोर्ट के मुख्य बिंदु :

प्रमुख सिफारिशें-

1. श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा:

सरकारों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए:

- **एसोसिएशन की स्वतंत्रता:** श्रमिकों को संगठित होने की स्वतंत्रता दी जाए।
- **सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार:** श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच निष्पक्ष सौदेबाजी की व्यवस्था हो।

2. सामाजिक भागीदारों को सशक्त बनाना:

- **संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता:** श्रम प्रशासन और सामाजिक भागीदारों को संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता से लैस किया जाए।
- **उच्च-स्तरीय संवाद:** नीतिगत फैसलों में भागीदारी के लिए उन्हें सक्षम बनाया जाए।

3. समावेशिता और मूल्यांकन:

- **समावेशी संस्थान:** राष्ट्रीय संवाद संस्थानों में कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को भी शामिल किया जाए।
- **नियमित मूल्यांकन:** आर्थिक और सामाजिक फैसलों में संवाद की भूमिका का नियमित, तथ्य-आधारित मूल्यांकन किया जाए।

सोशल डायलॉग रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

1. अनुपालन में गिरावट:

- **अधिकारों में 7% की गिरावट:** 2015 से 2022 के बीच, संघ बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों के अनुपालन में 7% की कमी हुई।
- **मुख्य कारण:** श्रमिकों, नियोक्ताओं और उनके संगठनों के नागरिक स्वतंत्रताओं और सौदेबाजी के अधिकारों के उल्लंघन से यह गिरावट हुई।

2. वैश्विक परिवर्तन चुनौतियाँ:

- **सामाजिक संवाद की आवश्यकता:**निम्नलिखित क्षेत्रों में बदलाव को प्रबंधित करने के लिए सामाजिक संवाद महत्वपूर्ण है:
    - **निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्थाएँ:** पर्यावरण अनुकूल नीतियों को लागू करना।
    - **डिजिटल प्रगति:** तकनीकी विकास के साथ श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा।

सोशल डायलॉग रिपोर्ट क्या है?

यह रिपोर्ट विश्व स्तर पर सामाजिक संवाद तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करती है। यह सर्वोत्तम प्रथाओं और चुनौतियों की पहचान करती है और सुधार के लिए ठोस सिफारिशें प्रदान करती है।

रिपोर्ट का उद्देश्य:

1. मूल्यांकन:

- विभिन्न देशों में सामाजिक संवाद की स्थिति का विश्लेषण।
- सफल उदाहरणों को उजागर करना और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान।

2. सिफारिशें:

- सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के लिए सामाजिक संवाद तंत्र को मजबूत करने के उपाय सुझाना।

रिपोर्ट का महत्व:

- **आर्थिक विकास:** आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना।
- **सामाजिक प्रगति:** समाज में सकारात्मक बदलाव लाना।
- **समावेशी विकास:** सभी के लिए न्यायपूर्ण और समान विकास सुनिश्चित करना।

सोशल डायलॉग के लाभ:

- **आर्थिक और सामाजिक प्रगति:** सामाजिक प्रगति के साथ आर्थिक विकास को संभव बनाता है।
- **समावेशी बदलाव:** कम-कार्बन और डिजिटल बदलाव को निष्पक्ष और समावेशी बनाता है।

ILO?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करती है।

स्थापना:

- **अक्टूबर 1919:** लीग ऑफ नेशंस के तहत स्थापित।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।
- **सदस्य देश:** 187

भारत और ILO:

- भारत ILO का संस्थापक सदस्य है।

वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप / World Chess Championship

भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने 18 साल की उम्र में सिंगापुर में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीतकर सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन गए।

- ✓ उन्होंने फाइनल में चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरेन को 7.5-6.5 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की।

मुख्य बिंदु

1. **कम उम्र में इतिहास रचा:** डी गुकेश ने 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर इतिहास बनाया।
2. **दुनिया के पहले खिलाड़ी:** इतनी कम उम्र में यह खिताब जीतने वाले गुकेश दुनिया के पहले खिलाड़ी बने।
3. **गैरी कैस्परोव का रिकॉर्ड टूटा:** इससे पहले रूस के गैरी कैस्परोव ने 1985 में 22 साल की उम्र में यह खिताब जीता था।
4. **14वें गेम में निर्णायक जीत:** गुकेश ने फाइनल में डिंग लिरेन को 14वें गेम में हराकर 7.5-6.5 से खिताब जीता।
5. **कड़ा मुकाबला:** 25 नवंबर से 11 दिसंबर तक फाइनल में दोनों खिलाड़ियों के बीच 13 गेम खेले गए, जिनमें स्कोर 6.5-6.5 रहा।
6. **अंतिम गेम में जीत:** 14वें गेम में जीत के साथ गुकेश ने एक पॉइंट की बढ़त हासिल कर खिताब अपने नाम किया।

प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन और विजेता

- ✓ **विल्हेम स्टेनिट्ज़** को 1886 में पहला आधिकारिक विश्व शतरंज चैंपियन घोषित किया गया। उन्होंने अपनी अनोखी स्थितिगत खेल शैली (Positional Chess) के जरिए शतरंज की दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित किया।

प्रतियोगिताओं के प्रकार:

1. **विश्व शतरंज चैंपियनशिप:** FIDE द्वारा आयोजित विश्व स्तरीय शतरंज चैंपियनशिप, जहां दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भाग लेते हैं।
2. **राष्ट्रीय और महाद्वीपीय चैंपियनशिप:** विभिन्न राष्ट्रीय और महाद्वीपीय चैंपियनशिप, जो खिलाड़ियों को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करती हैं। ये घटनाएं प्रतिभा की पहचान करने और क्षेत्रीय स्तर पर शतरंज को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
3. **आमंत्रणीय टूर्नामेंट:** आमंत्रण आधारित टूर्नामेंट, जैसे कि टाटा स्टील टूर्नामेंट और मेलोडी एम्बर टूर्नामेंट, जो दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ियों को एकत्र करते हैं ताकि रोमांचक मैच खेले जा सकें। ये टूर्नामेंट अक्सर यादगार खेलों का उत्पादन करते हैं।
4. **टीम प्रतियोगिताएं:** शतरंज ओलंपियाड और यूरोपीय टीम शतरंज चैंपियनशिप प्रमुख टीम घटनाएं हैं जो राष्ट्रों के बीच मित्रता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती हैं। इन घटनाओं में शतरंज टीमों की सामूहिक ताकत को प्रदर्शित किया जाता है।

Fédération Internationale des échecs (FIDE):

1. **FIDE:** शतरंज का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय, जिसे इसके फ्रांसीसी संक्षेप FIDE (Fédération Internationale des échecs) के नाम से भी जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ है।
2. **सदस्यता:** FIDE की सदस्यता 180 से अधिक देशों के राष्ट्रीय शतरंज संगठनों की है। इसके अलावा, इसमें कई सहायक सदस्य भी हैं, जिनमें इंटरनेशनल ब्रेल शतरंज एसोसिएशन (IBCA), इंटरनेशनल कमेटी ऑफ शतरंज फॉर द डेफ (ICCD), और इंटरनेशनल फिजिकल्ली डिसेबल्ड शतरंज एसोसिएशन (IPCA) शामिल हैं।
3. **अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC):** FIDE अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा खेलों का शासी निकाय माना जाता है, बावजूद इसके कि शतरंज कभी ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं रहा।
4. **19वीं सदी में शतरंज का संगठित विकास:** 19वीं सदी में शतरंज का संगठित विकास हुआ और इसके बाद FIDE अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं का आयोजन करने लगा।
5. **पहली विश्व शतरंज चैंपियन:** विल्हेम स्टेनिट्ज़ ने 1886 में पहली बार विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब जीता। मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन हैं।
6. **कंप्यूटर का प्रभाव:** प्रारंभ में, कंप्यूटर वैज्ञानिकों का उद्देश्य एक शतरंज खेलने वाली मशीन विकसित करना था। 1997 में, डीप ब्लू ने गररी कस्पारोव को हराकर पहला कंप्यूटर बना जिसने एक विश्व चैंपियन को पराजित किया।
7. **आधुनिक शतरंज इंजन:** आधुनिक शतरंज इंजन शीर्ष मानव खिलाड़ियों से बहुत मजबूत हैं और शतरंज सिद्धांत के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

डिजीज एक्स / Disease X

दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में अज्ञात बीमारी के प्रकोप ने 400 से अधिक लोगों की जान ले ली, जिसे 'डिजीज एक्स' होने का संदेह है।

डिजीज एक्स क्या है?

डिजीज एक्स एक काल्पनिक शब्द है, जिसे 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पेश किया था। यह एक अज्ञात रोगजनक (पैथोजन) को संदर्भित करता है, जो वैश्विक महामारी या महामारी का कारण बन सकता है।

उत्पत्ति:

यह शब्द 2014-2016 के पश्चिम अफ्रीका में इबोला प्रकोप के बाद प्रासंगिक हुआ, जिसने महामारी की तैयारी में खामियों को उजागर किया।

अर्थ:

- **ज्ञात अज्ञात (Known Unknowns):** ऐसे खतरे जिनके बारे में हमें जानकारी है, लेकिन हम उन्हें पूरी तरह से नहीं समझते।
- **अज्ञात (Unknowns):** ऐसे खतरे जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

डिजीज एक्स क्यों है चिंताजनक ?

1. **अनिश्चितता:** डिजीज एक्स की उत्पत्ति, प्रसार और प्रभाव अप्रत्याशित हैं, जिससे इसकी तैयारी करना मुश्किल हो जाता है।
2. **वैश्वीकृत दुनिया:** बढ़ती यात्रा, व्यापार और परस्पर जुड़ाव के कारण रोगों का विश्व स्तर पर तेजी से फैलना आसान हो गया है।
3. **पर्यावरणीय कारक:** वनों की कटाई, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे जानवरों से फैलने वाले रोगों का खतरा बढ़ गया है।
4. **सीमित जानकारी:** हम उन रोगजनकों का केवल एक छोटा हिस्सा जानते हैं, जो संभावित रूप से मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं।

डिजीज एक्स के कारण:

1. **रोगजनक प्रकार:**
   - यह वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, फंगस, प्रायन या अन्य सूक्ष्मजीव हो सकते हैं।
2. **ज़ूनोटिक स्पिलओवर:**
   - अधिकांश उभरती बीमारियां (70%) जानवरों से फैलती हैं। इसके प्रमुख कारण हैं:
     - वनों की कटाई
     - मानवों द्वारा वन्यजीव आवासों में अतिक्रमण
     - कृषि का विस्तार
3. **अन्य जोखिम:**
   - एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध
   - प्रयोगशाला से रिसाव
   - जैविक आतंकवाद
   - जलवायु परिवर्तन, जो रोगों के फैलाव को प्रभावित करता है।

डिजीज एक्स की भविष्यवाणी और तैयारी में चुनौतियाँ:

1. **अप्रत्याशित उभरना:**
   - नए रोगों के उभरने वाले कारकों की जटिलता के कारण उनकी भविष्यवाणी करना कठिन है।
2. **विस्तृत रोगजनक भंडार:**
   - वन्यजीवों में लाखों अज्ञात वायरस हैं, जो मनुष्यों तक फैलने की क्षमता रखते हैं।
3. **जलवायु परिवर्तन:**
   - यह रोगों के फैलाव के स्वरूप को बदल रहा है और वेक्टर जनित बीमारियों की सीमा को बढ़ा रहा है।
4. **संसाधनों की असमानता:**
   - देशों के बीच स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे में अंतर प्रभावी प्रतिक्रिया में बाधा डाल सकता है।

वैश्विक और राष्ट्रीय पहलें:

1. **WHO की प्राथमिक रोगजनक सूची:**
   - डिजीज एक्स को इस सूची में शामिल करना शोध और चिकित्सा उपायों के विकास की आवश्यकता को दर्शाता है।
2. **वैश्विक पहल:**
   - WHO महामारी संधि, महामारी कोष, mRNA तकनीक केंद्र और अन्य पहलें वैश्विक सहयोग और तैयारी को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं।
3. **भारतीय पहलें:**
   - भारत में IDSP (एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम), राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान और बायोटेक अनुसंधान कार्यक्रम जैसे प्रयास रोगों की निगरानी, शोध और वैक्सीन विकास पर केंद्रित हैं।

भ्रूण मस्तिष्क मैपिंग / Fetal brain mapping

आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से विकसित हो रहे भ्रूण के मस्तिष्क का सबसे विस्तृत 3D नक्शा तैयार किया है। यह नक्शा मानव मस्तिष्क के विकास की कोशिकीय-स्तर की जानकारी प्रदान करता है।

भ्रूण मस्तिष्क मैपिंग की मुख्य विशेषताएं:

धारिणी (Dharini):

- यह एक ओपन-एक्सेस डाटासेट है, जिसमें 5,000 से अधिक मस्तिष्क खंड और 500+ मस्तिष्क क्षेत्र शामिल हैं।
- यह गर्भावस्था की दूसरी तिमाही (14-24 सप्ताह) के दौरान मस्तिष्क की तेजी से विकास पर केंद्रित है।
- संपूर्ण तकनीक, जैसे फ्रीजिंग, स्लाइसिंग, इमेजिंग और डिजिटलीकरण, आईआईटी-मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई है।

स्नायु-विज्ञान अनुसंधान के लिए प्रभाव:

- **विकासात्मक विकारों की समझ:** डेटा ऑटिज्म जैसे जटिल विकासात्मक विकारों के रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकता है।
- **मस्तिष्क विकास की जानकारी:** भ्रूण के मस्तिष्क के विकास को कोशिकीय स्तर पर समझने में सहायक।
- **जीन-पर्यावरण संबंध:** यह अध्ययन करने का मंच प्रदान करता है कि कैसे जीन और पर्यावरणीय कारक मस्तिष्क रसायन को प्रभावित करते हैं।

मातृ स्वास्थ्य पर ध्यान:

- **गर्भावस्था के दौरान संवेदनशीलता:** मस्तिष्क का विकास मातृ पोषण, तनाव और संक्रमण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश:** स्वस्थ भ्रूण विकास के लिए मातृ स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है।

राष्ट्रीय प्रासंगिकता:

- **यूनीसेफ रिपोर्ट:** भारत में हर साल 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है, जो दुनिया के कुल जन्मों का लगभग पांचवां हिस्सा है।
- **नीति निर्माण में सहयोग:** सरकार की विभिन्न पहलों के बावजूद, भारत में कई गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की कमी होती है। यह एटलस साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में मदद कर सकता है।

अंतर-विषयक अनुप्रयोग:

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):** मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की गहरी समझ एआई प्रौद्योगिकी में उन्नति में योगदान दे सकती है।

भ्रूण मस्तिष्क मानचित्र की महत्वता:

1. **अद्वितीय डेटा सेट:** गर्भ में मस्तिष्क विकास के शुरुआती चरणों की जानकारी।
2. **विकास संबंधित धारणाओं को चुनौती:** मस्तिष्क संरचनाओं के विकास के समय को पुन: परिभाषित किया।
3. **विकासात्मक विकारों की समझ:** ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी जैसे विकारों के कारण समझने में मदद।
4. **मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान:** मानसिक रोगों और वयस्क मस्तिष्क परिवर्तनों की नई जानकारी।
5. **वैश्विक अनुसंधान प्रेरणा:** वैश्विक शोध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति।

मैपिंग में उपयोग की गई तकनीक के बारे में:

1. **उन्नत इमेजिंग:**
   - दूसरी तिमाही में मृत भ्रूणों के मस्तिष्क को फ्रीज किया गया।
   - इन्हें बाल से भी पतले (10-20 माइक्रोन) स्लाइस में काटा गया।
2. **विस्तृत इमेजिंग:**
   - इन स्लाइसों को माइक्रोस्कोपिक इमेजिंग तकनीक से अत्यधिक विस्तार से चित्रित किया गया।
   - 3D मस्तिष्क मानचित्र बनाने के लिए इन छवियों को एकीकृत किया गया।
3. **स्वदेशी प्रौद्योगिकी:**
   - सभी उपकरण और तकनीक जैसे फ्रीजिंग, स्लाइसिंग, प्लेट निर्माण, डिजिटाइजेशन और मैपिंग आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई।

भारत में तस्करी 2023-2024 / Trafficking in India 2023-2024

अपने 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट **"भारत में तस्करी 2023-2024"** जारी की।

"भारत में तस्करी 2023-2024" रिपोर्ट की मुख्य बातें:

1. ड्रग तस्करी:

- **कोकीन तस्करी:** भारत में कोकीन की तस्करी में तेज़ी देखी गई है, खासकर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीकी देशों से।
- **ब्लैक कोकीन:** तस्करों द्वारा "ब्लैक कोकीन" का इस्तेमाल, जो कोयला या आयरन ऑक्साइड जैसे रसायनों से छिपाई जाती है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है।
- **हाइड्रोपोनिक गांजा:** अमेरिका, थाईलैंड और अन्य देशों से गांजे की तस्करी बढ़ी है।

2. सोने की अवैध तस्करी:

- भारत में पश्चिम एशिया (यूएई, सऊदी अरब) से सोने और चांदी की अवैध तस्करी तेज़ हो गई है।
- तस्कर अब विदेशी नागरिकों, परिवारों और आंतरिक सूत्रों का उपयोग कर रहे हैं।

3. पूर्वी सीमा पर तस्करी:

- बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से अवैध ड्रग्स, खासकर मेथामफेटामाइन की तस्करी में वृद्धि।
- असम और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी चुनौती।

4. पर्यावरण और वन्यजीव अपराध:

- हाथी दांत, तारेदार कछुए, मोर, पैंगोलिन और तेंदुए जैसे जानवरों की अवैध तस्करी की आशंका बढ़ी है।
- दक्षिण-पूर्व एशिया में इनकी बढ़ती मांग चिंता का विषय है।

5. व्यापार समझौतों का दुरुपयोग:

- आयात वस्तुओं की गलत वर्गीकरण और नकली दस्तावेज़ों के माध्यम से मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का दुरुपयोग भी सामने आया है।

मादक पदार्थों की तस्करी:

- **जप्त किए गए मादक पदार्थ:** 2023-24 में, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने 8,223 किलोग्राम से अधिक मादक और मनोदैहिक पदार्थ जब्त किए। इसमें 107.31 किग्रा कोकीन, 48.74 किग्रा हेरोइन, 136 किग्रा मेथामफेटामाइन और 7348.68 किग्रा गांजा शामिल हैं।
- **कोकीन तस्करी में वृद्धि:**
  - कोकीन तस्करी के मामलों में तेजी आई है, खासकर हवाई मार्गों से।
  - 2022-23 में 21 मामलों की तुलना में 2023-24 में 47 मामले दर्ज किए गए।
  - कोकीन भारत में तस्करी के मामलों में एकमात्र मादक पदार्थ है जिसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है।

सोने की तस्करी और सिंडिकेट:

- **प्रमुख समस्या:** भारत में सोने की तस्करी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, खासकर भूमि सीमाओं और हवाई अड्डों के माध्यम से।
- **मुख्य स्रोत:** तस्करी का अधिकांश सोना और चांदी पश्चिम एशिया (यूएई, सऊदी अरब) से आता है।
- **जप्तियाँ:** 2023-24 में DRI ने 1,319 किग्रा सोना जब्त किया, जिसमें 55% भूमि मार्ग और 36% हवाई मार्ग से तस्करी हुई।
- **स्मगलिंग तरीके:** तस्करी सिंडिकेट ने "म्यूल्स" (अनजान वाहक) के रूप में विदेशी नागरिकों और हवाई अड्डे के अंदरूनी लोगों का उपयोग किया।

सिगरेट और सुपारी की तस्करी:

- **सिगरेट:** DRI ने अंतरराष्ट्रीय सिगरेट तस्करी नेटवर्क को बाधित किया और 2023-24 में 91 मिलियन तस्करी किए गए सिगरेट स्टिक जब्त किए, जिनकी कीमत 178.82 करोड़ रुपये आंकी गई।
- **सुपारी:** घरेलू मांग और मूल्य अंतर के कारण सुपारी की तस्करी बढ़ी है।
- **सीमावर्ती संचालन:** DRI ने भारत-म्यांमार और बांग्लादेश सीमा और समुद्री मार्गों पर तस्करी के कई मामले उजागर किए।
- **जप्तियाँ:** 2023-24 में 6,377.925 मीट्रिक टन सुपारी जब्त की गई।

डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस:

- **डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI):** यह भारत सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अंतर्गत कार्य करने वाली प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है, जो तस्करी के मामलों से निपटती है।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को हुई थी।
- **मुख्यालय:** इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसमें 12 ज़ोनल यूनिट्स, 35 क्षेत्रीय इकाइयाँ और 15 उप-क्षेत्रीय इकाइयाँ शामिल हैं।

युवा सहकार योजना / Yuva Sahakar Scheme

हाल ही में सहकारिता मंत्री ने लोकसभा में इस योजना की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला। **युवा सहकार योजना** का उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से **युवा उद्यमिता** और **नवाचार** को बढ़ावा देना है। यह योजना विशेष रूप से नए और अभिनव विचारों वाली **नवगठित सहकारी समितियों** को प्रोत्साहित करती है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

1. **प्रोत्साहन और सहायता:**
   - न्यूनतम **3 महीने** से परिचालन में चल रही युवा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
   - दीर्घकालिक ऋण (5 वर्ष तक) के साथ **2% ब्याज अनुदान** दिया जाता है।
   - अन्य सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्ध सब्सिडी को इस योजना के साथ जोड़ा जा सकता है।
2. **वित्तीय प्रावधान:**
   - योजना को **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)** द्वारा लागू किया जा रहा है।
   - एनसीडीसी ने **₹1000 करोड़ का समर्पित कोष** इस योजना के लिए निर्धारित किया है।
3. **लक्षित क्षेत्र:**
   - **पूर्वोत्तर क्षेत्र** और **आकांक्षी जिलों** की सहकारी समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन।
   - महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC), और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों को विशेष लाभ दिए जाते हैं।
4. **संबंध:**
   - योजना को **"सहकार 22"** पहल के तहत डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना था।
   - यह **सहकारी स्टार्ट-अप और नवाचार कोष** से जुड़ी हुई है।

उद्देश्य:

- युवाओं को **सहकारी मॉडल** अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक गतिविधियों में **सतत विकास** को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण और आकांक्षी क्षेत्रों में **सहकारी आंदोलन** को मजबूत करना।

लाभ:

1. **युवाओं के लिए अवसर:** सहकारी समितियों के माध्यम से स्वरोजगार और उद्यमशीलता के नए विकल्प।
2. **समाज के वंचित वर्गों को प्रोत्साहन:** महिलाओं और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान।
3. **कृषि और ग्रामीण विकास:** सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों और ग्रामीण उद्यमियों की सहायता।
4. **नवाचार को बढ़ावा:** नई तकनीकों और विचारों को कार्यान्वित करने के लिए समर्थन।

निष्कर्ष: युवा सहकार योजना **सहकारिता आंदोलन** को सशक्त बनाने और युवाओं को **आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी** के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रभावी साधन है। यह योजना सहकारी मॉडल के माध्यम से न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि देश के **सतत विकास** और **सामाजिक समावेश** में भी योगदान दे रही है।

जल जीवन मिशन / Jal Jeevan Mission

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जल जीवन मिशन की भूमिका पर प्रकाश डाला।

जल जीवन मिशन (JJM) और महिलाओं का सशक्तिकरण:

महिलाओं के सशक्तिकरण में जल जीवन मिशन की भूमिका:

1. **समय की बचत:**
   - ग्रामीण इलाकों में महिलाएं पानी लाने के लिए दूर-दूर तक पैदल जाती थीं।
   - जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल से जल मिलने से उनका समय बच रहा है।
   - यह समय वे शिक्षा, कौशल विकास या आय अर्जित करने जैसे कार्यों में लगा सकती हैं।
2. **स्वास्थ्य और कल्याण:**
   - साफ पानी मिलने से जलजनित बीमारियों का खतरा कम हो गया है।
   - इससे महिलाओं और उनके परिवारों की सेहत में सुधार हुआ है।
   - बेहतर स्वास्थ्य के चलते उनकी कार्यक्षमता बढ़ी है।
3. **आर्थिक अवसर:**
   - समय और स्वास्थ्य में सुधार के साथ महिलाएं कार्यबल में अधिक सक्रियता से भाग ले रही हैं।
   - इससे वे घर की आय और आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं।
   - एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं की उत्पादक गतिविधियों में 7.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
4. **शिक्षा का प्रोत्साहन:**
   - पहले पानी लाने के कारण स्कूल से वंचित रहने वाली लड़कियां अब नियमित रूप से स्कूल जा रही हैं।
   - इससे उनकी शिक्षा में सुधार हो रहा है और भविष्य में बेहतर अवसर मिल सकते हैं।
5. **सामाजिक सम्मान:**
   - पानी लाने के बोझ से मुक्त होकर महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है।
   - इससे उन्हें अपने समुदाय में अधिक आवाज और सम्मान मिल रहा है।

जल जीवन मिशन (JJM): एक परिचय

1. **लक्ष्य:**
   - अगस्त 2019 में शुरू किया गया यह मिशन हर ग्रामीण परिवार को 2024 तक नल से जल की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।
   - "WASH" (जल, स्वच्छता और स्वच्छता) आधारित गांव विकसित करने की दिशा में काम करना।
2. **प्रगति और उपलब्धियां:**
   - 2019 में केवल 3.23 करोड़ (17%) घरों में नल कनेक्शन था, जो अक्टूबर 2024 तक बढ़कर 15.35 करोड़ (79.31%) हो गया।
   - कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 100% कवरेज।
3. **मुख्य घटक:**
   - जल गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
   - जल स्रोतों की स्थिरता बनाए रखना।
   - ग्रेवाटर (उपयोग किए गए पानी) का प्रबंधन करना।

निष्कर्ष:

जल जीवन मिशन सतत विकास लक्ष्यों (SDG-6: स्वच्छ जल और स्वच्छता) को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। यह न केवल जल आपूर्ति सुनिश्चित करता है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके जीवन को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।

ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी / Green Steel Taxonomy

भारत दुनिया का पहला देश है जिसने "ग्रीन स्टील" के लिए टैक्सोनॉमी (परिभाषा और मानक) निर्धारित की है।

यह स्टील सेक्टर में डिकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन में कमी) की दिशा में भारत की बड़ी उपलब्धि है।

ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी क्या है?

यह एक ऐसा ढांचा है जो "ग्रीन स्टील" को उसके कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता (Emission Intensity) के आधार पर परिभाषित करता है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. **उत्सर्जन की सीमा (Emission Intensity Threshold):**
   - ग्रीन स्टील वह स्टील होगा, जिसका कार्बन उत्सर्जन 2.2 टन CO2e प्रति टन तैयार स्टील से कम होगा।
2. **स्टार रेटिंग सिस्टम:**
   - ग्रीन स्टील को उसके उत्सर्जन की तीव्रता के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी:
     - **5 स्टार:** < 1.6 tCO2e/tfs
     - **4 स्टार:** 1.6 – 2.0 tCO2e/tfs
     - **3 स्टार:** 2.0 – 2.2 tCO2e/tfs
3. **उत्सर्जन का दायरा (Scope of Emissions):**
   - **स्कोप 1:** प्रत्यक्ष उत्सर्जन।
   - **स्कोप 2:** ऊर्जा खपत से अप्रत्यक्ष उत्सर्जन।
   - **सीमित स्कोप 3:** आपूर्ति श्रृंखला से अप्रत्यक्ष उत्सर्जन।
4. **नोडल एजेंसी:**
   - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (NISST) मापन, रिपोर्टिंग, सत्यापन और ग्रीन सर्टिफिकेट जारी करने का कार्य करेगा।
5. **समीक्षा:**
   - उत्सर्जन की सीमा को हर तीन साल में समीक्षा कर बेहतर बनाया जाएगा।

ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी के फायदे:

1. **पर्यावरणीय स्थिरता:**
   - स्टील सेक्टर में कार्बन उत्सर्जन घटाकर पर्यावरण की रक्षा।
2. **वैश्विक नेतृत्व:**
   - ग्रीन स्टील मानक निर्धारित कर भारत को एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना।
3. **बाजार निर्माण:**
   - लो-कार्बन स्टील उत्पादों की मांग बढ़ाना और टिकाऊ तकनीकों को प्रोत्साहित करना।
4. **नीतिगत समन्वय:**
   - ग्रीन स्टील उत्पादन के लिए नीतियां और प्रोत्साहन विकसित करने में सहायता।

चुनौतियाँ:

1. **लागू करना:**
   - उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारी निवेश और नई तकनीकों की आवश्यकता होगी।
2. **डाटा संग्रह और सत्यापन:**
   - उत्सर्जन मापन और रिपोर्टिंग की सटीकता सुनिश्चित करना।
3. **प्रतिस्पर्धा:**
   - वैश्विक बाजार में भारतीय स्टील की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना।

स्टील सेक्टर के डिकार्बोनाइजेशन के लिए भारतीय प्रयास:

1. **नेशनल मिशन ऑन ग्रीन स्टील (NMGS):**
2. **ग्रीन स्टील सार्वजनिक खरीद नीति (GSPPP):**
3. **स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति 2019:**
4. **परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना:**
5. **कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS):**

भारत-यूएई संयुक्त आयोग बैठक / India-UAE Joint Commission Meeting

नई दिल्ली में 15वीं भारत-यूएई संयुक्त आयोग बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉ. एस. जयशंकर और शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने की।

भारत-यूएई संयुक्त आयोग बैठक (15वीं) के मुख्य बिंदु:

1. **सामरिक साझेदारी की प्रगति:**
   - भारत और यूएई के बीच 2017 में शुरू हुई व्यापक सामरिक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि।
2. **द्विपक्षीय निवेश समझौता (Bilateral Investment Treaty):**
   - भारत-यूएई द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू।
   - भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) से व्यापारिक संबंध मजबूत।
   - फिनटेक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) में सहयोग।
3. **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC):**
   - समुद्री संपर्क और व्यापार बढ़ाने के लिए आर्थिक गलियारे पर चर्चा।
   - वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर (VTC) और MAITRI इंटरफेस से पेपरलेस व्यापार प्रक्रियाएं सुगम बनाने का प्रयास।
4. **ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग:**
   - दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते, अपस्ट्रीम-डाउनस्ट्रीम परियोजनाएं, और ग्रीन हाइड्रोजन में सहयोग।
   - परमाणु ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों में नई साझेदारियों पर जोर।
5. **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:**
   - जनवरी 2024 में पहला सैन्य अभ्यास 'डेजर्ट साइक्लोन' सफलतापूर्वक संपन्न।
   - रक्षा उद्योगों के बीच पहली बार भारत-यूएई रक्षा साझेदारी मंच का आयोजन।
6. **शिक्षा क्षेत्र में प्रगति:**
   - IIT-दिल्ली अबू धाबी परिसर का उद्घाटन।
   - दुबई में IIM अहमदाबाद और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) का कैंपस स्थापित करने की प्रक्रिया जारी।
   - उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच संयुक्त शोध, शैक्षणिक आदान-प्रदान और नई तकनीकों के विकास पर जोर।
7. **अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में सहयोग:**
   - अंतरिक्ष, हेल्थकेयर, कृषि प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ते सहयोग पर जोर।
8. **ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान:**
   - एमिरेट्स पोलर मिशन और भारत के राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR) के बीच समझौता।
   - ध्रुवीय क्षेत्रों में शोध, शैक्षणिक सहयोग और क्षमता निर्माण में साझेदारी।

भारत-यूएई संबंध: मुख्य बिंदु-

1. राजनीतिक संबंध (Political Relations):
- भारत और यूएई ने 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- दोनों देश I2U2 (भारत-इजराइल-यूएई-अमेरिका) और UFI (यूएई-फ्रांस-भारत) जैसे बहुपक्षीय मंचों का हिस्सा हैं।
- जी-20 शिखर सम्मेलन 2023 में यूएई को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया।

2. आर्थिक और व्यापारिक संबंध (Economic & Commercial Relations):
- भारत-यूएई व्यापार 2021-22 में **84.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का रहा, जिससे यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना।
- 2022-23 में यूएई, अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा, निर्यात राशि लगभग **31.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर**।
- **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)** 2022 में व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षरित।
- **द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT)** 2024 में निवेश को प्रोत्साहित और सुरक्षित करने के लिए लागू।

3. रक्षा सहयोग (Defence Cooperation):
- **रक्षा सहयोग समझौता** 2003 में हस्ताक्षरित और 2004 में प्रभावी।
- रक्षा सहयोग का संचालन **संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC)** के माध्यम से।
- 2024 में **डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास** रक्षा सहयोग में मील का पत्थर।

4. अंतरिक्ष सहयोग (Space Cooperation):
- 2016 में ISRO और UAE स्पेस एजेंसी के बीच बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता।

5. भारतीय समुदाय (Indian Community):
- लगभग **3.89 मिलियन भारतीय** प्रवासी यूएई में रहते हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग **35 प्रतिशत** है।
- भारतीय समुदाय यूएई का सबसे बड़ा जातीय समूह है।

6. विशेष पहल (Special Initiatives):
- **India-UAE CEPA** से व्यापार और निवेश में नए आयाम जुड़े।
- **Desert Cyclone 2024** और अंतरिक्ष अनुसंधान सहयोग, भारत-यूएई के बढ़ते संबंधों को दर्शाते हैं।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 / The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024

लोकसभा ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया। यह विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में बदलाव करता है और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करता है।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 के मुख्य बिंदु:

1. आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी:

- अब **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** और **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)** आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगे।
- पहले यह कार्य **राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारी समितियों** द्वारा किया जाता था।

2. NDMA और SDMA के कार्य:

- **नई जिम्मेदारियां जोड़ी गईं:**
  - आपदा जोखिमों का समय-समय पर आकलन करना, खासकर जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिम।
  - निचले स्तर के प्राधिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
  - राहत के लिए न्यूनतम मानकों के दिशा-निर्देश तैयार करना।
  - राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डाटा तैयार करना।
- **विनियम बनाने की शक्ति:** NDMA को केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अधिनियम के तहत विनियम बनाने की शक्ति दी गई है।

3. आपदा डाटा बेस:

- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर **व्यापक आपदा डाटा बेस** बनाने का प्रावधान।

4. शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:

- राज्य सरकार को **राजधानी शहरों और नगर निगम वाले शहरों** के लिए एक अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार दिया गया।

5. राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF):

- राज्य सरकार को **राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)** गठित करने का अधिकार।
- राज्य सरकार SDRF के कार्य और इसके सदस्यों की सेवा शर्तें तय करेगी।

6. मौजूदा समितियों को वैधानिक दर्जा:

- **राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC):**
  - गंभीर और राष्ट्रीय स्तर की आपदाओं से निपटने वाली नोडल संस्था होगी।
- **उच्च स्तरीय समिति (HLC):**
  - आपदाओं के दौरान राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

7. NDMA में नियुक्तियां:

- NDMA केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से **अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और श्रेणी** तय कर सकेगा।
- आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञों और सलाहकारों की नियुक्ति कर सकेगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रमुख तथ्य:

1. पृष्ठभूमि और निर्माण:

- **2004 की सुनामी** के बाद यह अधिनियम लागू किया गया।
- इसका विचार **1998 के ओडिशा सुपर साइक्लोन** के समय से ही विचाराधीन था।

2. संस्थागत ढांचा:

- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA):** आपदा प्रबंधन का मुख्य निकाय।
- **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMAs):** राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF):** राहत और बचाव कार्यों के लिए।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM):** आपदाओं से संबंधित शोध, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए।

3. नीति और योजनाएं:

- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009।**
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2016।**

4. उपलब्धियां:

- प्राकृतिक आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन किया गया।
- हज़ारों लोगों की जान बचाई और राहत, बचाव, पुनर्वास सेवाएं प्रदान की गईं।

5. आवश्यकता और महत्व:

- जलवायु परिवर्तन के कारण **आपदाओं की बढ़ती घटनाएं** NDMA और अन्य संस्थाओं की भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाती हैं।
- इन संस्थानों को **अधिक जिम्मेदारियां और संसाधन** सौंपे जाने की आवश्यकता है।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 से जुड़ी चिंताएँ:

1. **केन्द्रीकरण**: विधेयक में आपदा प्रबंधन को और अधिक केन्द्रित किया गया है, जिससे प्रतिक्रिया में देरी हो सकती है।
2. **स्थानीय संसाधनों की कमी**: स्थानीय स्तर पर संसाधन और धन की कमी का समाधान नहीं किया गया है।
3. **जलवायु परिवर्तन की अनदेखी**: जलवायु-जनित जोखिमों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों को विधेयक में समुचित रूप से शामिल नहीं किया गया है।
4. **आपदा की सीमित परिभाषा**: हीटवेव जैसी बढ़ती समस्याओं को आपदा की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है।

E Courts मिशन मोड परियोजना / eCourts Mission Mode Project

कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के उद्देश्य से eCourts मिशन मोड परियोजना के क्रियान्वयन की घोषणा की। यह परियोजना न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से न्याय विभाग और सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के सहयोग से लागू की जा रही है।

About eCourts Project:

eCourts परियोजना का उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह परियोजना सुप्रीम कोर्ट की e-कमेटी द्वारा 2005 में प्रस्तुत "भारतीय न्यायपालिका में ICT के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" पर आधारित है।

मुख्य बिंदु:

- **e-कमेटी:** भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रस्ताव पर गठित एक निकाय, जो न्यायपालिका के डिजिटलीकरण और तकनीकी प्रबंधन में सुधार हेतु सलाह देती है।
- **देशव्यापी परियोजना:** यह पूरे देश के जिला न्यायालयों के लिए न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित और निगरानी की जाने वाली अखिल भारतीय परियोजना है।

लक्ष्य:

1. नागरिकों को समयबद्ध और कुशल सेवाएं प्रदान करना।
2. न्यायालयों में निर्णय सहायता प्रणाली विकसित और लागू करना।
3. प्रक्रियाओं को स्वचालित कर जानकारी की पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
4. न्याय प्रक्रिया को सुलभ, किफायती, प्रभावी और पारदर्शी बनाना।

eCourts परियोजना के चरण:

चरण I (2007-2015):

- न्यायालयों का बुनियादी कंप्यूटरीकरण।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थापना।
- केस सूचना प्रणाली (CIS) का कार्यान्वयन।

चरण II (2015-2023):

- जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का ICT सशक्तिकरण।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की शुरुआत।
- नागरिक केंद्रित सेवाएं जैसे e-पेमेंट गेटवे और प्रमाणित ऑनलाइन दस्तावेज़ उपलब्ध कराना।

चरण III (2023-2027):

- डिजिटल और पेपरलेस न्यायालयों का विकास।
- पुराने रिकॉर्ड और लंबित मामलों का डिजिटलीकरण।
- अस्पतालों और जेलों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विस्तार।
- डेटा प्रबंधन के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पर जोर।

लाभ:

1. **प्रभावशीलता:** न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, विलंब को कम करना, और केस प्रबंधन को बेहतर बनाना।
2. **पारदर्शिता:** न्यायालय की जानकारी को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाकर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना।
3. **सुलभता:** दूरस्थ क्षेत्रों और सीमित गतिशीलता वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाना।
4. **कम लागत:** कागजी कार्रवाई और यात्रा से जुड़े खर्चों को कम करना।
5. **आधुनिकीकरण:** भारतीय न्यायपालिका को वैश्विक मानकों के अनुरूप आधुनिक बनाना।

चुनौतियां:

1. **डिजिटल साक्षरता:** न्यायाधीशों, वकीलों और न्यायालय कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करना।
2. **डेटा सुरक्षा:** साइबर खतरों से संवेदनशील न्यायालय डेटा की सुरक्षा।
3. **इन्फ्रास्ट्रक्चर की खामियां:** विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना।

मोस्ट फेवर्ड नेशन / Most favoured nation

स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ **"मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)"** संधि निलंबित करने का निर्णय लिया है, जिससे भारतीय कंपनियों पर कर का बोझ बढ़ेगा।

- आगामी एक जनवरी से यह फैसला लागू होगा।
- इसका अर्थ यह है कि स्विट्जरलैंड एक जनवरी, 2025 से भारतीय कंपनियों द्वारा उसके यहां होने वाली कमाई पर 10 प्रतिशत टैक्स लगाएगा।

स्विट्जरलैंड के इस निर्णय के पीछे कारण:

1. **सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:**
   - भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहरा कराधान से बचाव समझौते (DTAA) को लागू करने के लिए इसे आयकर अधिनियम के तहत अधिसूचित करने की आवश्यकता बताई थी।
   - इस फैसले के कारण भारत और स्विट्जरलैंड के बीच MFN (मोस्ट फेवर्ड नेशन) दर्जे पर पुनर्विचार हुआ।
2. **कर दरों में असमानता:**
   - स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले को भारत में अर्जित आय पर अन्य कंपनियों की तुलना में अधिक कर चुकाना पड़ रहा था।
   - इससे स्विट्जरलैंड को यह महसूस हुआ कि MFN दर्जा निष्पक्ष रूप से लागू नहीं किया जा रहा।
3. **डीटीएए का प्रावधान:**
   - डीटीएए के अंतर्गत MFN दर्जे वाले देशों को लाभांश, तकनीकी शुल्क और आयकर पर कम दर से भुगतान की सुविधा दी जाती है।
   - इस असमानता को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड ने MFN दर्जे को निलंबित करने का फैसला लिया।
4. **निवेश पर प्रभाव:**
   - स्विट्जरलैंड को आशंका थी कि कर की मौजूदा व्यवस्था से उनकी कंपनियों पर अधिक कर भार पड़ रहा है, जिससे उनके देश से होने वाला निवेश प्रभावित हो सकता है।
5. **समानता सुनिश्चित करने की कोशिश:**
   - MFN दर्जा वापस लेने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्विट्जरलैंड की कंपनियों और अन्य देशों की कंपनियों के बीच कराधान में समानता बनी रहे।

1. Most Favoured Nation (MFN) का अर्थ:

- Most Favoured Nation (MFN) का मतलब है कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य एक-दूसरे के साथ समान व्यवहार करते हैं।
- MFN के तहत, किसी देश को सबसे कम टैरिफ, उच्चतम आयात कोटा, और कम से कम व्यापारिक बाधाएं मिलती हैं।

2. **गैर-भेदभाव सुनिश्चित करना:**
   - MFN का उद्देश्य व्यापार में भेदभाव को रोकना है।
   - 'राष्ट्रीय उपचार' (National Treatment) भी इसी तरह का एक और उपाय है।
3. **WTO समझौतों में MFN की भूमिका:**
   - 164 WTO सदस्य देशों के बीच MFN स्थिति को मान्यता दी जाती है।
   - यदि किसी एक देश को व्यापारिक रियायत दी जाती है, तो वही सभी सदस्य देशों पर लागू होगी।
   - यह सिद्धांत WTO के GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) के शुरुआती प्रावधानों में से एक है।
4. **विशेष छूट:**
   - द्विपक्षीय व्यापार समझौते।
   - विकासशील देशों को विशेष व्यापारिक सुविधा।

MFN का संचालन:

1. **समान व्यवहार:**
   - यदि कोई देश एक सदस्य को विशेष लाभ देता है, तो वह लाभ सभी अन्य WTO सदस्यों को भी देना होगा।
2. **स्थगन और निलंबन:**
   - WTO के आर्टिकल 21बी के तहत कोई भी देश सुरक्षा संबंधी विवादों के चलते दूसरे देश से यह दर्जा वापस ले सकता है।
   - MFN का दर्जा समाप्त करने या स्थगित करने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।
   - WTO के नियमों के तहत इसके लिए किसी विशेष अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है।

मराठा सैन्य परिदृश्य / Maratha Military Landscapes

हाल ही में, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने कहा कि 'भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य' को वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

मराठा सैन्य परिदृश्य (Maratha Military Landscapes):

- **मराठा सैन्य परिदृश्य**, जो 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में एक असाधारण किलाबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतीक है, जिसे मराठा शासकों ने निर्मित किया।
- यह अद्वितीय किलों का नेटवर्क, विविध वर्ग, आकार और प्रकारगत विशेषताओं वाला है, जो साह्यद्री पर्वतमाला, कोंकण तट, डेक्कन पठार और भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी घाटों के भौगोलिक विशेषताओं के साथ सम्मिलित है।

भारतीय उपमहाद्वीप में निर्मित एक असाधारण किलाबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतीक है, जिसे मराठा शासकों ने बनाया है।

यह नामांकन 12 मुख्य किलों को सम्मिलित करता है:

- **पर्वतीय किले:** सल्हेर, शिवनेरी, लोहगड़, रायगढ़, राजगढ़, गींजी।
- **पर्वतीय-वन किला:** प्रतापगढ़।
- **पर्वतीय-समतल किला:** पन्हाला।
- **तटीय किला:** विजयदुर्ग।
- **जल द्वीप किलें:** खांदीरी, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग।

यह किलाबंदी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैली हुई है, जिससे मराठा शासकों की रणनीतिक सैन्य क्षमता प्रदर्शित होती है।

मराठा सैन्य परिदृश्य की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान (1670 ई.) हुई थी और इसके बाद के शासकों द्वारा 1818 ई. तक जारी रही।

महत्त्व:

- **भौगोलिक क्षेत्रों का रणनीतिक उपयोग:** मराठों ने प्राकृतिक परिदृश्य का उपयोग कर गुरिल्ला युद्ध रणनीतियों को विकसित किया, जिससे उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को भूमि पर और यूरोपीय शक्तियों को तट पर चुनौती दी।
- **मराठा युद्ध रणनीति** भारतीय इतिहास में सैन्य बौद्धिकता का एक अद्वितीय उदाहरण है।

भारत के विश्व धरोहर स्थल:

1. यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित किसी भी क्षेत्र या वस्तु को संदर्भित करता है।
2. इन स्थलों को 1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन के तहत उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के रूप में नामित किया गया है।
3. स्थलों को तीन श्रेणियों के तहत चयनित किया जाता है - सांस्कृतिक, प्राकृतिक, और मिश्रित।

वर्तमान में, भारत के पास 43 विश्व धरोहर स्थल हैं:

1. कुल 35 सांस्कृतिक स्थल
2. सात प्राकृतिक स्थल
3. एक मिश्रित स्थल
4. पहले सूचीबद्ध स्थल थे - अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा किला, और ताज महल, जो 1983 में सूचीबद्ध किए गए थे।
5. सबसे हाल का स्थल "मोइदम्स – अहोम राजवंश का माउंड-बुरियल सिस्टम" असम से जुलाई 2024 में सूचीबद्ध हुआ।
6. भारत को धरोहर स्थलों की संख्या के अनुसार दुनिया में छठे स्थान पर रखा गया है - इटली (60), चीन (59), जर्मनी (54), फ्रांस (53), और स्पेन (50)।

यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकन मापदंड:

- यूनेस्को की संचालन दिशानिर्देश 2023 के अनुसार, केवल एक संपत्ति—चाहे सांस्कृतिक, प्राकृतिक या मिश्रित—को प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है।
- सांस्कृतिक स्थल के लिए छह मापदंड (i से vi) और प्राकृतिक स्थल के लिए चार मापदंड (vii से x) विश्व धरोहर सूची में सम्मिलन के लिए मान्य हैं।
- मराठा सैन्य परिदृश्य विश्व धरोहर में सांस्कृतिक श्रेणी के तहत शामिल होने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

वैश्विक डूबने की रोकथाम स्थिति रिपोर्ट / Global drowning prevention status report

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जिनेवा में अपने पहले वैश्विक डूबने की रोकथाम स्थिति रिपोर्ट जारी की, जो डूबने से होने वाली मौतों की गंभीरता और रोकथाम की आवश्यकता पर जोर देती है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

1. **वैश्विक डूबने से होने वाली मौतें:** 2021 में डूबने से विश्वभर में 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जो प्रति घंटे लगभग 30 मौतों के बराबर है।
2. **निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर प्रभाव:** 92% डूबने से होने वाली मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हुईं, जो मुख्यत: गरीब और हाशिए पर मौजूद समुदायों को प्रभावित करती हैं।
3. **डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र का बोझ:** इस क्षेत्र, जिसमें भारत भी शामिल है, में 83,000 मौतें दर्ज की गईं, जो वैश्विक डूबने के बोझ का 28% है।
4. **पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की संवेदनशीलता:** डूबने से होने वाली कुल मौतों में 24% पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की थीं। पाँच से 14 वर्ष के बच्चों की मौतें 19% और 15 से 29 वर्ष के युवाओं की मौतें 14% दर्ज की गईं।
5. **मृत्यु के प्रमुख कारणों में शामिल:** डूबना वैश्विक स्तर पर एक से चार साल के बच्चों के लिए चौथा और पाँच से 14 साल के बच्चों के लिए तीसरा प्रमुख मृत्यु का कारण है।
6. **आर्थिक प्रभाव:** डूबने से बचाव के प्रयासों में निवेश न केवल जीवन बचा सकता है, बल्कि 2050 तक $4 ट्रिलियन के संभावित आर्थिक नुकसान को भी रोक सकता है।

डूबने की रोकथाम के लिए WHO की सिफारिशें:

1. **सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना:** जल सुरक्षा और डूबने के जोखिमों के प्रति लोगों को जागरूक करें।
2. **बुनियादी ढांचे में सुधार:** उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में खतरों को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करें।
3. **सुरक्षित जल परिवहन को बढ़ावा देना:** जल परिवहन को सुरक्षित बनाने और जोखिम कम करने के लिए नियमों को लागू करें।
4. **संवेदनशील समूहों के लिए लक्षित हस्तक्षेप:** बच्चों और हाशिए पर मौजूद समूहों जैसे संवेदनशील आबादी के लिए विशेष उपाय करें।
5. **वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना:** सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधनों को साझा करने के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करें।

डूबने के बारे में:

1. **परिभाषा:**
   - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, डूबना उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी तरल में डूबने या उसमें डूबने से श्वसन प्रणाली बाधित हो जाती है।
   - इसके परिणामस्वरूप मृत्यु, बीमारी या बिना किसी हानि के बचाव हो सकता है।
2. **डूबने के कारण:**
   - बढ़ता समुद्र स्तर
   - शहरी बाढ़
   - असुरक्षित जल परिवहन
   - जोखिमभरी आजीविकाएँ
3. **जोखिम में रहने वाले समूह:**
   - बच्चे और किशोर
   - जबरन विस्थापित लोग
   - गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग
4. **विश्व डूबने की रोकथाम दिवस:**
   - हर साल 25 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है।
   - इसका उद्देश्य डूबने से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देना और जल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

मुख्य सिफारिशें:

1. **राजनीतिक इच्छाशक्ति और निवेश:** डूबने से बचाव के लिए मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता और वित्तीय निवेश आवश्यक है ताकि अधिक जीवन बचाए जा सकें।
2. **डेकयर सेवाएँ:** प्रीस्कूल बच्चों के लिए डेकयर सुविधाएँ उपलब्ध कराकर डूबने के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
3. **तैराकी कौशल:** स्कूल के बच्चों को बुनियादी तैराकी और जल सुरक्षा कौशल सिखाने से लाखों जीवन सुरक्षित किए जा सकते हैं।
4. **विधायी कार्रवाई:** मौजूदा कानून अक्सर डूबने के संकट की गंभीरता को नहीं दर्शाते, जिसके लिए नीति सुधार और सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता है।

सीई20 क्रायोजेनिक इंजन / CE20 Cryogenic Engine

हाल ही में, इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में अपने सीई20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्री स्तर हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। यह सफलता भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन "गगनयान" सहित भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

सीई20 क्रायोजेनिक इंजन के बारे में:

1. क्या है सीई20 क्रायोजेनिक इंजन?

- यह एक रॉकेट इंजन है, जो तरल गैसों को ईंधन और ऑक्सीडाइज़र के रूप में उपयोग करता है।
- इन गैसों को अत्यंत ठंडे तापमान पर तरल रूप में रखा जाता है।
- इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने विकसित किया है और यह लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (LVM-3) के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है।

2. उपयोग की जाने वाली गैसें:

- **तरल ऑक्सीजन (LOX):** ऑक्सीडाइज़र के रूप में काम करता है, जो -183°C पर तरल बनता है।
- **तरल हाइड्रोजन (LH2):** ईंधन के रूप में कार्य करता है, जो -253°C पर तरल बनता है।
- इन दोनों के बीच होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया से जोर (थ्रस्ट) उत्पन्न होता है।

3. प्रमुख विशेषताएँ:

- **इंजन को पुन: शुरू करने की क्षमता:**
  - मल्टी-एलिमेंट इग्नाइटर से लैस, यह इंजन मिशन के दौरान दोबारा शुरू हो सकता है, जो गगनयान जैसे मिशनों के लिए बेहद जरूरी है।
- **नोजल सुरक्षा प्रणाली:**
  - नोजल में बहाव के अलग होने और कंपन को कम करके प्रदर्शन में सुधार करता है और परीक्षण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।
- **उच्च दक्षता:**
  - यह अधिक जोर उत्पन्न करता है और रॉकेट की पेलोड क्षमता बढ़ाता है।

4. अनुप्रयोग:

- इसे रॉकेट के ऊपरी चरणों में उपयोग किया जाता है, जहाँ उच्च दक्षता उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों को कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक होती है।

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में क्रायोजेनिक इंजनों का महत्व:

1. **अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा:**
   - क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट की दक्षता और जोर (थ्रस्ट) को बढ़ाते हैं।
   - यह भारत को गगनयान, उपग्रह प्रक्षेपण और ग्रहों की खोज जैसे मिशनों के लिए भारी पेलोड वाले शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम बनाता है।
2. **स्वदेशी विकास और आत्मनिर्भरता:**
   - क्रायोजेनिक तकनीक में भारत की महारत विदेशी तकनीक पर निर्भरता को कम करती है।
   - भारत उन छह देशों में शामिल है, जिन्होंने अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जापान के साथ अपने क्रायोजेनिक इंजन विकसित किए हैं।
3. **बेहतर पेलोड क्षमता:**
   - क्रायोजेनिक इंजन उच्च विशिष्ट आवेग (स्पेसिफिक इम्पल्स) प्रदान करते हैं, जिससे रॉकेट अधिक भारी पेलोड ले जा सकते हैं और दूरस्थ मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं।

भविष्य की संभावनाएँ:

1. **बेहतर परीक्षण विधियाँ:**
   - यह परीक्षण उन्नत क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण विधियों के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे भविष्य में उच्च जोर वाले मिशनों को समर्थन मिलेगा।
2. **मानव अंतरिक्ष अन्वेषण:**
   - इन उन्नतियों से भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन "गगनयान" और भारी पेलोड वाले रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता को मजबूती मिलेगी।

एचपीएच-15 / HPH-15

कुमामोटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक नया यौगिक **HPH-15** विकसित किया है, जो रक्त शर्करा (Blood Glucose) के स्तर को कम करने और शरीर में चर्बी (Fat) जमा होने से रोकने में मदद करता है। यह मधुमेह के इलाज में एक बड़ी और नई उपलब्धि है।

- इसके साथ ही इसमें एंटीफाइब्रोटिक गुण भी बताए जा रहे हैं, जो कोशिकाओं को स्वस्थ रखने, घाव भरने, ऊतकों की मरम्मत और कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक है।

टाइप 2 मधुमेह और HPH-15 के बारे में मुख्य बिंदु:

1. **टाइप 2 मधुमेह की समस्या:**
   - यह बीमारी दुनियाभर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है।
   - इसके साथ फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी जटिलताएं होती हैं, जिनका इलाज करना चुनौतीपूर्ण है।
2. **HPH-15 की खोज:**
   - कुमामोटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने **HPH-15** नामक नया यौगिक खोजा।
   - यह मौजूदा दवाओं, जैसे **मेटफॉर्मिन**, के मुकाबले अधिक प्रभावी है।
3. **शोधकर्ताओं का नेतृत्व:**
   - इस शोध का नेतृत्व **डॉ. हीरोशी टेटीशी** और **प्रोफेसर एईची अराकी** ने किया।
4. **शोध के प्रमुख परिणाम:**
   - **HPH-15** कम मात्रा में ही **AMP-activated protein kinase (AMPK)** को सक्रिय करता है, जो ऊर्जा संतुलन नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है।
   - इसने लीवर, मांसपेशियों और फैट कोशिकाओं में ग्लूकोज अवशोषण को बढ़ाया।
   - उच्च वसा आहार (High-Fat Diet) से मोटे चूहों में चर्बी जमा होने को कम किया।
5. **मेटफॉर्मिन से बेहतर:**
   - **HPH-15** ने **मेटफॉर्मिन** की तुलना में बेहतर परिणाम दिए।
   - इसमें अतिरिक्त **एंटी-फाइब्रोटिक गुण** भी पाए गए, जो लिवर फाइब्रोसिस और अन्य जटिलताओं को ठीक करने में मददगार हो सकते हैं।
6. **प्रकाशन:**
   - यह अध्ययन **Diabetologia** पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जो मधुमेह के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पत्रिका है।

मधुमेह (Diabetes) एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) को नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है। यह एक पुरानी और तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है, जो दुनियाभर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है।

मधुमेह के प्रकार:

1. **टाइप 1 मधुमेह:**
   - यह एक ऑटोइम्यून रोग है, जिसमें शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अग्न्याशय (Pancreas) की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है।
   - यह समस्या अधिकतर बच्चों और युवाओं में देखी जाती है।
2. **टाइप 2 मधुमेह:**
   - यह सबसे सामान्य प्रकार है, जिसमें शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता (इंसुलिन रेजिस्टेंस)।
   - यह अधिकतर वयस्कों में होता है, लेकिन हाल के वर्षों में यह बच्चों में भी बढ़ रहा है।
3. **गर्भावधि मधुमेह (Gestational Diabetes):**
   - यह गर्भावस्था के दौरान होता है और बच्चे के जन्म के बाद सामान्य हो सकता है।
   - हालांकि, इससे भविष्य में टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है।

मधुमेह के प्रमुख कारण:

1. **अनुवांशिक (Genetic):** परिवार में यदि किसी को मधुमेह है तो यह अन्य सदस्यों को भी हो सकता है।
2. **जीवनशैली (Lifestyle):** अस्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधियों की कमी और मोटापा इसके मुख्य कारण हैं।
3. **तनाव:** अत्यधिक मानसिक तनाव मधुमेह का कारण बन सकता है।
4. **उम्र:** उम्र बढ़ने के साथ मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है।

मधुमेह के लक्षण:

1. अत्यधिक प्यास और भूख लगना।
2. बार-बार पेशाब आना।
3. थकावट महसूस होना।
4. वजन का अचानक घटना या बढ़ना।
5. घावों का धीमे ठीक होना।

जाकिर हुसैन / Zakir Hussain

मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। जाकिर हुसैन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। जिसके चलते उन्हें दिल से जुड़ी समस्याएं पैदा हुईं।

जाकिर हुसैन के बारे में

1. प्रारंभिक जीवन: एक संगीत प्रतिभा:

- जन्म: 1951, मुंबई, भारत
- पिता: तबला वादक उस्ताद अल्ला रक्खा
- बचपन से ही संगीत में असाधारण प्रतिभा दिखाई और **सात वर्ष की उम्र** में ही मंच पर प्रस्तुति शुरू कर दी।
- पिता के सख्त प्रशिक्षण के कारण वे तबला के एक महान उस्ताद बने।

2. तबला को नई ऊँचाइयाँ दीं:

- जाकिर हुसैन ने तबला को सिर्फ संगत के वाद्य से ऊपर उठाकर एक **शक्तिशाली एकल वाद्य** के रूप में स्थापित किया।
- उनकी **तकनीकी कुशलता** और **भावपूर्ण वादन** ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई।
- पंडित रविशंकर और उस्ताद अमजद अली खान जैसे दिग्गजों के साथ काम किया।

. संगीत में वैश्विक योगदान::

- 1970 में जाकिर हुसैन ने **"शक्ति"** नामक म्यूज़िक ग्रुप की स्थापना की, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और जैज़ का संगम था।
- **प्रसिद्ध कलाकारों** जैसे जॉन मैकलॉफलिन, जॉर्ज हैरिसन और ग्रेटफुल डेड के मिकी हार्ट के साथ काम किया।
- उनका ग्रुप **"Planet Drum"** एक **ग्रैमी अवॉर्ड** जीतने में सफल रहा।

4. फिल्मों और अन्य संगीत प्रोजेक्ट्स में योगदान:

- उन्होंने **Heat and Dust** और **In Custody** जैसी फिल्मों के लिए संगीत रचना की।
- अंतरराष्ट्रीय **बैले** और **ऑर्केस्ट्रा** परियोजनाओं पर काम करके भारतीय संगीत को विश्व स्तर पर पहुँचाया।

5. पुरस्कार और सम्मान:

- **पद्म श्री (1988)** और **पद्म भूषण (2002)** से सम्मानित।
- **ग्रैमी अवॉर्ड** (Planet Drum प्रोजेक्ट के लिए)।
- संगीत में उनके योगदान के लिए **मानद डॉक्टरेट्स** से सम्मान।

संक्षिप्त जानकारी:

- **जन्म:** 1951, मुंबई, भारत
- **पिता:** उस्ताद अल्ला रक्खा
- **प्रसिद्ध सहयोगी:** पंडित रविशंकर, जॉन मैकलॉफलिन, जॉर्ज हैरिसन, मिकी हार्ट
- **प्रमुख प्रोजेक्ट्स:** शक्ति, Planet Drum
- **पुरस्कार:** पद्म भूषण, पद्म श्री, ग्रैमी अवॉर्ड
- **विरासत:** तबला को विश्व स्तर पर पहुँचाने वाले महान कलाकार

जाकिर हुसैन का संगीत के प्रति योगदान भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर गौरवान्वित करता है।

पोलावरम परियोजना / Polavaram Project

हाल ही में बीजू जनता दल (बीजद) ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित पोलावरम बांध परियोजना के ओडिशा के मलकानगिरी जिले के आदिवासी समुदायों पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को उजागर करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।

पोलावरम परियोजना के बारे में:

1. परियोजना का परिचय:

- पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है।
- यह आंध्र प्रदेश के एलुरु और पूर्वी गोदावरी जिलों में स्थित है।
- भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है।

2. परियोजना की शुरुआत:

- **परियोजना की अवधारणा:** गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण (GWDT) की सिफारिशों के तहत इस परियोजना की परिकल्पना की गई थी।
- **समझौता:** 2 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच एक समझौते के तहत इसे आंध्र प्रदेश द्वारा लागू किया जाना था।
- **राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा:** 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (APRA) के तहत इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया।
- **वित्तीय लागत:** 2005-06 में परियोजना की प्रारंभिक लागत ₹10,151.04 करोड़ थी, जो 2019 में ₹55,548.87 करोड़ तक पहुंच गई।
- **डैम की ऊंचाई:** जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, पोलावरम परियोजना के कंक्रीट डैम की अधिकतम ऊंचाई -18.50 मीटर के गहरे नींव स्तर से 72.60 मीटर तक है।

3. उद्देश्य:

- **सिंचाई:** पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम, पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिलों में सिंचाई विकास।
- **जल विद्युत उत्पादन:** 960 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता।
- **पेयजल आपूर्ति:** 611 गांवों की 28.50 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराना।
- **सिंचाई क्षमता:** 4.368 लाख हेक्टेयर भूमि की अंतिम सिंचाई क्षमता।

4. प्रमुख विशेषताएं:

- **नदी जोड़ने की परियोजना:** यह परियोजना गोदावरी- कृष्णा लिंक को लागू करती है।
- **जल स्थानांतरण:** गोदावरी नदी से 80 टीएमसी अधिशेष जल कृष्णा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा।
- इस जल को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच साझा किया जाएगा।

परियोजना की वर्तमान स्थिति:

- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 2027 तक गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना को पूरा करने का संकल्प लिया है।
- परियोजना से संबंधित अंतर्राज्यीय विवाद (मुख्य रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच) एक महत्वपूर्ण चरण में है।
- केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में परियोजना की completion के लिए ₹15,000 करोड़ का आश्वासन दिया है।

बीजद के आरोप:

- बीजू जनता दल (बीजद) ने आरोप लगाया कि केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने परियोजना के संशोधित डिज़ाइन के लिए बैकवाटर अध्ययन करने से इनकार कर दिया।
- विशेषज्ञों की सिफारिशों और ओडिशा सरकार की चिंताओं के बावजूद, परियोजना के कारण संभावित डूब क्षेत्र का अभी तक उचित अध्ययन नहीं हुआ है।
- **अध्ययन निष्कर्ष:**
  - 2009 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, 50 लाख क्यूसेक बाढ़ से ओडिशा में जल स्तर 216 फीट तक पहुंच सकता है, जबकि पहले अधिकतम स्तर 174.22 फीट तय किया गया था।
  - 2019 में आईआईटी रुड़की की एक रिपोर्ट के अनुसार, 58 लाख क्यूसेक बाढ़ से जल स्तर 232.28 फीट तक पहुंच सकता है।

प्रमुख चिंताएं:

a) भूमि और लोगों का विस्थापन:

- ओडिशा सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) को बताया कि परियोजना से मलकानगिरी जिले में 7,656 हेक्टेयर भूमि डूब सकती है।
- इस क्षेत्र में जंगल की भूमि भी शामिल है और 6,800 से अधिक लोग, जिनमें 5,916 आदिवासी शामिल हैं, विस्थापित हो सकते हैं।

b) सुरक्षा उपाय:

- आंध्र प्रदेश जल संसाधन विभाग ने सुझाव दिया है कि ओडिशा में सिलेरु और सबरी नदी के किनारे 30 किमी और छत्तीसगढ़ में सबरी नदी के किनारे 29.12 किमी तक सुरक्षा बांध बनाने से डूब क्षेत्र को पूरी तरह से रोका जा सकता है।
- केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से इस बांध निर्माण पर सार्वजनिक सुनवाई करने को कहा था।

c) ओडिशा सरकार की आपत्तियां:

- ओडिशा सरकार ने उच्च सुरक्षा बांध के निर्माण को अव्यावहारिक बताते हुए इसका विरोध किया है।
- उनका कहना है कि इससे जंगल की भूमि का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा और ओडिशा के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- अब तक ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सार्वजनिक सुनवाई नहीं की है।

कृषि ऋण सीमा / Agricultural Loan Limit

कृषि क्षेत्र में बढ़ती लागत और किसानों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिना जमानत के कृषि ऋण सीमा को बढ़ा दिया है। पहले प्रति किसान ₹1.6 लाख की सीमा थी, जिसे बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया है।

- यह फैसला 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और किसानों को उनकी कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए बिना जमानत के ऋण उपलब्ध कराएगा।

मुख्य बिंदु:

1. **ऋण सीमा में वृद्धि:**
   - बगैर जमानत के कृषि ऋण की सीमा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई।
2. **लाभ:**
   - किसानों को बढ़ती महंगाई और कृषि लागत के दबाव से राहत मिलेगी।
   - छोटे और सीमांत किसान, जो 86% कृषि क्षेत्र का हिस्सा हैं, को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी।
3. **बैंकों के निर्देश:**
   - बैंकों को 1 जनवरी 2025 से नई नीति लागू करनी होगी।
   - जमानत और मार्जिन की शर्तों को समाप्त कर दिया जाएगा।
   - बैंकों को किसानों को इस फैसले की पूरी जानकारी देने के लिए प्रचार-प्रसार करना होगा।
4. **अन्य लाभ:**
   - किसानों को केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋण लेने में आसानी होगी।
   - किसानों को 3 लाख रुपये तक के ऋण पर 4% ब्याज दर की संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा।
   - कृषि निवेश बढ़ेगा, जिससे उनकी आजीविका और कृषि उत्पादन में सुधार होगा।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण और ब्याज सब्सिडी योजना:

1. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण:

- **प्रक्रिया में सरलता:** नई नियमों के तहत किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
- **महत्व:**
  - केसीसी ऋण किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराते हैं।
  - बढ़ी हुई ऋण सीमा के कारण किसान बिना जमानत के अधिक ऋण ले सकेंगे, जिससे उनकी कृषि गतिविधियां सुचारु रूप से चल सकेंगी।

2. ब्याज सब्सिडी योजना:

- **संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना:**
  - यह पहल सरकार की संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के साथ मिलकर काम करेगी।
  - **लाभ:** ₹3 लाख तक के कृषि ऋण 4% की कम ब्याज दर पर मिलेंगे।
- **उद्देश्य:**
  - किसानों को उनके वित्तीय दायित्वों का प्रबंधन करने में मदद करना।
  - कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष:

यह पहल कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को मजबूत करती है और किसानों को बढ़ती लागत के बावजूद बिना जमानत के ऋण लेकर अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।

इंडो-पैसिफिक व्यापार संगठन CPTPP / Indo-Pacific Trade Organization (CPTPP)

ब्रिटेन की सदस्यता इंडो-पैसिफिक व्यापार संगठन CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) में आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गई है।

मुख्य बिंदु:

1. **सदस्यता प्रभावी:**
   - यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक रूप से CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) का 12वां सदस्य बन गया।
2. **संधि पर हस्ताक्षर:**
   - ब्रिटेन की पूर्व सरकार ने पिछले साल इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद अधिकांश सदस्य देशों ने इसकी पुष्टि कर दी।
3. **आर्थिक लाभ:**
   - इस समझौते से ब्रिटेन की कमजोर अर्थव्यवस्था को सालाना $2.5 बिलियन (लगभग €2.4 बिलियन) तक का फायदा हो सकता है।
4. **ब्रेक्जिट के बाद व्यापार विस्तार:**
   - यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद ब्रिटेन नए व्यापार समझौतों की तलाश में है।
   - वर्तमान में, यूके के 40% से अधिक निर्यात और 50% से अधिक आयात यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ होते हैं।

ब्रिटेन के लिए CPTPP का महत्व:

1. **ब्रिटेन के निर्यात पर टैरिफ में कमी:** CPTPP में शामिल होने से ब्रिटेन के एशिया-पैसिफिक देशों में निर्यात पर टैरिफ में कमी आएगी। यह ब्रिटेन के व्यापार को बढ़ावा देगा।
2. **आर्थिक लाभ:**
   - एक सरकारी विश्लेषण के अनुसार, इस समझौते से ब्रिटेन का निर्यात £1.7 बिलियन (करीब €1.9 बिलियन, $2.23 बिलियन) बढ़ने की उम्मीद है।
   - इसके साथ ही, ब्रिटेन के आयात में £1.6 बिलियन की वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन की GDP में £1.8 बिलियन का इजाफा होगा।
3. **CPTPP का आर्थिक प्रभाव:**
   - जब ब्रिटेन CPTPP में शामिल होगा, तो इस व्यापारिक समूह की कुल GDP £12 ट्रिलियन होगी और यह वैश्विक व्यापार का 15% प्रतिनिधित्व करेगा।
   - इस समूह के सदस्य देश दुनिया की 13% आय उत्पन्न करते हैं।
4. **व्यापार संबंधों को गहरा करने की इच्छा:**
   - ब्रेक्जिट (2020) के बाद ब्रिटेन एशिया और प्रशांत देशों से अपने व्यापार संबंधों को और गहरा करने के लिए उत्सुक है।
5. **वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव में वृद्धि:**
   - CPTPP में शामिल होने को ब्रिटेन के लिए एक अवसर माना जा रहा है, जिससे वह तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं वाले अन्य व्यापारिक समूहों में शामिल हो सके।
   - इससे ब्रिटेन की वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP):

CPTPP एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement - FTA) है, जो 2018 में 11 देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया।

- यह शुरुआत में ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2017 में अमेरिका के हटने के बाद इसका नाम बदल दिया गया।

सदस्य देश:

ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम और ब्रिटेन ।

मुख्य विशेषताएं:

1. **व्यापार बाधाओं में कमी:**
   - टैरिफ हटाने या कम करने का प्रावधान।
   - सेवाओं और निवेश बाजारों को खोलने की प्रतिबद्धता।
2. **प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा सुरक्षा:**
   - विदेशी कंपनियों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम।
   - बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण।
3. **चीन के प्रभुत्व को संतुलित करना:**
   - चीन के क्षेत्रीय प्रभुत्व के खिलाफ एक आर्थिक संतुलन।
   - चीन, ताइवान, यूक्रेन, कोस्टा रिका, उरुग्वे और इक्वाडोर ने भी सदस्यता के लिए आवेदन किया है।

महत्व:

1. **आर्थिक प्रभाव:**
   - यह समझौता 500 मिलियन उपभोक्ताओं और वैश्विक GDP के 13.5% का प्रतिनिधित्व करता है।
   - एशिया और लैटिन अमेरिका के प्रमुख बाजारों तक प्राथमिकता वाले व्यापारिक पहुंच की सुविधा।
2. **उच्च-स्तरीय मुक्त व्यापार समझौता:** वस्त्र, सेवाओं, निवेश, श्रमिक गतिशीलता और सरकारी खरीद में बाजार पहुंच की मजबूत प्रतिबद्धता।
3. **व्यापार में पारदर्शिता:** व्यवसाय करने के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और निष्पक्ष नियम।
   - तकनीकी व्यापार बाधाओं, स्वच्छता उपायों, कस्टम प्रशासन और सरकारी उपक्रमों के लिए समर्पित अध्याय।
4. **पर्यावरण और श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा:** पर्यावरण और श्रमिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान, जिनकी पुष्टि विवाद निपटान प्रक्रियाओं के माध्यम से की जा सकती है।

डिजिटल क्रांति / Digital revolution

भारत अपनी डिजिटल क्रांति के महत्वपूर्ण चरण में है, जहां 1.18 अरब मोबाइल कनेक्शन, 700 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता और 600 मिलियन स्मार्टफोन देश की तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं।

डिजिटल विभाजन, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा:

1. **शहरी-ग्रामीण असमानता:**
   - शहरी क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, तेज गति और डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध है।
   - ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित डिजिटल पहुंच के कारण लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऑनलाइन शिक्षा और आवश्यक सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।
2. **आर्थिक असमानता:**
   - निम्न-आय वर्ग के लोग डिजिटल उपकरण और इंटरनेट सेवाएं वहन करने में असमर्थ होते हैं।
   - डिजिटल पहुंच की कमी उन्हें ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ कार्य और डिजिटल वित्तीय सेवाओं से वंचित करती है, जिससे आर्थिक अंतर बढ़ता है।
3. **लैंगिक असमानता:**
   - पुरुषों की तुलना में महिलाओं की डिजिटल तकनीकों तक पहुंच कम है, खासकर विकासशील क्षेत्रों में।
   - यह डिजिटल लैंगिक अंतर महिलाओं के शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को सीमित करता है, जिससे सामाजिक असमानताएं और गहरी हो जाती हैं।

डिजिटल विकास के साथ टेक-आधारित लैंगिक हिंसा:

डिजिटल विकास के साथ-साथ टेक-आधारित लैंगिक हिंसा की बढ़ती घटनाएं एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। इसे संबोधित करने के लिए, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में 'अब कोई बहाना नहीं' नामक एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है।

अब कोई बहाना नहीं" अभियान:

भारत में लैंगिक हिंसा से निपटने के उद्देश्य से **"अब कोई बहाना नहीं"** अभियान 25 नवंबर, 2024 को शुरू किया गया। यह अभियान **सार्वजनिक जवाबदेही** और **सक्रिय कार्रवाई** को बढ़ावा देता है।

अभियान की प्रमुख विशेषताएँ:

- **लक्ष्य:**
  - लैंगिक हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना।
  - पीड़ितों को उनके अधिकारों और सुरक्षा तंत्रों के प्रति संवेदनशील बनाना।
- **वैश्विक संदर्भ:**
  - यह अभियान **वैश्विक 16 दिनों की सक्रियता** पहल के साथ मेल खाता है, जो **संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन (UN Women)** द्वारा संचालित एक अंतरराष्ट्रीय पहल है।

डिजिटल युग में महिलाओं के लिए जोखिम:

भारत की डिजिटल क्रांति ने सशक्तिकरण के अनगिनत अवसर खोले हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खातों की संख्या 2015 से लगभग चार गुना बढ़ गई है, जिसमें 55.6% खाते महिलाओं के हैं। डिजिटल जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) लिंक के माध्यम से नकद लाभ सीधे महिलाओं तक पहुंच रहे हैं। हालांकि, बढ़ती कनेक्टिविटी ने महिलाओं को कई नए खतरों के प्रति भी संवेदनशील बना दिया है।

प्रमुख जोखिम:

1. **ऑनलाइन उत्पीड़न:**
   - शहरी क्षेत्रों में महिला पत्रकारों, राजनेताओं और अन्य सार्वजनिक हस्तियों को साइबर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
2. **ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी:**
   - ग्रामीण भारत में 20% अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता होने के बावजूद, कई महिलाएं डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा कौशल से वंचित हैं।
   - सामाजिक बाधाओं के कारण महिलाएं अपने डिजिटल अधिकारों और साइबर सुरक्षा तंत्रों के बारे में जानकारी नहीं रखती हैं।
3. **टेक-सक्षम लैंगिक हिंसा (TFGBV):**
   - साइबरस्टॉकिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग, निजी तस्वीरों की बिना सहमति के साझेदारी, फर्जी प्रोफाइल बनाकर धोखाधड़ी जैसे अपराध आम हैं।
   - इन खतरों के कारण कई महिलाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं।

भारत के उठाए गए कदम:

- **कानूनी सुरक्षा:**
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय न्याय संहिता, 2024 जैसे कानून डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं।
- **रिपोर्टिंग तंत्र:** राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से गुमनाम शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।
- **साइबर जागरूकता कार्यक्रम:**
  - सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम के तहत डिजिटल सुरक्षा पर जागरूकता फैलाई जा रही है।
- **महिला-केंद्रित पहल:**
  - राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की गई 'डिजिटल शक्ति' पहल महिलाओं को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के उपकरण प्रदान करती है।

नक्सलवाद क्या है ? / What is Naxalism?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को नई गति मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि 2026 तक इस उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

1. **नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी उपलब्धियां:** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस की पिछले एक साल में नक्सलवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सराहा।
   - 287 नक्सली मारे गए।
   - लगभग 1,000 नक्सली गिरफ्तार हुए।
   - 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।
   - 14 शीर्ष नक्सली कमांडर मारे गए।
2. **सरकार और सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता:**
   - राज्य और केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया है।
   - राज्य नेतृत्व और सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता की सराहना की गई।
3. **राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार:**
   - छत्तीसगढ़ पुलिस को 25 वर्षों से कम सेवा में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो एक विशेष उपलब्धि है।
4. **नक्सलियों से अपील:**
   - अमित शाह ने बचे हुए नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया।
   - छत्तीसगढ़ में सबसे आकर्षक आत्मसमर्पण नीति लागू होने का उल्लेख किया।

नक्सलवाद:

नक्सलबाड़ी से शुरुआत: नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई, जहां किसानों ने ज़मींदारों के खिलाफ भूमि विवाद को लेकर विद्रोह किया।

मुख्य विचारधारा:

- **माओवादी विचारधारा:** यह आंदोलन माओवादी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित था, जो राज्य को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से उखाड़ फेंकने और भूमि और संसाधनों के पुनर्वितरण की वकालत करता है।
- **आदिवासी क्षेत्रों में प्रसार:** नक्सलवाद समय के साथ भारत के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में फैल गया, खासतौर पर छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में।

उद्देश्य:

- **सशस्त्र विद्रोह:** नक्सलियों का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारतीय राज्य को चुनौती देना और भूमि, धन और संसाधनों का पुनर्वितरण करके हाशिए पर पड़े और आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना है।

नक्सलवाद के बढ़ने के कारण:

1. विस्थापन: विकास परियोजनाओं और खनन गतिविधियों के कारण आदिवासियों का विस्थापन हुआ है, जिससे वे असंतुष्ट हो गए और माओवादी प्रभाव के प्रति संवेदनशील हो गए।

2. असमानताएँ: गरीबी, शिक्षा की कमी और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का अभाव ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में असंतोष को गहरा करता है।

3. वन अधिकारों की समस्या: वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत जंगल उत्पादों तक सीमित पहुँच ने जंगलों पर निर्भर समुदायों को और अधिक अलग-थलग कर दिया।

4. सुरक्षा पर जोर: सरकार का केवल सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना और मूलभूत सामाजिक-आर्थिक मुद्दों की अनदेखी करना समस्याओं को बढ़ाता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

कानूनी कदम:

- **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA):** नक्सली समूहों को आतंकवादी संगठन घोषित करता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुमति देता है।
- **राहत और पुनर्वास नीति:** आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए पुनर्वास पैकेज प्रदान करता है।
- **वन अधिकार अधिनियम, 2006:** आदिवासी समुदायों को भूमि अधिकार बहाल कर एक प्रमुख समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है।

विकासात्मक कदम:

- **महत्वाकांक्षी जिलों का कार्यक्रम:** कमज़ोर जिलों को स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित करता है।
- **कौशल विकास कार्यक्रम:** आदिवासी युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित कर उन्हें नक्सली विचारधाराओं से दूर करने का प्रयास करता है।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं और प्रशासन की पहुँच बढ़ी है।

समान नागरिक संहिता / Uniform Civil Code

लोकसभा में "भारत के संविधान की गौरवशाली यात्रा के 75 वर्ष" पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता (UCC) की आवश्यकता पर जोर देते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर और केएम मुंशी के विचारों को याद किया। उन्होंने कहा कि संविधान सभा में इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई थी और डॉ. अंबेडकर ने धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करने की पुरजोर वकालत की थी।

समान नागरिक संहिता (UCC) क्या है?

- यह एक ऐसा कानून है जो पूरे देश में सभी धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत मामलों (जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि) पर लागू होता है।
- इसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले अलग-अलग कानूनों को एक ही कानून में समाहित करना है।

संविधान में UCC का प्रावधान:

- **अनुच्छेद 44:** संविधान के अनुच्छेद 44 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- यह अनुच्छेद संविधान के भाग-IV (निर्देशात्मक सिद्धांत) का हिस्सा है।

निर्देशात्मक सिद्धांत:

- यह सिद्धांत अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते (न्यायिक रूप से लागू नहीं होते)।
- लेकिन ये सिद्धांत सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों और कानूनों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

विभिन्न समितियों की सिफारिशें:

1. **B.N. Rau समिति (1947):**
   - इस समिति का गठन भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया था।
   - समिति ने समान नागरिक संहिता (UCC) की सिफारिश की, लेकिन इसके क्रियान्वयन को टालते हुए कहा कि इसे तब लागू किया जाए जब देश में एकता और सहमति प्राप्त हो जाए।
2. **सच्चर समिति (1986):**
   - समिति ने UCC की महत्वपूर्णता को स्वीकार किया और कहा कि इससे समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा।
   - हालांकि, समिति ने तत्काल इसके लागू करने की सिफारिश नहीं की, क्योंकि इसके लिए सामाजिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता थी।
3. **कानूनी आयोग की रिपोर्ट (1986, 2018):**
   - **1986 रिपोर्ट:** रिपोर्ट में कहा गया कि UCC को सावधानीपूर्वक और धीरे-धीरे लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में धार्मिक विविधता है। साथ ही, व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
   - **2018 रिपोर्ट:** रिपोर्ट में कहा गया कि UCC तभी लागू किया जाए जब समाज में व्यापक सहमति हो। इसके बजाय, व्यक्तिगत कानूनों को आधुनिक मूल्यों और मानव अधिकारों के साथ सुधारने की सिफारिश की गई।

समान नागरिक संहिता (UCC) के पक्ष में तर्क:

1. **कानून के सामने समानता:** UCC सभी नागरिकों को समान कानूनों के अधीन करेगा, जिससे न्याय और समानता बढ़ेगी।
2. **राष्ट्रीय एकता:** यह धार्मिक विभाजन समाप्त कर राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करेगा।
3. **लिंग न्याय:** महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करेगा, खासकर विवाह, तलाक और उत्तराधिकार में।
4. **धर्मनिरपेक्षता:** धर्म का कानूनी मामलों में प्रभाव समाप्त कर यह धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करेगा।
5. **आधुनिकता:** समकालीन मानव अधिकारों, समानता और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कानून को अपडेट करेगा।
6. **सुपरिणाम:** कानूनी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगा।

समान नागरिक संहिता (UCC) के विपक्ष में तर्क:

1. **धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता:** यह समुदायों की व्यक्तिगत परंपराओं और धार्मिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है।
2. **धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन:** UCC धर्म के पालन में हस्तक्षेप कर सकता है, जो संविधान द्वारा सुनिश्चित स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है।
3. **सहमति की कमी:** विविध विश्वासों और प्रथाओं के कारण एक समान कोड को सभी के लिए स्वीकार्य बनाना कठिन हो सकता है।
4. **राजनीतिक संवेदनशीलता:** यह मुद्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण का कारण बन सकता है।
5. **क्रमिक सुधार:** व्यक्तिगत कानूनों में सुधार धीरे-धीरे और सामुदायिक सहमति से करना अधिक प्रभावी हो सकता है।
6. **भेदभाव का डर:** यह अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भेदभाव का कारण बन सकता है।

डे-लाइट सेविंग टाइम / Daylight savings time

अमेरिका के राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने डे-लाइट सेविंग टाइम (DST) को समाप्त करने का वादा किया, इसे "असुविधाजनक और देश के लिए अत्यधिक लागतकारी" बताते हुए।

डेलाइट सेविंग टाइम (DST):

1. **परिभाषा**: डेलाइट सेविंग टाइम (DST) वह प्रक्रिया है, जिसमें गर्मी के मौसम में घड़ी को एक घंटा आगे और शरद ऋतु में एक घंटे पीछे किया जाता है।
2. **उद्देश्य**:
   - इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक daylight का बेहतर उपयोग करना है, ताकि शाम को अधिक रोशनी मिले और कृत्रिम रोशनी की आवश्यकता कम हो।
3. **कार्यावली**: जो देश DST अपनाते हैं, वे गर्मियों में घड़ी को एक घंटा आगे बढ़ाते हैं और शरद ऋतु में उसे वापस करते हैं।
4. **भारत की स्थिति**:
   - भारत DST का पालन नहीं करता है।
   - भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में दिन के घंटों में अधिक परिवर्तन नहीं होते, इसलिए यहां DST की आवश्यकता नहीं है।
5. **वैश्विक प्रथा**: DST उन देशों में ज्यादा प्रचलित है, जो भूमध्य रेखा से दूर स्थित हैं, जहां मौसम के हिसाब से दिन और रात के घंटों में बड़ा अंतर होता है।

पहला प्रयोग:

- कनाडा के पोर्ट आर्थर (ऑन्टारियो) में 1 जुलाई, 1908 को डेलाइट सेविंग टाइम (DST) को अपनाया गया था।
- अप्रैल 1916 में, विश्व युद्ध I के दौरान, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने कृत्रिम प्रकाश के उपयोग को कम करने के लिए DST को लागू किया था।

महत्व और चुनौतियाँ:

महत्व:

1. **ऊर्जा की बचत**:
   - DST का उद्देश्य ऊर्जा की बचत करना है। घड़ी को वसंत में एक घंटा आगे और पतझड़ में एक घंटा पीछे सेट किया जाता है, ताकि अधिक समय तक दिन की रोशनी का लाभ लिया जा सके।
   - इससे उम्मीद की जाती है कि लोग प्राकृतिक रोशनी का अधिक उपयोग करेंगे और कृत्रिम प्रकाश की खपत घटेगी।
2. **आर्थिक लाभ**:
   - दिन में अधिक समय होने से लोग बाहर समय बिता सकते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है, जैसे कि दुकानदारों और रेस्टोरेंट्स को अधिक ग्राहक मिल सकते हैं।
3. **सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार**:
   - अधिक दिन की रोशनी होने से शाम के समय में दुर्घटनाएँ और अपराधों की संभावना कम हो सकती है।

चुनौतियाँ:

1. **नींद में व्यवधान**:
   - DST के कारण लोगों की नींद की दिनचर्या और शारीरिक घड़ी (circadian rhythm) में बदलाव आता है, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि थकावट, मानसिक तनाव, और अन्य समस्याएँ।
2. **ऊर्जा खपत में वृद्धि**:
   - कुछ अध्ययन बताते हैं कि DST के कारण ऊर्जा की बचत बहुत कम होती है या यह बिल्कुल नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में तो ऊर्जा की खपत बढ़ भी जाती है।
3. **समय क्षेत्रों में असंगतियाँ**:
   - DST हर जगह लागू नहीं होता, जिससे विभिन्न समय क्षेत्रों में भ्रम पैदा हो सकता है। यह व्यापार, यात्रा, और संचार में समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है।
4. **अन्य नकारात्मक प्रभाव**:
   - DST के बाद कार्यस्थल पर चोटों की दर बढ़ सकती है, जिससे काम के दिन गंवाने पड़ सकते हैं।
   - इसके परिणामस्वरूप, कुछ क्षेत्रों में स्टॉक मार्केट का प्रदर्शन भी प्रभावित हो सकता है।

जलवाहक योजना / Jalavaahak yojana

भारत ने जलवाहक योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह एक सरकारी नीति है, जिसका उद्देश्य देश की आंतरिक जलमार्गों (नदियों और नहरों) के जरिए लंबी दूरी का माल परिवहन बढ़ावा देना है। इससे माल ढुलाई सस्ती, तेज और पर्यावरण के अनुकूल बनने की उम्मीद है।

जलवाहक योजना के बारे में:

उद्देश्य:

- देश के आंतरिक जलमार्गों में व्यापार की संभावनाओं को बढ़ावा देना।
- परिवहन लागत कम करना और सड़क एवं रेल नेटवर्क पर बोझ घटाना।

मुख्य विशेषताएँ:

1. **लंबी दूरी के माल परिवहन पर प्रोत्साहन:**
   - 300 किमी से अधिक दूरी तक जलमार्ग से माल ढुलाई करने वाले मालिकों को परिचालन लागत पर 35% तक की सब्सिडी मिलेगी।
2. **योजना की अवधि:**
   - यह योजना तीन वर्षों के लिए लागू रहेगी।
3. **पर्यावरण के अनुकूल परिवहन:**
   - राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (गंगा), 2 (ब्रह्मपुत्र), और 16 (बराक नदी) पर सस्ते और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
4. **निर्धारित मालवाहक सेवा:**
   - हल्दिया से एनडब्ल्यू 1 (कोलकाता-पटना-वाराणसी-पटना-कोलकाता) और एनडब्ल्यू 2 (कोलकाता-पांडु, गुवाहाटी) के बीच निश्चित दिन और समय पर मालवाहक जहाज चलेंगे।
   - इन जहाजों के लिए भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (IBPR) का उपयोग किया जाएगा।
5. **समयबद्ध डिलीवरी:**
   - नियमित माल परिवहन सेवाओं के माध्यम से समय पर डिलीवरी सुनिश्चित होगी।

भारत में आंतरिक जलमार्गों की वर्तमान स्थिति:

1. नेटवर्क का विस्तार:

- भारत में कुल 20,236 किमी का अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क है, जिसमें 17,980 किमी नदियाँ और 2,256 किमी नहरें हैं, जो यांत्रिक नौकाओं के लिए उपयुक्त हैं।
- भारत में वर्तमान में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग (NWs) हैं, जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत घोषित किया गया है।

2. कार्गो परिवहन में वृद्धि:

- राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई 2013-14 में 18.07 मिलियन मीट्रिक टन (MT) से बढ़कर 2023-24 में 132.89 मिलियन MT हो गई है।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक 200 मिलियन MT और 2047 तक 500 मिलियन MT माल जलमार्गों के माध्यम से परिवहन करना है।

आंतरिक जलमार्गों का महत्व:

1. **लॉजिस्टिक लागत में कमी:** भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 14% है, जबकि वैश्विक औसत 8-10% है।
2. **यातायात दबाव में कमी:** जलमार्गों के उपयोग से सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव कम होगा।
3. **पर्यावरण के अनुकूल परिवहन:** ईंधन की खपत और प्रदूषण में कमी भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और जलवायु कार्रवाई के लक्ष्यों के अनुरूप है।
4. **आर्थिक लाभ:** जलमार्गों से माल परिवहन बढ़ने से व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिलेगा, विशेष रूप से राष्ट्रीय जलमार्गों के आसपास के क्षेत्रों में।

आंतरिक जलमार्गों के विकास की चुनौतियाँ:

1. **बुनियादी ढाँचे की कमी:** आधुनिक टर्मिनल, घाट और नेविगेशनल सुविधाओं की कमी के कारण परिवहन में बाधा आती है।
2. **गहराई और नेविगेशन की समस्या:** कई नदियों में मौसमी पानी की कमी से नौवहन बाधित होता है।
3. **सड़क और रेल से प्रतिस्पर्धा:** सड़क और रेल परिवहन की मजबूत स्थिति जलमार्गों के प्रति बदलाव को सीमित करती है

विजय दिवस / Vijay Diwas

विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के नए राष्ट्र के रूप में उदय को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है।

विजय दिवस क्या है?

विजय दिवस हर वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय स्मरण दिवस है। यह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका और पाकिस्तान पर उनकी सैन्य विजय का प्रतीक है।

- इस दिन ने बांग्लादेश के एक नए राष्ट्र के रूप में जन्म का मार्ग प्रशस्त किया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी हार में से एक मानी जाती है।

1971 का भारत-पाक युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम:

पृष्ठभूमि:

1. **भौगोलिक और सांस्कृतिक विभाजन:**
   - भारत की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों (पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान) में बंटा हुआ था।
   - दोनों क्षेत्रों के बीच भौगोलिक दूरी और सांस्कृतिक मतभेद बड़ी समस्याएं थीं।
2. **भाषाई संघर्ष:**
   - पूर्वी पाकिस्तान में अधिकांश लोग बंगाली बोलते थे, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान उर्दू को आधिकारिक भाषा बनाना चाहता था।
   - 1948 में उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने के फैसले ने पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए।
3. **आर्थिक असमानता:**
   - पूर्वी पाकिस्तान देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता था, लेकिन इसका लाभ पश्चिमी पाकिस्तान को ही मिलता था।
   - यह असमानता पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष का मुख्य कारण बनी।
4. **राजनीतिक संकट:**
   - 1970 के आम चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी, अवामी लीग, ने पूर्वी पाकिस्तान में बहुमत हासिल किया।
   - लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ।
5. **दमनकारी कार्रवाई:**
   - मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने "ऑपरेशन सर्चलाइट" शुरू किया, जिसमें लाखों निर्दोष लोगों की हत्या और अन्य अत्याचार किए गए।

भारत की भूमिका:

1. **मानवीय संकट और शरणार्थी समस्या:**
   - पाकिस्तानी सेना की हिंसा के कारण लाखों शरणार्थी भारत (पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय) में आए।
   - इस मानवीय संकट और क्षेत्रीय अस्थिरता ने भारत को पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया।
2. **अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रयास:**
   - प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शरणार्थी संकट और पाकिस्तान के अत्याचारों का मुद्दा वैश्विक मंच पर उठाया।
   - अंतरराष्ट्रीय समुदाय की धीमी प्रतिक्रिया के कारण भारत ने खुद पहल करने का निर्णय लिया।
3. **सैन्य और रणनीतिक सहायता:**
   - भारत ने मुक्ति बाहिनी (बांग्लादेश की स्वतंत्रता सेनाएं) को प्रशिक्षण, हथियार, और सैन्य योजना में सहायता दी।
   - 15 मई 1971 को "ऑपरेशन जैकपॉट" के तहत मुक्ति बाहिनी को संगठित और सशक्त किया गया।
4. **युद्ध की शुरुआत:**
   - 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय वायु ठिकानों पर हमला किया।
   - इसके जवाब में भारत ने पूर्ण सैन्य कार्रवाई शुरू की, जो 13 दिनों तक चली।

भारत के लिए विजय का महत्व:

- **कूटनीतिक सफलता:** भारत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाकर एक बड़े मानवीय संकट को हल किया।
- **दक्षिण एशिया में स्थिरता:** बांग्लादेश के निर्माण से दक्षिण एशिया में राजनीतिक और सामाजिक अशांति को समाप्त करने में मदद मिली।
- **रणनीतिक जीत:** इस युद्ध ने भारत की सैन्य क्षमता, रणनीतिक कुशलता और तीनों सेनाओं के समन्वय को दर्शाया।
- **क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभार:** भारत की यह विजय भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से एक मील का पत्थर थी।

डेजर्ट नाइट अभ्यास / Desert Knight Exercise

भारत, फ्रांस और यूएई ने अरब सागर में "डेजर्ट नाइट" हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाना और जटिल युद्ध परिस्थितियों में संयुक्त संचालन क्षमता सुधारना है।

डेजर्ट नाइट अभ्यास के बारे में:

1. परिचय:

डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और यूएई के बीच एक त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास है। यह तीनों देशों की वायु सेनाओं की युद्धक क्षमताओं को बेहतर बनाने और आपसी तालमेल मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।

2. पृष्ठभूमि:

यह अभ्यास 2022 में भारत, फ्रांस और यूएई के विदेश मंत्रियों द्वारा स्थापित त्रिपक्षीय ढांचे पर आधारित है। इस साझेदारी में रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।

3. अभ्यास की विशेषताएँ:

- इसे "लार्ज फोर्स एंगेजमेंट" कहा जाता है, जिसमें गहन युद्धक अभ्यास होते हैं।
- अरब सागर में कराची से लगभग 350-400 किमी दक्षिण-पश्चिम में यह अभ्यास किया गया।
- इस अभ्यास में उन्नत लड़ाकू विमान जैसे सुखोई-30MKI, राफेल और F-16 शामिल हैं।
- यह इस वर्ष का दूसरा त्रिपक्षीय प्रयास है, जिसका उद्देश्य तीनों वायु सेनाओं के बीच सहयोग और युद्ध कौशल को मजबूत करना है।

4. रणनीतिक महत्व:

- यह अभ्यास भारत-प्रशांत और फारस की खाड़ी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक प्रमुख कदम है।
- यह समान विचारधारा वाले देशों के बीच आपसी तालमेल और सहयोग को दर्शाता है, खासकर चीन के आक्रामक रुख और प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों के बीच।
- वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच यह अभ्यास रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

प्रतियोगी परीक्षा उपयोगी तथ्य:

भारतीय द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास की सूची:

1. **संप्रीति** - भारत और बांग्लादेश
2. **मित्र शक्ति** - भारत और श्रीलंका
3. **मैत्री अभ्यास** - भारत और थाईलैंड
4. **वज्र प्रहार** - भारत और अमेरिका
5. **युद्ध अभ्यास** - भारत और अमेरिका
6. **नोमैडिक एलिफेंट** - भारत और मंगोलिया
7. **गरुड़ शक्ति** - भारत और इंडोनेशिया
8. **शक्ति अभ्यास** - भारत और फ्रांस
9. **धर्म गार्जियन** - भारत और जापान
10. **सूर्य किरण** - भारत और नेपाल
11. **हैंड इन हैंड अभ्यास** - भारत और चीन
12. **सिंबेक्स (SIMBEX)** - भारत और सिंगापुर
13. **गरुड़ अभ्यास** - भारत और फ्रांस

बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों की सूची:

1. **रिमपैक (RIMPAC):**
   - **भाग लेने वाले देश:** ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
2. **मालाबार (Malabar):**
   - **भाग लेने वाले देश:** भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
3. **कोबरा-गोल्ड (Cobra Gold):**
   - **भाग लेने वाले देश:** एशिया-प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्र।
4. **संवेदना (Samvedna):**
   - **भाग लेने वाले देश:** दक्षिण एशियाई क्षेत्र के राष्ट्र।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन / International Solar Alliance

मोल्दोवा ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर आधिकारिक रूप से ISA का सदस्य बनने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु:

1. **समझौते पर हस्ताक्षर:**
   - विदेश मंत्री **एस. जयशंकर** और मोल्दोवा के उप-प्रधानमंत्री **मिहाई पोपसोई** के बीच ISA में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
2. **आर्मेनिया का जुड़ना:**
   - अर्मेनिया 21 नवंबर, 2024 को ISA का **104वां पूर्ण सदस्य** बना।
3. **ISA का उद्देश्य:**
   - ISA एक **संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन** है, जिसका उद्देश्य **सौर ऊर्जा** के क्षेत्र में वैश्विक बदलाव लाना है।
   - इसका उद्देश्य 2030 तक सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना है।

भारत की भूमिका:

1. **ISA की अध्यक्षता:**
   - भारत वैश्विक स्तर पर **स्थायी ऊर्जा भविष्य** के निर्माण में नेतृत्व कर रहा है।
2. **प्रमुख परियोजनाएँ:**
   - **मलावी:** संसदीय भवन का सौरकरण।
   - **फिजी:** सौर ऊर्जा से संचालित स्वास्थ्य केंद्र।
   - **सेशेल्स:** सौर ऊर्जा आधारित कोल्ड स्टोरेज सुविधा।
   - **किरिबाती:** सौर पीवी रूफटॉप सिस्टम।
3. **तकनीकी प्रशिक्षण:**
   - ISA सदस्य देशों के **विशेषज्ञों को सौर ऊर्जा क्षमता** बढ़ाने के लिए **तकनीकी प्रशिक्षण** प्रदान कर रहा है।

मोल्दोवा का उद्देश्य:

1. **ऊर्जा लक्ष्य:**
   - 2030 तक मोल्दोवा का लक्ष्य है कि **30% से अधिक राष्ट्रीय ऊर्जा खपत** को नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा किया जाए।
2. **ISA की भूमिका:**
   - ISA की सदस्यता मोल्दोवा को **510 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा** उत्पादन परियोजनाओं के विकास में मदद करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):

- ISA एक **संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन** है, जिसका उद्देश्य **सौर ऊर्जा** के क्षेत्र में वैश्विक बदलाव लाना है।
- **मुख्यालय:** गुरुग्राम, भारत

उत्पत्ति: 2015 में **COP21 सम्मेलन** (पेरिस) के दौरान विचारित।

उद्देश्य (Aim):

- **भारत और फ्रांस** के बीच एक **सहयोगी पहल**, जिसका लक्ष्य **सौर ऊर्जा समाधान** के माध्यम से **जलवायु परिवर्तन** से निपटना है।

मिशन:

ISA का मार्गदर्शन '**Towards 1000**' रणनीति से होता है, जिसका लक्ष्य है:

1. **USD 1,000 बिलियन** का निवेश सौर ऊर्जा में 2030 तक जुटाना।
2. **1,000 मिलियन लोगों** तक ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करना।
3. **1,000 गीगावाट (GW)** सौर ऊर्जा स्थापित करना।

सदस्यता (Membership): **105 सदस्य देश** और **16 हस्ताक्षरकर्ता देश**।

ISA का महत्व (Significance):

1. **सौर आधारित शीतलन तकनीक:**
   - **सतत और कम वैश्विक-गर्मी क्षमता वाली तकनीकों** को बढ़ावा देता है।
   - **छोटे और मध्यम स्तर के किसानों** को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करता है।
2. **कार्बन उत्सर्जन में कमी:**
   - प्रतिवर्ष **1,000 मिलियन टन CO2** उत्सर्जन को कम करने में सहायक।
3. **भारत की भूमिका को मजबूत करना:**
   - **स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा** और **2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन** के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान।
4. **वैश्विक सौर ऊर्जा बाजार:**
   - सौर ऊर्जा के **बड़े पैमाने पर उपयोग** को प्रोत्साहित कर, लागत में कमी और सहयोगी विकास सुनिश्चित करता है।

La Niña क्या है? / What is La Niña?

La Niña, जो **El Niño Southern Oscillation (ENSO)** का एक चरण है, तब होती है जब प्रशांत महासागर का क्षेत्र सामान्य से ठंडा हो जाता है। यह भारत में मानसून के दौरान सामान्य या अधिक वर्षा लाता है। 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत तक इसके सक्रिय होने की संभावना है, जिससे सर्दी हल्की रहने की उम्मीद है।

La Niña: परिचय-

La Niña, **El Niño Southern Oscillation (ENSO)** का एक चरण है, जो तब होता है जब इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से **कम** हो जाता है। इसका **विपरीत चरण El Niño** है, जिसमें यह क्षेत्र सामान्य से **गर्म** होता है। ये दोनों स्थितियाँ वैश्विक **मौसमी परिस्थितियों** और **वायुमंडलीय परिसंचरण** को काफी प्रभावित करती हैं।

La Niña का प्रभाव:

1. **भारत**: La Niña के वर्षों में भारत में सामान्य या अधिक **वर्षा** होती है, जबकि El Niño अत्यधिक गर्मी और **सूखा** लाता है।
2. **अन्य देश**:
   - **अफ्रीका** में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है।
   - **अटलांटिक महासागर** में तूफानों (हैरिकेन्स) की तीव्रता बढ़ती है।
   - **अमेरिका** के दक्षिणी हिस्सों में El Niño के दौरान अधिक वर्षा होती है।

हाल की घटनाएँ:

- **2020-2022**: यह दशक तीन लगातार La Niña घटनाओं के साथ शुरू हुआ, जिसे **Triple Dip La Niña** कहा जाता है।
- **2023**: El Niño विकसित हुआ, जिसने वैश्विक मौसम पर प्रभाव डाला।

La Niña की भविष्यवाणी: 2024-2025-

- **2024** में La Niña के विकसित होने की उम्मीद थी, लेकिन यह **देरी** से आ रहा है।
- **इतिहास**: 1950 से केवल **दो बार** ऐसा हुआ है जब La Niña अक्टूबर से दिसंबर के बीच विकसित हुआ।
- **वर्तमान स्थिति**: दिसंबर 2024 तक La Niña के विकसित होने की **संभावना 57%** है। यदि यह विकसित होता है, तो यह कमजोर रहेगा।

मौसम विज्ञान और भारतीय मौसम पर असर:

1. **दक्षिण भारत**: बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में इस साल सर्दियाँ सामान्य से **ठंडी** हैं।
2. **उत्तर भारत**: सर्दियाँ **विलंबित** हैं और तापमान सामान्य से **अधिक** है।

महत्वपूर्ण सूचकांक (Indices):

- **Oceanic Niño Index (ONI)**:
  - यदि तीन महीने के औसत तापमान में अंतर **−0.5°C** या इससे कम हो, तो इसे **La Niña** कहा जाता है।
  - वर्तमान में यह लगभग **−0.3°C** है।
  - La Niña या El Niño घोषित होने के लिए ONI का यह मान लगातार **पाँच बार** आवश्यक है।

El Niño: परिचय-

क्या है: **El Niño ENSO (El Niño Southern Oscillation)** का **गर्म चरण** है, जिसमें **पूर्वी प्रशांत महासागर** के समुद्री सतह के तापमान सामान्य से **अधिक** हो जाते हैं।

El Niño कैसे बनता है:

- **कमजोर ट्रेड विंड्स** (व्यापारी हवाएँ) गर्म पानी को **पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर** में इकट्ठा होने देती हैं।

वैश्विक प्रभाव:

1. **दक्षिणी अमेरिका** और **दक्षिणी U.S.**: भारी वर्षा।
2. **दक्षिण-पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका**: भीषण सूखा।
3. **समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र**: गर्म समुद्री जल के कारण **विघटन**।

भारत पर प्रभाव:

1. **मानसून**: कम वर्षा और **सूखे** की स्थिति (उदाहरण: **2023**)।
2. **गर्मी की लहरें**: भीषण गर्मी और लंबे समय तक **सूखा**।
3. **कृषि**: कृषि उत्पादन में **कमी** और जल संकट की स्थिति।

Triple Dip La Niña:

Triple Dip La Niña एक **दुर्लभ घटना** है जब La Niña की स्थितियाँ लगातार **तीन वर्षों** तक बनी रहती हैं।

कैसे बनता है:

- **व्यापारी हवाओं** (Trade Winds) का लगातार मजबूत होना।
- प्रशांत महासागर के **सतही जल का लगातार ठंडा** होना, जो **कई चक्रों** तक बना रहता है।

वैश्विक प्रभाव:

1. **अफ्रीका और पश्चिमी U.S.**: लंबे समय तक **सूखा**।
2. **ऑस्ट्रेलिया**: चक्रवातीय गतिविधियों (Cyclone Activity) में वृद्धि।
3. **अटलांटिक महासागर**: अधिक संख्या में **हरिकेन** का बनना।
4. **वैश्विक कृषि और समुद्री प्रणालियाँ**: लंबे समय तक **विघटन** और अस्थिरता।

ग्रीन हाइड्रोजन / Green Hydrogen

भारत की जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हरा हाइड्रोजन (green hydrogen) महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2030 तक सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन हरा हाइड्रोजन उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।

- हालाँकि, ब्लूमबर्गएनईएफ द्वारा हाल ही में किए गए विश्लेषण में पाया गया कि भारत केवल अपने लक्ष्य का 10% ही प्राप्त कर सकेगा।
- मुख्य कारण उत्पादन लागत और पारंपरिक ग्रे/ब्लू हाइड्रोजन उत्पादन लागत के बीच का बड़ा अंतर है, जिससे घरेलू मांग और निजी निवेश आकर्षित करना मुश्किल हो जाता है।

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के वित्तीय अवरोध:

1. **उच्च उत्पादन लागत:**
   - ग्रीन हाइड्रोजन ($5.30-$6.70 प्रति किग्रा) बनाम ग्रे/ब्लू हाइड्रोजन ($1.9-$2.4 प्रति किग्रा)।
   - लागत अधिक होने से निवेश और उपयोग में कमी।
2. **उच्च पूंजी लागत :**
   - भारत जैसे उभरते बाजारों में निवेश जोखिम अधिक होने से उधार दरें बढ़ती हैं।
   - यह समतल बिजली लागत (LCOE) और कुल उत्पादन लागत को प्रभावित करता है।
3. **इलेक्ट्रोलाइज़र की उच्च लागत:**
   - अल्कलाइन सिस्टम: $500-1,400/किलोवाट।
   - प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM): $1,100-1,800/किलोवाट।
4. **विस्तार की चुनौती:**
   - बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत घट सकती है, लेकिन लागत कम किए बिना उत्पादन विस्तार संभव नहीं है।

वित्तीय समाधान:

1. **मिश्रित वित्त मॉडल (Blended Finance):**
   - सार्वजनिक और निजी पूंजी के संयोजन से निवेश जोखिम कम कर वित्तीय आकर्षण बढ़ाया जा सकता है।
   - सरकार समर्थित ऋण और रियायती वित्तपोषण से पूंजी लागत घट सकती है।
2. **ग्रीन बॉन्ड और जलवायु वित्तपोषण:**
   - दीर्घकालिक और कम लागत वाली पूंजी जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करना।
   - स्थिर निवेश में रुचि रखने वाले निवेशकों को आकर्षित करना।
3. **निजी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP):**
   - सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से परियोजनाओं का वित्त पोषण सुनिश्चित करना।
   - सब्सिडी, कर छूट, और प्रोत्साहन देना।
4. **कार्बन क्रेडिट और ऑफटेक समझौते:**
   - कार्बन क्रेडिट और दीर्घकालिक बिक्री समझौतों से राजस्व स्थिरता लाना।
   - निवेशकों का विश्वास बढ़ाना और परियोजनाओं को वित्तपोषण में मदद करना।

हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen):

हरित हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, बेस्वाद, गैर-विषैला और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है।

सबसे हल्का, सरल और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है।

"हरित" शब्द इसके उत्पादन प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (सौर, पवन, जलविद्युत) का उपयोग कर इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया में कोई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन नहीं होता।

हरित हाइड्रोजन के लाभ:

1. **ऊर्जा भंडारण:** इसे लंबे समय तक संग्रहीत किया जा सकता है, जिससे यह ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
2. **आर्थिक लाभ:** इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में बनने वाली ऑक्सीजन को औद्योगिक और चिकित्सा उपयोग के लिए बेचा जा सकता है।
3. **लचीला ऊर्जा स्रोत:** हाइड्रोजन को बिजली उत्पादन, परिवहन, और औद्योगिक उपयोगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
4. **शून्य उत्सर्जन:** इसका उत्पादन और उपयोग ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता, केवल पानी की वाष्प उत्पन्न करता है।
5. **वैश्विक उपयोग की संभावनाएँ:** कई देश बिजली उत्पादन और औद्योगिक अनुप्रयोगों में इसका उपयोग कर रहे हैं।

हरित हाइड्रोजन की सीमाएँ:

1. **उच्च उत्पादन लागत:** इसकी उत्पादन लागत पारंपरिक ईंधनों की तुलना में अधिक है, जिससे यह कम प्रतिस्पर्धी बनता है।
2. **अधिक ऊर्जा की आवश्यकता:** उत्पादन के लिए काफी ऊर्जा की जरूरत होती है, जो इसकी लागत और उपयोग को प्रभावित करती है।
3. **सुरक्षा जोखिम:** हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होता है, जिससे सुरक्षित भंडारण और परिवहन की विशेष व्यवस्था आवश्यक है।

भारत-श्रीलंका संबंध / India–Sri Lanka relations

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा डिसानायके ने अपनी पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वस्त किया कि श्रीलंकाई क्षेत्र का उपयोग भारत के हितों के खिलाफ नहीं किया जाएगा। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया।

श्रीलंकाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के मुख्य बिंदु:

1. **सुरक्षा सहयोग:**
   - श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि श्रीलंका की भूमि का उपयोग भारत के हितों के खिलाफ नहीं होगा।
   - दोनों देशों ने **रक्षा सहयोग समझौते** को अंतिम रूप देने और **हिंद महासागर क्षेत्र** को सुरक्षित और स्वतंत्र बनाए रखने पर सहमति जताई।
   - **मुख्य उपाय:**
     - रक्षा सहयोग पर रूपरेखा समझौते की संभावना।
     - श्रीलंका की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना।
     - **समुद्री निगरानी**, **रक्षा प्रशिक्षण** और **संवाद** को मजबूत करना।
     - **कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन** में समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित।
2. **तमिल अल्पसंख्यकों के मुद्दे:**
   - पीएम मोदी ने तमिल समुदाय के पुनर्निर्माण और सुलह पर जोर दिया।
   - श्रीलंका के संविधान के पूर्ण क्रियान्वयन और प्रांतीय परिषद चुनावों के आयोजन की उम्मीद जताई।
   - दिसानायके ने **एकता, सामाजिक सुरक्षा** और **सतत विकास** पर बल दिया।
3. **मछुआरों के मुद्दे:**
   - दोनों देशों ने मछुआरों की आजीविका से जुड़े विवादों पर चर्चा की।
   - सहमति बनी कि **मानवीय दृष्टिकोण** अपनाया जाएगा और आक्रामकता से बचते हुए दीर्घकालिक समाधान पर कार्य किया जाएगा।
4. **आर्थिक और ऊर्जा सहयोग:**
   - **निवेश-आधारित विकास:** पीएम मोदी ने **भविष्य दृष्टि** के तहत निवेश-आधारित आर्थिक विकास और **भौतिक, डिजिटल व ऊर्जा** कनेक्टिविटी पर जोर दिया।
   - **मुख्य पहल:**
     - आर्थिक संकट के दौरान भारत ने श्रीलंका को **5 अरब डॉलर** की सहायता दी।
     - **ऊर्जा संबंध:**
       - बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी।
       - बहु-उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन, सौर ऊर्जा परियोजना (संपूर)।
       - एलएनजी आपूर्ति।
       - भारत, श्रीलंका और UAE के बीच **पेट्रोलियम पाइपलाइन** पर त्रिपक्षीय सहयोग।
     - **डिजिटल परिवर्तन:**
       - **SLUDI** परियोजना और **UPI डिजिटल भुगतान** को तेजी से लागू करने की योजना।
       - आधार, GeM, PM गति शक्ति और डिजीलॉकर जैसे प्लेटफार्मों का एकीकरण।
5. **कनेक्टिविटी और पर्यटन:**
   - **फेरी सेवा** की शुरुआत: रामेश्वरम (भारत) और तलाइमन्नार (श्रीलंका) के बीच।
   - **रामायण और बौद्ध सर्किट** के प्रचार से पर्यटन को बढ़ावा।
6. **क्षमता निर्माण और छात्रवृत्ति:**
   - भारत ने श्रीलंका की रेलवे सिग्नल प्रणाली के पुनर्वास की घोषणा की।
   - श्रीलंकाई छात्रों के लिए **छात्रवृत्तियां** और **1,500 सिविल सेवकों के प्रशिक्षण** की योजना।
7. **कूटनीतिक समझौते:**
   - **दोहरा कराधान** से बचाव।
   - **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण** समझौते पर हस्ताक्षर।
   - राष्ट्रपति दिसानायके ने पीएम मोदी को श्रीलंका के दौरे का निमंत्रण दिया।

भारत-श्रीलंका संबंधों का महत्व:

1. **भू-राजनीतिक महत्व:** श्रीलंका का **हिंद महासागर** में रणनीतिक स्थान भारत के **व्यापार और सुरक्षा हितों** के लिए महत्वपूर्ण है।
2. **क्षेत्रीय विकास:** श्रीलंका का भारत की **दक्षिण एशियाई विकास दृष्टि** में योगदान महत्वपूर्ण है।
3. **व्यापार और कनेक्टिविटी:** **UPI और फिनटेक** प्लेटफॉर्म का उपयोग व्यापार और **पर्यटन** को सरल बनाता है।

SLINEX 2024 नौसेना अभ्यास / SLINEX 2024 Naval Exercise

द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास **SLINEX 2024 (श्रीलंका-भारत अभ्यास)** का आयोजन 17 से 20 दिसंबर 2024 तक विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसैनिक कमान के तत्वावधान में किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

SLINEX 2024: भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास:

आयोजन:

- **स्थान:** विशाखापत्तनम तट के पास, पूर्वी नौसैनिक कमान (ENC) के तहत।
- **तारीख:** 17 से 20 दिसंबर 2024।
- **चरण:** अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जाएगा
    - **हार्बर फेज़:** 17-18 दिसंबर (तटीय गतिविधियाँ)।
    - **समुद्री फेज़:** 19-20 दिसंबर (समुद्र में अभ्यास)।

मुख्य बिंदु:

- **शुरुआत: 2005 में।**
- **उद्देश्य:** समुद्री सहयोग को मजबूत करना, संचालन में समन्वय बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।
- **2024 संस्करण:** दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना और नियम आधारित समुद्री वातावरण स्थापित करना।

भाग लेने वाले युद्धपोत:

- **भारत:** आईएनएस सुमित्रा (नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल) और विशेष बलों की टीम।
- **श्रीलंका:** एसएलएनएस सायुरा (ऑफशोर पेट्रोल वेसल) और विशेष बलों की टीम।

उद्देश्य:

- पिछले कुछ वर्षों में, SLINEX का दायरा बढ़ा है, जिससे दोनों नौसेनाओं को अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में मदद मिली है।
- 2024 के संस्करण का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच मज़बूत समुद्री संबंधों को और मज़बूत करना है, साथ ही सुरक्षित, संरक्षित और नियम-आधारित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देना है।

अन्य द्विपक्षीय अभ्यास:

- **मित्र शक्ति:** भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास।

प्रतियोगी परीक्षा उपयोगी तथ्य:

भारतीय द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास की सूची:

14. **संप्रीति** - भारत और बांग्लादेश
15. **मित्र शक्ति** - भारत और श्रीलंका
16. **मैत्री अभ्यास** - भारत और थाईलैंड
17. **वज्र प्रहार** - भारत और अमेरिका
18. **युद्ध अभ्यास** - भारत और अमेरिका
19. **नोमैडिक एलिफेंट** - भारत और मंगोलिया
20. **गरुड़ शक्ति** - भारत और इंडोनेशिया
21. **शक्ति अभ्यास** - भारत और फ्रांस
22. **धर्म गार्जियन** - भारत और जापान
23. **सूर्य किरण** - भारत और नेपाल
24. **हैंड इन हैंड अभ्यास** - भारत और चीन
25. **सिंबेक्स (SIMBEX)** - भारत और सिंगापुर
26. **गरुड़ अभ्यास** - भारत और फ्रांस

बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों की सूची:

5. **रिमपैक (RIMPAC):**
    - **भाग लेने वाले देश:** ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
6. **मालाबार (Malabar):**
    - **भाग लेने वाले देश:** भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
7. **कोबरा-गोल्ड (Cobra Gold):**
    - **भाग लेने वाले देश:** एशिया-प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्र।
8. **संवेदना (Samvedna):**
    - **भाग लेने वाले देश:** दक्षिण एशियाई क्षेत्र के राष्ट्र।

वीजा-फ्री यात्रा / Visa-free travel

रूस भारतीय यात्रियों के लिए **वीजा-फ्री यात्रा** की योजना बना रहा है, जो **वसंत 2025** तक लागू हो सकती है।

मुख्य बिंदु:

1. **वीजा-फ्री सिस्टम लॉन्च:**
   - रूस भारतीयों के लिए वीजा-फ्री प्रणाली शुरू करेगा।
   - यह समूह पर्यटक आदान-प्रदान को आसान बनाने के उद्देश्य से लागू होगा।
2. **द्विपक्षीय वार्ता:**
   - **जून 2024** में भारत और रूस के बीच **वीजा नियमों में ढील** पर बातचीत हुई थी।
3. **वर्तमान वीजा स्थिति:**
   - भारतीयों को अभी रूस के लिए वीजा लेना पड़ता है।
   - **अगस्त 2023** से ई-वीजा सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 4 दिन लगते हैं।
4. **पर्यटन में वृद्धि:**
   - **2023** में **60,000 से अधिक** भारतीयों ने मॉस्को की यात्रा की, जो 2022 की तुलना में **26% वृद्धि** है।
   - **Q1 2024** में भारतीयों के लिए **1,700 ई-वीजा** जारी किए गए।
5. **अन्य देशों में सफलता:**
   - रूस ने चीन और ईरान के साथ **समूह वीजा-फ्री प्रोग्राम** सफलतापूर्वक लागू किया है।

अतिरिक्त जानकारी:

1. **भारत के पासपोर्ट की स्थिति:**
   - **हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024** में भारत का स्थान **82वां** है।
   - भारतीय पासपोर्ट धारक **62 देशों** में वीजा-फ्री यात्रा कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
     - इंडोनेशिया
     - मालदीव
     - थाईलैंड
2. **वीजा-फ्री यात्रा का महत्व:**
   - **आर्थिक लाभ:** पर्यटन में वृद्धि से **स्थानीय अर्थव्यवस्था** को बढ़ावा मिलेगा।
   - **संख्यात्मक दृष्टिकोण:** रूस आने वाले भारतीयों की संख्या में लगातार **वृद्धि** हो रही है।
     - वीजा-फ्री नीति से इस संख्या में और इजाफा होगा।
   - **सामरिक लाभ:** भारत-रूस संबंधों को **मजबूती** मिलेगी।

भारत-जापान: अंतरिक्ष मलवा स्टार्टअप

जापान की **ऑर्बिटल लेजर** और भारत की **इंस्पेसिटी** ने अंतरिक्ष मलबे को हटाने और उपग्रहों के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए **लेजर तकनीक** पर आधारित उपग्रहों का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। यह तकनीक **2027** के बाद सुरक्षित तरीके से अंतरिक्ष मलबे के **निष्कासन** को संभव बनाएगी और कक्षीय ट्रैफिक की समस्या को हल करने में मदद करेगी।

ऑर्बिटल लेजर और इंस्पेसिटी सहयोग:

- **उद्देश्य**: अंतरिक्ष मलबे को प्रबंधित करने और उपग्रह के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए एक प्रणाली का प्रदर्शन करना, जो सुरक्षित निष्कासन को 2027 तक संभव बनाती है।
- **योजना**: ऑर्बिटल लेज़र इस प्रणाली को तैनात करने और ऑपरेटरों को आपूर्ति करने की योजना बना रहा है।
- **भागीदारी**: इंस्पेसिटी और ऑर्बिटल लेजर के बीच प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

फंडरेजिंग और वृद्धि:

- **इंस्पेसिटी**: 2022 में स्थापित, पिछले वर्ष $1.5 मिलियन जुटाए गए।
- **ऑर्बिटल लेज़र**: जनवरी में अपनी स्थापना के बाद से $5.8 मिलियन जुटाए गए।

वर्तमान अंतरिक्ष यातायात चिंताएँ:

- अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने पृथ्वी की निचली कक्षा में वस्तुओं पर नज़र रखने और उनका प्रबंधन करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि उपग्रहों और अंतरिक्ष मलबे की वृद्धि हो रही थी।
- **सैटेलाइट और स्पेस डेब्रिस को टैकल करना**: इसके प्रबंधन के लिए ऑर्बिटल लेजर जैसी प्रणालियों की आवश्यकता को उजागर करता है।

रणनीतिक सहयोग:

- **LUPEX मिशन**: 2026 की शुरुआत में जापान और भारत के बीच संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन।
- **चंद्रयान और iSpace सहयोग**: भविष्य के चंद्र ऑर्बिटर मिशन पर भारतीय रॉकेट निर्माता स्काईरूट और उपग्रह निर्माता हेक्स20 का जापानी चंद्र अन्वेषण फर्म आईस्पेस के साथ सहयोग।

वाणिज्यिक अंतरिक्ष संबंध:

- **स्पेसटाइड का रोल**: नॉनप्रॉफिट संगठन स्पेसटाइड जापान और भारत के वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **स्पेस डेटा का अन्य अनुप्रयोग**: आपदा प्रबंधन और कृषि में भारतीय उपग्रह डेटा समाधानों के उपयोग को उजागर करता है, जिसका विस्तार विनिर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।

एक उम्मीदवार एकाधिक निर्वाचन क्षेत्र / One Candidate Multiple Constituency

रामनाथ कोविंद पैनल द्वारा समान चुनाव (Simultaneous Elections) की सिफारिशों के बाद, चुनाव सुधारों पर नई बहस शुरू हो गई है। इनमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है - एक उम्मीदवार द्वारा कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना (One Candidate Multiple Constituency - OCMC)।

पृष्ठभूमि:

भारत के संविधान में संसद को चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act - RPA, 1951) चुनावी प्रक्रिया का संचालन करता है।

1. **1996 से पहले की स्थिति**: किसी भी उम्मीदवार के लिए एक चुनाव में अनगिनत निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं थी।
2. **1996 में संशोधन**: संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया, जिसके बाद एक उम्मीदवार को अधिकतम **दो निर्वाचन क्षेत्रों** से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई।
3. **प्रचलन जारी**: इस संशोधन के बावजूद, खासकर राज्य विधानसभा चुनावों में एक उम्मीदवार द्वारा कई सीटों से चुनाव लड़ने की प्रथा अभी भी जारी है।
4. **हालिया उदाहरण**:
   - नवंबर 2024 में लगभग **44 उपचुनाव** कराए गए क्योंकि विधायकों ने सीटें खाली कर दी थीं।
   - यह दर्शाता है कि सीट खाली करने के कारण न केवल अतिरिक्त चुनावी खर्च बढ़ता है बल्कि संसाधनों की भी बर्बादी होती है।

1. लाभ (Advantages):

सुरक्षा कवच (Safety Net for Candidates):

- उम्मीदवार अनिश्चित मुकाबलों में **कम से कम एक सीट जीतने** के लिए कई क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं।
- यह रणनीति करीबी चुनावों में **बैकअप विकल्प** प्रदान करती है।

नेतृत्व की निरंतरता (Leadership Continuity):

- यदि कोई बड़ा नेता एक सीट हार जाए, तो OCMC पार्टी में **स्थिरता और नेतृत्व बनाए** रखता है।

लोकप्रियता और प्रभाव का प्रदर्शन (Demonstrating Popularity):

- **कई क्षेत्रों** से चुनाव लड़ने से उम्मीदवार अपनी **व्यापक समर्थन क्षमता** और लोकप्रियता प्रदर्शित कर सकते हैं।
- यह पार्टी की **साख बढ़ाता** है और वोटरों को आकर्षित करता है।

रणनीतिक वोट विभाजन (Strategic Vote Division):

- विपक्ष के वोटों को **विभाजित** करने में यह रणनीति मदद करती है।
- इससे पार्टी को चुनावी प्रदर्शन में **बढ़त** मिलती है।

राजनीतिक संदेश और प्रचार (Political Message):

- बड़े नेता **अधिक क्षेत्रों** तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं।
- इससे पार्टी का **संदेश मजबूत** होता है और समर्थन बढ़ता है।

नेतृत्व बदलाव में लचीलापन (Flexibility in Leadership Transition):

- यदि कोई नेता सीट न जीत पाए, तो OCMC से पार्टी को नेतृत्व बनाए रखने में मदद मिलती है।

2. चुनौतियाँ (Challenges):

1. वित्तीय बोझ:

- **2024 के आम चुनावों** का अनुमानित खर्च: ₹6,931 करोड़।
- यदि एक उम्मीदवार **दो सीटें** जीतकर एक खाली करता है, तो **उपचुनाव का खर्च ₹130 करोड़** तक पहुँच सकता है।

2. सत्ताधारी पार्टियों को फायदा: उपचुनावों में सत्ताधारी पार्टियाँ **संसाधनों** के बेहतर इस्तेमाल से जीत की संभावना बढ़ा लेती हैं, जिससे **विपक्ष कमजोर** पड़ता है।

3. वित्तीय दबाव: बार-बार चुनाव लड़ने से **उम्मीदवारों और पार्टियों** पर आर्थिक दबाव बढ़ता है।

4. लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन: यह प्रथा जनता की अपेक्षाओं की जगह **उम्मीदवारों के हितों** को प्राथमिकता देती है।

5. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन:

- **2023 की याचिका** (Ashwini Kumar Upadhyay vs Union of India) में तर्क दिया गया कि OCMC नागरिकों के **विश्वास और अभिव्यक्ति** के अधिकार का हनन करता है।

6. वोटर भ्रम और उदासीनता (Voter Confusion):

- उदाहरण: **वायनाड** में राहुल गांधी के सीट छोड़ने के बाद उपचुनावों में **मतदान प्रतिशत गिरा**।

चुनाव आयोग (ECI) और अन्य सिफारिशें:

1. **RPA, 1951 में संशोधन:** चुनाव आयोग ने **धारा 33(7)** में संशोधन की सिफारिश की है, ताकि किसी उम्मीदवार के **एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों** से चुनाव लड़ने पर **प्रतिबंध** लगाया जा सके।
2. **विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015)**: विधि आयोग ने भी इसी प्रकार **एक उम्मीदवार, एक सीट** के नियम की सिफारिश की थी।
3. **उप-चुनाव का खर्च वसूलना**: चुनाव आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि **उम्मीदवारों से पूरा खर्च** वसूला जाए, जो सीट खाली करने के कारण **उप-चुनाव** की स्थिति पैदा करते हैं।

भारत, ईरान और आर्मेनिया त्रिपक्षीय वार्ता / India, Iran and Armenia Trilateral Dialogue

हाल ही में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य आपसी सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजना था।

मुख्य चर्चा बिंदु:

1. **संपर्क बढ़ाने की रणनीतियाँ:**
   - अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के तहत सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति बनी।
   - चाबहार बंदरगाह की भूमिका को क्षेत्रीय संपर्क में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रेखांकित किया गया।
2. **वैश्विक मंचों पर सहयोग:**
   - तीनों देशों ने वैश्विक मंचों में अपनी सामूहिक भागीदारी बढ़ाने और प्रभाव को मजबूत करने के उपायों पर विचार किया।
3. **क्षेत्रीय स्थिरता और शांति:**
   - क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख घटनाक्रमों और सुरक्षा मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।
4. **व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंध:**
   - व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक योजनाओं पर चर्चा की गई।
   - आपसी संबंध और लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने के प्रयासों पर जोर दिया गया।
5. **आर्मेनिया की संपर्क परियोजना:**
   - आर्मेनिया ने अपनी "द क्रॉसरोड्स ऑफ पीस" परियोजना का विवरण साझा किया, जिसका उद्देश्य कैस्पियन सागर को भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी को काला सागर से जोड़ने वाले परिवहन मार्गों को विकसित करना है।

उज़्बेकिस्तान जैसे देश INSTC और चाबहार बंदरगाह का उपयोग कर बाजार पहुंच बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं। यह पहल चीन की विवादित क्षेत्रों से गुजरने वाली बेल्ट एंड रोड परियोजना का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है, जिसका भारत विरोध करता है।

चाबहार बंदरगाह क्या है?

- **स्थान:** ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित गहरे पानी का बंदरगाह।
- **महत्व:** फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पास स्थित, यह भारत के गुजरात के कांडला बंदरगाह से लगभग 550 समुद्री मील दूर है।
- **ढांचा:** इसमें दो टर्मिनल हैं - शाहिद बेहेश्ती (भारत की निवेशित परियोजना) और शाहिद कलंतरी।
- **क्षमता:** पूर्ण विकास के बाद 82 मिलियन टन वार्षिक माल ढुलाई क्षमता।

भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच सहयोग के बढ़ते आयाम:

भारत और ईरान के संबंध:

- भारत और ईरान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं।
- चाबहार बंदरगाह दोनों देशों के बीच एक प्रमुख संपर्क केंद्र है।
- भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास में सहायता के लिए $25 मिलियन के उपकरण, जिनमें छह मोबाइल हार्बर क्रेन शामिल हैं, प्रदान किए हैं।
- यह बंदरगाह भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग और ईरान के लिए फारस की खाड़ी से जुड़ने का वैकल्पिक रास्ता प्रदान करता है।

ईरान और आर्मेनिया के संबंध:

- ईरान और आर्मेनिया की आपस में सीमा साझा है और उनके बीच मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक संबंध हैं।
- पिछले वर्ष ईरान ने आर्मेनिया के कापन शहर में एक वाणिज्य दूतावास खोला।
- दोनों देश व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें आर्मेनिया ईरान को यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट मार्ग प्रदान करता है।

त्रिपक्षीय सहयोग की संभावनाएँ:

- भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग व्यापार, निवेश, ऊर्जा और परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा।

ब्लैक होल / Black Holes

हाल ही में हुए एक शोध ने ब्लैक होल के गुणों (properties) को मापने का एक नया तरीका सुझाया है। इस विधि में, ब्लैक होल से टकराने पर उत्पन्न प्रकाश की प्रतिध्वनियों (इको) का विश्लेषण करके उनकी विशेषताओं का पता लगाया जाता है।

मुख्य बिंदु:

1. **गुरुत्वीय लेंसिंग:**
   - जब प्रकाश ब्लैक होल के पास से गुजरता है, तो ब्लैक होल के प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश मुड़ जाता है। इसे गुरुत्वीय लेंसिंग कहते हैं।
2. **प्रकाश की प्रतिध्वनियाँ:**
   - गुरुत्वीय लेंसिंग से प्रकाश की प्रतिध्वनियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
3. **विभिन्न मार्गों से गुजरता प्रकाश:**
   - ब्लैक होल के पास से गुजरने वाला प्रकाश विभिन्न रास्तों से गुजर सकता है।
   - कुछ प्रकाश किरणें सीधे दर्शक तक पहुँचती हैं, जबकि अन्य ब्लैक होल के चारों ओर घुमने के बाद वापस अपने मार्ग पर लौटती हैं।
4. **लाइट इको की परिभाषा:**
   - इस प्रक्रिया में प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर अलग-अलग समय पर पहुँचती हैं। पहले पहुँची किरण के बाद आने वाली किरण उसकी प्रतिध्वनि कहलाती है।
5. **लंबी-आधार रेखा इंटरफेरोमेट्री:**
   - वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया है कि ब्लैक होल के द्रव्यमान और घूर्णन को मापने के लिए प्रकाश प्रतिध्वनियों का उपयोग किया जा सकता है।
   - इसके लिए "लंबी-आधार रेखा इंटरफेरोमेट्री" नामक तकनीक का उपयोग करने की योजना है, जो विभिन्न समयों पर पहुँचने वाली किरणों के बीच हस्तक्षेप पैटर्न का विश्लेषण करती है।
6. **आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत:**
   - अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत ने भी प्रकाश प्रतिध्वनि की इस घटना की भविष्यवाणी की थी।

सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत (General Theory of Relativity - GTR):

परिचय: सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत गुरुत्वाकर्षण का एक मौलिक सिद्धांत है।

- **मुख्य बिंदु:**
  1. **अंतरिक्ष-समय की वक्रता:**
     - विशाल पिंड अंतरिक्ष-समय में वक्रता उत्पन्न करते हैं। इस वक्रता के कारण अन्य पिंड घुमावदार मार्ग पर चलते हैं।
  2. **प्रकाश की गति का स्थायित्व:**
     - प्रकाश की गति सभी जड़त्वीय संदर्भ फ्रेमों में स्थिर रहती है। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रेक्षक की स्थिति या गति चाहे जो हो, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रकाश की गति समान रहेगी।

ब्लैक होल क्या है?

- **परिभाषा:**
  - ब्लैक होल एक अत्यधिक घना पिंड है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता।
  - इसका कोई ठोस सतह नहीं होता; यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पदार्थ अपने ही भार से संकुचित हो जाता है।
- **निर्माण:**
  - यह तब बनता है जब एक विशाल तारा अपना ईंधन समाप्त कर लेता है और उसके केंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल इतना बढ़ जाता है कि वह अपने आप में ढह जाता है।
- **केंद्र (सिंगुलैरिटी):**
  - ब्लैक होल का केंद्र एक गुरुत्वीय सिंगुलैरिटी होता है, जहाँ सामान्य भौतिकी के नियम काम नहीं करते।

प्रकाश प्रतिध्वनि (Light Echo):

- **परिभाषा:**
  - यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी दूर स्थित खगोलीय पिंड से निकलने वाला प्रकाश (जैसे तारा या आकाशगंगा) अंतरिक्ष में धूल या अन्य संरचनाओं से टकराकर वापस पृथ्वी तक पहुँचता है।
- **महत्व:**
  - वैज्ञानिक प्रकाश प्रतिध्वनि का उपयोग ब्लैक होल के द्रव्यमान और घूर्णन को मापने के लिए कर सकते हैं।
  - ब्लैक होल के चारों ओर की सामग्री और विकिरण के कारण इसकी विशेषताओं को मापना कठिन होता है, लेकिन प्रकाश प्रतिध्वनि सिग्नल-टू-नॉइज़ अनुपात को सुधार सकती है।

भारत में एआई-संचालित निगरानी / AI-Powered Surveillance in India

भारत निगरानी प्रणाली में एआई को अपनाने में अग्रणी है। यह तकनीकी एकीकरण कानून प्रवर्तन को आधुनिक बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम है, लेकिन उपयुक्त कानूनी ढांचे के अभाव में यह नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से गोपनीयता के अधिकार, के उल्लंघन का कारण बन सकता है।

मुख्य बिंदु:

- 2019 में भारतीय सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बनाने की घोषणा की थी।
- अगले पांच वर्षों में, योजना वास्तविकता में बदल गई है, जिसमें रेलवे स्टेशनों पर एआई-आधारित निगरानी प्रणाली और दिल्ली पुलिस द्वारा अपराध निगरानी के लिए एआई का उपयोग शामिल है।
- 50 एआई-शक्ति वाले उपग्रहों की योजना बनाई जा रही है, जो भारत की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करेंगे।

भारत में ए.आई. निगरानी से संबंधित मौजूदा कानूनी ढांचे:

1. **संविधानिक प्रावधान:**
   - अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता का अधिकार।
   - **K.S. Puttaswamy केस (2017)** में सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में पहचाना।
   - गोपनीयता में सूचना गोपनीयता भी शामिल है।
2. **डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDPA):**
   - 2023 में लागू हुआ।
   - डेटा गोपनीयता और सहमति प्रबंधन को नियंत्रित करता है।
   - आलोचना: सरकार को सहमति के बिना डेटा संसाधित करने की छूट, खासकर चिकित्सा और रोजगार संबंधी मामलों में।
3. **ए.आई. निगरानी के लिए विशिष्ट नियमों की कमी:**
   - कोई व्यापक कानून नहीं है।
   - **डिजिटल इंडिया एक्ट** के तहत भविष्य में नियमों का वादा, लेकिन अभी तक कोई मसौदा नहीं है।

भारतीय संदर्भ:

1. भारत में निगरानी की क्षमताएँ तेजी से बढ़ रही हैं, जिसमें 50 ए.आई.-संचालित उपग्रहों की योजना और सार्वजनिक प्रणालियों में ए.आई. का समाकलन शामिल है।
2. **तेलंगाना पुलिस डेटा उल्लंघन** जैसे मामले व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को उजागर करते हैं, खासकर कल्याण योजनाओं (जैसे "समग्र वेदिका") के माध्यम से एकत्रित डेटा।
3. मौजूदा कानूनी ढांचे डेटा संग्रहण और ए.आई. के उपयोग में पारदर्शिता, न्यायिक निगरानी, या जिम्मेदारी सुनिश्चित करने में असफल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ:

1. **यूरोपीय संघ (EU):**
   - यूरोपीय संघ का **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट** जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है:
     - ए.आई. अनुप्रयोगों को अस्वीकार्य, उच्च, पारदर्शिता या न्यूनतम जोखिम के रूप में वर्गीकृत करता है।
     - कानून प्रवर्तन के लिए वास्तविक समय बायोमेट्रिक पहचान पर कड़े शर्तों के तहत प्रतिबंध लगाता है।
2. **संयुक्त राज्य अमेरिका:**
   - निगरानी कानून जैसे **FISA** (Foreign Intelligence Surveillance Act) बताते हैं कि अत्यधिक निगरानी की संभावना और कड़े सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।

नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रभाव:

1. **गोपनीयता का उल्लंघन:** बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के, डेटा संग्रहण से सूचना गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है।
2. **भेदभाव:** पक्षपाती ए.आई. प्रणालियाँ सामाजिक असमानताओं को बढ़ा सकती हैं।
3. **डेटा उल्लंघन:** कमजोर सुरक्षा उपाय साइबर हमलों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं।
4. **विश्वास की हानि:** नागरिक सार्वजनिक संस्थाओं पर विश्वास खो सकते हैं।

ऋण जाल कूटनीति / Debt Trap Diplomacy

हाल ही में, 2024 की अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में दुनिया के कुल द्विपक्षीय बाह्य ऋण का 25% से अधिक चीन के पास था, जिससे वह विश्व का प्रमुख ऋण वसूलकर्ता बन गया।

- इसने चीन द्वारा इस्तेमाल की जा रही ऋण जाल कूटनीति को लेकर चिंताएं उत्पन्न की हैं।
- दो दशकों पहले, जापान, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम वैश्विक उधारी में प्रमुख थे, जबकि चीन बहुत कम ऋण प्रदान करता था।

ऋण जाल कूटनीति (Debt Trap Diplomacy):

ऋण जाल कूटनीति एक रणनीति को दर्शाती है, जिसमें एक देश दूसरे देश को अत्यधिक ऋण प्रदान करता है, जिससे बाद में उस देश के लिए अपनी कर्ज की अदायगी करना कठिन हो जाता है।

- इस स्थिति में, ऋणी देश को अपनी संपत्तियों पर नियंत्रण या अपने घरेलू और विदेशी नीतियों पर प्रभाव को ऋणदाता देश को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

ऋण जाल कूटनीति के परिणाम:

1. **ऋण पर निर्भरता:**
   - चीन से ऋण लेने वाले देश भारी कर्ज में डूब जाते हैं।
   - इससे वे चीन के आर्थिक दबाव और राजनीतिक प्रभाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
2. **संपत्ति का नियंत्रण:** ऋण चुकता नहीं करने पर देश महत्वपूर्ण संसाधन या बुनियादी ढांचा चीन को सौंपने के लिए मजबूर हो सकते हैं।
   - उदाहरण: श्रीलंका ने हंबनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए चीनी कंपनी को पट्टे पर दिया।
3. **रणनीतिक प्रभाव:** चीन को अफ्रीका, दक्षिण एशिया, और दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी भू-राजनीतिक ताकत बढ़ाने का मौका मिलता है।
   - इससे इन देशों की संप्रभुता पर असर पड़ता है।
4. **बुनियादी ढांचा परियोजनाएं:**
   - चीन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं बड़ी बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं (सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों) पर आधारित होती हैं।
   - ये परियोजनाएं विकास को बढ़ावा देती हैं, लेकिन साथ ही कर्ज का बोझ बढ़ता है।
5. **ऋण पुनर्गठन:**
   - चीन ने कुछ देशों से ऋण पुनर्गठन वार्ता की है।
   - इन वार्ताओं में पारदर्शिता की कमी की आलोचना की जाती है।

चीन की ऋण जाल नीति से प्रभावित देश:

1. **श्रीलंका:** $8 बिलियन के कर्ज से जूझ रहा है, जिसके कारण हंबनटोटा पोर्ट को चीन को 99 साल के लिए पट्टे पर देना पड़ा।
2. **पाकिस्तान:** लगभग $22 बिलियन का कर्ज है, जो इसके द्विपक्षीय ऋण का 60% के करीब है।
3. **लाओस:** $6 बिलियन का कर्ज है, जो इसके द्विपक्षीय ऋण का 75% से अधिक है।
4. **एंगोला:** $17 बिलियन का कर्ज है, जो इसके बाहरी ऋण का 58% है।

भारत के लिए चिंताएँ:

1. **चीन का बढ़ता प्रभाव:**
   - छोटे देशों जैसे नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका पर चीन का बढ़ता ऋण और प्रभाव।
   - इससे चीन का क्षेत्रीय प्रभुत्व बढ़ता है, जो भारत की सुरक्षा आकांक्षाओं के खिलाफ है।
   - भारत का लक्ष्य दक्षिण एशिया में एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता बनने का है, जिसे चीन का बढ़ता प्रभाव चुनौती दे रहा है।
2. **इंडो-पैसिफिक रणनीति के लिए चुनौती:**
   - चीन का ऋण जाल नीति क्षेत्र में उसकी आक्रामकता को बढ़ावा देती है।
   - यह नीति भारत और अन्य देशों के लिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और खुले मार्ग की कल्पना के खिलाफ जाती है।
3. **भारत की संप्रभुता के खिलाफ:**
   - चीन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएँ, जैसे कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), जो भारत के क जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती हैं, भारत की संप्रभुता पर प्रत्यक्ष हमला हैं।
   - इस परियोजना के जरिए चीन पाकिस्तान के साथ अपने प्रभाव को और बढ़ाना चाहता है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है।

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस / Minority Rights Day

हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन धार्मिक अल्पसंख्यकों के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करने के लिए समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में धार्मिक विविधता को सम्मानित करना और अल्पसंख्यक समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

इतिहास और महत्व:

1. **संयुक्त राष्ट्र द्वारा अल्पसंख्यक समूह की परिभाषा:**
   - संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, अल्पसंख्यक समूह वह समुदाय होते हैं जिनका सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक प्रभुत्व नहीं होता और वे किसी विशेष देश में संख्यात्मक दृष्टि से कम होते हैं।
2. **अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का महत्व:**
   - 18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र ने धार्मिक या भाषाई राष्ट्रीय या जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बयान अपनाया।
   - अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता और समान अवसरों का अधिकार सुनिश्चित करता है और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करता है।

भारतीय संविधान में प्रावधान:

1. **धारा 29:**
   - सभी नागरिकों को अपनी अलग संस्कृति, भाषा, या लिपि को संजोने का अधिकार देती है।
   - **महत्व:** यह विविध सांस्कृतिक पहचानों को मान्यता देती है और समानता और गरिमा सुनिश्चित करती है।
2. **धारा 30:**
   - धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देती है।
   - **न्यायिक व्याख्या:**
     - सुप्रीम कोर्ट ने धारा 30 को समानता और भेदभाव न करने के सिद्धांतों से जोड़ा है।
     - हाल के फैसले (जैसे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 2024) ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखने की पुष्टि की है।
3. **धारा 350 A:** यह अपने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की अनिवार्यता तय करती है।
4. **धारा 350 B:** भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान करती है।
5. **अन्य समर्थन:** संविधान विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों का समर्थन करता है, जैसे नागा समुदाय के पारंपरिक कानून।

अल्पसंख्यक (Minority):

1. **संविधान में परिभाषा:** "Minority" शब्द की संविधान में कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है।
2. **न्यायिक व्याख्या:** सुप्रीम कोर्ट ने TMA Pai Foundation (2002) जैसे मामलों में राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया है।
   - **उदाहरण:** पंजाब और उत्तर-पूर्वी राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक माने जाते हैं।
3. **अल्पसंख्यक संस्थानों के संकेतक:**
   - संस्थापक का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की सेवा करना।
   - संचालनात्मक तत्व जैसे वित्त, बुनियादी ढांचा और प्रशासन।
4. **न्यायिक सुरक्षा:** अल्पसंख्यक संस्थान स्वायत्तता का आनंद लेते हैं, लेकिन वे निगरानी से मुक्त नहीं होते:
   - **दुरुपयोग निषेध:** सरकारें संस्थागत मानकों को बनाए रखने के लिए नियम लागू कर सकती हैं।
   - **निष्पक्ष सहायता:** धारा 30(2) अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ भेदभाव करने से मना करती है जब सहायता दी जाती है।
5. **अल्पसंख्यक अधिकारों का तर्क:**
   - **विविधता का संरक्षण:** इन अधिकारों का उद्देश्य सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना है, जो केवल एक सक्षम वातावरण में ही फलती-फूलती है।
   - **व्यक्तिगत बनाम समूह अधिकार:** व्यक्तिगत समानता (धारा 14-18, 19, 25) समूह पहचान के बिना अधूरी है।
   - **न्यायिक टिप्पणियाँ:** न्यायालयों ने हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष संरक्षण की आवश्यकता को महत्वपूर्ण माना है।
6. **आधुनिक भारत में महत्व:**
   - **संविधानिक धरोहर:** धारा 25-30 भारत के बहुलवाद के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।
   - **वैश्विक प्रासंगिकता:** यह अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों, जैसे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, के अनुरूप है।

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की शक्तियों का विस्तार किया / SC Expands Powers of NIA

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)** को **गैर-अधिसूचित अपराधों** (Non-scheduled offences) की जांच करने का अधिकार है, यदि वे **एनआईए अधिनियम, 2008** के **अधिसूचित अपराधों** (Scheduled offences) से जुड़े हुए हैं।

एनआईए अधिनियम, 2008 के मुख्य बिंदु:

1. **एनआईए अधिनियम, 2008** में उन **अधिसूचित अपराधों** की सूची दी गई है, जिनकी जांच एनआईए कर सकती है।
2. इन अपराधों में शामिल हैं:
    - **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962**
    - **विमान अपहरण (रोध) अधिनियम, 1982**
    - **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) आतंकवाद-रोध अधिनियम, 1993**
    - **गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967**

केस की पृष्ठभूमि:

1. **NIA अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध:**
    - NIA अधिनियम में आठ कानूनों के अंतर्गत अपराधों को **अनुसूचित अपराध (Scheduled Offences)** के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
    - **यूएपीए (UAPA) 1967** इस सूची में शामिल है।
2. **आरोप:**
    - एनआईए ने आरोप लगाया कि आरोपी, वांछित आरोपी का मुख्य सहयोगी है, जिसके खिलाफ **गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)** के तहत आरोप दर्ज किए गए थे।
    - मामले में **मादक पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act)** के तहत भी अपराध शामिल थे, जो NIA अधिनियम के अनुसूचित अपराधों की सूची में नहीं हैं।
3. **मामला:**
    - एनआईए को UAPA के तहत जांच सौंपी गई थी और साथ ही **NDPS अधिनियम** से जुड़े मामलों की जांच करने का निर्देश दिया गया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA):

1. **स्थापना:**
    - NIA की स्थापना **NIA अधिनियम, 2008** के तहत **26/11 मुंबई हमलों** के बाद एक केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में की गई थी।
2. **मुख्य कार्य:**
    - NIA भारत की **संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता** को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच और अभियोजन करती है।
    - मुख्यालय: **नई दिल्ली**
    - यह **गृह मंत्रालय** के अंतर्गत कार्य करती है।
3. **एनआईए (संशोधन) अधिनियम, 2019:**
    - **मानव तस्करी, साइबर-आतंकवाद** और **निषिद्ध हथियारों** की बिक्री/निर्माण जैसे अपराधों की जांच के लिए NIA के अधिकार बढ़ाए गए।
    - इसका अधिकार क्षेत्र भारत के बाहर भी बढ़ाया गया।
4. **संबंधित पहल:**
    - **राष्ट्रीय आतंक डेटा फ्यूजन और विश्लेषण केंद्र (NTDFAC)** की स्थापना **बिग डेटा एनालिटिक्स** सक्षम करने के लिए की गई।
    - **आतंकवाद फंडिंग और नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN)** की जांच के लिए NIA को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया।

महत्वपूर्ण धारा: धारा 8 (NIA अधिनियम, 2008):

- **संबद्ध अपराधों की जांच का अधिकार:** NIA अनुसूचित अपराधों की जांच करते समय **किसी अन्य अपराध** की जांच भी कर सकती है, बशर्ते वह अपराध **अनुसूचित अपराध** से जुड़ा हो।

आर्कटिक टुंड्रा / Arctic TSundra

एक नए अध्ययन से पता चला है कि आर्कटिक टुंड्रा, जो कभी स्थिर कार्बन का भंडार था, अब कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और मीथेन (CH_4) गैसों का स्रोत बन गया है।

आर्कटिक टुंड्रा कार्बन कैसे संग्रहित करता है?

1. **कार्बन का अवशोषण (फोटोसिंथेसिस के माध्यम से)**: आर्कटिक टुंड्रा में पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को **फोटोसिंथेसिस** की प्रक्रिया के जरिए अवशोषित करते हैं।
2. **अपघटन धीमा होना**: अन्य पारिस्थितिक तंत्रों की तुलना में, आर्कटिक टुंड्रा की अत्यधिक ठंड **जैविक पदार्थों** (मृत पौधों और जानवरों) के अपघटन की प्रक्रिया को बहुत धीमा कर देती है।
3. **पर्माफ्रॉस्ट कार्बन को फंसाता है**: पौधों और जानवरों के अवशेष **पर्माफ्रॉस्ट** में जमे रहते हैं। पर्माफ्रॉस्ट वह मिट्टी है, जो कम से कम दो लगातार वर्षों तक जमी रहती है। इससे कार्बन वातावरण में उत्सर्जित होने से बचा रहता है।
4. **दीर्घकालिक कार्बन भंडारण**: यह प्रक्रिया **हजारों वर्षों** तक कार्बन को फंसा कर रखती है और इसे वातावरण में वापस जाने से रोकती है।
5. **आर्कटिक मिट्टी का महत्व**: आर्कटिक मिट्टी में **1.6 ट्रिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्बन** संग्रहित है, जिससे यह क्षेत्र **वैश्विक कार्बन चक्र** के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है।

टुंड्रा अब अधिक कार्बन क्यों छोड़ रहा है?

1. **बढ़ते तापमान**:
   - आर्कटिक क्षेत्र **वैश्विक औसत से चार गुना तेजी से गर्म हो रहा है**।
   - **पर्माफ्रॉस्ट पिघलने** से निष्क्रिय माइक्रोब्स सक्रिय हो जाते हैं, जो जैविक पदार्थ को तोड़ते हैं और वातावरण में **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** और **मीथेन (CH_4)** छोड़ते हैं।
   - मीथेन की मात्रा CO_2 की तुलना में कम है, लेकिन यह **100 साल की अवधि में 25 गुना अधिक प्रभावी ग्रीनहाउस गैस** है।
2. **जंगल की आग बढ़ना**:
   - हाल के वर्षों में आर्कटिक में **रिकॉर्ड तोड़ जंगल की आग** देखी गई है।
   - **2024 जंगल की आग उत्सर्जन के लिए दूसरा सबसे बड़ा वर्ष** था।
   - आग सीधे वातावरण में कार्बन छोड़ती है और **पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने को तेज** करती है।
   - जंगल की आग का धुआं बर्फ और बर्फ की सतह को गहरा करता है, जिससे वे कम **सूर्य प्रकाश को परावर्तित** करते हैं और अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं, जिससे तापमान और तेजी से बढ़ता है।

परिणाम:

1. **वैश्विक तापमान वृद्धि में तेजी**:
   - आर्कटिक का **कार्बन भंडार से कार्बन स्रोत** बनना एक **फीडबैक लूप** पैदा करता है। इससे अधिक उत्सर्जन होता है, जो तेज गर्मी और पर्माफ्रॉस्ट के और अधिक पिघलने का कारण बनता है।
2. **वैश्विक जलवायु लक्ष्यों पर प्रभाव**:
   - अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण **पेरिस समझौते** के तहत **1.5°C** तापमान सीमा को बनाए रखना और कठिन हो गया है।
3. **समुद्र के स्तर में वृद्धि**:
   - पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना **ग्लेशियरों के पिघलने** में योगदान करता है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है और **दुनिया भर में तटीय क्षेत्रों** के लिए खतरा पैदा होता है।

रोकने के उपाय:

1. **सख्त उत्सर्जन कटौती**:
   - ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करके आर्कटिक गर्मी और पर्माफ्रॉस्ट पिघलने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है।
   - इसके लिए आवश्यक कदम:
     - **वनों की कटाई को रोकना**।
     - **नवीकरणीय ऊर्जा** को अपनाना।
2. **वैश्विक जलवायु सहयोग**: देशों को **पेरिस समझौते** जैसे समझौतों के तहत अपने उत्सर्जन कटौती के वादों को पूरा करना होगा।
3. **निगरानी और रोकथाम**: आर्कटिक पर **लगातार शोध और निगरानी** से स्थानीय रणनीतियों को विकसित किया जा सकता है, जो कमजोर पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा।

ह्यूमन वैल्यूएबल लॉन्च व्हीकल मार्क-3 / Human Valuable Launch Vehicle Mark-3

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गगनयान मिशन की पहली मानवरहित उड़ान के लिए ह्यूमन वैल्यूएबल लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (HLVM3) का असेंबली कार्य शुरू कर दिया।

- यह असेंबली सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (श्रीहरिकोटा) में हो रही है, और इस मानवरहित उड़ान के अगले साल की शुरुआत में प्रक्षेपित होने की उम्मीद है।

HLVM-3 (ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क-3) के मुख्य बिंदु:

1. **परिचय**:
   - **HLVM-3** इसरो के LVM3 का मानव-अनुकूल संस्करण है, जिसे **गगनयान मिशन** के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में मानव को ले जाना है।
2. **उद्देश्य**:
   - **सुरक्षित मानव अंतरिक्ष उड़ान** सुनिश्चित करना।
   - इसमें उन्नत **विश्वसनीयता और सुरक्षा** सुविधाओं को शामिल किया गया है।
3. **मुख्य विशेषताएँ**:
   - **तीन चरणों का डिज़ाइन**: ठोस (Solid), तरल (Liquid) और क्रायोजेनिक (Cryogenic) चरणों का संयोजन।
   - **पेलोड क्षमता**: निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) तक **10 टन** पेलोड ले जाने की क्षमता।
   - **ऊंचाई और वजन**: 53 मीटर ऊंचा और 640 टन वजनी।
   - **क्रू एस्केप सिस्टम (CES)**: यह वायुमंडलीय उड़ान के अलगाव तक चालू रहता है और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

गगनयान मिशन के मुख्य बिंदु:

परिचय:

- **गगनयान मिशन** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है।
- इसका उद्देश्य **मानव चालक दल** को **400 किमी की कक्षा** में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से **पृथ्वी पर वापस लाना** है।

गगनयान मिशन की लागत:

- मिशन की **कुल लागत** लगभग **₹9023 करोड़** है।

उद्देश्य:

1. **मानव अंतरिक्ष उड़ानें संचालित करना**:
   - मानव अंतरिक्ष उड़ान संचालन की **स्वदेशी क्षमता** का प्रदर्शन।
2. **अंतरिक्ष अन्वेषण**:
   - एक **सतत भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम** की नींव रखना।

गगनयान अंतरिक्ष यान के मुख्य घटक:

1. **ऑर्बिटल मॉड्यूल (OM):**
   - पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने वाला मिशन का **मुख्य केंद्र**।
   - इसमें दो भाग शामिल हैं:
     - **क्रू मॉड्यूल (CM)**: चालक दल के लिए अंतरिक्ष जैसा वातावरण।
     - **सेवा मॉड्यूल (SM)**: क्रू मॉड्यूल को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
2. **सेवा मॉड्यूल (SM):**
   - प्रणोदन प्रणाली, तापीय नियंत्रण, विद्युत प्रणाली और तैनाती तंत्र शामिल हैं।
   - इसका उद्देश्य कक्षा में रहते हुए **क्रू मॉड्यूल को सपोर्ट** प्रदान करना है।
3. **क्रू मॉड्यूल (CM):**
   - चालक दल के लिए **पृथ्वी जैसा वातावरण** सुनिश्चित करता है।
   - इसमें **मानव केंद्रित उत्पाद, जीवन समर्थन प्रणाली, एवियोनिक्स**, और **मंदी प्रणाली** शामिल हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) -

स्थापना:

- 15 अगस्त 1969
- संस्थापक: **डॉ. विक्रम साराभाई**
- मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक

मुख्य उद्देश्य:

- भारत के लिए **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी** का विकास और उसका **राष्ट्रीय विकास** में उपयोग।

प्रमुख केंद्र:

- **सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (श्रीहरिकोटा)** - प्रक्षेपण केंद्र।
- **विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (तिरुवनंतपुरम)** - रॉकेट विकास।
- **इसरो उपग्रह केंद्र (बेंगलुरु)** - उपग्रह निर्माण।

कृषि-कार्बन बाज़ार / Agri-Carbon Market

कार्बन बाजारों की अवधारणा भारतीय कृषि में **स्थिरता और जलवायु परिवर्तन** से निपटने की **अत्यधिक संभावनाएं** रखती है। यह किसानों को **सतत कृषि प्रथाओं** के लिए प्रोत्साहित करते हुए **आर्थिक लाभ** प्रदान करती है। कार्बन बाजार **GHG उत्सर्जन को नियंत्रित** करने और **वैश्विक जलवायु लक्ष्यों** में योगदान देने का एक प्रभावी तरीका है।

कार्बन बाजार और उनका कार्य करने का तरीका:

परिचय:

कार्बन बाजारों को **COP29 (नवंबर 2024)** में संयुक्त राष्ट्र के तहत **केंद्रीकृत कार्बन बाजार** को मंजूरी मिली। भारत ने भी **अनुपालन और स्वैच्छिक कार्बन बाजार** शुरू करने की योजना बनाई है। **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)** ने **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** के साथ मिलकर **Verra रजिस्ट्री** में पांच कृषि कार्बन क्रेडिट परियोजनाएं सूचीबद्ध की हैं।

वर्तमान कार्बन क्रेडिट परियोजनाएँ :

1. सहयोगी पहल:

- **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)**, **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** और **राज्य विश्वविद्यालयों** ने **Verra रजिस्ट्री** में **5 कृषि कार्बन क्रेडिट परियोजनाएँ** सूचीबद्ध की हैं।
- उद्देश्य: **सतत कृषि** को बढ़ावा देना और **किसानों की आय** बढ़ाना।

2. कार्बन फार्मिंग परियोजनाएँ:

- **50 से अधिक परियोजनाएँ** भारत में **16 लाख हेक्टेयर** कृषि भूमि को कवर करती हैं।
- इनका लक्ष्य **47 लाख कार्बन क्रेडिट प्रति वर्ष** उत्पन्न करना है।
- **वर्तमान स्थिति:**
  - अभी तक **कोई भी परियोजना पंजीकृत नहीं** हुई है।
  - **किसानों को आर्थिक लाभ** नहीं मिला है।

Verra रजिस्ट्री का परिचय:

- Verra एक **कार्बन क्रेडिट रजिस्ट्री** है।
- यह **वेरिफाइड कार्बन स्टैंडर्ड (VCS)** के तहत **उच्च-गुणवत्ता वाली परियोजनाओं** का **प्रबंधन** और **पारदर्शी क्रेडिट व्यापार** सुनिश्चित करती है।

कार्बन बाजारों की अवधारणा और उनके उद्देश्य

1. अनुपालन कार्बन बाजार:

- **परिभाषा:** यह वे बाजार हैं जो **अंतरराष्ट्रीय समझौतों**, **राष्ट्रीय सरकारों** या **क्षेत्रीय प्राधिकरणों** द्वारा **विनियमित** होते हैं।
- **उद्देश्य:**
  - **GHG (ग्रीनहाउस गैस) उत्सर्जन की सीमा** तय करना।
  - जो **कंपनियाँ और उद्योग** इस सीमा से **अधिक उत्सर्जन** करते हैं, उन्हें **कार्बन क्रेडिट खरीदने** या **आर्थिक दंड** भरने की आवश्यकता होती है।

2. स्वैच्छिक कार्बन बाजार:

- **परिभाषा:** यह बाजार **सरकारी आदेशों** के बाहर **स्वतंत्र रूप से संचालित** होते हैं।
- **उद्देश्य:**
  - **कंपनियों, व्यक्तियों, और संगठनों** को **अपना कार्बन फुटप्रिंट** कम करने का **वैकल्पिक विकल्प** प्रदान करना।
  - **CSR पहल** और **पर्यावरणीय जिम्मेदारी** को **बढ़ावा देना।**
- **उदाहरण:**
  - **क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म**, **वेरा (Verra)** और **गोल्ड स्टैंडर्ड** जैसे संगठनों द्वारा प्रमाणित परियोजनाएँ।

कार्बन बाजारों का समग्र उद्देश्य:

- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना** और **जलवायु परिवर्तन** से निपटना।
- **अनुपालन बाजार** प्रणालीगत परिवर्तन लागू करते हैं।
- **स्वैच्छिक बाजार** नवाचार और **जन भागीदारी** को बढ़ावा देते हैं।

भारत में कृषि कार्बन बाजार की चुनौतियाँ:

1. किसानों में जागरूकता की कमी:

- किसानों को **कार्बन बाजारों की अवधारणा** और **उनके लाभ** के बारे में **कम जानकारी** है।
- **45% किसान** जो कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं से जुड़े हैं, **परियोजना के उद्देश्यों** के बारे में **कुछ भी नहीं**

2. स्थायी प्रथाओं में प्रशिक्षण की कमी:

- **60% किसान नई कृषि तकनीकों** जैसे **शून्य जुताई, अंतर-फसल, सूक्ष्म सिंचाई,** और **वैकल्पिक सिंचाई विधियों** में **कोई प्रशिक्षण** नहीं पाते।

3. वित्तीय प्रोत्साहन में देरी: किसानों को **अतिरिक्त आय** का वादा किया गया था, लेकिन **99% किसानों** को अब तक **कोई भुगतान नहीं** मिला।

4. **उपज में कमी और खाद्य सुरक्षा:** टिकाऊ कृषि प्रथाओं

वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स / Wealth Tax and Inheritance Tax

फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेती ने भारत में आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए वेल्थ टैक्स (धनकर) और इनहेरिटेंस टैक्स (विरासत कर) लगाने की सलाह दी है। उनका मानना है कि ये कर प्रणाली देश में बढ़ती संपत्ति और आय की असमानताओं को कम करने में मदद कर सकते हैं, और समाज में अधिक समानता ला सकते हैं।

धनकर (Wealth Tax):

धनकर (Wealth Tax) एक प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्ति की संपत्ति, जैसे नकद, संपत्ति, शेयर आदि पर लगाया जाता है। यह कर संपत्ति के मालिक पर उसके संपत्ति मूल्य के आधार पर वसूला जाता है।

विरासत कर (Inheritance Tax):

विरासत कर एक ऐसा कर है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति या संपत्तियों पर लगाया जाता है। यह संपत्ति/धन को विरासत में प्राप्त करने वाले पर लगता है। यह "एस्टेट टैक्स" से अलग होता है, जो मृतक की संपत्ति की कुल मूल्य पर लगाया जाता है।

कई देशों में विरासत कर लागू होता है। उदाहरण के लिए:

- **जापान** में विरासत कर की दर 55% है।
- **दक्षिण कोरिया** में विरासत कर की दर 50% है।

विरासत कर और धनकर (Wealth Tax) में अंतर:

- विरासत कर एक बार ही लिया जाता है, जब कोई व्यक्ति बड़ी संपत्ति विरासत में प्राप्त करता है।
- वहीं, धनकर एक वार्षिक कर है जो संपत्ति के मालिक के जीवित रहने पर उनकी संपत्ति पर लगता है।

भारत में विरासत कर का इतिहास:

- **भारत में वर्तमान में विरासत कर (Inheritance Tax) लागू नहीं है।**
- पहले, 1953 में एस्टेट ड्यूटी (Estate Duty) लागू की गई थी, लेकिन इसकी दर 85% तक पहुँचने के कारण यह अप्रिय हो गई थी।
- इसलिए, 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया।
- एस्टेट ड्यूटी के समान, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स भी भारत में लागू किए गए थे।
- गिफ्ट टैक्स 1998 में और वेल्थ टैक्स 2015 में समाप्त कर दिए गए।
- हालांकि, गिफ्ट टैक्स को 2004 में फिर से लागू किया गया था।
- गिफ्ट टैक्स के तहत, 50,000 रुपये से अधिक का उपहार प्राप्त होने पर उसे आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है।
- अपवादों में दान, विरासत, करीबी रिश्तेदारों से उपहार, और शादी के दौरान दिए गए उपहार शामिल हैं।

धनकर (Wealth Tax) का इतिहास:

भारत का धनकर अधिनियम: भारत में 1957 में धनकर अधिनियम लागू हुआ था, जो 30 लाख रुपये/वर्ष से अधिक आय पर 1% कर लगाता था। यह अधिनियम 2015 में अमल में लाने में विफलता के कारण रद्द कर दिया गया।

वैश्विक स्थिति: कुछ देशों जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और स्पेन में अभी भी धनकर मौजूद है।

वैश्विक न्यूनतम कर: G20 वित्त मंत्रियों ने अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर पर चर्चा की है।

धनकर के पक्ष में तर्क:

1. **धन अंतर को कम करता है:** धनकर समाज में संपत्ति के अंतर को कम करता है और एक समान समाज बनाता है।
2. **समाज में योगदान:** अमीरों को समाज के संसाधनों से लाभ प्राप्त होने के कारण अधिक कर चुकाना चाहिए।
3. **सार्वजनिक वस्तुओं के लिए धन:** धनकर से प्राप्त राजस्व का उपयोग सार्वजनिक सेवाओं और वस्तुओं के लिए किया जा सकता है।
4. **निवेश को बढ़ावा मिलता है:** धनकर से बर्बादी के बजाय उत्पादक निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।

धनकर के खिलाफ तर्क:

1. **उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों का पलायन:** धनकर उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों को देश से बाहर जाने के लिए प्रेरित कर सकता है।
2. **अनुपालन लागत:** 2015 में भारत ने धनकर को समाप्त कर दिया था क्योंकि इससे कानूनी विवाद और अनुपालन लागत बढ़ गई थी।
3. **संपत्ति मूल्यांकन विवाद:** संपत्ति का मूल्यांकन करने में कठिनाई होती है, जिससे विवाद और कानूनी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
4. **उपभोग और रोजगार पर असर:** धनकर उपभोग और रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर मध्यवर्ग और उच्च वर्ग के लिए।

गंगा नदी डॉल्फिन / Ganges River Dolphin

असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन (प्लाटानिस्टा गैंजेटिका) को टैग किया गया है, जो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।

गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में:

मुख्य विवरण:

- **उपाधि:** "गंगा की बाघिन" के नाम से प्रसिद्ध, 1801 में खोजी गई।
- **राष्ट्रीय जलीय पशु:** 2009 में राष्ट्रीय जलीय पशु और असम का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया।
- **पर्यावास:** 90% गंगा नदी डॉल्फिन भारत में पाई जाती हैं, मुख्यत: गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली नदी प्रणालियों में।
- **विशेषताएं:**
  - अंधी होती हैं और मीठे पानी में रहती हैं।
  - शिकार के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का उपयोग करती हैं।
  - छोटे समूहों में यात्रा करती हैं।
  - हर 30-120 सेकंड में सांस लेने के लिए सतह पर आती हैं।

महत्व और खतरे:

- **महत्व:**
  - यह नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की सूचक हैं, क्योंकि यह एक शीर्ष शिकारी (एपेक्स प्रिडेटर) है।
- **मुख्य खतरे:**
  - मछली पकड़ने के जाल में फंसना।
  - तेल के लिए शिकार।
  - आवास का विनाश और प्रदूषण (औद्योगिक कचरा, कीटनाशक, शोर)।

संरक्षण स्थिति और सरकारी पहल:

संरक्षण स्थिति:

- **IUCN:** संकटग्रस्त (Endangered)
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची I
- **CITES:** परिशिष्ट I
- **CMS:** परिशिष्ट I

संरक्षण पहल:

- **प्रोजेक्ट डॉल्फिन:** डॉल्फिन संरक्षण के लिए एक प्रमुख सरकारी योजना।
- **विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य:** बिहार में स्थित।
- **राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस:** हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है।

प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है?

- **शुरुआत:** 15 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित।
- **उद्देश्य:** भारत की नदी और महासागरीय डॉल्फिनों का संरक्षण।
- **अवधि:** 10 वर्ष की योजना।
- **नोडल मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

गंगा नदी डॉल्फिन (Platanista gangetica):

- **राष्ट्रीय जलीय पशु:** भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु, भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाया जाता है।
- **पर्यावास:** मीठे पानी की नदियाँ: गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-सांगू नदी प्रणालियाँ (नेपाल, भारत, बांग्लादेश)।
  - वैश्विक आबादी का लगभग 90% भारत में पाया जाता है।
- **IUCN स्थिति:** संकटग्रस्त (Endangered)।

मुख्य उद्देश्य:

- भारत की डॉल्फिन आबादी को संरक्षित करना और उनके लिए खतरे कम करना।
- संरक्षण संबंधी चुनौतियों का समाधान करना और डॉल्फिन संरक्षण में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

गंगा नदी डॉल्फिन की मुख्य विशेषताएँ:

- **दृष्टिहीन:** गंगा डॉल्फिन लगभग अंधी होती हैं और इकोलोकेशन (ध्वनि तरंगों से वस्तुओं की स्थिति निर्धारित करना) पर निर्भर करती हैं।
- **शारीरिक बनावट:** लंबी और पतली थूथन, गोल पेट, मजबूत शरीर और बड़े पंख जैसे फ्लिपर्स।
  - मादाएं नर से बड़ी होती हैं।
- **महत्व:** छत्र प्रजाति (Umbrella Species) होने के कारण इसे "गंगा की बाघिन" भी कहा जाता है।
- **स्थानीय नाम:** इसे सांस लेने के दौरान निकलने वाली अनोखी आवाज़ के कारण स्थानीय रूप से 'सुसु' कहा जाता है।

राधाकृष्णन पैनल ने एनटीए के पुनर्गठन की सिफारिश की / Radhakrishnan Panel Recommends Restructuring of NTA

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट (CUET-UG) में प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं के बाद जून 2024 में एक सात सदस्यीय पैनल का गठन किया गया। इस पैनल का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक सिफारिशें प्रदान करना है।

पैनल की मुख्य सिफारिशें:

1. परीक्षा संचालन:

- **केवल प्रवेश परीक्षाएँ:** 2025 से, NTA केवल उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित करेगी, भर्ती परीक्षाएँ नहीं।

2. एनटीए का पुनर्गठन:

- **नए पद सृजित:** प्रशासन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सुरक्षा जैसे 10 नए पद बनाए जाएंगे ताकि परीक्षा प्रक्रिया त्रुटि-मुक्त हो सके।

3. डिजिटल परीक्षा (Digi-Exam):

- **सत्यापन प्रक्रिया:** आवेदन, परीक्षा और प्रवेश के हर चरण पर उम्मीदवार की पहचान सत्यापित करने के लिए 'डिजी-यात्रा' मॉडल अपनाया जाएगा।

4. प्रशासनिक निकाय:

- **सशक्त शासी निकाय:** परीक्षा लेखा-परीक्षा, नैतिकता और पारदर्शिता, नामांकन और स्टाफ शर्तों की निगरानी के लिए तीन उप-समितियों के साथ एक सशक्त और जवाबदेह शासी निकाय का गठन किया जाएगा।

5. समन्वय समितियाँ:

- **राज्य और जिला स्तर पर समितियाँ:** राज्य और जिला स्तर पर समन्वय समितियों का गठन होगा, जिनकी स्पष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निर्धारित की जाएंगी।

6. परीक्षा केंद्र:

- **केंद्रीय विद्यालय (KVs) और जवाहर नवोदय विद्यालय (JNVs):** इन स्कूलों का उपयोग देशभर में परीक्षा केंद्रों के रूप में किया जाएगा।

7. प्रश्न पत्र सुरक्षा:

- **सुरक्षित परिवहन:** प्रश्न पत्रों को अधिकृत अधिकारियों द्वारा सील किए गए सुरक्षित कूरियर सेवाओं के माध्यम से भेजा जाएगा।
    - कंटेनर लॉक किए जाएंगे, निगरानी में रहेंगे और सीसीटीवी कैमरों के तहत टेस्ट सेंटर पर एनटीए अधिकारियों को सौंपे जाएंगे।

8. ऑनलाइन परीक्षाएँ:

- **कंप्यूटर अनुकूलन परीक्षण:**
    - पैनल की सिफारिशों के आधार पर सरकार भविष्य की प्रवेश परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर आधारित अनुकूलन परीक्षण (Computer Adaptive Testing) शुरू करने की योजना बना रही है।

सुधार की आवश्यकता:

1. **प्रश्न पत्र लीक और गलत गतिविधियाँ:**
    - परीक्षा सुरक्षा में खामियों से प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, जिससे कुछ छात्रों को अनुचित लाभ मिलता है।
    - उदाहरण: NEET-UG पेपर लीक, UGC नेट में अनियमितताएँ।
    - अंक हेरफेर और अनियमितता जैसे अनावश्यक ग्रेस मार्क्स देना, असमान प्रतियोगिता उत्पन्न करते हैं।
2. **परीक्षा रद्दीकरण और तकनीकी खामियाँ:** बार-बार परीक्षा रद्द होने से देरी, तनाव और वित्तीय बोझ बढ़ता है।
3. **पारदर्शिता की कमी:** विभिन्न परीक्षा सत्रों में कठिनाई स्तर में अंतर से निष्पक्षता और तुलना पर सवाल उठते हैं।
4. **सामान्यीकरण की समस्याएँ:** विभिन्न कठिनाई स्तरों को ध्यान में रखते हुए अंकों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया अस्पष्ट होती है।
5. **अन्य चुनौतियाँ:** राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार जैसे व्यापमं घोटाले की घटनाएँ।
6. **विश्वास की हानि:** इन समस्याओं से परीक्षा प्रणाली पर जनता का विश्वास कम होता है।

भारत में परीक्षा सुधार के लिए विभिन्न पहलें:

1. **सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम:** परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने और परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया।
2. **बायोमेट्रिक्स का उपयोग:** छात्रों की पहचान सत्यापित करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका जा सके।
3. **कंप्यूटर आधारित रीयल-टाइम परीक्षाएँ:** ऑनलाइन परीक्षाएँ आयोजित कर समय पर परिणाम प्रदान करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
4. **राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) का गठन:** उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के रूप में NTA की स्थापना की गई।

फेडरल रिजर्व / Federal Reserve (Fed)

अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) की कटौती की है। अब ब्याज दरें 4.25% से 4.50% के बीच रहेंगी। इस साल ये तीसरा मौका है जब फेड ने ब्याज दरों में कटौती की है। इससे पहले 18 सितंबर और 8 नंबर को फेड ने इंटरेस्ट रेट्स में 25 (0.25%) और 50 बेसिस पॉइंट्स (0.50%) की कटौती की थी।

मुख्य बिंदु:

- फेडरल रिजर्व ने इस वर्ष तीसरी और अंतिम बार ब्याज दरों में कटौती की है।
- 2025 में, फेड दो बार ब्याज दरों में कटौती की संभावना जता रहा है, जो पहले अनुमानित चार कटौतियों से कम है।
- नीति निर्माताओं ने 2025 में महंगाई दर में वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो वर्ष के अंत तक 2.5% तक पहुंच सकती है।

फेडरल रिजर्व सिस्टम (FED) के बारे में :

1. **फेडरल रिजर्व सिस्टम क्या है?**
   - फेडरल रिजर्व सिस्टम (FRS) अमेरिका का केंद्रीय बैंक है।
   - इसे "Fed" के नाम से भी जाना जाता है और यह दुनिया की सबसे प्रभावशाली वित्तीय संस्थाओं में से एक है।
2. **स्थापना:**
   - फेड की स्थापना फेडरल रिजर्व एक्ट के तहत 23 दिसंबर, 1913 को की गई थी।
   - यह अधिनियम तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा वित्तीय संकट (1907) के जवाब में हस्ताक्षरित किया गया था।
   - इससे पहले, अमेरिका एकमात्र प्रमुख वित्तीय शक्ति थी जिसके पास केंद्रीय बैंक नहीं था।
3. **स्थापना का उद्देश्य:**
   - देश को एक सुरक्षित, लचीला और स्थिर मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली प्रदान करना।
4. **संरचना:**
   - फेड के पास 7 सदस्यीय बोर्ड है।
   - इसमें 12 फेडरल रिजर्व बैंक शामिल हैं, जो अलग-अलग जिलों में काम करते हैं और उनके अपने-अपने अध्यक्ष होते हैं।

ब्याज दरों में कटौती के कारण:

1. **आर्थिक मंदी का खतरा:** हाल के महीनों में अमेरिका में उपभोक्ता खर्च और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है।
2. **वैश्विक अनिश्चितता:** अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तनाव और अन्य वैश्विक कारकों ने इस निर्णय को प्रभावित किया।
3. **बेरोजगारी:** श्रम बाजार में सुधार की धीमी गति ने फेड को ब्याज दरों को घटाने के लिए प्रेरित किया।

अमेरिका में मुद्रास्फीति (नवंबर 2024):

- **वार्षिक मुद्रास्फीति:** 2.7% (अक्टूबर में 2.6% से बढ़कर)।

मुख्य कारण:

- खाद्य कीमतों में वृद्धि (2.4% बनाम 2.1%)।
- ऊर्जा लागत में कम गिरावट (-3.2% बनाम -4.9%)।
- नए वाहनों की कीमतों में मामूली गिरावट (-0.7% बनाम -1.3%)।
- आवास की लागत 0.3% बढ़ी, जो मासिक वृद्धि का 40% है।

- **गिरावट:**
  - आवास मुद्रास्फीति में कमी (4.7% बनाम 4.9%)।
  - परिवहन मुद्रास्फीति घटी (7.1% बनाम 8.2%)।
  - उपयोग किए गए वाहनों की कीमतों में और गिरावट (-3.4%)।

भारत पर प्रभाव:

1. **विदेशी निवेश में वृद्धि:** अमेरिका में ब्याज दरों में गिरावट से विदेशी निवेशक अमेरिका से सस्ते कर्ज लेकर भारत में निवेश कर सकते हैं।
2. **रुपये की मजबूती:** अमेरिकी ब्याज दरें गिरने से डॉलर कमजोर हो सकता है, जिससे भारतीय रुपया मजबूत हो सकता है।
3. **RBI की ब्याज दर पर निर्णय:** अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में कटौती का प्रभाव भारत पर सीधे नहीं पड़ेगा।
   - भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का ध्यान मुख्यत: मुद्रास्फीति नियंत्रण और GDP वृद्धि पर होता है, न कि बेरोजगारी दर पर।

कैंसर वैक्सीन / Cancer Vaccine

रूस ने एक ऐसा कैंसर टीका विकसित किया है जो प्रत्येक मरीज के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाता है। यह टीका मरीज के ट्यूमर से आरएनए का उपयोग करता है। यह टीका 2025 से रूसी नागरिकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होगा।

रूस का कैंसर वैक्सीन:

1. व्यक्तिगत उपचार
- यह वैक्सीन प्रत्येक मरीज के लिए खास तौर पर तैयार की जाती है।
- इसके लिए मरीज के ट्यूमर से निकाली गई RNA का उपयोग होता है।

2. प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करना
- वैक्सीन कैंसर कोशिकाओं से एंटीजन पेश करके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है।
- इससे प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर कोशिकाओं पर हमला करती है।

3. उन्नत तकनीक
- वैक्सीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से विकसित किया गया है।
- यह ट्यूमर डेटा का विश्लेषण करके प्रभावी उपचार तैयार करती है।

4. तेजी से तैयार होती है: वैक्सीन बनाने में सिर्फ 30 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है।

5. मुफ्त उपलब्धता
- एक खुराक की लागत करीब 3 लाख रूबल है।
- इसे 2025 से रूसी नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा।

6. उपयोग का दायरा
- अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह कौन-कौन से कैंसर के लिए उपयोगी होगी।
- उम्मीद है कि यह कोलन, ब्रेस्ट और लंग कैंसर जैसे सामान्य कैंसर के लिए कारगर होगी।

कैंसर का परिचय:

कैंसर असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है, जो ट्यूमर बनाती हैं और अन्य भागों में फैल सकती हैं। यह आमतौर पर उस स्थान के नाम से जाना जाता है जहां यह शुरू होता है, जैसे फेफड़े या स्तन कैंसर।

कैंसर के प्रकार

1. **कार्सिनोमा:** शरीर की सतहों से उत्पन्न।
2. **सारकोमा:** हड्डियों और सॉफ्ट टिशू में विकसित।
3. **ल्यूकेमिया:** रक्त और अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है।
4. **लिम्फोमा:** लसिका तंत्र में विकसित।
5. **मेलानोमा:** त्वचा के रंग बनाने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न।

प्रमुख कारण

1. **आनुवंशिक:** जीन में परिवर्तन।
2. **जीवनशैली:** धूम्रपान, शराब, खराब आहार।
3. **पर्यावरण:** प्रदूषण और कार्सिनोजेन्स।
4. **आयु/लिंग:** विशेष कैंसर कुछ आयु/लिंग में अधिक।

कैंसर वैक्सीन कैसे काम करती है?

1. कैंसर प्रोटीन को पहचानना: कैंसर वैक्सीन ट्यूमर-संबंधित प्रोटीन (एंटीजन) को शरीर में पेश करती है।
- ये प्रोटीन इम्यून सिस्टम को कैंसर कोशिकाओं की पहचान और नष्ट करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं।

2. इम्यून सिस्टम को सक्रिय करना: डेंड्रिटिक कोशिकाएं इन एंटीजन को टी-कोशिकाओं तक पहुँचाती हैं, जो कैंसर कोशिकाओं पर हमला करती हैं।

3. लक्षित प्रतिक्रिया: इम्यून सिस्टम कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर विशेष रूप से उन पर हमला करता है।

4. कैंसर की पुनरावृत्ति रोकना: वैक्सीन इम्यून सिस्टम की स्मृति बनाती है, जिससे कैंसर दोबारा होने की संभावना कम होती है।

mRNA तकनीक की भूमिका
- **mRNA वैक्सीन:** ट्यूमर के प्रोटीन को कोड करती है, जिससे इम्यून सिस्टम को कैंसर के खिलाफ प्रशिक्षित किया जाता है।
- **बेहतर इम्यून प्रतिक्रिया:** टी-कोशिकाओं को सक्रिय कर कैंसर कोशिका

वैश्विक आँकड़े (Global Impact)

मृत्यु दर: 2020 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कैंसर के कारण लगभग **10 मिलियन मौतें** हुईं, जो वैश्विक स्तर पर हर छह मौतों में से एक के बराबर है।
- हर मिनट कैंसर के कारण **17 लोग** अपनी जान गंवाते हैं।

नए मामले (New Cases): 2022 में, कैंसर के **लगभग 20 मिलियन नए मामले** और **9.7 मिलियन कैंसर से संबंधित मौतें** दर्ज की गईं।

प्रमुख प्रकार:
- **फेफड़े का कैंसर (Lung Cancer):** 2.5 मिलियन नए मामले (12.4%)।
- **स्तन कैंसर :** 2.3 मिलियन मामले।
- **कोलन कैंसर :** 1.9 मिलियन मामले।
- **प्रोस्टेट कैंसर:** 1.5 मिलियन मामले।
- **पेट का कैंसर :** 970,000 मामले।

विदेशी धन प्रेषण (रेमिटेंस) / Foreign Remittance

2024 में भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी धन प्रेषण (रेमिटेंस) प्राप्त किया, जिसकी अनुमानित राशि 129 अरब डॉलर रही। इसके बाद मेक्सिको, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान का स्थान रहा।

विश्व बैंक के अनुसार, 2024 में भारत ने **$129 बिलियन** के अनुमानित प्रवाह के साथ रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके बाद:

1. **मेक्सिको** - $68 बिलियन
2. **चीन** - $48 बिलियन
3. **फिलीपींस** - $40 बिलियन
4. **पाकिस्तान** - $33 बिलियन

रेमिटेंस की वृद्धि दर:

- 2024 में रेमिटेंस की वैश्विक वृद्धि **दर 5.8%** आंकी गई है, जो 2023 की **1.2%** दर की तुलना में काफी अधिक है।

लो और मिडिल-इनकम देशों में रेमिटेंस का स्तर:

- वर्ष 2024 में इन देशों को रेमिटेंस **$685 बिलियन** तक पहुंचने की संभावना है।

दक्षिण एशिया में वृद्धि:

- **भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश** को मजबूत प्रवाह के कारण **दक्षिण एशिया** में रेमिटेंस में **11.8% की उच्चतम वृद्धि** का अनुमान।

यह आंकड़े प्रवासी भारतीयों की भूमिका और रेमिटेंस के वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते महत्व को दर्शाते हैं।

रेमिटेंस (प्रेषण):

1. **परिभाषा:** रेमिटेंस वह धनराशि है जो विदेशों में कार्यरत व्यक्ति **अपने मूल देश में परिवार** या समुदाय को भेजते हैं।
2. **भारत का स्थान:**
   वर्ष 2024 में भारत ने **129 बिलियन अमेरिकी डॉलर** रेमिटेंस प्राप्त किए, जिससे वह रेमिटेंस प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है।
3. **वैश्विक महत्व:**
   - **विकासशील** देशों में रेमिटेंस विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत है।
   - नेपाल, हैती, ताजिकिस्तान, और टोंगा जैसे देशों के GDP में रेमिटेंस का योगदान 25% से अधिक है।
4. **भारत में स्रोत:** खाड़ी देशों, **अमेरिका, ब्रिटेन**, और अन्य विकसित देशों में बसे प्रवासी भारतीय इसका प्रमुख स्रोत हैं।
5. **आर्थिक भूमिका:**
   - विदेशी मुद्रा से आवश्यक वस्तुओं का आयात।
   - ग्रामीण और शहरी परिवारों की आय बढ़ाना।
   - जीवन स्तर में सुधार।

रेमिटेंस का महत्व:

1. **आर्थिक स्थिरता:**
   - रेमिटेंस विकासशील देशों की **GDP** में योगदान देते हैं और विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और भुगतान संतुलन को स्थिर बनाते हैं।
2. **गरीबी उन्मूलन:**
   - ये लाखों परिवारों को स्थिर आय प्रदान करते हैं, जिससे उनके दैनिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी ज़रूरतें पूरी होती हैं।
3. **विकास और निवेश:**
   - रेमिटेंस का उपयोग **छोटे व्यवसाय, कृषि और आधारभूत** परियोजनाओं में होता है, जिससे स्थानीय आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
4. **सांस्कृतिक जुड़ाव:**
   - प्रवासी अपने देश से जुड़े रहते हैं, जिससे **सांस्कृतिक आदान-प्रदान** होता है और प्रवासी समुदायों के साथ संबंध मजबूत होते हैं।

चुनौतियाँ:

1. **उच्च लेन-देन लागत:**
   - तकनीकी प्रगति के बावजूद, कुछ मार्गों में रेमिटेंस भेजने की लागत अधिक है, जिससे लाभार्थियों को कम धनराशि प्राप्त होती है।
2. **अत्यधिक निर्भरता:**
   - रेमिटेंस पर **अधिक निर्भरता से आर्थिक कमजोरी** होती है, जिससे स्थायी स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास बाधित हो सकता है।
3. **नियमात्मक बाधाएँ:**
   - कड़े **वित्तीय नियम और धन शोधन विरोधी उपाय रेमिटेंस ट्रांसफर** को जटिल और धीमा बना देते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट) / Electronic waste (e-waste)

पिछले पांच वर्षों में भारत में **इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट)** का उत्पादन 73% बढ़ गया है। 2019-20 में यह 1.01 मिलियन मीट्रिक टन (MT) था, जो 2023-24 में बढ़कर 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। यह जानकारी **गृह और शहरी मामलों के मंत्रालय** द्वारा दी गई है।

ई-वेस्ट क्या है?

1. **परिभाषा:** ई-वेस्ट (Electronic Waste) का अर्थ है फेंकी गई इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण (EEE) और उनके हिस्से, जिन्हें अब उपयोग में नहीं लाया जाता और पुन: उपयोग के लिए नहीं बनाया गया।
2. **उदाहरण:** इसमें रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और छोटे घरेलू उपकरण शामिल हैं।
3. **हानिकारक तत्व:** ई-वेस्ट में खतरनाक पदार्थ जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी और स्थायी जैविक प्रदूषक (Persistent Organic Pollutants) पाए जाते हैं।
4. **जोखिम:** ये पदार्थ सही ढंग से निपटान न होने पर पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न करते हैं।
5. **प्रबंधन:** इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सरकार ने **ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2022** लागू किए, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हैं।

ई-वेस्ट में वृद्धि के कारण:

1. **इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का बढ़ता उपयोग:** तकनीकी प्रगति और किफायती इंटरनेट की उपलब्धता ने दुनियाभर में जीवन स्तर को बेहतर बनाया है।
2. **डिजिटल क्रांति का प्रभाव:** इस डिजिटल क्रांति के कारण इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट) में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
3. **महामारी का प्रभाव:** 2019-20 और 2020-21 के बीच ई-वेस्ट में तेज वृद्धि हुई, जिसका कारण वर्क-फ्रॉम-होम और रिमोट लर्निंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती मांग थी।

ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग: एक महत्वपूर्ण कदम

1. **रीसाइक्लिंग में वृद्धि:** भारत में ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग 2019-20 में 22% से बढ़कर 2023-24 में **43%** हो गई है।
2. **अप्रोसेस्ड ई-वेस्ट की स्थिति:** इसके बावजूद, **57% ई-वेस्ट (990,000 मीट्रिक टन)** अभी भी प्रोसेस नहीं किया गया है।
3. **रीसाइक्लिंग की चुनौतियाँ:** ई-वेस्ट प्रोसेसिंग की धीमी गति का मुख्य कारण **असंगठित क्षेत्र** को संगठित प्रणाली में शामिल करना मुश्किल होना है।
4. **असंगठित और संगठित क्षेत्र का समावेश**
    - विशेषज्ञों का सुझाव है कि **असंगठित क्षेत्र** को संगठित रीसाइक्लिंग प्रणाली से जोड़ा जाए।
    - इससे ई-वेस्ट का बेहतर संग्रह और **खतरनाक पदार्थों** का सही तरीके से उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

ई-वेस्ट: चिंताएँ और चुनौतियाँ-

पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ: ई-वेस्ट में आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, और मरकरी जैसे **जहरीले तत्व** होते हैं, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।

आंकड़ों की कमी: ई-वेस्ट उत्पादन पर **राज्य-स्तर के आंकड़े** उपलब्ध नहीं हैं।

- केवल **राष्ट्रीय स्तर पर अनुमान बिक्री** डेटा और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की औसत उम्र के आधार पर लगाए जाते हैं।

रीसाइक्लिंग की कमी: ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग दर कम है क्योंकि विभिन्न **हितधारकों को शामिल करने में कठिनाई** होती है।

कर प्रोत्साहन का अभाव: सरकार ने निर्माताओं को **पुन: उपयोग योग्य और टिकाऊ उत्पाद** डिज़ाइन करने के लिए कर प्रोत्साहन प्रणाली लागू नहीं की है।

अनौपचारिक क्षेत्र की समस्याएँ: **बिना नियमन वाले अनौपचारिक क्षेत्र** के कारण ई-वेस्ट का ट्रैक रखना और पर्यावरण मानकों का पालन कराना चुनौतीपूर्ण है।

डाटा गोपनीयता: कई उपभोक्ता ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग से बचते हैं क्योंकि उन्हें **निजी डेटा की सुरक्षा** को लेकर चिंता रहती है।

सरकारी प्रयास:

ई-वेस्ट प्रबंधन नियम, 2022

1. **विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारी (EPR)**
    - इन नियमों के तहत, उत्पादकों को **लाइसेंस प्राप्त रीसाइक्लरों** के माध्यम से ई-वेस्ट का निपटान और रीसाइक्लिंग सुनिश्चित करनी होती है।
2. **EPR तंत्र**
    - उत्पादकों को **वार्षिक रीसाइक्लिंग लक्ष्य** दिया जाता है, जो ई-वेस्ट उत्पादन और उत्पाद की बिक्री पर आधारित होता है।
    - इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन्हें **EPR प्रमाणपत्र** खरीदने की आवश्यकता होती है।

मानवता के विरुद्ध अपराध / Crimes Against Humanity

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने हाल ही में अपराधों के खिलाफ मानवता (CAH) की रोकथाम और सजा के लिए प्रस्तावित संधि के पाठ को मंजूरी दी। यह कदम अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून में एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा करता है और वैश्विक स्तर पर CAH को रोकने और दंडित करने के लिए एक सशक्त कानूनी ढांचे की नींव रखता है।

UNGA का निर्णय: मानवता के विरुद्ध अपराधों पर संधि-

1. **संधि की स्वीकृति**: **4 दिसंबर 2024** को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें मानवता के विरुद्ध अपराधों (CAH) की रोकथाम और सज़ा पर एक प्रस्तावित संधि के मसौदे को स्वीकार किया गया।
2. **मसौदे का प्रस्तुतिकरण**: इस संधि का प्रारूप **5 वर्ष पूर्व** अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग (ILC) द्वारा UNGA की छठी समिति को प्रस्तुत किया गया था, जो कानूनी मामलों पर चर्चा का प्रमुख मंच है।
3. **दंड से मुक्ति के खिलाफ कदम**: यह विकास **मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड से बचाव** (Impunity) को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में मील का पत्थर है।
4. **वैश्विक सहयोग का संकेत**: यह प्रस्ताव **अंतर्राष्ट्रीय कानून** को मजबूत करने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए **सामूहिक प्रतिबद्धता** को दर्शाता है।

CAH संधि की आवश्यकता:

1. **कानूनी ढांचे की कमी:**
   - **मानवता के अपराध (CAH)**: CAH अंतरराष्ट्रीय कानून के सबसे गंभीर उल्लंघनों में से एक होने के बावजूद, इनके लिए समर्पित एक व्यापक कानूनी ढांचा नहीं है, युद्ध अपराध और नरसंहार के विपरीत।
   - **विशिष्ट संधि का अभाव**: नरसंहार संधि (1948) और जिनेवा संधियों (1949) के विपरीत, CAH के लिए कोई संधि नहीं है, जिससे जिम्मेदारियों और अनिवार्यताओं में अस्पष्टता होती है।
   - **रोम संधि की सीमाएँ**:
     - CAH को ICC के रोम संधि (1998) में कोडित किया गया है, लेकिन प्रवर्तन सीमित है।
     - ICC का ध्यान व्यक्तियों पर केंद्रित है, जो नरसंहार, युद्ध अपराध, CAH और आक्रमण के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन वैश्विक न्यायाधिकारों की कमी है।
2. **ICC की क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौतियाँ:**
   - **सीमित क्षेत्राधिकार**: ICC का क्षेत्राधिकार सदस्य राज्यों तक सीमित है या उन मामलों तक सीमित है जिन्हें यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित किया गया है, जिससे गैर-सदस्य राज्यों के लिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
   - **क्षेत्रीय शून्यता**: यह अंतर उन व्यक्तियों को न्याय से भागने का मौका देता है जो गैर-सदस्य राज्यों में हैं, जिसमें प्रमुख वैश्विक शक्तियाँ भी शामिल हैं।
   - **वृद्धि के लिए व्यापक सहयोग की आवश्यकता**: व्यापक राज्य सहयोग के बिना, बहुत से CAH मामले अनसुलझे रहते हैं।
3. **व्यक्ति के आपराधिक जिम्मेदारी बनाम राज्य की जिम्मेदारी:**
   - **व्यक्तियों की जिम्मेदारी पर ध्यान**: रोम संधि व्यक्तियों को दंडित करने पर जोर देती है, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं देती।
   - **नरसंहार और युद्ध अपराधों में राज्य की जिम्मेदारी**: संधियों जैसे कि नरसंहार संधि, राज्यों को अपराधों को रोकने और दंडित करने के लिए जिम्मेदार बनाती हैं, जिससे राज्य स्तर पर कार्यवाही की अनुमति मिलती है।

CAH की सीमा का विस्तार:

- एक CAH संधि CAH की सीमा को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी ताकि इसमें शामिल हो सकें:
  - नागरिक जनसंख्या की भुखमरी
  - लिंग आपातकाल
  - जबरन गर्भाधान
  - परमाणु हथियारों का उपयोग
  - आतंकवाद
  - प्राकृतिक संसाधनों का शोषण
  - मूल जनसंख्या के खिलाफ अपराध

भारत की स्थिति:

- **रोम संधि का दल नहीं**: भारत रोम संधि का दल नहीं है और ICC के अभियोजक के अधिकारों, रोम संधि के तहत UN सुरक्षा परिषद की भूमिका और 'परमाणु हथियारों और अन्य विनाशकारी हथियारों के उपयोग' को युद्ध अपराध के रूप में शामिल नहीं करने के मुद्दों पर बार-बार आपत्ति जताई है।
- **सशस्त्र संघर्ष के दौरान अपराध**: भारत ने तर्क दिया है कि केवल सशस्त्र संघर्ष के दौरान किए गए अपराधों – और न कि शांति के दौरान किए गए अपराधों को CAH के रूप में माना जाना चाहिए।
- **अधिकारिता से संबंधित असमर्थन**: इसके अतिरिक्त, भारत 'जबरन अदालती गुमशुदगी' को CAH का एक कार्य नहीं मानने का पक्षधर नहीं है।
- **आतंकवाद को शामिल करने का समर्थन**: इसके बजाय, भारत 'आतंकवाद' को CAH के रूप में शामिल करने का समर्थन करता है।

निष्कर्ष:

1. **ऐतिहासिक कदम**: अपराधों के खिलाफ मानवता (CAH) संधि के लिए प्रस्ताव को अपनाना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए दंडमुक्ति समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
2. **भारत की चिंताएँ**: भारत द्वारा व्यक्त की गई चिंताएँ अपनी जगह उचित हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय अपराधों से संबंधित घरेलू कानूनों की कमी भारत की स्थिति को कमजोर करती है।
3. **कानून निर्माण की आवश्यकता**: CAH के खिलाफ व्यापक घरेलू कानून बनाकर, भारत इस असंगति को दूर कर सकता है।
4. **वैश्विक नेतृत्व का अवसर**: भारत न्याय के लिए वैश्विक प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा सकता है और एक सच्चे वैश्विक नेता के रूप में अपनी छवि स्थापित कर सकता है।

स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग: भारत-चीन / Special Representative Dialogue: India-China

भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों (SRs) की 23वीं बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच, अक्टूबर से संबंधों की बहाली में एक महत्वपूर्ण कदम थी।

- यह बैठक व्यापक दृष्टिकोण से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक स्वतंत्र प्रक्रिया है।

भारत-चीन सीमा विवाद और अन्य समझौतों पर चर्चा:

- **बैठक का संदर्भ**: भारत-चीन सीमा विवाद (3,500 किमी लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा - LAC) के समाधान हेतु विशेष प्रतिनिधियों की बैठक, जो 2020 के सैन्य गतिरोध के बाद रुकी थी, 2023 में फिर शुरू हुई।
- **महत्वपूर्ण घटनाएं**:
  1. 2019 के बाद पहली बार अजीत डोभाल और वांग यी की SRs के रूप में बैठक।
  2. 2020 के बाद अजीत डोभाल की बीजिंग यात्रा।
  3. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कज़ान में हुई चर्चा के अनुरूप आयोजित हुई।
- **प्रमुख निर्णय**:
  1. कैलाश-मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी।
  2. सिक्किम में सीमा व्यापार पुन: शुरू होगा।
  3. सीमा पार नदियों के लिए डेटा साझा किया जाएगा।
  4. अन्य निलंबित समझौतों पर भी चर्चा जारी, जैसे सीधी उड़ानें, व्यापार और छात्र वीजा, और पत्रकार आदान-प्रदान।
- **सीमा विवाद पर सहमति**:
  1. LAC पर तनाव घटाने की प्रक्रिया जारी रखना।
  2. 2005 के 11-सूत्रीय समझौते के अनुसार सीमा विवाद सुलझाना।
  3. सीमा पर विश्वास निर्माण उपाय (CBMs) और सीमा-पार आदान-प्रदान को मजबूत करना।
  4. SR प्रक्रिया और परामर्श तंत्र (WMCC) को समन्वित करना।
  5. अगली बैठक 2025 में भारत में आयोजित करना।

स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग:

1. **स्थापना और उद्देश्य**:
   - भारत-चीन सीमा विवाद के समाधान के लिए 2003 में **स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मेकेनिज्म** की शुरुआत की गई थी।
   - इसका उद्देश्य सीमा विवाद का राजनीतिक समाधान खोजना है।
2. **वर्किंग मेकेनिज्म की शुरुआत**: 2012 में सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए नई दिल्ली और बीजिंग ने एक **वर्किंग मेकेनिज्म** की शुरुआत की।
3. **वर्तमान बैठक**: बीजिंग में 18 दिसंबर को होने वाली बैठक **SR डायलॉग** के तहत 23वीं वार्ता होगी।
   - पिछली बैठक दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुई थी।
4. **बैठकों का निलंबन**: गलवान घाटी में सीमा विवाद के कारण 2019 के बाद से ये बैठकें निलंबित थीं।

भारत-चीन संबंधों का महत्व:

- **भौगोलिक पड़ोसी**: भारत और चीन के बीच 3,488 किमी लंबी सीमा है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करती है।
- **संतुलन शक्ति**: भारत चीन को संतुलन शक्ति के रूप में देखता है, जिससे अपनी क्षमताएं बढ़ाने और रणनीतिक गठबंधन बनाने की प्रेरणा मिलती है।
- **आर्थिक संबंध**: चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश दोनों देशों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **सीमा विवाद**: लगातार सीमा विवाद तनाव उत्पन्न करते हैं, जिनका समाधान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है।
- **हिंद महासागर का महत्व**: चीन की नौसेना का विस्तार भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती देता है और चीन वहां मजबूत समुद्री उपस्थिति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।

भारत-चीन संबंध: चुनौतियां-

1. **सीमा विवाद**: दक्षिण चीन सागर और हिमालय में सीमा को लेकर चल रहे विवादों से लगातार तनाव और अविश्वास बना रहता है।
2. **ऋण जाल कूटनीति**: विकासशील देशों को ऋण देकर चीन उन्हें आर्थिक रूप से निर्भर बनाता है, जिससे उनकी संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है।
3. **तिब्बत की पांच उंगलियां**: चीन की यह रणनीति तिब्बत से सटे पांच क्षेत्रों—लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश—पर प्रभाव डालने की कोशिश करती है, जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है।
4. **रणनीतिक घेराबंदी**: "पर्ल्स की माला" पहल के तहत चीन की सैन्य उपस्थिति हिंद महासागर में बढ़ रही है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा को सीधी चुनौती मिलती है।
5. **सलामी स्लाइसिंग रणनीति**: यह धीरे-धीरे छोटे-छोटे हिस्सों पर क जा जमाने की रणनीति है, जिससे नए क्षेत्र हथियाने और विरोध को खत्म करने का प्रयास किया जाता है।
6. **जल सुरक्षा**: ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों पर चीन का नियंत्रण भारत की जल सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है।
7. **व्यापार असंतुलन**: चीन के साथ भारत का भारी व्यापार घाटा, विशेषकर एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) के क्षेत्र में, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं की आवश्यकता को उजागर करता है।

IPBES नेक्सस रिपोर्ट / IPBES Nexus Report

हाल ही में, इंटरगवर्नमेंटल साइंस-पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज (IPBES) ने नेक्सस रिपोर्ट जारी की, जो जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है।

- यह रिपोर्ट पांच प्रमुख तत्वों - जैव विविधता, जल, भोजन, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन - के बीच जटिल संबंधों का वैज्ञानिक आकलन प्रस्तुत करती है और सह-लाभ बढ़ाने के उपाय सुझाती है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

1. **जैव विविधता का नुकसान:**
   - पिछले 30-50 वर्षों में जैव विविधता हर दशक में औसतन 2-6% कम हुई है।
   - यह भोजन, जल, स्वास्थ्य और जलवायु प्रणालियों को गंभीर खतरे में डालता है।
2. **खाद्य सुरक्षा और अन्य तत्वों के बीच समझौता:**
   - रिपोर्ट में छह परिदृश्य प्रस्तुत किए गए हैं जो बताते हैं कि जैव विविधता, जल, भोजन, स्वास्थ्य और जलवायु के बीच कैसे आपसी प्रभाव होंगे।
3. **प्रकृति की पुनर्स्थापना से जलवायु समाधान:**
   - पुनर्वनीकरण, आर्द्रभूमि की पुनर्स्थापना और स्थायी भूमि प्रबंधन जैसी तकनीकें जैव विविधता और जलवायु कार्रवाई के सह-लाभ प्रदान करती हैं।
4. **वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार:**
   - जैव विविधता के लिए $300 बिलियन से $1 ट्रिलियन वार्षिक धनराशि की कमी को पूरा करने की आवश्यकता है।
   - वर्तमान आर्थिक प्रणालियाँ जैव विविधता हानि के दुष्प्रभावों को शामिल नहीं करतीं, जिससे सालाना $10-25 ट्रिलियन की अनदेखी लागत होती है।

प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:

1. **वन:**
   - जल शोधन जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र सेवाएँ प्रदान करते हैं, जो जल उपलब्धता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।
   - जंगलों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण इन सेवाओं की सेहत और स्थिरता पर असर पड़ रहा है।
2. **जलवायु:**
   - जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण रेगुलेटर के रूप में कार्य करते हैं।
   - मनुष्यों द्वारा की जा रही गतिविधियों के कारण उनकी क्षति इन भूमिकाओं में उनकी प्रभावशीलता को कम कर रही है।
3. **मीठे जल की जैव विविधता:**
   - प्रदूषण, आवास विनाश और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण तेजी से क्षीण हो रही है।
4. **समुद्री और मीठे जल की प्रजातियाँ:** तटीय और दलदल क्षेत्रों में प्रदूषण, अपवाह, और अन्य तनावों के कारण विशेष रूप से कमजोर हैं।
5. **कोरल रीफ:** अस्थिर मछली पकड़ना, महासागरीय अम्लता और जलवायु परिवर्तन जैसे कई खतरों का सामना कर रहे हैं।
   - वैश्विक स्तर पर लगभग तीसरी प्रजातियों को खतरे में डालना।

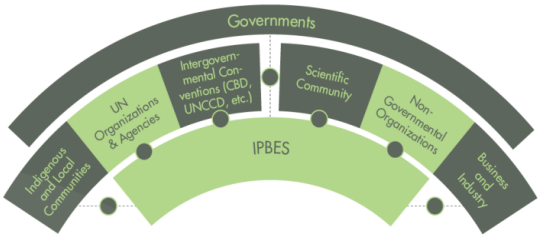

अनुशंसाएं (recommendations):

1. **आर्थिक अवसर:** सतत दृष्टिकोण अपनाने से 2030 तक $10 ट्रिलियन से अधिक आर्थिक अवसर और 400 मिलियन नौकरियां उत्पन्न हो सकती हैं।
2. **स**रकारें निर्णायक रूप से कार्रवाई करें और विभिन्न क्षेत्रों के साथ सहयोग करें: वैश्विक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लक्ष्यों, जैसे कि सतत विकास लक्ष्यों और पेरिस समझौते को पूरा करने के लिए सरकारों को निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए।
3. IPBES ने प्राकृतिक दुनिया को देखने और उसके साथ बातचीत करने के तरीके में मौलिक और रूपांतरणकारी बदलावों की आवश्यकता को पुकारा है। इसका उद्देश्य इसकी भलाई की दिशा में है।
4. रिपोर्ट ने यह कहा कि मौजूदा और पिछले दृष्टिकोणों ने पारिस्थितिकीय गिरावट से निपटने में विफलता हासिल की है, और एक नया रूपांतरणकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता है और यह चार मौलिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए:
   - **समानता और न्याय,**
   - **बहुलता और समावेशन,**
   - **सम्मानजनक और परस्पर संबंध मनुष्य-प्रकृति,**
   - **अनुकूलनशीलता और कार्रवाई में सीखना।**
5. रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि कार्रवाई में देरी से लागतें महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेंगी, जबकि तत्काल कार्रवाई से अनुमानित $10 ट्रिलियन व्यवसाय अवसर और 400 मिलियन नौकरियां प्राप्त की जा सकती हैं 2030 तक।

युग-युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय / Yuga Yugeen Bharat National Museum

भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट (FMD) ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत फ्रांसीसी एजेंसी ब्रिटिश काल के इस ऐतिहासिक स्थल को एक वैश्विक सांस्कृतिक स्थल में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रियाएं और सर्वोत्तम प्रथाएं साझा करेगी। इस संग्रहालय को 'युग-युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय' के रूप में नामित किया गया है।

युग-युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में:

1. **उत्पत्ति:**
   - प्रधानमंत्री द्वारा मई 2023 में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के दौरान घोषणा की गई।
2. **उद्देश्य और महत्व:**
   - भारत की अविच्छिन्न सभ्यता और सांस्कृतिक इतिहास को प्रदर्शित करना।
   - समावेशिता और समुदाय की कहानियों को बढ़ावा देना।
   - भारत की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता को जोड़कर अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने का प्रयास।
3. **मंत्रालय और नाम:**
   - संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित।
   - इसे "युग-युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय" नाम दिया गया है, जो संग्रहालय अनुभव को नए आयाम प्रदान करेगा।
4. **केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा:**
   - दो चरणों में पूरा किया जाएगा।
   - पहला चरण: 2026 तक नॉर्थ ब्लॉक को संग्रहालय में परिवर्तित करना।
   - नॉर्थ ब्लॉक: वित्त और गृह मंत्रालय के कार्यालय।
   - साउथ ब्लॉक: प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के कार्यालय।
5. **विशाल आकार:**
   - यह लगभग 1.55 लाख वर्ग मीटर में फैला होगा।
   - इसके बनने के बाद यह पेरिस के लौव्र संग्रहालय को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बन जाएगा।
6. **स्थापत्य धरोहर का संरक्षण:**
   - "एडाप्टिव री-यूज़" के माध्यम से नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की स्थापत्य धरोहर संरक्षित की जाएगी।
7. **महत्वपूर्ण दिवस:**
   - अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस: 18 मई।

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना नई दिल्ली के रायसीना हिल क्षेत्र में स्थित भारत के मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र को आधुनिक और उपयोगी बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह क्षेत्र भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है।

परियोजना के उद्देश्य:

- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकसित करना है।
- भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रतीक स्थलों को संरक्षित रखते हुए, उन्हें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना।
- प्रशासनिक भवनों के बेहतर उपयोग और स्थानों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करना।

मुख्य उप-परियोजनाएँ: सेंट्रल विस्टा विकास/पुनर्विकास मास्टर प्लान के अंतर्गत निम्नलिखित चार प्रमुख उप-परियोजनाएँ शामिल हैं:

1. **नया संसद भवन निर्माण-**
2. **सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास-**
3. **प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों और आवासीय परिसर का निर्माण-**
4. **सामान्य केंद्रीय सचिवालय भवनों का निर्माण:** विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक ही स्थान पर संगठित किया जाएगा।

सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का मुख्य भाग: यह क्षेत्र भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख स्थल शामिल हैं:

- **कर्तव्य पथ और इंडिया गेट लॉन:** राष्ट्रीय पर्व और आयोजनों का मुख्य स्थान।
- **राष्ट्रपति भवन:** भारत का प्रमुख संवैधानिक स्थल।
- **नॉर्थ और साउथ ब्लॉक:** प्रशासनिक कार्यालयों का केंद्र।
- **संसद भवन:** भारत की विधायी प्रणाली का केंद्र।
- **इंडिया गेट स्मारक:** देशभक्ति और शहीदों की स्मृति का प्रतीक।

महत्व और लाभ:

- यह परियोजना प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण में भी मदद करेगी।

हाइड्रोथर्मल वेंट / Hydrothermal Vents

भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय महासागर में 4,500 मीटर गहराई पर सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की दुर्लभ तस्वीर ली।

मुख्य बिंदु:

1. **ऐतिहासिक खोज:** राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR) और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) के वैज्ञानिकों ने यह उपलब्धि हासिल की।
2. **खोज का महत्व:**
    - यह खोज भारत सरकार के **₹4,000 करोड़ के 'डीप ओशन मिशन'** के अंतर्गत की गई है।
    - इससे खनिज संसाधनों की खोज और उनके उपयोग में नए अवसर मिल सकते हैं।
3. **गहराई पर खोज:** सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट 4,500 मीटर की गहराई पर स्थित है, जो समुद्र के अज्ञात हिस्सों का खुलासा करता है।
4. **वैज्ञानिक महत्व:** यह खोज महासागर विज्ञान के अध्ययन को नई दिशा देगी और भारत की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करती है।
5. **भविष्य की संभावना:** इस खोज से महासागर में खनिज संपदा के सतत उपयोग और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने की दिशा में अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा।

सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट:

1. परिचय: सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट महासागर तल पर प्राकृतिक छिद्र होते हैं, जहां से भू-तापीय रूप से गर्म और खनिज-समृद्ध पानी समुद्र में प्रवाहित होता है। ये अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और भूवैज्ञानिक घटनाओं का निर्माण करते हैं।

2. बनने की प्रक्रिया:

- **पानी का प्रवेश:** समुद्र का पानी महासागर की परतों में दरारों के माध्यम से प्रवेश करता है।
- **मैग्मा द्वारा गर्म होना:** पानी समुद्र तल के नीचे मौजूद मैग्मा द्वारा अत्यधिक गर्म हो जाता है।
- **खनिजों का घुलना:** गर्म होने पर, पानी आसपास की चट्टानों से खनिजों को घोल लेता है।
- **वेंट का निर्माण:** यह गर्म और खनिज-समृद्ध पानी वापस समुद्र में निकलता है, जिससे हाइड्रोथर्मल वेंट बनते हैं।

3. भौगोलिक स्थिति:

- ये वेंट मुख्य रूप से ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- ये अक्सर उन स्थानों पर मिलते हैं जहां समुद्री प्लेटें अलग हो रही होती हैं, जैसे कि मध्य-महासागरीय रिज।

4. हाइड्रोथर्मल वेंट के प्रकार:

ब्लैक स्मोकर्स:

- इनसे 350°C से भी अधिक गर्म पानी निकलता है।
- पानी में सल्फाइड्स की उपस्थिति इसे काला रंग देती है।

व्हाइट स्मोकर्स:

- इनसे अपेक्षाकृत ठंडा पानी निकलता है।
- इसमें बेरियम, कैल्शियम और सिलिकॉन जैसे हल्के रंग के खनिज होते हैं, जो इसे सफेद रंग प्रदान करते हैं।

गहरे सागर मिशन (Deep Ocean Mission)

गहरे सागर मिशन भारत सरकार का प्रमुख पहल है, जिसे 2021 में **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)** के तहत शुरू किया गया।

- इसका उद्देश्य महासागर के विशाल संसाधनों का अन्वेषण और उपयोग करना है, साथ ही महासागर विज्ञान और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की चुनौतियों का समाधान करना है।

उद्देश्य:

- **गहरे सागर संसाधनों का अन्वेषण:** भारतीय महासागर में पाए जाने वाले हाइड्रोथर्मल वेंट्स, पॉलिमेटैलिक नोड्यूल्स, और कोबाल्ट-समृद्ध परतों का अध्ययन और मानचित्रण।
- **गहरे सागर खनन के लिए तकनीक का विकास:** 6,000 मीटर की गहराई तक खनन के लिए उन्नत उपकरण और वाहन विकसित करना और उन्हें तैनात करना।
- **जैव विविधता और पर्यावरण अध्ययन:** गहरे सागर के अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र और जीवन रूपों पर अनुसंधान करना।
- **जलवायु परिवर्तन और महासागर निगरानी:** जलवायु परिवर्तन और इसके महासागरों पर प्रभाव की निगरानी करने की भारत की क्षमता को मजबूत करना।
- **समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और औषधि विकास:** औद्योगिक और औषधीय उपयोग के लिए समुद्री जीवों का अध्ययन और अनुसंधान।

3. महत्व:

- यह मिशन भारत की गहरी महासागर क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक महासागर अनुसंधान में योगदान देगा।
- समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग और जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने में मददगार और समुद्री दवाओं के विकास में सहायक।

विकसित भारत 2047 / Developed India 2047

'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इनमें राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और साइबर-फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन जैसे उच्च प्राथमिकता वाले मिशन शामिल हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना, देशी नवाचार को बढ़ावा देना और भारत को इन क्षेत्रों में वैश्विक नेता बनाना है।

मुख्य बिंदु: 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर सरकार के प्रयास-

1. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हस्तक्षेप:** राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और साइबर-फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन जैसे उच्च-स्तरीय मिशन शुरू किए गए।
    - इन मिशनों का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू नवाचार को बढ़ावा देना और भारत को प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनाना है।
2. **स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहन:** स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने और समावेशी नवाचार एवं उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए।

- **रणनीतिक नीतियां: जियोस्पेशियल** पॉलिसी 2022, स्पेस पॉलिसी 2023 और बायोE3 पॉलिसी 2024 लागू की गईं।

3. **अनुसंधान और विकास:** अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) की स्थापना ANRF अधिनियम 2023 के तहत की गई।
    - ANRF का उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचार, क्रॉस-सेक्टोरल सहयोग और उच्च प्रभाव वाले शोध को प्रोत्साहित करना है।
4. **प्रमुख क्षेत्रीय विकास:** क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर-फिजिकल सिस्टम, और बायो मैन्युफैक्चरिंग में नवाचार को बढ़ावा दिया गया।
    - ये प्रयास तकनीकी आत्मनिर्भरता, स्थिरता और आर्थिक विकास पर केंद्रित हैं।
5. **वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की स्थिति:**
    - अनुसंधान प्रकाशनों (2,07,390) के मामले में भारत तीसरे स्थान पर।
    - स्टार्टअप्स की संख्या (1,40,000 से अधिक) में भी तीसरा स्थान।
    - विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी की संख्या (16,968) के मामले में चौथा स्थान।
    - पेटेंट फाइलिंग में छठा स्थान (रेजिडेंट: 38,551 और नॉन-रेजिडेंट: 38,517)।
    - ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) में भारत की रैंक 2015 में 81वीं से बढ़कर 2024 में 39वीं हुई।
6. **अनुसंधान और विकास (R&D) व्यय:**
    - R&D पर कुल व्यय 2009-10 में ₹53,041.30 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹1,27,380.96 करोड़ हुआ।
    - GERD (बिलियन करंट PPP$) में भारत 7वें स्थान पर।
8. **लैंगिक भागीदारी और शोधकर्ता:**
    - R&D में महिलाओं की भागीदारी 2009 में 14.3% से बढ़कर 2021 में 18.6% हुई।
    - प्रति मिलियन जनसंख्या पर शोधकर्ताओं की संख्या 2009 में 164 से बढ़कर 2020 में 262 हुई।

विकसित भारत 2047: संकल्पना और महत्व-

1. **परिचय:**
    - विकसित भारत 2047 भारत सरकार की एक व्यापक दृष्टि योजना है।
    - इसका उद्देश्य भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र में बदलना है, जो स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगा।
2. **दृष्टि के मुख्य पहलू:**
    - **आर्थिक विकास:** तीव्र और समावेशी आर्थिक प्रगति।
    - **सामाजिक प्रगति:** समाज के हर वर्ग का विकास।
    - **पर्यावरणीय स्थिरता:** सतत विकास के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण।
    - **सुशासन:** पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित शासन।
3. **पंच प्रण और विकसित भारत:**
    - माननीय प्रधानमंत्री के पंच प्रण में "विकसित भारत" प्रमुख है।
    - यह भारतीय विकास के आत्मा और दृष्टिकोण का परिचायक है।
4. **चार स्तंभ:**
    - **युवा:** भारत के भविष्य के लिए युवा शक्ति का उपयोग।
    - **गरीब:** गरीबी उन्मूलन और सबके लिए समान अवसर।
    - **महिला:** महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी भागीदारी बढ़ाना।
    - **किसान:** कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों की समृद्धि।
5. **सुख और विकास का संबंध:**
    - विकास की प्रक्रिया में सुख को केंद्रीय महत्व दिया गया है।
    - सुख के बिना विकास का कोई अर्थ नहीं है।
    - विकसित राष्ट्रों के बीच भी असंतोष और दुख को दूर करना प्राथमिकता है

One Liner प्रश्न

- वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में नए संशोधनों द्वारा **FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100 प्रतिशत** करने का प्रस्ताव रखा है।
- वर्ष 2025-26 के लिए **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग** में भारत को पुन: निर्वाचित किया गया है।
- हाल ही में पंचायत राज मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में 500 नए **"ग्राम पंचायत कार्यालय"** को मंजूरी दी।
- हाल ही में केंद्र सरकार ने **एशियाई विकास बैंक (ADB)** के साथ बागवानी से जुड़े किसानों के लिए **9 करोड़ 80 लाख डॉलर** के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- केंद्र सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग 14 लाख **"आयुष्मान वय वंदना कार्ड"** जारी किए हैं।
- विश्व बैंक की सहायता से हरियाणा में **"ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)"** सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- हाल ही में महाराष्ट्र में भारतीय सशस्त्र बलों और सिंगापुर के सशस्त्र बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास **"अग्नि योद्धा 2024"** संपन्न हुआ।
- केंद्र सरकार के अनुसार, **'सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम'** के तहत **7.4 करोड़ लाभार्थियों** को पंजीकृत किया गया।
- 2024 के हॉर्नबिल महोत्सव में **सिक्किम और तेलंगाना** को सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया गया है।
- हाल ही में **WTO** ने **नगोजी ओकोंजो-इवेला** को दूसरे कार्यकाल के लिए संगठन का **महानिदेशक** नियुक्त किया।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने **प्रयागराज** के **महाकुंभ क्षेत्र** को नया जिला घोषित किया है।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने **न्यायिक अधिकारियों** की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष किया है।
- भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास **"सिनबैक्स (CINBAX)"** का पहला संस्करण पुणे में आयोजित किया गया।
- आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने **कचरा संग्रहण कर** की वसूली समाप्त करने का फैसला किया है।
- नवंबर 2024 में भारत के वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में **8.5% की वृद्धि** हुई है, जो **₹1.82 लाख करोड़** तक पहुंच गया।
- हाल ही में आंध्र प्रदेश में CM चंद्रबाबू नायडू ने **स्टेट वक्फ बोर्ड भंग** कर दिया है।
- हाल ही में मैसूरु में दो दिवसीय **अमृत महोत्सव बाल मेला** आयोजित किया गया।
- सिंगापुर का योगदान भारत के कुल **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** में **जुलाई-सितंबर तिमाही** में **लगभग 50%** रहा है।
- **मरुस्थलीकरण** से निपटने हेतु **UNCCD COP16**, सऊदी अरब द्वारा आयोजित अब तक की सबसे बड़ी बहुपक्षीय सम्मेलन है।
- हाल ही में **भारत** ने **नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स , 2024** में **49वां स्थान** हासिल किया है।
- 5G सेवाओं की शुरुआत से भारत की **मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग 118वें से बढ़कर 15वें स्थान** पर पहुंच गई है।
- उत्तराखंड ने बाहरी राज्यों में आने वाले वाहनों पर जनवरी 2025 से **"ग्रीन टैक्स"** लागू करने की घोषणा की है।
- केंद्र सरकार ने देश और विदेश में लोक कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु सात **"क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों"** की स्थापना की है।
- संयुक्त अभ्यास **"हरिमाऊ शक्ति"** भारत और मलोथिया में क्रमश: आयोजित किया गया।
- भारत के औषधि उद्योग वर्ष 2030 तक **130 अरब डॉलर** हो जाने की संभावना है।
- बेल्जियम ने सेक्स वर्कर्स को **मातृत्व अवकाश, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और बीमारी की छुट्टी** जैसे अधिकार देने की घोषणा की है।
- हाल ही यूनेस्को ने **पश्चिम बंगाल** को **विरासत पर्यटन** के लिए **शीर्ष गंतव्य** घोषित किया है।
- केंद्र सरकार ने **विंडफॉल टैक्स** को खत्म कर दिया है, यह वर्ष, 2022 मे लागू किया गया था।
- हाल ही में **चंडीगढ़** देश की **पहली प्रशासनिक इकाई** बन गई है, जहां **तीनों अपराधिक कानूनों का 100 प्रतिशत क्रियान्वयन** किया गया है।
- **विश्व समुद्री सम्मेलन, 2024** का आयोजन 4 से 6 दिसंबर तक चेन्नई मे आयोजित किया गया।

- विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सुलभ और समावेशी भारत बनाने हेतु **"सुगम्य भारत अभियान"** की 09वीं वर्षगांठ मनाई गई।
- **रंगमा नगाडा महोत्सव एवं मिनी हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड** में आयोजित किया गया।
- नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन को **एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024** से सम्मानित किया गया है।
- हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में **बाघों की संख्या 3,682 तक** पहुंच गई है।
- विश्व बैंक अंतराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट, 2024 के अनुसार भारत का कुल बाहरी ऋण 2023 में बढ़कर 546.79 बिलियन डॉलर हो गया।
- **भारत और कुवैत** ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक **"संयुक्त आयोग"** का गठन किया है।
- **चीन** ने अंटार्कटिका में अपना पहला **वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन** स्थापित किया है।
- हाल ही में दिल्ली चिड़ियाघर ने **'नैनो बबल तकनीक' (एक नई जल शोधन तकनीक)** का परीक्षण शुरू किया है।
- केंद्र सरकार ने **'पीएम सूर्य घर- मुफ्त बिजली योजना'** के अंतर्गत मार्च 2025 तक **दस लाख रूफटॉप सोलर** लगाने का लक्ष्य रखा है।
- हाल ही में **29वां सीआईआई भागीदारी शिखर सम्मेलन** नई दिल्ली में आयोजित हुआ है।
- भारत और इटली ने एक नई **"कॉटन रूट" (COTTON ROUTE) पहल** शुरू की है।
- **रातापानी अभ्यारण्य मध्यप्रदेश** का **9वां टाइगर रिजर्व** घोषित किया गया है।
- हाल ही में नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा **"ट्रेड वॉच क्वार्टरली"** का शुभारंभ किया गया।
- गूगल ने, हैदराबाद में **'सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र'** स्थापित करेगा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में **'अष्टलक्ष्मी महोत्सव'** का उद्घाटन किया गया।
- हाल ही में श्रीनगर शहर को **'वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी'** का टैग मिला है।
- भारतीय रेलवे ने IIT मद्रास के साथ मिलकर भारत के पहले **"हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक"** का निर्माण किया है।
- हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्का के आटा का **'हिमभोग'** लॉन्च करने की योजना बनाई है।
- हाल ही में हुडको ने अपनी CSR पहल के तहत छत्तीसगढ़ में **"उपहार दूध कार्यक्रम"** शुरू किया है।
- वर्तमान में भारत **WHO** की **वैक्सीन** आवश्यकताओं का **80 %** आपूर्तिकर्ता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 दिसंबर को **"विश्व ध्यान दिवस"** घोषित किया।
- **संजय मल्होत्रा** को केंद्र सरकार द्वारा **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नया गवर्नर** नियुक्त किया गया।
- रूस में निर्मित युद्धपोत **"INS तुशिल"** को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया।
- वर्ष 2024 का **'इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार'** चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचेलेट जेरिया को दिया जाएगा।
- हाल ही में **IIT गुवाहाटी** में भारत का सबसे बड़ा **विज्ञान महोत्सव** आयोजित हुआ।
- **'इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो-2024'** का आयोजन इंदौर में किया गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत में **' सखी बीमा योजना'** का शुभारंभ किया गया।
- **जोकिम एलेक्जेंडरसन** को भारत की महिला U-20 और U-17 टीम का कोच नियुक्त किया गया।
- **कुश मैनी** अबू धाबी में **FIA फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप** जीतने वाले **पहले भारतीय** बन गए हैं।
- हाल ही में **भारतीय रिज़र्व बैंक** ने वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए **MULEHUNTER.AI** का शुभारंभ किया है।
- **मेघालय** राज्य से **जल संचय** के लिए **एशियाई विकास बैंक** ने **50 मिलियन डॉलर** का ऋण समझौता किया है।
- **एयरहेल्प 2024** के अनुसार, **ब्रुसेल्स एयरलाइंस** को दुनिया की **सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित** किया गया है।
- उत्तराखंड ने वर्ष 2025 से **'ग्रीन टैक्स'** शुरुआत करने की घोषणा की है।
- हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2026 तक **'नमो ड्रोन दीदी केंद्रीय क्षेत्र योजना'** के तहत **15 हजार ड्रोन** उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है।

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में **'राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024'** प्रदान किया जायेगा।
- हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने **'कलैगनार महिला अधिकार निधि योजना'** शुरू की है।
- 2023-24 में भारत में **लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930** हो गया है।
- **क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025** में **IIT दिल्ली** ने **भारत में पहला स्थान** प्राप्त किया है।
- हाल ही में **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5** के अनुसार, वर्ष 2019-21 के दौरान भारत ने **कुल प्रजनन दर 2.0** हासिल कर ली है।
- भारत पहली बार **नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग** के 68वें सत्र की अध्यक्षता की।
- हाल ही मे **भारत ने रूस** के साथ 4 अरब डॉलर का उन्नत **वोरोनेझ रडार सिस्टम** का समझौता किया।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण** को वित्त वर्ष **2028-29 तक बढ़ाने** का निर्णय लिया गया है।
- हाल ही में सरकार ने **गेहूं की भंडारण सीमा 2,000 मीट्रिक टन से घटाकर 1,000 मीट्रिक टन** कर दिया है।
- हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 45 पंचायतों को **'राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार'** से सम्मानित किया है।
- **भारत कौशल रिपोर्ट 2025** के अनुसार, रोजगार दर में **केरल शीर्ष** पर है।
- हाल ही में टाइम पत्रिका ने **डोनाल्ड ट्रंप को 2024** का **"पर्सन ऑफ द ईयर"** चुना है।
- अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने **400 बिलियन डॉलर** का आंकड़ा छूने वाले **दुनिया के पहले व्यक्ति** बन गए है।
- भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल **अशोक राज सिग्देल** को **'भारतीय सेना के जनरल'** की **मानद उपाधि** से सम्मानित किया।
- **भावेश जैन** को **ट्रांसयूनियन सिबिल** के **MD एवं CEO** के रूप में नियुक्त किया गया है।
- हाल ही मे **गूगल** ने **विलो चिप** का अनावरण किया है।
- **दक्षिण कोरिया** के **राष्ट्रपति यून सुक-योल** को **महाभियोग प्रस्ताव पारित** करके हटा दिया गया है।
- RBI ने बिना जमानत के **कृषि-ऋण** की **1,60,000** से बढ़ाकर **2,00,000** रुपये कर दिया है।
- भारत में एशिया का पहला **'जियो साइंस म्यूजियम'** बनाया गया।
- **IIT मद्रास** ने 410 मीटर लंबी भारत के पहले **हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक** पूरा किया है।
- **DRDO** ने ओडिशा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में **सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट** का अंतिम परीक्षण किया है।
- मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है।
- केंद्र सरकार ने **स्मार्ट सिटी मिशन** के लिए **8,000 करोड रुपये** आवंटित किये है।
- हाल ही में **ब्रिटेन ट्रांस-पैसिफिक व्यापार समझौते** का **12वां सदस्य** बन गया है।
- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने **गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों** से जुड़े जलमार्गों पर माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए **'जलवाहक' योजना** की शुरुआत की है।
- ICMR द्वारा भारत का **"पहला डायबिटीज बायोबैंक"** चेन्नई में स्थापित किया गया।
- केंद्र सरकार द्वारा किफायती खाने-पीने की सुविधा के लिए कोलकाता एयरपोर्ट से **'उड़ान यात्री कैफे'** योजना लॉन्च किया जाएगा।
- **भारत, फ्रांस और UAE** ने अरब सागर में त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास **"डेजर्ट नाइट"** की शुरुआत की।
- 29वाँ **'अंतर्राष्ट्रीय केरल फ़िल्म महोत्सव'** तिरुवनंतपुरम मे शुरू हुआ।
- हाल ही में **'मिखाइल कावेलाश्विली'** जॉर्जिया के **राष्ट्रपति नियुक्त** किए गए हैं।
- ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर आयोजित **'100वां तानसेन संगीत समारोह'** गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुआ।
- **भारत** ने पहली **ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी** का अनावरण किया गया है।

- अमेरिकी सेना ने **'डार्क ईगल'** नामक **लॉन्ग-रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल** का परीक्षण किया है।
- **'एक देश, एक चुनाव संशोधन बिल 2024'** लोकसभा में पेश किया गया। ये 129वां संविधान संशोधन विधेयक है।
- हाल ही में उत्तराखंड ने **वैश्विक योग केंद्र** बनने के लिए **भारत की पहली योग नीति** का अनावरण किया।
- **किसानों और व्यापारियों** के लिए सरकार ने **'ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त-पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना'** शुरू की है।
- **शिक्षा मंत्रालय के अनुसार,** सरकार **'पीएम श्री योजना'** के अंतर्गत 620 **'जवाहर नवोदय विद्यालय'** विकसित करेगी।
- केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री द्वारा नई दिल्ली में **'फिट इंडिया साइक्लिंग' पहल** को शुरू किया गया।
- हाल ही में नोएडा में देश के **'सबसे बड़े एयर कार्गो हब'** बनाने की घोषणा की गई है।
- **38वें राष्ट्रीय खेलों** के लिए टैगलाइन **"संकल्प से शिखर तक" और शुभंकर 'मौली'** को चुना गया है।
- भारत दुनिया में स्मार्टफोन का **तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक** बन गया है।
- 10वां **'अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव'** भोपाल में आयोजित किया गया।
- भारत का **कुल रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2023-24** में लगभग **21,000 करोड़** रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।
- हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार **दिसंबर 2024** तक सर्वोच्च न्यायालय में **82,000 मामले** लंबित हैं।
- **इन्दौर शहर** में 1 जनवरी, 2025 से भिखारियों को भीख देने वालों के **खिलाफ FIR दर्ज** किया जाएगा।
- ब्रिटेन ने **ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था** के लिए **पहली आचार संहिता** निर्धारित की है।
- जैव विज्ञान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए **किरण मजूमदार-शॉ** को **"जमशेदजी टाटा पुरस्कार"** से सम्मानित किया गया।
- **भारत-फिलीपींस समुद्री वार्ता** का पहला चरण **मनीला** में आयोजित किया गया।
- **उबर** ने बेंगलुरु में महिलाओं की सेफ्टी हेतु **"उबर मोटो वुमेन"** लॉन्च किया है।
- भारत और जापान ने अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए **लेजर से लैस उपग्रहों** का अध्ययन करने का फैसला किया है।
- **रूस** ने **कैंसर की वैक्सीन** बनाने में सफलता हासिल कर ली है।
- **NCRB** के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष **1995** से अब तक भारत में **4 लाख से अधिक किसानों और कृषि मज़दूरों** ने आत्महत्या की है।
- **विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मक सूचकांक** वर्ष **2024** में **भारत की रैंकिंग 40वें स्थान** पर पहुंच गई है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत के **पहले कीटनाशक रोधी बॉडीसूट, 'किसान कवच'** का अनावरण किया है।
- हाल ही में भारत का **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) $1 ट्रिलियन** पार हो गया है।
- **भारत और श्रीलंका** के बीच **संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 'SLINEX'** शुरू हुआ है।
- चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक **स्पेसवॉक** कर **नया वर्ल्ड रिकॉर्ड** बनाया है।
- **स्विटजरलैंड** में **1 जनवरी 2025** से विवादास्पद **"बुर्का प्रतिबंध"** आधिकारिक रूप से लागू करने की घोषणा की है।
- हाल ही में **खेलो इंडिया योजना** के तहत **1250 खेलो इंडिया केंद्रों** को मंजूरी दी गयी है।
- **केंद्र सरकार** ने **महाराष्ट्र** में **तटीय और नदी तट संरक्षण** के लिए ADB के साथ **42 मिलियन डॉलर** का ऋण समझौता है।
- हाल ही में **लेखिका सूर्यबाला** को **'कौन देस को वासी'** उपन्यास के लिए **34वां व्यास सम्मान 2024** प्रदान किया गया है।
- **भारतीय खो-खो महासंघ** ने सलमान खान को पहले **खो-खो विश्व कप 2025** का ब्रांड एंबेसडर घोषित किया है।
- **दिल्ली** में **बुजुर्गों** के मुफ्त इलाज हेतु **'संजीवनी योजना'** शुरू किया गया है।

अभ्यास प्रश्न

1. **सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता?**
   (A) वू लुओ यू
   (B) ट्रीसा जॉली
   (C) पीवी सिंधु
   (D) गायत्री गोपीचंद

2. **सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता?**
   (A) लक्ष्य सेन
   (B) जिया हेंग जेसन तेह
   (C) हुआंग डि
   (D) ध्रुव कपिला

3. **सीमा सुरक्षा बल (BSF) की स्थापना कब हुई थी?**
   (A) 1 मार्च, 1962
   (B) 1 अप्रैल, 1963
   (C) 1 दिसंबर, 1965
   (D) 1 जनवरी, 1969

4. **1 दिसंबर, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अध्यक्ष कौन बने?**
   (A) ग्रेग बार्कले
   (B) सौरव गांगुली
   (C) जय शाह
   (D) एन श्रीनिवासन

5. **भारत-मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति का चौथा संस्करण दिसंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है?**
   (A) कुआलालंपुर
   (B) बेंटोंग कैंप
   (C) लंगकावी
   (D) जोहोर बाहरु

6. **निम्न में से किस ने भारत में प्रगति मंच लॉन्च किया?**
   (A) गेट्स फाउंडेशन
   (B) भारत सरकार
   (C) संयुक्त राष्ट्र
   (D) ऑक्सफोर्ड का सैद बिजनेस स्कूल

7. **4 से 6 दिसंबर, 2024 तक विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन (WMTC) 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है?**
   (A) मुंबई
   (B) चेन्नई
   (C) नई दिल्ली
   (D) कोलकाता

8. **भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाउ शक्ति आयोजित करता है?**
   (A) सिंगापुर
   (B) श्रीलंका
   (C) मलेशिया
   (D) मालदीव

9. **रातापानी (Ratapani) वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का आठवां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है?**
   (A) राजस्थान
   (B) महाराष्ट्र
   (C) मध्य प्रदेश
   (D) छत्तीसगढ

10. **महाकुंभ (13 जनवरी से 26 फरवरी) 2025 का आयोजन किस शहर में होगा?**
    (A) हरिद्वार
    (B) उज्जैन
    (C) नासिक
    (D) प्रयागराज

11. **हाल ही में यूनेस्को (UNESCO) ने किस भारतीय राज्य को विरासत पर्यटन (heritage tourism) के लिए शीर्ष गंतव्य (destination) घोषित किया है?**
    (A) उत्तर प्रदेश
    (B) मध्य प्रदेश
    (C) राजस्थान
    (D) पश्चिम बंगाल

12. हाल ही में भारत की पहली 'उबर शिकारा' सेवा कहाँ शुरू की गई है?
(A) जयसमंद झील
(B) चिल्का झील
(C) लोकटक झील
(D) डल झील

13. 05 दिसंबर 2024 को तीसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बने हैं?
(A) उद्धव ठाकरे
(B) अजित पवार
(C) देवेंद्र फड़नवीस
(D) एकनाथ शिंदे

14. दिसंबर 2024 में नेतुम्बो नंदी-नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं हैं?
(A) दक्षिण अफ्रीका
(B) बोत्सवाना
(C) नामीबिया
(D) जिम्बाब्वे

15. गुजरात के 'घरचोला' को भौगोलिक संकेत (GI) टैग किसके लिए दिया गया है?
(A).पारंपरिक संगीत
(B) पारंपरिक हस्तशिल्प
(C) पारंपरिक नृत्य
(D) पारंपरिक पाक शैली

16. प्रोबा-3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है?
(A) नासा
(B) ईएसए
(C) जैक्सा
(D) सीएनएसए

17. 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा-3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है?
(A) पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन
(B) मंगल की सतह का अन्वेषण
(C) सूर्य के कोरोना का अध्ययन
(D) ग्लोबल वार्मिंग की निगरानी

18. दिसंबर 2024 में RBI द्वारा निर्धारित नई UPI लाइट वॉलेट सीमा क्या है?
(A) ₹2,000
(B) ₹3,000
(C) ₹4,000
(D) ₹5,000

19. हॉर्नबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना
(B) नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना
(C) राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जश्न मनाना
(D) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना

20. 6-8 दिसंबर 2024 तक आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है?
(A) उत्तरी भारत
(B) दक्षिणी भारत
(C) पूर्वोत्तर भारत
(D) पश्चिमी भारत

21. दिसंबर 2024 में RBI द्वारा घोषित वर्तमान नीति रेपो दर क्या है?
(A) 6.25%
(B) 6.50%
(C) 6.75%
(D) 7.00%

22. दिसंबर 2024 में भारत की ओर से नारकोटिक ड्रग्स (CND) पर आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने संभाली है?
(A) एस. जयशंकर
(B) शंभू कुमारन
(C) टी. एस. तिरुमूर्ति
(D) सैयद अकबरुद्दीन

23. पिछले 24 वर्षों से सीरिया का राष्ट्रपति कौन था, जो दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों के नियंत्रण में आने के बाद देश छोड़कर भाग गया?
(A) गीर पेडरसन
(B) बशर अल-असद
(C) मोहम्मद गाजी अल-जलाली
(D) हादी अल-बहरा

24. 2024 में पुरुष एशिया कप अंडर-19 क्रिकेट किस टीम ने जीता?

(A) भारत
(B) श्रीलंका
(C) बांग्लादेश
(D) पाकिस्तान

25. 2024 FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश का मुकाबला किसके साथ है?
(A) डिंग लिरेन
(B) मैग्नस कार्लसन
(C) फैबियानो कारुआना
(D) इयान नेपोमनियाचची

26. हाल ही में भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है?
(A) परमाणु ऊर्जा
(B) मानवाधिकार
(C) नशीली दवाएं
(D) जलवायु परिवर्तन

27. 11 दिसंबर, 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
(A) शक्तिकांत दास
(B) उर्जित पटेल
(C) संजय मल्होत्रा
(D) रघुराम राजन

28. 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (मोशन पिक्चर) के लिए नामांकित पहले भारतीय निर्देशक का नाम क्या है?
(A) शाजी एन. करुण
(B) पायल कपाड़िया
(C) मीरा नायर
(D) जोया अख्तर

29. नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन कौन कर रहा है?
(A) GMR ग्रुप
(B) ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG
(C) अडानी ग्रुप
(D) एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI)

30. दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले नवीनतम मल्टी-रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का नाम क्या है?
(A) INS विक्रांत
(B) INS तुशील
(C) INS खंडेरी
(D) INS अरिहंत

31. बशर अल-असद के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधान मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
(A) हादी अल-बहरा
(B) मोहम्मद गाजी अल-जलाली
(C) मोहम्मद अल-बशीर
(D) गीर पेडरसन

32. झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष (Speaker) किसे चुना गया है?
(A) रवीन्द्र नाथ महतो
(B) अर्जुन मुंडा
(C) हेमन्त सोरेन
(D) चंपई सोरेन

33. जॉन महामा (John Mahama) हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं?
(A) दक्षिण अफ्रीका
(B) केन्या
(C) घाना
(D) अर्जेंटीना

34. हाल ही में किस देश का 'माउंट कनलाओन (Mount Kanlaon)' ज्वालामुखी फटा है?
(A) इंडोनेशिया
(B) फिलिपींस
(C) जापान
(D) चिली

35. कौन सी पुरस्कार श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार (National Panchayat Awards) का हिस्सा है?
(A) स्वच्छ भारत ग्राम पुरस्कार
(B) जवाहरलाल नेहरू इनोवेशन अवार्ड
(C) महात्मा गांधी ग्रामीण विकास पुरस्कार

(D) नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार

36. ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 11 से 14 दिसंबर तक आयोजित बाउमा CONEXPO इंडिया 2024 का मुख्य फोकस क्या है?

(A) कृषि

(B) कपड़ा उद्योग

(C) सूचना प्रौद्योगिकी

(D) निर्माण और खनन उपकरण

37. ईगलनेस्ट पक्षी महोत्सव (Eaglenest Bird Festival) हर वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है?

(A) असम

(B) मेघालय

(C) त्रिपुरा

(D) अरुणाचल प्रदेश

38. हाल ही में BCCI के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

(A) विनोद कांबली

(B) अजय जाडेजा

(C) देवजीत सैकिया

(D) मिताली राज

39. 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना?

(A) मैग्नस कार्लसन

(B) गैरी कास्पारोव

(C) विश्वनाथन आनंद

(D) डोमराजू गुकेश

40. सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला?

(A) वेणु की डायरी

(B) परदेस में परिवर्तन

(C) काशी की कहानियाँ

(D) कौन देस को वासी: वेणु की डायरी

41. 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पहल की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया?

(A) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

(B) पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद

(C) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

(D) गृह मंत्री अमित शाह

42. गुरुवयूर मंदिर (Guruvayur temple), जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है?

(A) केरल

(B) तमिलनाडु

(C) असम

(D) कर्नाटक

43. भारतीय वायुसेना के लिए Su-30MKI लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है?

(A) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL)

(B) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)

(C) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

(D) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)

44. किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक (ILT) विकसित किया है?

(A) भारतीय सेना (IA)

(B) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

(C) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)

(D) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL)

45. महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया?

(A) कोरिया गणराज्य

(B) जापान

(C) चीन

(D) मलेशिया

46. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती?

(A) हिमाचल प्रदेश

(B) मध्य प्रदेश

(C) मुंबई

(D) कर्नाटक

47. पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पांच ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे?

(A) भारतीय शास्त्रीय नृत्य

(B) तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत

(C) चित्रकला और मूर्तिकला

(D) साहित्य और कविता

48. NHAI द्वारा शुरू किए गए नए रूट पैट्रोलिंग व्हीकल्स (RPV) का नाम क्या है?

(A) राजमार्ग सेवा

(B) राजमार्ग साथी

(C) हाईवे हेल्पर

(D) रोड साथी

49. चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ (Olaf Scholz) के विश्वास मत हारने के बाद जर्मनी में अचानक चुनाव कब होने वाला है?

(A) 16 जनवरी, 2025

(B) 23 फरवरी, 2025

(C) 1 मार्च, 2025

(D) 16 फरवरी, 2025

50. हर पाँच साल में आयोजित होने वाले सामूहिक पशु बलि के लिए प्रसिद्ध गढ़ीमाई (Gadhimai) महोत्सव कहाँ मनाया जाता है?

(A) काठमांडू, नेपाल

(B) वाराणसी, भारत

(C) बरियारपुर, नेपाल

(D) ढाका, बांग्लादेश

51. संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(A) एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना

(B) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना

(C) एक नई मतदान प्रणाली शुरू करना

(D) लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना

52. 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफ़ोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है?

(A) प्रथम

(B) द्वितीय

(C) तृतीय

(D) पांचवां

53. भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक (Diabetes Biobank) किस शहर में स्थापित किया गया है?

(A) नई दिल्ली

(B) कोलकाता

(C) चेन्नई

(D) पुणे

54. ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली नैट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) किस देश की खिलाड़ी हैं?

(A) इंग्लैंड

(B) दक्षिण अफ्रीका

(C) ऑस्ट्रेलिया

(D) न्यूज़ीलैंड

55. DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?

(A) रविचंद्रन अश्विन

(B) कीर्ति आज़ाद

(C) रोहन जेटली

(D) इनमें से कोई नहीं

56. हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?

(A) अज़रबैजान

(B) मंगोलिया

(C) मोल्दोवा

(D) रूस

57. फीफा (FIFA) बेस्ट अवार्ड्स 2024 में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता?

(A) लियोनेल मेस्सी

(B) विनीसियस जूनियर

(C) रोड्रिगो हर्नांडेज़ कैस्केंट

(D) नेमार

58. 2024 में FIDE वर्ल्ड अंडर-18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज़ दोनों खिताब किसने जीते?

(A) अलेक्जेंडर ख्वीपाचेंको

(B) दिमित्री मोचलोव

(C) रोमन पायरीह

(D) प्रणव वेंकटेश

59. गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है?

(A) केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय

(B पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(C) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(D) केंद्रीय कृषि मंत्रालय

60. हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया?

(A) गगन गिल

(B) अरुंधति रॉय

(C) कमला त्रिपाठी

(D) अभिनव जयकर

61. गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है?

(A) 15 अगस्त

(B) 19 दिसंबर

(C) 26 जनवरी

(D) 2 अक्टूबर

62. वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया?

(A) पं. हरिप्रसाद चौरसिया

(B) उस्ताद जाकिर हुसैन

(C) पं. स्वप्न चौधरी

(D) अमजद अली खान

63. हाल ही में किस राज्य में 'बांग्लार बारी' आवास योजना शुरू की गई?

(A) तमिलनाडु

(B) हरियाणा

(C) पश्चिम बंगाल

(D) असम

64. ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स (TTDI) 2024 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है?

(A) 38वां

(B) 39वां

(C) 54वां

(D) 55वां

उत्तर कुंजी

1.	(C)	8.	(C)	15.	(B)	22.	(B)	29.	(B)	36.	(D)	43.	(B)	50.	(C)	57.	(D)	64.	(B)
2.	(A)	9.	(C)	16.	(B)	23.	(B)	30.	(B)	37.	(D)	44.	(B)	51.	(B)	58.	(D)		
3.	(C)	10.	(D)	17.	(C)	24.	(C)	31.	(C)	38.	(C)	45.	(C)	52.	(C)	59.	(B)		
4.	(C)	11.	(C)	18.	(D)	25.	(A)	32.	(A)	39.	(D)	46.	(C)	53.	(C)	60.	(A)		
5.	(B)	12.	(D)	19.	(B)	26.	(C)	33.	(C)	40.	(A)	47.	(B)	54.	(A)	61.	(B)		
6.	(B)	13.	(D)	20.	(A)	27.	(C)	34.	(B)	41.	(B)	48.	(B)	55.	(C)	62.	(C)		
7.	(B)	14.	(C)	21.	(B)	28.	(B)	35.	(D)	42.	(A)	49.	(B)	56.	(C)	63.	(C)		

RNA : Real News Analysis

MONTHLY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

- नमस्ते, मेरा नाम **अंकित कुमार अवस्थी** है। मैं एक पूर्व RAS अधिकारी, M.Sc (स्वर्ण पदक विजेता) और IIT कानपुर से M.Tech हूँ। मुझे पढ़ाने का 15+ वर्षों का अनुभव है।

- **"Apnipathshala.com"** एक ऑनलाइन शिक्षा मंच और करियर पोर्टल है। यह अवस्थी कंसल्टेंसी, अलवर का एक उद्यम है। **Apni Pathshala** वेब पोर्टल भारत के छात्रों को करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के लिए उच्च गुणवत्ता वाली, मूल्यवान, प्रासंगिक और सार्थक सामग्री प्रदान करने वाला एक अग्रणी शैक्षणिक पोर्टल है। हमारा लक्ष्य छात्रों को समृद्ध शैक्षणिक सामग्री प्रदान करना है ताकि वे अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

- **हमारा मिशन और दृष्टिकोण**

  हम चाहते हैं कि प्रत्येक अभ्यर्थी अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचे। हमारी पहल उन्हें घर बैठे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अध्ययन सामग्री प्राप्त करने में मदद करती है ताकि वे अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकें। इस मिशन को ध्यान में रखते हुए, हमने अपना बहुमूल्य समय निवेश किया है ताकि उन्हें समझौता न करना पड़े।

www.apnipathshala.com
https://www.youtube.com/@Apni.Pathshala
https://x.com/_ApniPathshala
https://t.me/AnkitAvasthi
https://www.instagram.com/avasthiankit/
https://whatsapp.com/channel/0029Va8wpz36xCSFvu9jNO2U

By Ankit Avasthi Sir